बहारे शरीअत

11 से 20

मुसन्निफ

सदरुश्शरीआ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा

मौलाना मुहम्मद अमीनुल कादरी बरेलवी

नाशिर

कादरी दारुल इशाअ़त

[illegible] मीनार मस्जिद

[illegible] नगर, पुराना शहर बरेली

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ
(اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا)



किताब को पढ़ने से पहले
इस किताब को स्कैन करने वाले
और इस काम मे हिस्सा लेने वालो के हक़ में

दुआ फरमाएं

अल्लाह अज़्ज़वजल हमारे तमाम
सगीरा व क़बीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाये
और ईमान पर इस्तेक़ामत अता फ़रमाये!

आमीन

PDF BY :
WASEEM AHMED RAZA KHAN
AZHARI & TEAM
+91-8109613336

बहारे शरीअ़त

तेरहवा हिस़्स़ा

मुस़न्निफ़
सदरूश्शरीअ़ा मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुह़म्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारूल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:–9219132423

जुमला हुकूक़ बहक़्के नाशिर महफ़ूज़

नाम किताब बहारे शरीअ़त (तेरहवाँ हिस्सा)
मुसन्निफ सदरुश्शरीअ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमह
हिन्दी तर्जमा **मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी**
कम्प्यूटर कम्पोज़िंग रज़वी कम्पयूटर सेण्टर, निकट दो मीनार मस्जिद एजाज़नगर बरेली
क़ीमत जिल्द दोम 750/ मुकम्मल 1500/
ताादाद 1000
इशाअ़त 2010 ई.

मिलने के पते :

1. न्यू सिल्वर बुक एजेन्सी मोहम्मद अ़ली रोड़ मुम्बई
2. नाज़ बुक डिपो ,मोहम्मद अ़ली रोड़ मुम्बई
3. कलीम बुक डिपो, तीन दरवाज़ा, अहमदाबाद गुजरात
4. चिश्तिया बुक डिपो दरगाह शरीफ़ अजमेर।
5. मकतबा रहमानिया रज़विया दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ़6.
6. क़ादरी दारुल इशाअ़त, 523 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली। 9312106346

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم
نَحۡمَدُہٗ وَ نُصَلِّی عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡم

दावा का बयान

हदीस (1) सही मुस्लिम में हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम इरशाद फ़रमाते हैं कि "अगर लोगों को महज़ दावे की वजह से दे दिया जाया करे तो कितने लोग ख़ून और माल का दावा कर डालेंगे व लेकिन मुद्दआ अलैहि (जिस पर दावा किया गया) पर हल्फ़ (क़सम) है" और बैहक़ी की रिवायत में यह है "व लेकिन मुद्दई (दावा करने वाला) के ज़िम्मे बय्यिना (गवाह) हैं और मुन्किर पर क़सम"। (सहीह मुस्लिम स.941)

हदीस (2) इमाम अहमद व बैहक़ी अबूज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम इरशाद फ़रमाते हैं "जो शख़्स उस चीज़ का दावा करे जो उसकी न हो वो हम में से नहीं"। और वह ज़हन्नुम को अपना ठिकाना बनाये। (मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल जि.8, स.104)।

हदीस (3) तिबरानी वासिला रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम "बहुत बड़ा कबीरा गुनाह यह है कि मर्द अपनी औलाद से इन्कार करदे" (अलमोज्जमुल कबीर)

हदीस (4) इमाम अहमद व तिबरानी इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम "जो अपनी औलाद से इन्कार करे कि उसे दुनिया में रुस्वा करे क़ियामत के दिन अला रुऊसिल अशहाद (अलल एलान, मख़्लूक़ के सामने) उसको अल्लाह तआला रुस्वा करेगा यह उसका बदला है"। (मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल जि.2, स.255)

हदीस (5) अब्दुल रज़्ज़ाक़ अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ की मेरी औरत के स्याह बच्चा पैदा हुआ है। (यह शख़्स इशारतन बच्चे से इन्कार करना चाहता है) हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया "तेरे यहाँ ऊँट हैं" अर्ज़ की हाँ "उनके रंग क्या–क्या हैं?" अर्ज़ की सब सुर्ख़ हैं "उसमें कोई भूरे रंग का है" अर्ज़ की चन्द ऊँट भूरे भी हैं फ़रमाया "सुर्ख़ ऊँटों में भूरे कहाँ से पैदा होगये" अर्ज़ की मुझे मालूम नहीं, शायद रग ने खींच लिया हो यानि उनकी ऊपर की पुश्त में कोई भूरा होगा। उसका यह असर होगा फ़रमाया कि "तेरे बेटे को भी शायद रग ने खींच लिया होगा यानी तेरे बाप, दादा में कोई स्याह हो उसका यह असर हो" उस शख़्स को नसब से इन्कार की इज़्ज़त नहीं दी।

मसाइल फ़िक़्हिय्या :– दावा उस क़ौल को कहते हैं जो क़ाज़ी के सामने इस लिये पेश किया गया जिससे मक़सूद दूसरे शख़्स से हक़ तलब करना है।

मसअला.1:– दावा में सबसे ज्यादा अहम जो चीज़ है वह मुद्दई व मुद्दा'अलैहि का तअय्युन है इसमें ग़लती करना फ़ैसले की ग़लती का सबब होता है। आम लोग तो उसको मुद्दई जानते हैं जो पहले क़ाज़ी के पास जाकर दावा करता है और उसके मुक़ाबिल को मुद्दआ'अलैहि मगर यह सतही व ज़ाहिरी बात है। बहुत मरतबा यह होता है कि जो सूरतन मुद्दई है वह मुद्दआ'अलैह है और जो मुद्दआ'अलैह है वह मुद्दई, फ़ुक़हा ने इसकी तारीफ़ में बहुत कुछ कलाम ज़िक्र किये हैं। इसकी एक तारीफ़ यह है कि मुद्दई वह है कि अगर वह अपने दावा को तर्क करदे तो उसे मजबूर न किया जाये मुद्दआ'अलैह वह हैं जो मजबूर किया जाता है। मसलन एक शख़्स के दूसरे पर हज़ार रूपये हैं अगर वह दाइन (क़र्ज़ देने वाला) मुतालबा न करे तो क़ाज़ी कभी उसको दावा करने पर मजबूर नहीं कर सकता अगरचे क़ाज़ी को मालूम हो और मदयून (क़र्ज़मन्द, मक़रूज़) उसके दावे के बाद मजबूर है। उसको ला मुहाला (लाज़िमी) जवाब देना ही पड़ेगा ज़ाहिर में मुद्दई और हक़ीक़त में मुद्दआ अलैह की एक मिसाल यह है कि एक शख़्स ने दावा किया कि फ़ुलाँ के पास मेरी अमानत है दिलादी जाये। अमीन (जिस के पास अमानत हो) यह कहता है कि मैंने अमानत वापस करदी उसका

ज़ाहिर मतलब यह हुआ कि उसकी अमानत मुझको तस्लीम है मगर मैं दे चुका, यह अमीन का एक दावा है मगर हक़ीक़त में अमीन ज़िमान से मुन्किर है क्योंकि अमीन जब अमानत से इन्कार करे तो अमीन नहीं रहता बल्कि उसपर ज़िमान वाजिब होजाता है लिहाज़ा पहले शख़्स के दावा का हासिल मतलब तलबे ज़िमान (तावान तलब करना) है और उसके जवाब का मा'हसल वूजूबे ज़िमान से इन्कार है। अब इस सूरत में हल्फ़ (क़सम) अमीन के ज़िम्मा होगा और हल्फ़ से कह देगा तो बात उसकी मोतबर होगी। (हिदाया जि.2,स.154)

मसअला.2:– मुद्दई अगर असील है यानी खुद अपने हक़ का दावा करता है तो उसको दावे में यह ज़ाहिर करना होगा कि फुलाँ के ज़िम्मे मेरा यह हक़ है और अगर असील नहीं है बल्कि दूसरे शख़्स का क़ायम मक़ाम है मस्लन वकील या वसी है तो यह बताना होगा कि फुलाँ शख़्स जिसका मैं क़ायम मक़ाम हूँ उसका फुलाँ के ज़िम्मे यह हक़ है। (दुर्रेमुख़्तार जि.8 स.329)

मसअला.3:– दावा वही कर सकता है जो आक़िल तमीज़दार हो। मजनून या इतना छोटा बच्चा न हो जिसको कुछ तमीज़ नहीं है दावा नहीं कर सकता। ना'बालिग़ समझदार दावा कर सकता है। ब'शर्ते के वह जानिबे वली से माज़ून हो। (दुर्रेमुख़्तार जि.8 स.329)

मसअला.4:– दावा में मुद्दई को जज़्म व यक़ीन के साथ बयान देना होगा अगर यह कहेगा कि मुझे ऐसा शुब्ह होता है या मेरा गुमान यह है तो दावा क़ाबिले समाअत (सुनने के क़ाबिल) न होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

दावे के सहीह होने के शराइत

मसअला.5:– दावा की सेहत (सहीह होने) के शराइत यह हैं। (1) **जिस** चीज़ का दावा करे वह मा'लूम हो। मजहूल शै (नामा'लूम चीज़) का दावा मस्लन फुलाँ के ज़िम्मे मेरा कुछ हक़ है क़ाबिले समाअत नहीं।

(2)दावा सुबूत का एहतिमाल रखता हो लिहाज़ा ऐसा दावा जिसका वुजूद मुहाल (जिस का पाया जाना मुम्किन ही नहीं) है बातिल है। मस्लन किसी ऐसे को अपना बेटा बताता है कि उसकी उम्र इससे ज़ाइद है। या उस उम्र का उसका बेटा नहीं होसकता या मारूफुन्नसब (जिस का बाप मा'लूम हो) को कहता है यह मेरा बेटा नहीं है। क़ाबिले समाअत नहीं जो चीज़ आदतन मुहाल है वह भी क़ाबिले समाअत नहीं मस्लन एक फक़ीर जो फ़ाक़ा में मुब्तला है सब लोग उसकी मोहताजी से वाक़िफ़ हैं, अग़निया से ज़कात लेता है वह यह दावा करता है कि फुलां शख़्स को मैंने एक लाख अशर्फ़ी क़र्ज़ दी हैं वह मुझे दिलादी जायें, या कहता है फुलाँ अमीर कबीर ने मेरे लाखों रूपये ग़सब कर लिये हैं वह मुझको दिलाये जायें।

(3) खुद मुद्दई अपनी ज़ुबान से दावा करे बिला उज़्र उसकी तरफ़ से दूसरा शख़्स दावा नहीं कर सकता। अगर मुद्दई ज़ुबानी दावा करने से आजिज़ है तो लिखकर पेश करे। अगर क़ाज़ी उसकी ज़ुबान न समझता हो तो मुतर्जिम मुक़र्रर करे।

(4)मुद्दा'अलैह या उसके नायब के सामने अपने दावा को बयान करे और उसके सामने सुबूत पेश करे।

(5)दावा में तनाक़ुज़ (एक दूसरे से टकराव की बातें) न हों यानी उससे पहले ऐसी बात न कही हो जो उस दावे के मुनाक़िज़ हो। मस्लन मुद्दा'अलैह की मिल्क का खुद इक़रार कर चुका है अब यह दावा करता है कि उस इक़रार से पहले यह चीज़ मैंने उससे ख़रीदली है नसब और हुर्रियत (आज़ाद होना, गुलाम न होना) में तनाक़ुज़ मानेअ् दावा नहीं।

(6)दावा ऐसा हो कि बादे सुबूत ख़स्म पर कोई चीज़ लाज़िम की जासके यह दावा कि मैं उसका वकील हूँ बेकार है। (ख़ानिया, बहरुर्राइक़, मिनहतुलख़ालिक़, आलमगीरी जि.4, स.302)

मसअला.6:– जब यह दावा सही होगया तो मुद्दा'अलैह पर जवाब देना हाँ या ना के साथ लाज़िम है अगर सुकूत करेगा, चुप रहा। ये भी इन्कार के मअ्ने में है इसके मुक़ाबले में मुद्दई को गवाह पेश करने का हक़ है गवाह न होने की सूरत में मुद्दा'अलैह पर हल्फ़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– मनकूल शय का दावा हो तो यह भी बयान करना होगा कि वह मुद्दा अ़लैह के क़ब्ज़े में नाहक़ तौर पर है क्योंकि हो सकता है कि चीज़ मुद्दई की हो। और मुद्दा अ़लैह के पास मरहून (गिरवीं) हो, या समन न देने की वजह से उसने रोक रखी हो। (दुर्रेमुख़्तार जि.8, स.331)

मसअ्ला.8:– एक चीज़ में मिल्के मुतलक़ का दावा करता है और वह चीज़ मुद्दा अ़लैह के मुस्ताजिर (किरायेदार) या मुस्तईर (आरिज़ी तौर पर इस्तेमाल के लिये किसी से कोई चीज़ लेने वाला) या मुरतहिन (जिसके पास चीज़ गिरवी रखी जाये) के कब्ज़े में है। इस सूरत में मालिक व क़ाबिज़ (जिसका क़ब्ज़ा है उसको क़ाबिज़ कहते हैं) दोनों को हाज़िर होना ज़रूरी है। हाँ अगर मुद्दई यह कहता है के मालिक के इजारे पर देने से क़ब्ल मैंने खरीदी है तो तन्हा मालिक ख़स्म है इसी के हाज़िर होने की ज़रूरत है (बहर जि.7)

मसअ्ला.9:– ज़मीन के मुताल्लिक़ दावा है और ज़मीन मज़ारा (खेती करने वाला) के क़ब्ज़े में है अगर बीज उसने अपने डाले हैं या ज़राअ़त उग चुकी है तो मज़ारा का हाज़िर होना भी ज़रूरी है वरना नहीं। (बहर जि.7 स.331)

मसअ्ला.10:– मनकूल चीज़ (ऐसी चीज़ जो उठाके लेजाई जासकती हो) अगर ऐसी हो कि उसके हाज़िर करने में दुश्वारी न हो तो मुद्दा अ़लैह के ज़िम्मे उसका हाज़िर करना है ताके दावा और शहादत और हल्फ़ में उसकी तरफ़ इशारा किया जासके। अगर वह चीज़ हलाक होचुकी है या ग़ायब होगई है तो मुद्दई उसकी क़ीमत बयान करदे और अगर चीज़ मौजूद है मगर उसके लाने में दुश्वारी हो अगरचे फ़क़त इतनी ही कि उसके लाने में मज़दूरी देनी पड़ेगी, तकलीफ़ होगी जैसे चक्की और ग़ल्ले की ढेरी बकरियों का रेवड़ तो मुद्दई क़ीमत ज़िक्र करेगा और क़ाज़ी मुआयना के लिये अपना अमीन भेजेगा। (दुर्रेमुख़्तार जि.7 स.331)

मसअ्ला.11:– दावा किया कि फुलां शख़्स ने मेरी फुलां चीज़ ग़सब करली है और मुद्दई उसकी क़ीमत नहीं बताता है जब भी दावा मसमूअ़ है, सुना जायेगा यानि मुद्दा अ़लैह मुन्किर है तो उस पर हल्फ़ दिया जायेगा और मुक़िर (इक़रार करता है) है या क़सम से इन्कार करता है तो बयान करने पर मजबूर किया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार जि.8 स.332)

मसअ्ला.12:– चन्द जिन्स व नोअ़ व सिफ़त की चीजों का दावा किया और तफ़सील के साथ क़ीमत नहीं बताता टोटल क़ीमत बता देना काफ़ी है इसके सुबूत के गवाह लिये जायेंगे और हल्फ़ की ज़रूरत होगी तो टोटल पर एक दम हल्फ़ दिया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार जि.8, स.332)

मसअ्ला.13:– मुद्दआ अ़लैह ने मुद्दई की कोई चीज़ हलाक करदी है उसकी क़ीमत दिलापाने का दावा है तो मुद्दई उसकी जिन्स व नोअ़ बयान करें ताकि क़ाज़ी को मालूम होसके कि क्या फ़ैसला देना चाहिए। क्योंकि बाज़ चीज़ें मिस्ली हैं जिनका तावान मिस्ल से है बाज़ क़ीमती चीज़ें जिनका तावान क़ीमत से दिलाया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– कुर्ते का दावा हो तो जिन्स व नोअ़ व सिफ़त व क़ीमत बयान करने के अ़लावा यह भी बयान करना होगा कि ज़नाना है या मर्दाना, बड़ा है या छोटा। (आलमगीरी जि.4 स.7)

मसअ्ला.15:– वदीअ़त (अमानत) का दावा हो तो यह बयान करना भी ज़रूरी है कि यह चीज़ फुलां जगह अमानत रखी गई थी ख़्वाह वह चीज़ ऐसी हो जिसके लिये बारबर्दारी सर्फ़ (किराया ख़र्च करना) करनी पड़े या न पड़े और ग़सब का दावा हो तो जगह बयान करने की वहाँ ज़रूरत है। इस चीज़ के जगह बदलने में बारबर्दारी सर्फ़ करनी पड़े (चीज़ लाने की मज़दूरी देना पड़े) वरना जगह बयान करना ज़रूरी नहीं। ग़ैर मिस्ली चीज़ के ग़सब का दावा हो तो ग़सब के दिन जो उसकी क़ीमत हो वह बयान करे। दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– जायदाद ग़ैर मनकूला (वह जायदाद जो एक जगह से दूसरी जगह न लेजाई जासके) का दावा हो तो उसके हुदूद का बयान करना ज़रूरी है दावा में भी और शहादत में भी अगर यह जायदाद बहुत मशहूर हो जब भी उसके हुदूद का बयान करना ज़रूरी है।गवाहों को वह मकान जिसके मुताल्लिक़ दावा है मालूम है यानी बिऐनेही उसको पहचानते हों तो उनको हुदूद का ज़िक्र करना ज़रूरी नहीं

और अक़्क़ार (ग़ैर मनकूला) में यह भी बयान करना होगा कि वह किस शहर किस मोहल्ले किस कूचे में है। (हिदाया जि.2 स.154, दुर्रेमुख़्तार जि.8 स.334)

मसअ्ला.17:– तीन हदों का बयान करना काफ़ी है। मुद्दई या गवाह चौथी हद छोड़ गया। दावा सही है और गवाही भी सही है। और अगर चौथी हद ग़लत बयान की यानी जो चीज़ उस जानिब है उसके सिवा दूसरी चीज़ को बताया तो न दावा सही है, न शहादत क्योंकि मुद्दआ अलैह यह कहेगा कि यह चीज़ मेरे पास नहीं है फिर मुझ पर दावा क्यों है और अगर मुद्दा अलैह यह कहे कि यह महदूद मेरे क़ब्ज़े में है मगर तूने हुदूद के ज़िक्र में ग़लती की ये बात क़ाबिले इल्तिफ़ात नहीं यानी मुद्दा अलैह पर डिग्री न होगी। हाँ दोनों ने बिल इत्तिफ़ाक़ ग़लती का एअ्तिराफ़ किया ता सिरे से इस मुक़दमे की समाअत होगी। (ख़ानिया जि.2 स.64) और अगर सिर्फ़ दो ही हदें ज़िक्र कीं तो न दावा सही है, न शहादत। रही यह बात कि क्योंकर मालूम हो कि मुद्दई या शाहिद ने हद के बयान में ग़लती की है उसका बयान ख़ुद उस के इक़रार से होगा मुद्दआ अलैह उसकी ग़लती पर गवाह नहीं पेश करेगा। (बहर जि.7 स.339, दुर्रेमुख़्तार जि.8, स.335)

मसअ्ला.18:– तीन हदें ज़िक्र कर दी हैं एक बाक़ी है जब यह सही है तो चौथी जानिब कहाँ तक चीज़ शुमार होगी उसकी सूरत यह की जायेगी कि तीसरी हद जहाँ ख़त्म हुई है वहाँ से पहली हद के किनारे तक एक ख़ते मुस्तक़ीम (सीधी लाइन) खींचा जाये और उसको चौथी हद क़रार दिया जाये। (बहरुर्राइक़ स.338)

मसअ्ला.19:– रास्ता हद होसकता है उसका तूल व अर्ज़ बयान करना ज़रूरी नहीं नहर को हद क़रार नहीं दे सकते। शहर पनाह को हद क़रार दे सकते हैं और ख़न्दक़ को नहीं और अगर यह कहा कि फ़ुलां जानिब फ़ुलां शख़्स की ज़मीन या मकान है अगरचे इस शख़्स के इस शहर या गाँव में बहुत मकान, बुहत ज़मीनें हैं जब भी यह दावा और शहादत सही है। (बहर स.338)

मसअ्ला.20:– हुदूद में जो चीज़ें लिखी जायेंगी उनके मालिकों के नाम और उनके बाप और दादा के नाम लिखे जायें यानी फ़ुलां बिन फ़ुलां बिन फ़ुलां और अगर वह शख़्स मारूफ़ व मशहूर हो तो फ़क़त उसका ही नाम काफ़ी है। अगर कोई जायदादे मौक़ूफ़ा किसी जानिब में वाक़ेअ् हो तो उसको इस तरह तहरीर किया जाये कि पूरी तरह मुमताज़ होजाये। मसलन अगर वह वाक़िफ़ के नाम से मशहूर है तो उसका नाम जिन लोगों पर वक़्फ़ है उनके नाम से मशहूर हो तो उनके नाम लिखे जायें। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मोहतार जि.8 स.335)

मसअ्ला.21:– मकान का दावा किया क़ाज़ी ने दरयाफ़्त किया क्या तुम उस मकान के हुदूद को पहचानते हो उसने कहा नहीं। दावा ख़ारिज होगया। अब फिर दावा करता है और हुदूद बयान करता है यह दावा मसमूअ् (क़ाबिले क़बूल) न होगा और अगर पहली मर्तबा के दावे में उसने यह कहा था कि जिन लोगों के मकान हुदूद में वाक़ेअ् हैं उनके नाम मुझे नहीं मालूम हैं इस वजह से ख़ारिज हुआ था और अब दावा के साथ नाम बताता है तो यह दावा मस्मूअ् होगा।(आलमगीरी जि.4 स.11)

मसअ्ला.22:– अक़्क़ार (ग़ैर मनकूला जायदाद जैसे ज़मीन वग़ैरा) में मुद्दई को यह ज़िक्र करना होगा कि मुद्दा अलैह इस पर क़ाबिज़ है क्योंकि बिग़ैर उसके ख़स्म (मद्दे मक़ाबिल) नहीं हो सकता। और दोनों का मुत्तफ़िक़ होकर मुद्दा अलैह का क़ब्ज़ा ज़ाहिर करना यह काफ़ी नहीं है बल्कि गवाहों से क़ब्ज़ाए मुद्दा अलैह साबित करना होगा या क़ाज़ी को ज़ाती तौर पर इसका इल्म हो। क्योंकि हो सकता है कि एक मकान के मुताल्लिक़ ज़ैद ने अम्र पर दावा कर दिया और अम्र ने इक़रार कर लिया ज़ैद के मुवाफ़िक़ फ़ैसला होगया। हालांकि वह मकान न ज़ैद का है, न अम्र का बल्कि तीसरे का है और उसके क़ब्ज़े में है। ये दोनों मिल गये उनमें एक मुद्दई बन गया है एक मुद्दा अलैह ताकि डिग्री कराके आपस में बांट लें। (दुर्रेमुख़्तार जि.8 स.336, हिदाया जि.2 स.155)

मसअ्ला.23:– अक़्क़ार में अगर ग़सब का दावा हो कि मेरा मकान फ़ुलां ने ग़सब कर लिया या

ख़रीदारी का दावा हो कि मैंने वह मकान ख़रीदा है तो उसकी ज़रूरत नहीं है कि गवाहों से मुद्दा अलैह का क़ाबिज़ होना साबित करे कि फ़ेल का दावा क़ाबिज़ और ग़ैर क़ाबिज़ दोनों पर होता है। फ़र्ज़ किया जाये कि वह क़ाबिज़ नहीं है तो दावे पर कोई असर नहीं होता। (दुर्रेमुख़्तार जि.8 स.337)

मसअला.24:– यह दावा किया कि फ़ुलां शख़्स के मकान में मेरे मकान की नाली जाती है या उसके मकान में परनाला गिरता है या आबचक (मकान के पीछे छत का पानी गिरने की जगह) है तो यह बयान करना होगा कि बरसाती पानी जाने का रास्ता है या वहां गिरता है इस्तेमाली पानी भी और नाली या आबचक की जगह भी मुतअय्यन करनी होगी कि उस मकान के किस हिस्से में है।(आलमगीरी जि.4 स.11)

मसअला.25:– यह दावा किया कि फ़ुलां शख़्स ने मेरी ज़मीन में दरख़्त नसब किये हैं तो ज़मीन को बताना होगा कि किस ज़मीन में दरख़्त लगाये हैं और क्या दरख़्त लगाये हैं। यह दावा किया कि मेरी ज़मीन में मकान बना लिया है तो ज़मीन को बयान करे और मकान का तूल व अर्ज़ बयान करे। और यह कि ईंट का बनाया है, या कच्चा मकान है। (आलमगीरी जि.4 स.11)

मसअला.26:– दूसरे का मकान बैअ् (बेच दिया) कर दिया और मुश्तरी को क़ब्ज़ा भी देदिया अब मालिक आया और उसने बाइअ् पर दावा किया उसकी चन्द सूरतें हैं। अगर मालिक का यह मक़सद है कि मकान वापस लूँ तो दावा सही नहीं कि बाइअ् के पास मकान कब है जो उससे लेगा और अगर यह मक़सूद है कि उससे तावान ले तो इमामे आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु का मसलक मालूम है कि अक़्क़ार में इमाम के नज़्दीक ग़सब से ज़मान नहीं मगर चूँकि उस शख़्स ने बैअ् करके तस्लीमे मबीअ् की है इसमें ज़्यादा सहीह क़ौल यह है कि ज़मान वाजिब है और अगर मालिक यह चाहता है कि बैअ् जाइज़ करके बाइअ् से समन वसूल करले यह दावा सही है।(आलमगीरी)

मसअला.27:– एक शख़्स ने जायदादे ग़ैर मनक़ूला बैअ् की और बाइअ् का बेटा या बीवी या बअ्ज़ दीगर करीबी रिश्तेदार वहाँ हाज़िर थे। और मुश्तरी (ख़रीदार) मबीअ् पर कब्ज़ा करके। एक ज़माने तक तसर्रुफ़ करता रहा। फिर उन हाज़ेरीन में किसी ने मुश्तरी पर दावा किया कि बाइअ् मालिक न था मैं मालिक हूँ यह दावा मसमूअ् न होगा और उसका सुकूत (ख़ामोश रहना) मिल्के बाइअ् का इकरार मुतसव्वर होगा (यानी इक़रार समझा जायेगा)। (आलमगीरी)

मसअला.28:– यह दावा किया कि यह मकान जो मुद्दा अलैह के क़ब्जे में है यह मेरे बाप का है जो मरगया और इसको तर्का में छोड़ा और मेरे बाप ने इस मकान के अलावा दूसरी अशया जानवर वग़ैरा भी तर्का में छोड़ी। और मैं और मेरी एक बहन कुल दो वारिस् छोड़े हमने तर्के को बाहम तक़सीम करलिया और यह मकान तन्हा मेरे हिस्से में पड़ा। मेरी बहन ने अपना कुल हिस्सा उन अशया से वसूल करलिया। यह मकान ख़ास मेरी मिल्क है यह दावा मसमूअ है (सुनने लायक है)। (आलमगीरी)

मसअला.29:– यह दावा किया कि यह मकान मुझे अपने बाप या माँ से मीरास् में मिला है और मूरिस् का नाम व नसब कुछ नहीं बयान किया यह दावा मसमूअ नहीं है। (आलमगीरी)

मसअला.30:– यूँ दावा किया कि इसके पास जो फ़ुलाँ चीज़ है वह मेरी है क्योंकि इसने मेरे लिये इक़रार किया है या उसपर मेरे हज़ारों रूपये हैं इस लिये कि उसने ऐसा इक़रार किया है यानी इक़रार को दावे की बिना क़रार देता है यह दावा मसमूअ् नहीं हाँ अगर मिल्क का दावा करता और इक़रार को सुबूत में पेश करता तो दावा मसमूअ् होता। (आलमगीरी)

मसअला.31:– मुद्दा अलैह ने इक़रारे मुद्दई को दफ़्ए दावा में पेश किया यानी मुद्दई को मुझपर दावा करने का हक़ नहीं है क्योंकि उसने खुद मेरे लिये इक़रार किया है यह मसमूअ् है। यानी उसकी वजह से दावए मुद्दई दफ़ा होजायेगा। (आलमगीरी)

मसअला.32:– दैन का दावा हो तो वो मकील हो या मौज़ून (नापने वाली हो या तोलने वाली) नक़्द हो या ग़ैर नक़्द उसका वस्फ़ बयान करना होगा और मिस्ली चीज़ों में जिन्स, नोअ् सिफ़त, मिक़्दार सबबे वुजूब (चीज़ की अच्छाई या बुराई, कितनी है हक़ के लाज़िम होने का सबब) सब ही को बयान करना

होगा मसलन यह दावा किया कि फुलाँ के ज़िम्मे मेरे इतने गेहूँ हैं और सबबे वुजूब नहीं बयान करता कि उसने कर्ज लिया है या उससे मैंने सलम किया है या उसने गसब किया है ऐसा दावा मसमूअ़ नहीं और सबब बयान करदेगा मसमूअ़ होगा। और क़र्ज की सूरत में जहाँ क़र्ज लिया है वहाँ देना होगा और गसब किया है तो जहाँ से गसब किया है वहाँ और सलम है तो जो जगह तस्लीम की करार पायी है, वहाँ। (दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.33:– सलम का दावा हो तो शराइत का बयान करना ज़रूरी है अगर यह कहदिया कि इतने मन गेहूँ सलम सही की रू से वाजिब हैं। इसको बअ्ज़ मशाइख़ काफ़ी बताते हैं। इसे शराइते सेहत के कायम मकाम कहते हैं और बैअ् के दावे में बैअ् सही कहना काफ़ी है। शराइते सेहत बयान करना जरूरी नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– यह दावा किया कि मेरा उसका ज़िम्मे इतना चाहिए। हमारे माबैन जो हिसाब था उसके सबब से यह सही नहीं कि हिसाब सबबे वुजूब नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– यह दावा है कि मय्यित के ज़िम्मे इतना दैन है और यह बयान करदिया कि वह बिगैर दैन अदा किये मरगया और उसने इतना तर्का छोड़ा है जिससे मेरा दैन अदा हो सकता है। और तर्का के इन वारिसों के कब्जे में है यह दावा मसमूअ् है मगर वारिस् को दैन अदा करने का उस वक्त हुक्म होगा जब उसे तर्का की फुलाँ चीजें उसे मिली हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– दाइन ने दैन का दावा किया। मदयून कहता है कि मैंने इतने रूपये तुम्हारे पास भेज दिये थे या फुलाँ शख्स ने बिगैर मेरे कहने के दैन अदा करदिया मदयून की यह बात मसमूअ् होगी। दाइन पर हल्फ दिया जायेगा और अगर मदयून कर्ज़ का दावा करता है। कहता है कि फुलाँ शख्स ने जो तुम्हें इतने रूपये कर्ज दिये थे वह मेरे रूपये थे यह बात मसमूअ् न होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.37:– यह दावा किया कि मबीअ् का समन उसके ज़िम्मे है और मबीअ् पर क़ब्ज़ा करचुका है तो मबीअ् क्या चीज थी। सेहते दावा के लिये उसका बयान करना जरूरी नहीं। इसी तरह मकान बेचा था उसके समन का दावा है तो उसका दावे में उसके हुदूद बयान करना जरूरी नहीं और अगर मबीअ् पर मुश्तरी का कब्जा नहीं हुआ है तो मबीअ् का बयान करना जरूरी है बल्कि मुम्किन हो तो हाज़िर लाना होगा ताकि उसकी बैअ् साबित की जा सके। (आलमगीरी)

मसअ्ला.38:– दावा सही होगया तो काजी मुद्दा अलैह से इस दावे के मुताल्लिक दरयाफ्त करेगा कि इस दावे के मुताल्लिक तुम क्या कहते हो और अगर दावा सही न हो तो मुद्दा अलैह से कुछ नहीं दरयाफ्त करेगा क्योंकि इसपर जवाब देना वाजिब नहीं। अब मुद्दा अलैह इकरार करेगा या इन्कार। अगर इकरार करलिया बात ख़त्म होगई। मुद्दई के मुवाफ़िक़ फ़ैसला होगा और मुद्दा अलैह के इन्कार की सूरत में मुद्दई के ज़िम्मे यह है कि वह अपने दावे को गवाहों से साबित करे। अगर साबित कर दिया मुद्दई के मुवाफ़िक फ़ैसला किया जायेगा अगर गवाह पेश करने से मुद्दई आजिज़ है और मुद्दा अलैह पर हल्फ़ देने को कहता है तो उसपर हल्फ़ दिया जायेगा बिगैर तलबे मुद्दई हल्फ नहीं दिया जायेगा क्योंकि हल्फ़ देना मुद्दई का हक़ है उसका तलब करना ज़रूरी है अगर मुद्दा अलैह ने कसम खाली मुद्दई का दावा ख़ारिज और क़सम से इन्कार करता है तो मुद्दई का दावा दिलाया जायेगा। (हिदाया, दुर्रेमुख्तार वगैरहुमा)

मसअ्ला.39:– मुद्दा अलैह यह कहता है 'न मैं इकरार करता हूँ न इन्कार' तो काज़ी हल्फ़ नहीं देगा बल्कि दोनों बातों में से एक पर मजबूर करेगा उसे क़ैद कर देगा। यहाँ तक कि इक़रार करे या इन्कार। यूँही अगर मुद्दा अलैह ख़ामोश है कुछ बोलता ही नहीं और किसी मर्ज़ की वजह से बोलने से आजिज़ भी नहीं है तो उसे मजबूर किया जायेगा मगर इमाम अबू युसुफ फ़रमाते हैं कि सुकूत ब मन्ज़िला इन्कार के है (यानी यह ख़ामोशी इनकार के कायम मकाम है) और इस बात में उन्हीं के कौल पर फतवा दिया जाता है। (दुर्रेमुख्तार)

मसअला.40:– मुद्दा अ़लैह ने मुद्दई से कहा अगर तुम क़सम खाजाओ तो मैं माल का ज़ामिन हूँ। मुद्दई ने क़सम खाली मुद्दा'अ़लैह माल का ज़ामिन न होगा कि यह तग़य्युरे शरअ़ (यानी हुक्मे शरअ़ को बदलना) से है। शरअ़ में मुद्दई पर ह़ल्फ़ नहीं है। यूंही ज़ैद ने अ़म्र पर हज़ार रूपये का दा़वा किया अ़म्र ने कहा अगर क़सम खाजाओ कि मेरे ज़िम्मे तुम्हारे हज़ार रुपये हैं तो हज़ार रुपये देदूँगा। ज़ैद ने क़सम खाली और अ़म्र ने इस वजह से कि क़सम खाने पर देने को कहा था देदिये। यह देना बात़िल है जो कुछ दिया है उससे वापस ले सकता है। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.41:– मुद्दई ने मुद्दा'अ़लैह से क़सम खाने को कहा उसने क़ाज़ी के सामने बिग़ैर हुक्मे क़ाज़ी क़सम खाली। यह क़सम मोअ़्तबर नहीं कि अगरचे क़सम का मुत़ालबा मुद्दई का काम है। मगर ह़ल्फ़ देना क़ाज़ी का काम है जब तक क़ाज़ी उसपर ह़लफ़ न दे उसका क़सम खाना बेसूद है(आलमगीरी)

मसअला.42:– शौहर ग़ायब है औरत ने क़ाज़ी के यहाँ दरख़्वास्त की कि मेरे लिये नफ़क़ा मुक़र्रर कर दिया जाये। क़ाज़ी औरत पर ह़ल्फ़ देगा कि क़सम खा 'कि तेरा शौहर जब गया तुझे नफ़क़ा नहीं दे गया'। यह ह़ल्फ़ बिग़ैर त़लबे मुद्दई है। (आलमगीरी)

मसअला.43:– मय्यित पर दैन का दावा किया और सुबूत के गवाह भी रखता है मगर ब'वजूद गवाह क़ाज़ी खुद बिग़ैर वारिस् या वसी़ की त़लब के उसपर यह क़सम देगा कि न तूने मय्यित से दैन वसूल पाया, न किसी दूसरे ने उसकी त़रफ़ से तुझे दैन अदा किया, न किसी दूसरे ने तेरे हुक्म से दैन पर कब्ज़ा किया, न तूने कुल दैन या उसका कोई जुज़ मुआफ़ किया, न कुल दैन या जुज़ का किसी पर हवाला तूने क़बूल किया, न दैन के बदले में कोई चीज़ तेरे पास रहन है, यहाँ भी बिग़ैर त़लब खुद क़ाज़ी यह ह़ल्फ़ देगा बिग़ैर ह़ल्फ़ लिये क़ाज़ी ने दैन अदा करने का हुक्म देदिया। यह हुक्म नाफ़िज नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुह़तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.44:– गवाह से सुबूत होने के बा़द क़सम नहीं दी जाती मगर इन मसाइले ज़ेल में (1) मय्यित पर दैन का दा़वा किया और गवाहों से सा़बित कर दिया या तर्का में ह़क़ का दा़वा किया और गवाहों से सा़बित कर दिया क़ाज़ी ह़ल्फ़ देगा कि क़सम खाकर मुद्दई यह कहे कि मैने अपना दैन या ह़क़ वसूल नहीं पाया है यहाँ बिग़ैर दा़वा ह़ल्फ़ दिया जायेगा। जिस त़रह़ हुक़ूक़ुल्लाह में ह़ल्फ़ दिया जाता है। (2) किसी ने मबीअ़ में अपना ह़क़ सा़बित किया कि यह चीज़ मेरी है और गवाहों से अपनी मिल्क सा़बित करदी। मुश्तरी मुस्तह़िक़ पर यह ह़ल्फ़ देगा कि न तूने यह चीज़ बैअ़ की, न हिबा, न स़दक़ा की न यह चीज़ तेरी मिल्क से ख़ारिज हुई। (3) किसी ने दावा किया कि यह मेरा गुलाम है भाग गया है और गवाहों से सा़बित किया कि इसको क़सम खाकर बताना होगा कि वह अब तक उसी की मिल्क में है न उसे बेचा है, न हिबा किया है। (बह़र)

मसअ्ला.45:– मुद्दई ने दावे को गवाहों से सा़बित करदिया। मुद्दा अ़लैह क़ाज़ी से यह कहता है कि मुद्दई पर यह क़सम दी जाये कि वह अपने दा़वे में सच्चा है या उसके गवाह पर क़सम दी जाये कि वह सच्चे हैं या शहादत में ह़क़ पर हैं। क़ाज़ी उसकी बात तस्लीम न करे बल्कि अगर गवाहों को मा़लूम हो कि क़ाज़ी उनपर ह़लफ़ देगा और मन्सूख़ पर अ़मल करेगा तो गवाही से बाज़ रह सकते हैं कि ऐसी ह़ालत में गवाही देना उन पर लाज़िम नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.46:– मग़सूब मिन्हु (जिसकी चीज़ किसी ने ग़सब की) कहता है 'मेरे कपड़े की कीमत स़ौ रूपये है'। और ग़ासिब यह कहता है मुझे मालूम नहीं क्या क़ीमत है मगर सौ रूपये नहीं। ग़ासि़ब को कीमत बयान करने पर मजबूर किया जायेगा अगर वह न बयान करे तो उसको यह क़सम खानी होगी कि सौ रूपये उसकी क़ीमत नहीं है उसके बा़द मग़सूब मिन्हु को ह़ल्फ़ दिया जायेगा। कि वह क़सम खाये सौ रूपये क़ीमत है अगर यह भी क़सम खा जाये तो सौ रूपये दिलवा दिये जायेंगे उसके बा़द अगर वह कपड़ा मिलगया तो ग़ासि़ब को इख़्तियार है कि कपड़ा लेले या कपड़ा मग़सूब मिन्हु को देकर अपने सौ रूपये वापस लेले। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.47:— मुद्दई यह कहता है कि मेरे गवाह शहर में मौजूद हैं कचहरी में हाज़िर नहीं मैं यह चाहता हूँ कि मुद्दा अ़लैह पर हल्फ़ देदिया जाये। क़ाज़ी हल्फ़ नहीं देगा बल्कि कहेगा 'तुम अपने गवाह पेश करो'। (हिदाया)

मसअ्ला.48:— मुद्दई कहता है मेरे गवाह शहर से ग़ायब होगये हैं या बीमार हैं कि कचहरी तक नहीं आ सकते तो मुद्दा अ़लैह पर हल्फ़ दिया जायेगा मगर क़ाज़ी अपना आदमी भेजकर तहक़ीक़ करले कि वाक़ई वह नहीं हैं या बीमार हैं। बिग़ैर इसके हल्फ़ न दे। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.49:— मिल्के मुत़लक़ का दावा किया यानी मुद्दई ने अपनी मिल्क का कोई सबब बयान नहीं किया और अपनी मिल्क पर गवाह पेश करता है। ज़िलयद यानी मुद्दा अ़लैह भी अपनी मिल्क के गवाह पेश करता है क्योंकि यह भी अपनी मिल्क का मुद्दई है। इस सूरत में ज़िलयद (काबिज़) के गवाह से खारिज (जिसके कब्ज़े में वह चीज़ नहीं है) उसके गवाह ज़्यादा तरजीह रखते हैं यानी ख़ारिज के गवाह मक़बूल हैं यह उस सूरत में है कि दोनों ने मिल्क की कोई तारीख़ नहीं बयान की या दोनों की एक तारीख़ है या ख़ारिज की तारीख़ पहले की है। (हिदाया व ग़ैरहा)

मसअ्ला.50:— मुद्दा'अ़लैह ने इन्कार किया उस पर हल्फ़ दिया गया हल्फ़ से भी इन्कार करदिया। ख़्वाह यूँ कि उसने कहदिया। मैं हल्फ़ नहीं उठाऊँगा या सुकूत किया (ख़ामोश रहा) और मालूम है कि यह सुकूत किसी आफ़त की वजह से नहीं मसलन बहरा नहीं है कि सुना ही नहीं और यह इन्कार या सुकूत मज्लिसे क़ाज़ी में है तो क़ाज़ी फ़ैसला करदेगा और बेहतर यह है कि इस सूरत में तीन मर्तबा हल्फ़ पेश किया जाये बल्कि क़ाज़ी को चाहिए कि उससे पहले ही कह दे "मैं तुझ पर तीन मर्तबा क़सम पेश करूँगा अगर तूने क़सम खाली तो तेरे मुवाफ़िक़ फ़ैसला करूँगा वरना तेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला करदूँगा"। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.51:— हलफ़ से इन्कार पर फ़ैसला करदिया गया अब कहता है 'मैं क़सम खाऊँगा' उसकी तरफ़ इल्तिफ़ात (तवज्जोह) नहीं किया जायेगा जो हो चुका, हो चुका। मगर जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ है वह अगर ऐसी बात पर शहादत पेश करना चाहता हो जिससे फ़ैसला बातिल होजाये तो गवाह लिये जा सकते हैं। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.52:— क़ाज़ी ने दो मर्तबा क़सम पेश की उसने कहा मुझे तीन दिन की मोहलत दी जाये। तीन दिन के बाद आकर कहता है 'मैं क़सम नहीं खाऊंगा' उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला न किया जाये। जब तक फिर क़ाज़ी उसपर क़सम पेश न करे और वह इन्कार न करे और उस वक़्त भी तीन मर्तबा क़सम पेश करना और इन्कार करना हो। (आ़लमगीरी)

मसअला.53:— मुद्दा'अ़लैह का जवाब न देना इस वजह से है कि वह गूंगा है। क़ाज़ी हुक्म देगा कि इशारे से जवाब दे। अगर इक़रार का इशारा किया इक़रार सहीह है। इन्कार का इशारा किया इस पर क़सम दी जायेगी क़सम खा लेने का इशारा किया क़सम होगई, क़सम से इन्कार का इशारा किया नकूल होगा (यानी क़सम से इनकार होगा)। और उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया जायेगा। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.54:— एक सूरत फ़ैसले की यह भी है कि दावा क़तई क़राइन से साबित हो जिसमें शुबह की गुन्जाइश न हो मसलन एक ख़ाली मकान से एक शख़्स ख़ून आलूदा छुरी लिये हुए निकला। जिस पर ख़ौफ़ के आसार ज़ाहिर हैं लोग उस मकान में फ़ौरन घुसे और एक शख़्स को पाया जो जिबह किया गया है उनकी शहादत पर वह क़ातिल क़रार पायेगा अगरचे उन्होंने क़त्ल करते नहीं देखा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.55:— मुद्दा अ़लैह को शुबह पैदा होगया कि शायद मुद्दई जो कहता है वह ठीक हो इस सूरत में मुद्दई से मुसालहत करे और क़सम न खाये और अगर मुद्दई राज़ी नहीं होता वह कहता है मैं तो हलफ़ ही दूँगा अगर ग़ालिब गुमान यह है कि मैं बर सरे हक़ हूँ (हक पर हूँ) तो हल्फ़ करे वरना इन्कार करदे। (बहर)

मसअला.56:– एक शख़्स पर माल का दावा हुआ उसने इन्कार न किया और न इक़रार। और कहता है मुझे मुद्दई ने इस दावे से और हल्फ़ से बरी कर दिया है और मुद्दई कहता है मैंने इसे बरी नहीं किया है। देखा जायेगा अगर मुद्दई ने गवाहों से दावा साबित कर दिया है तो बरी न करने पर उसे क़सम दी जायेगी वरना मुद्दा अ़लैह पर क़सम देंगे। (बहर)

मसअला.57:– बाज़ दावे ऐसे हैं कि उनमें मुन्किर पर क़सम नहीं है। **(1)निकाह़** में मुद्दई मर्द हो या औ़रत। **(2) रजअ़त में**, मर्द ने उससे इन्कार किया या औ़रत ने मगर औ़रत उस वक़्त मुन्किर हो सकती है जब इद्दत गुज़र चुकी हो। **(3) ईला में फ़ेई**, मुद्दते ईला गुज़रने के बाद कोई भी उससे मुन्किर हो औ़रत हो या मर्द। **(4) इस्तीला** यानी उम्मे वलद होने का दावा उसकी सूरत यह है कि बान्दी उम्मे वलद होने का दावा करती है और मौला मुन्किर है। **(5) रुक़्क़ियत** यानी वह कहता है 'मैं फ़ुलाँ का गुलाम हूँ' और मौला (आक़ा) मुन्किर है या उसका अ़क्स। **(6)नसब** एक नसब का मुद्दई है दूसरा मुन्किर, **(7)विला**। **(8)हद** **(9)लिआ़न**। (हिदाया व ग़ैरहा)

मसअला.58:– औ़रत ने निकाह़ का दावा किया। मर्द मुन्किर है क़सम उस सूरत में नहीं है जैसा कि ज़िक्र हुआ लिहाज़ा क़ाज़ी फ़ैसला भी नहीं कर सकता। औ़रत क़ाज़ी से कहती है 'मैं निकाह़ कर नहीं सकती कि मेरा शौहर यह मौजूद है और यह ख़ुद निकाह़ से इन्कार करता है अब मैं मजबूर हूँ क्या करूँ, उसे यह हुक्म दिया जाये कि मुझे त़लाक़ देदे ताकि मैं दूसरे से निकाह़ करलूँ। शौहर कहता है अगर मैं त़लाक़ देता हूँ तो निकाह़ का इक़रार हो जाता है क़ाज़ी हुक्म देगा कि तू यह क़हदे कि अगर यह मेरी औ़रत है तो उसे त़लाक़, और अगर मर्द निकाह़ का मुद्दई है औ़रत मुन्किर है शौहर कहता है मैं इसकी बहन से या इसके अ़लावा चौथी औ़रत से निकाह़ करना चाहता हूँ। क़ाज़ी इसकी इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि जब यह शख़्स ख़ुद निकाह़ का मुद्दई है तो उसकी बहन से या चौथी औ़रत से क्योंकर निकाह़ कर सकता है बल्कि क़ाज़ी यह कहेगा अगर तू निकाह़ करना चाहता है तो उसे त़लाक़ देदे। (आलमगीरी)

मसअला.59:– यह जो बयान किया गया है कि निकाह़ वग़ैरा फ़ुलां फ़ुलां चीज़ों में मुन्किर पर ह़ल्फ़ नहीं है इससे मुराद यह है कि जब महज़ उन्हीं चीज़ों का दावा हो और अगर उससे मक़सूद माल हो तो मुन्किर पर ह़ल्फ़ है। मस्लन औ़रत ने मर्द पर दावा किया कि इतने महर पर मेरा निकाह़ उससे हुआ और उसने क़ब्ले दुख़ूल त़लाक़ देदी लिहाज़ा निस्फ़ महर मुझे दिलाया जाये मर्द कहता है 'मेरा निकाह़ ही इससे नहीं हुआ' या औ़रत दावा करती है कि इससे मेरा निकाह़ हुआ इससे नफ़क़ा मुझे दिलाया जाये। मर्द कहता है निकाह़ हुआ ही नहीं नफ़क़ा क्योंकर दूँ। इन सूरतों में मुन्किर पर ह़लफ़ है कि यहां मक़सूद माल का दावा है अगरचे बज़ाहिर निकाह़ का दावा है(आलमगीरी)

मसअला.60:– चोर चोरी से इन्कार करता है उसपर ह़ल्फ़ दिया जायेगा मगर ह़ल्फ़ से इन्कार करेगा तो हाथ नहीं काटा जायेगा माल लाज़िम होजायेगा और इक़रार करेगा तो **हाथ काटा** जायेगा। चोरी के सिवा और किसी ह़द के मामले में ह़ल्फ़ नहीं है। और अगर एक ने दूसरे को क़ाफ़िर, मुनाफ़िक़, ज़िन्दीक़ वग़ैरा अल्फ़ाज़ कहे, या उसको थप्पड़ मारा या इसी क़िस्म की कोई दूसरी हरकत की जिससे ताज़ीर (शरई सज़ा) वाजिब होती है और मुद्दई ह़ल्फ़ देना चाहता है तो ह़ल्फ़ दिया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी वग़ैरहुमा)

मसअला.61:– ह़ल्फ़ में नियाबत नहीं होसकती कि एक शख़्स की जगह दूसरा शख़्स क़सम खा जाये। इस्तेहलाफ़ में नियाबत हो सकती है। यानी दूसरा शख़्स मुद्दई के क़ायम मक़ाम होकर ह़ल्फ़ त़लब करसकता है मस्लन वकीले मुद्दई और वसी और वली और मुतवल्ली कि अगर यह मुद्दई हों ह़ल्फ़ का मुत़ालबा करसकते हैं। और मुद्दा अ़लैह हों तो उनपर ह़ल्फ़ आइद नहीं होता हाँ अगर उनपर दावा ऐसे अ़क़्द के मुताल्लिक़ जो ख़ुद उनका किया हो या उन्होंने असील पर कोई इक़रार किया है और अब इनकार करते हैं तो ह़ल्फ़ होगा मस्लन एक शख़्स वकील बिलबैअ़ (बेचने का वकील)

है। यह मुवक्किल पर इक़रार करे सही है और क़सम से इन्कार करे यह भी सही है। यानी इसे नकूल क़रार दिया जायेगा (यानी क़सम से इनकार क़रार दिया जायेगा) और फ़ैसला किया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.62:– किसी शख़्स पर हल्फ़ दिया जाये उसकी दो सूरतें हैं। हल्फ़ खुद उसी के फ़ेल के मुताल्लिक़ है या दूसरे के फ़ेल के मुताल्लिक़ अगर उसी के फ़ेल पर क़सम दीजाये तो बिल्कुल यक़ीनी तौर पर उससे यह कहलवाया जाये। 'खुदा को क़सम मैंने इस काम को नहीं किया है' और दूसरे के फ़ेल के मुताल्लिक़ हो तो इल्म पर क़सम खिलाई जाये यानी वल्लाह मेरे इल्म में यह नहीं है कि उसने ऐसा किया है। हाँ अगर दूसरे का फ़ेल ऐसा हो जिसका ताल्लुक खुद इसी से है तो अब इल्म पर क़सम नहीं होगी बल्कि क़तई तौर पर इन्कार करना होगा मस्लन ज़ैद ने दावा किया कि जो गुलाम मैंने ख़रीदा है उसने चोरी की है और उसको गवाहों से साबित किया और ज़ैद यह भी कहता है कि बाइअ़ के यहाँ भी उसने चोरी की थी लिहाज़ा उस ऐब की वजह से बाइअ़ पर वापस किया जाये और बाइअ़ मुन्किर है ज़ैद बाइअ़ पर हल्फ़ देता है तो बाइअ़ को यूँ क़सम खानी होगी कि वल्लाह उसने मेरे यहाँ नहीं चोरी की है। इस सूरत में अगरचे चोरी करना गुलाम का फ़ेल है मगर चूंकि उसका ताल्लुक बाइअ़ से है लिहाज़ा फ़ेल की क़सम खानी होगी यूं नहीं कि मेरे इल्म में उसने चोरी नहीं की है और अगर दूसरे के फ़ेल से उसका ताल्लुक न हो तो फ़ेल की क़सम नहीं खिलाई जायेगी बल्कि यह क़सम खायेगा कि मेरे इल्म में यह बात नहीं है। मस्लन एक चीज़ के मुताल्लिक़ ज़ैद भी कहता है मैंने ख़रीदी है और अ़म्र भी कहता है मैंने ख़रीदी है ज़ैद यह दावा करता है कि यह चीज़ मैंने अ़म्र के पहले ख़रीदी है और गवाह मौजूद नहीं हैं तो अ़म्र पर यह क़सम दी जायेगी 'खुदा की क़सम मैं नहीं जानता हूँ कि ज़ैद ने यह चीज़ मुझसे पहले ख़रीदी है'। ज़ैद ने वारिस् पर एक चीज़ का दावा किया कि यह मेरी है वारिस् इन्कार करता है कि तू इल्म पर क़सम खायेगा और अगर वारिस् ने दूसरे पर दावा किया तो वह क़तई तौर पर क़सम खायेगा। एक शख़्स ने कोई चीज़ ख़रीदी या किसी ने उसे हिबा किया और दूसरा शख़्स उस चीज़ में अपनी मिल्क का दावा करता है मगर उसके पास कोई गवाह नहीं है। उस मुश्तरी या मौहूब'लहू पर यमीन है जो मुन्किर है। और यह क़तई तौर पर मुद्दई की मिल्क से इन्कार करेगा क्योंकि जब यह ख़रीद चुका है या उसको हिबा किया गया है तो यक़ीनन मालिक होगया। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.63:– मुद्दा अ़लैह पर हल्फ़ आया उसने मुद्दई को कुछ देदिया कि यह चीज़ हल्फ़ के बदले में लेलो और मुझपर हल्फ़ न दो या किसी चीज़ पर दोनों ने सुलह करली यह सही है यानी क़सम के मुआ़वज़े में जो चीज़ लीगई या कोई चीज़ देकर मुसालहत हुई जाइज़ है। इसके बाद अब मुद्दई इसपर हल्फ़ नहीं रख सकता और अगर मुद्दई ने यह कहदिया है कि मैंने तुझसे हल्फ़ साक़ित (ख़त्म) कर दिया है या तू हल्फ़ से बरी है या मैंने तुझे हल्फ़ हिबा करदिया यह सही नहीं। फिर उसके बाद भी हल्फ़ दे सकता है। (कन्ज़)

मसअला.64:– मुद्दा'अ़लैह ने पहले मुद्दई के दावे से इन्कार किया उसके ज़िम्मे हल्फ़ आया तो हल्फ़ से इन्कार किया इससे कोई यह न समझे कि मुद्दा अ़लैह इन्कारे दावा में झूटा है क्योंकि सच्चा था तो हल्फ़ क्यों नहीं उठाया। बल्कि यह समझना चाहिए कि आदमी कभी सच्ची क़सम से भी गुरेज करता है। अपना इतना नुकसान होगया यह गवारा, मगर क़सम खाना मन्जूर नहीं। अगरचे सच्ची होगी। लिहाज़ा इमामे आ'ज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु नकूल (क़सम से इन्कार) को बज़ल करार देते हैं कि माल देकर झगड़ा काटा यानी था तो हमारा मगर हमने छोड़ा और दैन का दावा हो तो मुद्दई को लेना जाइज़ इस वजह से है कि मुद्दई उसे अपना हक़ समझकर लेता है। न यह कि हक़्क़े मुद्दा'अ़लैह जानकर लेता है। (हिदाया वग़ैरह) यह इस सूरत में है कि मुद्दई व मुद्दा अ़लैह दोनों अपने अपने ख़्याल में सच्चे हों ना'जाइज़ तौर पर माल लेना न चाहते हों वरना जो खुद अपना ना'हक़ पर होना जानता हो उसके गुनाहगार होने में क्या शुबह।

हल्फ़ का बयान

मसअ्ला.1:– क़सम अल्लाह अज़्ज़वजल की खाई जाये। ग़ैर खुदा की क़सम न खाई जाये, न खिलाई जाये। अगर क़सम में तग़लीज़ सख़्ती करना चाहें तो सिफ़ात का इज़ाफ़ा करें मस्लन वल्लाहिल अज़ीम। क़सम है खुदा की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं जो आलिमुल ग़ैब वश्शहादा, रहमान, रहीम है इस शख़्स का मेरे ज़िम्मे न यह माल है जिसका दावा करता है न इसका कोई जुज़ है। (हिदाया)

मसअ्ला.2:– तग़लीज़ में इससे कमी बेशी भी हो सकती है। अल्फ़ाज़े मज़कूर पर अल्फ़ाज़ बढ़ा दे या कम करदे क़ाज़ी को इख़्तियार है मगर यह ज़रूर है कि सिफ़ात का ज़िक्र बिग़ैर हर्फ़े अत़्फ़ हो यह न कहे वल्लाह वर्रहमान वर्रहीम कि इस सूरत में अत़्फ़ के साथ जितने अस्मा ज़िक्र किये जायेंगे उतनी क़स्में होजायेंगी और यह ख़िलाफ़े शरअ् है। क्योंकि शरअ़न उसपर एक यमीन का मुतालबा है बाज़ फुक़हा यह कहते हैं कि जो शख़्स सलाह व तक़वा के साथ मारूफ़ हो (नेक शख़्स मशहूर हो) उस पर तग़लीज़ न की जाये दूसरों पर की जाये। बाज़ कहते हैं माले ह़क़ीर में तग़लीज़ न की जाये और माले कसीर में तग़लीज़ की जाये। (हिदाया)

मसअ्ला.3:– त़लाक़ व इताक़ की यमीन न होनी चाहिए यानी मुद्दा अ़लैह से मस्लन यह न कहलवाया जाये कि अगर मुद्दई का यह ह़क़ मेरे ज़िम्मे हो तो मेरी औरत को त़लाक़ या मेरा गुलाम आज़ाद बाज़ फुक़हा यह कहते हैं कि अगर मुद्दा'अ़लैह बेबाक है। अल्लाह अ़ज़्ज़ वजल की क़सम खाने में परवाह नहीं करता और तलाक़ व इताक़ की क़सम में घबराता व डरता है कि बीवी या ग़ुलाम कहीं हाथ से न चले जायें ऐसे लोगों को त़लाक़ व इताक़ का हल्फ़ दिया जाये मगर इस क़ौल पर अगर ब'ज़रूरत क़ाज़ी ने अ़मल किया और नकूल पर (क़सम से इन्कार करने पर) मुद्दई को माल दिलवाया यह क़ज़ा नाफ़िज़ नहीं होगी। (हिदाया, नताइजुल'अफ़कार)

मसअ्ला.4:– हल्फ़ में तग़लीज़े ज़मान या मकान के एअ्तिबार से न की जाये मस्लन अ़स्र के बाद या जुमा के दिन को मख़सूस करना या उससे कहना कि मस्जिद में चलकर क़सम खाओ, मिम्बर पर क़सम खाओ, फ़ुलाँ बुज़ुर्ग के मज़ार के सामने चलकर क़सम खाओ। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार,)

मसअ्ला.5:– इस ज़माने में तग़लीज़ या हल्फ़ की एक सूरत बहुत ज़्यादा मशहूर है कि क़ुर्आन मजीद हाथ में देकर कुछ अल्फ़ाज़ कहलवाते हैं मस्लन इसी क़ुर्आन की मार पड़े, ईमान पर ख़ात्मा नसीब न हो, खुदा का दीदार नसीब न हो, शफ़ाअ़त नसीब न हो, यह बातें ख़िलाफ़े शरअ् हैं। मुस्ह़फ़ शरीफ़ हाथ में उठाना ह़ल्फ़े शरई नहीं। ग़ालिबन हल्फ़ उठाने का मुहावरा लोगों ने यहीं से लिया है। मुद्दा'अ़लैह अगर इस क़सम से इन्कार करदे तो दावा उसपर लाज़िम नहीं किया जायेगा बल्कि इन्कार ही करना चाहिए। एक त़रीक़ा यह भी है कि मस्जिद में रख देता हूँ या फ़ुलां बुज़ुर्ग के मज़ार पर रख देता हूँ। तुम्हारा हो तो, चलकर उठालो। अगर ह़क़ीक़त में मुद्दई का नहीं है और उठा लिया तो मुद्दा अ़लैह उससे वापस ले सकता है कि इस्तिह़क़ाक़ का यह शरई त़रीक़ा नहीं है।

मसअ्ला.6:– यहूदी को यूँ क़सम दी जाये 'क़सम है खुदा की जिसने मूसा अ़लैहिस्सलाम पर तौरैत नाज़िल फरमाई' और नस़रानी को यूँ 'क़सम है, खुदा की जिसने ईसा अ़लैहिस्सलाम पर इन्जील नाज़िल फरमाई' और दीगर कुफ़्फ़ार से यह कहलवाया जाये खुदा की क़सम। उन लोगों से ह़ल्फ़ लेने में ऐसी चीज़ें ज़िक्र न करे जिनकी यह लोग ताज़ीम करते हैं। (हिदाया)

मसअ्ला.7:– उन कुफ़्फ़ार से ह़ल्फ़ लेने में ऐसा हरगिज़ न किया जाये कि उनके इबादत ख़ानों में जाकर क़सम दी जाये कि मुसलमानों को ऐसी ला़नत की जगह जाना मना है। (हिदाया वग़ैराह)

मसअ्ला.8:– मआज़ल्लाह हूनुद को उनके माबूदाने बात़िल की क़सम देना जैसा कि बाज़ जाहिलों में देखा जाता है उनका हुक्म सख़्त है' तौबा करनी चाहिए। किसी त़रह उनसे कहना, कि गंगाजल हाथ में लेकर कहदो। इनके अ़लावा और भी ना'जाइज़ व बातिल सूरतें हैं जिनसे एह़तिराज़(बचना) लाज़िम।

मसअला.9:– जिस चीज़ पर हल्फ़ दिया जाये वह क्या है। बाज़ सूरतों में सबब पर क़सम खिलाते हैं, बाज़ में नहीं। अगर सबब ऐसा हो जो मुर्तफ़ा (खत्म) होजाता है तो हासिल पर क़सम खिलायी जाये और अगर मुर्तफ़ा न हो तो सबब पर क़सम खाये। इसकी चन्द सूरतें हैं। मुद्दई ने दैन (कर्ज़) का दावा किया है या ऐन में मिल्क का दावा है या ऐन में किसी हक़ का दावा है फिर हर एक में मुतलक़ का दावा है या किसी सबब का बयान है। अगर दैन का दावा हो और सबब न हो तो हासिल पर हलफ़ देंगे यानी तुम्हारा मेरे ज़िम्मे में कुछ नहीं है। ऐन हाज़िर में मिल्के मुतलक़ या हक़े मुतलक़ का दावा हो तो हासिल पर हल्फ़ देंगे मसलन क़सम खायेगा कि न यह चीज़ फुलाँ की है न उसका कोई जुज़ है। और अगर दावा की बिना सबब पर हो मसलन कहता है 'मेरा उसपर दैन है' इस सबब से, कि मैंने क़र्ज़ दिया है या उसने मुझसे कोई चीज़ ख़रीदी है उसके दाम बाक़ी हैं। या यह चीज़ मेरी मिल्क है इस लिए कि मैंने ख़रीदी है या मुझे फ़ुलाँ ने हिबा की है या उस शख़्स ने ग़सब करली है या इसके पास अमानत या आ़रियत है इन सब सूरतों में हासिल पर हल्फ़ देंगे। मसलन बैअ़ का मुद्दई है और वह मुन्किर है। क़सम यूँ खिलायी जाये कि मेरे और उसके दरम्यान में बैअ़ क़ायम नहीं। यूँ क़सम न खिलाई जाये कि मैंने बेची नहीं क्योंकि हो सकता है कि उसने बेचकर इक़ाला करदिया हो तो बैअ़ न करने पर क़सम देना मुद्दा'अ़लैह के लिये मुज़िर होगा। ग़सब में यूं क़सम खाये 'इस चीज़ के रद्द करने का मुझ पर हक़ नहीं'। यह नहीं कि मैनें ग़सब नहीं की क्योंकि कभी चीज़ ग़सब कर लेते हैं फिर हिबा या बैअ़ के ज़रिया मालिक होजाते हैं। तलाक़ के दावे में यह क़सम खिलाई जाये कि मेरे निकाह से इस वक़्त बाहर नहीं है क्योंकि कभी बाइन तलाक़ देकर फिर तजदीदे निकाह होजाती है (दोबारा निकाह करलिया जाता है)। लिहाज़ा इन सब सूरतों में हासिल पर क़सम दी जाये क्योंकि सबब पर क़सम देने में मुद्दा अ़लैह का नुक़सान है। हाँ अगर हासिल पर क़सम देने में मुद्दई का ज़रर हो तो ऐसी सूरतों में सबब पर हल्फ़ दिया जाये। मसलन औ़रत को तीन तलाक़ें दी हैं वह नफ़क़ए इद्दत का दावा करती है। और शौहर शाफ़ेई है जिसका मज़हब यह है कि ऐसी औ़रत का नफ़का वाजिब नहीं है अगर हासिल पर क़सम दी जायेगी तो बेशक वह क़सम खालेगा कि मुझ पर नफ़क़ए इद्दत वाजिब नहीं है। क्योंकि उसका एअ़तिक़ाद व मज़हब यही है या जवार (पड़ोस) की वजह से शुफ़आ का दावा किया। और मुश्तरी शाफ़ेईउल मज़हब है उसका मज़हब यह है कि जवार की वजह से शुफ़आ का हक़ नहीं है। हासिल पर अगर हल्फ़ देंगे तो वह क़सम खालेगा कि उसको हक़्क़े शुफ़अ़ नहीं है और उसमें मुद्दई का नुक़सान है लिहाज़ा उसको यह क़सम देंगे कि ख़ुदा की क़सम जायदादे मशफ़ूआ (जिस जायदाद पर शुफ़ा किया गया) को उसने खरीदा नहीं। (हिदाया व ग़ैराह)

मसअला.10:– मुद्दा अ़लैह ख़रीदने का इक़रार करता है और यह भी कहता है कि वह मकान मुद्दई के पड़ोस में है मगर जब उसे ख़रीदारी की इत्तिला हुई उसने तलबे शुफ़ा नहीं किया लिहाज़ा हक़्क़े शुफ़ा साक़ित (खत्म) है। शफ़ीअ़ (शुफ़ा करने वाला) कहता है कि मैंने तलब किया इस सूरत में शफ़ीअ़ की बात क़सम के साथ मोअ़तबर है। (आलमगीरी)

मसअला.11:– औ़रत ने रजई तलाक़ का दावा किया इस बात पर क़सम खिलाई जाये कि इस वक़्त मुतल्लक़ा नहीं है और बाइन या तीन तलाक़ का दावा हो तो यह क़सम खाये कि वह इस वक़्त एक तलाक़ या तीन तलाक़ से बाइन नहीं है। यूँही अगर औ़रत ने तलाक़ का दावा नहीं किया। मगर एक शख़्स आ़दिल या चन्द अशख़ास फ़ुस्साक़ ने क़ाज़ी के पास तलाक़ की शहादत दी और शौहर मुन्किर है। यहाँ क़ाज़ी शौहर को क़सम देगा एहतियात का मुक़तज़ा यही है (एहतियात यही है) कि शौहर को क़सम दे। (आलमगीरी)

मसअला.12:– औ़रत ने दावा किया कि मैंने शौहर से तलाक़ देने की दरख़्वास्त की थी शौहर ने कहा, तुम्हारा अम्र (मुआ़मला) तुम्हारे हाथ में है यानी उसने तफ़वीज़े तलाक़ की (यानी बीवी को तलाक़ का

इख़्तियार दिया) मैंने ब'मुक़्तज़ाए तफ़वीज़ तलाक़ देली। और मैं शौहर पर हराम होगई। शौहर कहता है 'मैंने इख़्तेयारे तलाक़ दिया ही नहीं'। इस सूरत में हासिल पर क़सम नहीं खिलायी जायेगी बल्कि सबब पर क़सम खाये। यूँ कहे वल्लाह मैंने सुवाले तलाक़ के बाद उसका अम्र उसके हाथ में नहीं दिया और न मेरे इल्म में यह बात है कि उसने मज्लिसे तफ़वीज़ में उस तफ़वीज़ की रू से अपने नफ़्स को इख़्तेयार किया। और अगर शौहर तफ़वीज़े तलाक़ का इक़रार करता है। और उससे इन्कार करता है कि औरत ने अपने नफ़्स को इख़्तेयार किया तो शौहर यूँ क़सम खाये। कि वल्लाह मेरे इल्म में यह बात नहीं है कि उसने मज्लिसे तफ़वीज़ में अपने नफ़्स को इख़्तेयार किया। और अगर शौहर तफ़वीज़ से इन्कार करता है और यह इक़रार करता है कि औरत ने अपने नफ़्स को इख़्तेयार किया यूँ क़सम खाये। वल्लाह औरत के इख़्तेयार करने से पहले मैंने उस मज्लिस में उसे तफ़वीज़े तलाक़ नहीं की। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– दावा किया, कि फुलां चीज़ मैंने फुलां शख़्स के पास वदीअत रखी है। मुद्दा अ़लैह कहता है कि तूने तन्हा नहीं रखी है बल्कि तू और फुलाँ शख़्स दोनों ने वदियत रखी है तू यह चाहता है कि कुल चीज़ तुझे देदूं, यह नहीं करूँगा। मुद्दा अ़लैह पर क़सम दी जाये कि वल्लाह इस पूरी चीज़ का फुलाँ पर वापस करना, मुझ पर वाजिब नहीं। क़सम खा लेगा, दावा ख़ारिज हो जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– इजारा या मुज़ारअ़त (किसी का अपनी ज़मीन इस तौर पर देना कि पैदावार दोनों में तक़सीम होजायेगी) में निज़ाअ् है तो मुन्किर यूं क़सम खाये 'वल्लाह मेरे और फुलां के माबैन इस मकान के मुताल्लिक़ इजारा कायम नहीं है' या उस खेत के मुताल्लिक़ मुज़ारअ़त कायम नहीं है'। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– मुद्दई ने उजरत का दावा किया और मुद्दा अ़लैह मुन्किर है। यूँ क़सम खाये। वल्लाह इस शख़्स की मेरे जिम्मे वह उजरत नहीं है जिसका वह मुद्दई है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– यह दावा किया, कि फुलां शख़्स ने मेरा कपड़ा फाड़ दिया, और कपड़ा क़ाज़ी के पास पेश करता है कि मुद्दा'अ़लैह पर हल्फ़ देदिया जाये। क़ाज़ी यह क़सम न दे कि मैंने कपड़. नहीं फाड़ा। क्योंकि कभी फाड़ना ऐसा होता है जिसका हुक्म यह है कि फटने से जो उस कपड़े में कमी होगई है वही ले सकता है यह नहीं हो सकता कि फटा हुआ कपड़ा फाड़ने वाले को देकर उससे कपड़े की क़ीमत का तावान ले मस्लन थोड़ासा फाड़ा हो .इस सूरत में अच्छे कपड़े और फटे हुए की कीमत मालूम करें जो फ़र्क़ हो वह फाड़ने वाले से वसूल किया जाये और यूँ क़सम खाये, वल्लाह मुझपर इतने रूपये वाजिब नहीं और अगर ज़्यादा फटा हो तो मुद्दई को इख़्तेयार है। कपड़ा लेले, और नुक़सान का तावान ले या कपड़ा देदे और उसकी क़ीमत का तावान ले। इस सूरत में यह क़सम खाये कि मैंने इस तरह नहीं फाड़ा है जिसका मुद्दई ने दावा किया है(आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– एक शख़्स के पास एक चीज़ है दो शख़्सों ने उसपर दावा किया। हर एक कहता है, चीज़ मेरी है उसने ग़सब करली है, या मैंने उसके पास अमानत रखी है। उस मुद्दा अ़लैह ने एक के लिये इक़रार करलिया कि इसकी है, और दूसरे के लिए इन्कार कर दिया। हुक्म होगा, कि चीज़ मुक़िर'लहू (जिसके लिये इक़रार किया गया) को देदे। अब दूसरा शख़्स मुद्दा'अ़लैह से हल्फ़ लेना चाहता हो, नहीं ले सकता क्योंकि उसके क़ब्ज़े में चीज़ ही नहीं रही वह मुद्दा'अ़लैह नहीं रहा। इसको अगर ख़ुसूमत करनी हो, मुक़िर'लहू से करे कि अब वह ही क़ाबिज़ है। अगर यह शख़्स यह कहे कि इसने दूसरे के लिये इस ग़र्ज़ से इक़रार किया कि अपने से यमीन को दफ़ा करे। लिहाज़ा क़सम दीजाये। क़ाज़ी इसकी बात क़बूल न करे और अगर दोनों के लिये उसने इक़रार किया दोनों को तस्लीम करदी जायेगी अब इनमें से अगर कोई यह चाहे, कि निस्फ़ बाक़ी के मुताल्लिक़ मुद्दा'अ़लैह पर हल्फ़ दिया जाये। यह बात ना'मकबूल है और अगर दोनों के मुक़ाबिल में उसने इन्कार किया तो दोनों के मुकाबिल में हलफ़ दिया जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– एक शख़्स ने अपने बाप के तर्के की ज़मीन हिबा करदी और मौहूब'लहू को क़ब्ज़ा

भी देदिया इसके बाद उस मय्यित की ज़ौजा दावा करती है कि यह ज़मीन मेरी है क्योंकि इस ज़मीन के हिबा करने के बाद तर्का तक़सीम हुआ और यह ज़मीन मेरे हिस्से में आई। मौहूब'लहू यह कहता है कि तक़सीम के बाद ज़मीन का हिबा हुआ है और यह ज़मीन वाहिब (हिबा करने वाले) के हिस्से में पड़ी थी और मौहूब'लहू अपनी बात को गवाहों से साबित न कर सका और औरत ने अपनी बात पर क़सम खाली मौहूब'लहू वुरसा पर हलफ़ नहीं दे सकता, हुक्म यह होगा कि ज़मीन वापस करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– अगर सबब ऐसा है जो मुर्तफ़ा (ख़त्म) नहीं होता, तो सबब पर हल्फ़ देंगे। मस्लन ग़ुलामे मुस्लिम ने मौला पर इत्क़ का दावा किया और मौला मुन्किर है उसे यह क़सम देंगे कि खुदा की क़सम उसे आज़ाद नहीं किया है। (हिदाया)

मसअ्ला.20:– मुद्दा'अलैह पर हल्फ़ दिया गया वह कहता है, इस मुआमले में एक मर्तबा मुझसे क़सम खिलवा चुका है। अगर वह पहला हल्फ़ किसी हाकिम या पंच के सामने हुआ है और अगर गवाहों से मुद्दा अलैह ने यह साबित कर दिया तो क़बूल करलिया जायेगा वरना मुद्दई जो इस हल्फ़ से मुन्किर है उसको क़सम खानी होगी और अगर मुद्दा अलैह यह कहता है कि मुद्दई ने मुझे इस दावे से बरी करदिया है और मुद्दई मुन्किर है और मुद्दा अलैह अपनी इस बात पर गवाह पेश नहीं करता बल्कि मुद्दई को हल्फ़ देना चाहता है तो इस पर हल्फ़ नहीं दिया जायेगा क्योंकि दावे का जवाब इक़रार या इन्कार है और यह जो इसने कहा, यह जवाब नहीं है और अगर मुद्दा अलैह यह कहता है कि मुद्दई ने मुझे माल से बरी करदिया है यानी मुआफ़ करदिया है, और गवाहों से साबित करदिया तो बरी होगया। मुद्दई का दावा साक़ित, वरना मुद्दई पर हल्फ़ दिया जायेगा वह क़सम खाये कि मैंने मुआफ़ नहीं किया तो मुतालबा दिलाया जायेगा क्योंकि मुआफ़ करना साबित नहीं हुआ, और माल वाजिब होने को खुद मुद्दा'अलैह ने मुआफ़ी का दावा करके तस्लीम करलिया और अगर क़सम से इन्कार करे तो दावा ख़ारिज। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.21:– मुद्दा अलैह पर हल्फ़ दिया गया वह कहता है मैंने यह हल्फ़ कर लिया है कि कभी क़सम नहीं खाऊँगा। अगर क़सम खाऊँ तो मेरी बीवी पर तलाक़। इस हल्फ़ की वजह से क़सम खाने से मजबूर हूँ। इस बात की तरफ़ क़ाज़ी इल्तिफ़ात न करेगा बल्कि तीन मर्तबा उसपर हल्फ़ पेश करेगा अगर क़सम नहीं खायेगा, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला कर देगा। (दुर्रेमुख़्तार)

तहालुफ़ का बयान

''बाज़ ऐसी सूरतें हैं कि मुद्दई व मुद्दा'अलैह दोनों को क़सम खाना पड़ता है इसको तहालुफ़ कहते हैं''।

मसअ्ला.1:– बाइअ् व मुश्तरी में इख़्तिलाफ़ हुआ इसकी चन्द सूरतें हैं। **(1)मिक़दारे समन** में इख़्तिलाफ़ है। एक कहता है पाँच रूपया समन है' दूसरा कहता है 'दस रूपया है। **(2)वस्फ़े समन** में इख़्तिलाफ़ है। एक कहता है, कि इस किस्म का रूपया है 'दूसरा कहता है, इस किस्म का है। **(3)जिन्से समन** में इख़्तिलाफ़ है 'एक कहता है, रूपये से बैअ् हुई है 'दूसरा कहता है, अशर्फ़ी से। **(4)मिक़दारे मबीअ्** में इख़्तिलाफ़ है 'एक कहता है, मन भर गेहूँ, दूसरा कहता है, दो मन गेहूँ। इन तमाम सूरतों में हुक्म यह है कि जो अपने दावे को गवाहों से साबित कर देगा उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला होगा और अगर दोनों ने अपने अपने दावे को गवाहों से साबित किया तो उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला होगा जो ज़्यादती का दावा करता है और अगर फ़र्ज़ किया जाये कि बाइअ् कहता है 'दस रूपये में एक मन गेहूँ बेचे' और मुश्तरी कहता है कि पाँच रूपये में दो मन ख़रीदे और दोनों ने गवाह पेश किये तो यह फ़ैसला होगा कि दस रूपये मुश्तरी दे, और दो मन गेहूँ ले यानी बाइअ् ने समन ज़्यादा बताया जिसमें उसका बय्यिना (गवाह) मोअ्तबर और मुश्तरी ने मबीअ् ज़्यादा बताई इसमें उसके गवाह मोअ्तबर और अगर सूरत यह है कि दोनों गवाह पेश करने से आजिज़ हैं तो मुश्तरी से कहा जायेगा कि बाइअ् ने जो समन बताया है उसपर राज़ी होजा वरना बैअ् को फ़स्ख़ करदिया जायेगा और अगर बाइअ् से कहा जायेगा कि मुश्तरी जो कहता है उसे मानलो, वरना बैअ को

फ़स्ख़ करदिया जायेगा। अगर इनमें एक दूसरे की बात मान लेने पर राज़ी होजाये तो निज़ाअ् (झगड़ा)ख़त्म, और अगर दोनों में कोई भी इसके लिये तैयार नहीं तो दोनों पर हल्फ़ दिया जायेगा। (हिदाया)

मसअ्ला.2:– अगर रूपये अशर्फ़ी से बैअ् हुई तो पहले मुश्तरी को हल्फ़ देंगे इसके बाद बाइअ् को, और बैअ् मुक़ायज़ा है यानी दोनों तरफ़ मताअ् (सामान) है तो क़ाज़ी को इख़्तेयार है जिससे चाहे पहले क़सम ले, और जिससे चाहे पीछे। अगर क़सम से इन्कार कर दिया तो जो क़सम से इन्कार कर देगा दूसरे का दावा उसके ज़िम्मे लाज़िम कर दिया जायेगा और दोनों ने क़सम खाली तो बैअ् फ़स्ख़ करदी जायेगी कि क़तअे निज़ाअ् (झगड़ा ख़त्म करने) की कोई सूरत इसके सिवा नहीं है। (हिदाया)

मसअ्ला.3:– महज़ तहालुफ़ से बैअ् फ़स्ख़ नहीं होगी जब तक दोनों मुत्तफ़िक़ होकर फ़स्ख़ न करें, या उनमें से किसी के कहने से क़ाज़ी फ़स्ख़ न करदे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– तहालुफ़ उस वक़्त होगा जब मबीअ् मौजूद हो अगर हलाक होगई है तो तहालुफ़ नहीं बल्कि अगर बाइअ् के पास हलाक हुई तो बैअ् ही फ़स्ख़ होचुकी तहालुफ़ से क्या फ़ायदा और अगर मुश्तरी के यहाँ हलाक हुई तो मबीअ् में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं स्मन का झगड़ा है। गवाह नहीं हैं तो क़सम के साथ मुश्तरी का क़ौल मोअ्तबर है। यूँही अगर मबीअ् मिल्के मुश्तरी से ख़ारिज हो चुकी है या उसमें ऐसा ऐब पैदा हुआ कि अब वापस न होसके इस सूरत में भी सिर्फ़ मुश्तरी पर हल्फ़ है, या मबीअ् में कोई ऐसी ज़्यादती होगई कि रद के लिए मानेअ् हो ज़्यादते मुत्तसिला (ऐसी ज़्यादती जो मबीअ् से मिली हुई हो जैसे कपड़ा रंग देना) हो या मुन्फ़सिला (ऐसी ज़्यादती जो मबीअ् से जुदा हो जैसे जानवर का बच्चा जनना) तो तहालुफ़ नहीं हाँ अगर मबीअ् को बाइअ् के पास ग़ैर मुश्तरी ने हलाक किया हो तो इसकी क़ीमत मबीअ् के क़ायम मक़ाम है और इस सूरत में तहालुफ़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– बैअ् मुक़ायज़ा में दोनों चीजें मबीअ् हैं दोनों में से एक भी बाक़ी हो, तहालुफ़ होगा और दोनों जाती रहें, तहालुफ़ नहीं। (हिदाया)

मसअ्ला.6:– मबीअ् का एक हिस्सा हलाक होचुका या मिल्के मुश्तरी से ख़ारिज होगया मस्लन दो चीज़ें एक अक़्द में ख़रीदी थीं उनमें से एक हलाक होगयी इस सूरत में तहालुफ़ नहीं है हाँ अगर बाइअ् इस पर तैयार होजाये कि जो चीज़ें एक अक़्द में ख़रीदी थीं उनमें से एक हलाक होगई इस सूरत में तहालुफ़ नहीं है। हाँ अगर बाइअ् इस पर तैयार होजाये कि जो जुज़ मबीअ् (चीज़ का हिस्सा) का हलाक होगया इस पर तैयार होजाये उसके मुक़ाबिल में स्मन का जो हिस्सा मुश्तरी बताता है उसे तर्क करदे, तो तहालुफ़ है। (हिदाया)

मसअ्ला.7:– अगर मबीअ् पर मुश्तरी का क़ब्ज़ा नहीं हुआ है तो तहालुफ़ मुवाफ़िक़े क़ियास है कि ज़्यादते स्मन का दावा करता है और मुश्तरी मुन्किर है और मुन्किर पर हलफ़ है और मुश्तरी यह कहता है कि इतना स्मन लेकर तस्लीमे मबीअ् (बेची गई चीज़ हवाला करना) करना तुम पर वाजिब है और बाइअ् उसका मुन्किर है यानी दोनों मुन्किर हैं लिहाज़ा दोनों पर हलफ़ है और मबीअ् पर जब मुश्तरी ने क़ब्ज़ा कर लिया, तो अब मुश्तरी का कोई दावा नहीं, सिर्फ़ बाइअ् मुददई है और मुश्तरी मुन्किर, इस सूरत में तहालुफ़ ख़िलाफ़े क़ियास है मगर हदीस् से तहालुफ़ इस सूरत में भी साबित है। लिहाज़ा हम हदीस् पर अमल करते हैं और क़ियास को छोड़ते हैं। (हिदाया)

मसअ्ला.8:– तहालुफ़ का तरीक़ा यह है कि मस्लन बाइअ् यह क़सम खाये, वल्लाह मैंने इसे एक हज़ार रूपये में नहीं बेचा है और मुश्तरी क़सम खाये, कि वल्लाह मैंने इसे दो हज़ार में नहीं ख़रीदा है और बाज़ उलमा नफ़ी व इस्बात दोनों को बतौर ताकीद जमा करते हैं। मस्लन बाइअ् कहे वल्लाह मैंने इसे एक हज़ार में नहीं बेचा है बल्कि दो हज़ार में बेचा है। और मुश्तरी कहे वल्लाह मैंने इसे दो हज़ार में नहीं ख़रीदा है बल्कि एक हज़ार में ख़रीदा है मगर पहली सूरत ठीक है क्योंकि यमीन इस्बात के लिये नहीं, (क़सम सुबूत के लिये नहीं) बल्कि नफ़ी के लिये है। (हिदाया)

मसअ्ला.9:– तहालुफ़ उस वक़्त है कि बदल में इख़्तिलाफ़ मक़सूद हो और अगर स्मन में

इख़्तिलाफ़ ज़िमनी तौर पर हो तो तहालुफ़ नहीं मस्लन एक शख़्स ने रूपया सेर के हिसाब से घी बेचा, और बर्तन समीत तोल दिया कि घी ख़ाली करने के बाद फिर बर्तन तोल लिया जायेगा जो बर्तन का वज़न होगा, मिन्हा (अलग) कर दिया जायेगा। उस वक़्त घी बर्तन समीत दस सेर हुआ, मुश्तरी बर्तन ख़ाली करके लाता है। बाइअ् कहता है यह बर्तन मेरा नहीं, यह तो दो सेर वज़न का है और मेरा सेर भर वज़न का था। नतीजा यह हुआ, कि बाइअ् नौ सेर घी के दाम मांगता है। मुश्तरी आठ सेर के दाम अपने ऊपर वाजिब बताता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– स्मन या मबीअ् के सिवा किसी दूसरी चीज़ में इख़्तिलाफ़ हो तो तहालुफ़ नहीं। मुश्तरी यह कहता है कि स्मन के लिये मीआद थी, और बाइअ् कहता है न थी, बाइअ् मुन्किर है। उसी का क़ौल क़सम के साथ मोअ्तअबर है या स्मन की मीआद है मगर बाइअ् कहता है, यह शर्त थी कि कोई चीज़ मुश्तरी रहन (गिरवी) रखेगा। मुश्तरी इन्कार करता है या एक ख़्यारे शर्त का मुद्दई है, दूसरा मुन्किर है, या स्मन के लिये ज़ामिन की शर्त थी, या न थी, या स्मन या मबीअ् के क़ब्ज़ा में इख़्तिलाफ़ है, या स्मन के मुआफ़ करने या उसका कोई जुज़ कम करने में इख़्तिलाफ़ है, या मुस्लिम फ़ीह की जाये तस्लीम में इख़्तिलाफ़ है इन सब सूरतों में मुन्किर पर हल्फ़ है और हल्फ़ के साथ उसी का क़ौल मोअ्तअबर। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– नफ़्से अक़्दे बैअ् में इख़्तिलाफ़ है एक कहता है बैअ् हुई है, दूसरा कहता है नहीं हुई। इसमें तहालुफ़ नहीं बल्कि जो मुन्किर है उसी का क़ौल क़सम के साथ मोअ्तबर है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– जिन्से स्मन का इख़्तिलाफ़, अगरचे मबीअ् के हलाक होने के बाद हो एक कहता है स्मन रूपया है दूसरा अशर्फ़ी बताता है इसमें तहालुफ़ है और दोनों क़सम खाजायें तो मुश्तरी पर मबीअ् की वाजिबी क़ीमत लाज़िम होगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– बाइअ् कहता है 'यह चीज़ मैंने तुम्हारे हाथ सौ रूपये में बैअ् की है' जिसकी मीआद दस माह है यूंकि हर माह में दस रूपये दो और मुश्तरी यह कहता है 'मैंने यह चीज़ तुमसे पचास रूपये में ख़रीदी है ढाई रूपये माहवार मुझे अदा करने हैं'। यूंही कुल मीआद बीस माह है। दोनों ने गवाह पेश करदिये इस सूरत में दोनों शहादतें मक़बूल हैं। छः माह तक बाइअ् मुश्तरी से दस रूपये माहवार वसूल करेगा और सातवें महीने में साढ़े सात रूपये, इसके बाद हर माह में ढाई रूपये यहाँ तक कि सौ रूपये की पूरी रक़म अदा होजाये। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.14:– बैअ् सलम में इक़ाला करने के बाद रासुल'माल की मिक़दार में इख़्तिलाफ़ हुआ। इस सूरत में तहालुफ़ नहीं है क्योंकि यहाँ सिर्फ़ रब्बुस्सलम मुद्दई है और मुसल्लम इलैह मुन्किर। जो कुछ मुसल्लम इलैह कहता है उसी का क़ौल क़सम के साथ मोअ्तबर है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– बैअ् में इक़ाला के बाद स्मन की मिक़दार में इख़्तिलाफ़ हुआ। मस्लन मुश्तरी एक हज़ार बताता है और बाइअ् पाँचसौ कहता है और दोनों के पास गवाह नहीं, दोनों पर हल्फ़ दिया जाये। अगर दोनों क़सम खाजायें इक़ाला को फ़स्ख़ किया जाये। अब पहली बैअ् लौट आयेगी। यह हुक्म उस वक़्त है कि बैअ् का इक़ाला होचुका है मगर अभी तक मबीअ् पर मुश्तरी का क़ब्ज़ा है। अब तक उसने वापस नहीं की है और अगर इक़ाला के बाद मुश्तरी ने मबीअ् वापस करदी इसके बाद स्मन की कमी व बेशी में इख़्तिलाफ़ हुआ तो तहालुफ़ नहीं बल्कि बाइअ् पर हल्फ़ होगा कि यही स्मन कम बताता है और ज़्यादती का मुन्किर है। (बहरुर्राइक़, हिदाया)

मसअ्ला.16:– ज़ौजैन (मियाँ, बीवी) में महर की कमी व बेशी में इख़्तिलाफ़ हुआ या इसमें इख़्तिलाफ़ हुआ कि वह किस जिन्स का था। दोनों में जो गवाह पेश करे उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला होगा दोनों ने गवाहों से साबित किया तो देखा जायेगा कि महरे मिस्ल किसकी ताईद करता है मर्द की या औरत की मस्लन मर्द यह कहता है कि महर एक हज़ार था और औरत दो हज़ार बताती है तो अगर महरे मिस्ल शौहर की ताईद में है यानी एक हज़ार या कम, तो औरत के गवाह मोअ्तबर और

महरे मिस्ल औरत की ताईद करता है यानी दो हज़ार या ज़्यादा तो शौहर के गवाह मोअ्तबर और अगर महरे मिस्ल किसी की ताईद में न हो बल्कि दोनों के माबैन हो मसलन डेढ़ हजार दोनों के गवाह बेकार और महरे मिस्ल दिलाया जाये और अगर दोनों में किसी के पास गवाह नहीं तो तहालुफ़ है और फ़र्ज करो दोनों ने क़सम खाली तो उसकी वजह से निकाह फ़स्ख़ नहीं होगा बल्कि यह क़रार पायेगा कि निकाह में कोई महर मुक़र्रर नहीं हुआ और उसकी वजह से निकाह बातिल नहीं होता ब'ख़िलाफ़ बैअ् के वहाँ समन के न होने से बैअ् नहीं रह सकती। लिहाज़ा फ़स्ख़ करना पढ़ता है तहालुफ़ की सूरत में पहले कौन क़सम खाये इसमें इख़्तिलाफ़ है। बाज़ कहते हैं बेहतर यह है, कि कुर्आ डाला जाये जिसका नाम निकले, वह ही पहले क़सम खाये और बाज़ यह कहते हैं कि पहले शौहर पर हल्फ़ दिया जाये और जो नकूल (क़सम से इन्कार) करेगा उस पर दूसरे का दावा लाज़िम अगर दोनों ने क़सम खाली तो महर का मुसम्मा होना (मुक़र्रर होना) साबित नहीं हुआ और महरे मिस्ल को जिसके क़ौल की ताईद में पायेंगे उसी के मुवाफ़िक़ हुक्म देंगे यानी अगर महरे मिस्ल उतना है जितना शौहर कहता है, या उससे भी कम तो शौहर के क़ौल के मुवाफ़िक़ फ़ैसला होगा और अगर महरे मिस्ल उतना है, जितना औरत कहती है, या उससे भी ज़्यादा तो औरत जो कहती है उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला किया जाये और अगर महरे मिस्ल दोनों के दरम्यान में हो तो महरे मिस्ल का हुक्म दिया जाये। (हिदाया, बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– मूजिर (उजरत पर देने वाला) और मुस्ताजिर (उजरत पर लेने वाला) की उजरत में इख़्तिलाफ़ है या मुद्दते इजारा के मुताल्लिक इख़्तिलाफ़ है अगर यह इख़्तिलाफ़ मनफ़अ़त (फ़ायदा) हासिल करने से पहले है और किसी के पास गवाह न हों तो तहालुफ़ है क्योंकि इस सूरत में हर एक मुद्दई है, और हर एक मुन्किर है और अगर दोनों क़सम खाजायें तो इजारा फ़स्ख़ कर दिया जाये। अगर उजरत की मिक़दार में इख़्तिलाफ़ है तो मुस्ताजिर से पहले क़सम खिलायी जाये और मुद्दत में इख़्तिलाफ़ है तो मूजिर (उजरत पर देने वाला) पहले क़सम खाये और अगर दोनों के पास गवाह हों तो उजरत में मूजिर के गवाह मोअ्तबर हैं और मुद्दत के मुताल्लिक़ मुस्ताजिर के गवाह मोअ्तबर, और अगर मुद्दत व उजरत दोनों में इख़्तिलाफ़ हो और दोनों ने गवाह पेश किये तो मुद्दत के बारे में मुस्ताजिर के गवाह मोअ्तबर, और उजरत के मुताल्लिक़ मूजिर के मोअ्तबर और अगर यह इख़्तिलाफ़ मनफ़अ़त (फ़ायदा) हासिल करने के बाद है तो तहालुफ़ नहीं बल्कि गवाह न होने की सूरत में मुस्ताजिर पर हलफ़ दिया जाये और क़सम के साथ उसी का क़ौल मोअ्तबर, और अगर कुछ थोड़ी सी मनफ़अ़त हासिल करली है कुछ बाक़ी है मसलन अभी पन्द्रह ही दिन मकान में रहते हुए गुज़रे हैं और इख़्तिलाफ़ हुआ कि किराया क्या है, पाँच रूपये है, या दस रूपये, या मीआ़द क्या है। एक माह या दो माह इस सूरत में तहालुफ़ है। अगर दोनों क़सम खा जायें, तो जो मुद्दत बाक़ी है उसका इजारा फ़स्ख़ कर दिया जाये और अगर गुज़श्ता के बारे में मुस्ताजिर के क़ौल के मुवाफ़िक़ फ़ैसला हो। (हिदाया)

मसअ्ला.18:– इजारा में मनफ़अ़त(फ़ायदा)हासिल करने का यह मतलब है कि उस मुद्दत में मुस्ताजिर तहसीले मनफ़अ़त (फ़ायदा हासिल करने) पर क़ादिर हो मसलन इजारा पर दिया, और मुस्ताजिर को सिपुर्द कर दिया, क़ब्ज़ा देदिया तो जितने दिन गुज़रेंगे किराया वाजिब होता जायेगा। और मनफ़अ़त हासिल करना क़रार दिया जायेगा मुस्ताजिर उसमें रहे या न रहे और अगर क़ब्ज़ा नहीं दिया, तो मनफ़अ़त हासिल नहीं हुई इस तरह कितना ही ज़माना गुज़र जाये किराया वाजिब नहीं। (बहरुर्राइक)

मसअ्ला.19:– दो शख़्सों ने एक चीज़ के मुताल्लिक़ दावा किया एक कहता है 'मैंने इजारा पर ली है, दूसरा कहता है 'मैंने ख़रीदी है। अगर मुद्दा अ़लैह ने मुस्ताजिर के मुवाफ़िक़ इक़रार किया, तो ख़रीदार उसको हल्फ़ दे सकता है, और अगर दोनों इजारा ही का दावा करते हैं और मुद्दा अ़लैह ने एक के लिये इक़रार कर दिया, तो दूसरा हल्फ़ नहीं दे सकता। (बहरुर्राइक)

मसअला.20:– मियाँ बीवी के माबैन सामाने ख़ानादारी(घर के सामान)में इख़्तिलाफ़ हुआ, और गवाह नहीं हैं कि शौहर की मिल्क साबित हो, या ज़ौजा की तो जो चीज़ मर्द के लिये ख़ास है जैसे इमामा, छड़ी उसके मुताल्लिक़ क़सम के साथ मर्द का क़ौल मोअ्तबर है और जो चीजें औरत के लिये मख़्सूस हैं जैसे ज़नाने कपड़े और वह ख़ास चीजें जो औरतों ही के इस्तेमाल में आती हैं उनके मुताल्लिक़ क़सम के साथ औरत का क़ौल मोअ्तबर है और जो चीज़ें दोनों के काम की हैं जैसे लोटा, कटोरा, और इस्तेमाल के दीगर ज़ुरूफ़(बर्तन)उनमें भी मर्द का ही क़ौल मोअ्तबर है और अगर दोनों ने गवाह क़ायम किये तो उन चीजों के बारे में औरत के गवाह मोअ्तबर हैं और अगर घर के ही मुताल्लिक़ इख़्तिलाफ़ है मर्द कहता है, मेरा है औरत कहती है, मेरा है उसके मुताल्लिक़ शौहर का क़ौल मोअ्तबर है हाँ अगर औरत के पास गवाह हों तो वह औरत ही का माना जायेगा यह ज़न व शौहर का इख़्तिलाफ़ और उसका यह हुक्म उस सूरत में है कि दोनों ज़िन्दा हों और अगर एक ज़िन्दा है, और एक मर चुका है उसके वारिस् ने ज़िन्दा के साथ इख़्तिलाफ़ किया तो जो चीज दोनों के काम की हैं उसके मुताल्लिक़ उसका क़ौल मोअ्तबर होगा जो ज़िन्दा है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– मकान में जो सामान ऐसा है कि औरत के लिए ख़ास है मगर मर्द उसकी तिजारत करता है, या बनाता है तो वह सामान मर्द का है या चीज़ मर्द ही के काम की है मगर औरत उसकी तिजारत करती है, या वह खुद बनाती है वह सामान औरत का है। (बहर)

मसअ्ला.22:– ज़ौजैन का इख़्तिलाफ़ हालते बक़ाए निकाह (निकाह के बाकी होने की हालत) में हो, या फुरक़त (जुदाई) के बाद दोनों का एक हुक्म है। यूंही जिस मकान में सामान है वह ज़ौज (शौहर) की मिल्क हो, या ज़ौजा की, या दोनों की सबका एक ही हुक्म है, और इख़्तिलाफ़ात का लिहाज़ उस वक़्त होगा जब औरत ने यह न कहा हो कि यह चीज़ शौहर ने ख़रीदी है। अगर उसके ख़रीदने का इक़रार करेगी तो शौहर की मिल्क का उसने इक़रार कर लिया। इसके बाद फिर औरत की मिल्क होने के लिये सुबूत दरकार है। (बहर)

मसअ्ला.23:– एक शख़्स की चन्द बीवियों में यही इख़्तिलाफ़ हुआ अगर वह सब एक घर में रहती हों तो सब बराबर की शरीक हैं और अगर अलग अलग मकानात में सुकूनत है तो एक के यहाँ जो चीज़ है उससे दूसरी को ताल्लुक़ नहीं बल्कि वह औरत घर वाली और ख़ाविन्द के माबैन वह ही हुक्म रखती है जो ऊपर ज़िक्र हुआ यूंही दूसरी औरतों के मकानात की चीजें उनमें और उस ख़ाविन्द के माबैन मज़कूरा तरीक़े पर दिलाई जायेंगी। (बहर)

मसअ्ला.24:– बाप और बेटे में इख़्तिलाफ़ हुआ। ख़ानादारी के सामान के मुताल्लिक़ हर एक अपनी मिल्क का दावा करता है। अगर बेटा बाप के यहाँ रहता, और खाता पीता है तो सब कुछ बाप का है, और अगर बाप बेटे के यहाँ रहता, और खाता पीता है तो सब चीजें बेटे की हैं। दो पेशे वाले एक मकान में रहते हैं और उन आलात (औज़ार) में इख़्तिलाफ़ हुआ जिन पर क़ब्ज़ा दोनो का है तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह औज़ार उसके पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, इसके हैं और वह औज़ार उसके पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा उसके हैं बल्कि अगर मिल्क का सुबूत दोनों में से किसी के पास न हो, तो निस्फ़ निस्फ़ (आधा आधा) दोनों को देदिये जायें। (बहर)

मसअ्ला.25:– मालिक मकान और किरायेदार में सामान के मुताल्लिक़ इख़्तिलाफ़ हुआ इसमें किरायेदार की बात मोअ्तबर है कि मकान उसी के क़ब्ज़े में है जो चीज़ें मकान में हैं उन पर भी उसी का क़ब्ज़ा है। (बहर)

मसअ्ला.26:– औरत जिस रात को रुख़्सत होकर मैके से आई है, मरगई, तो उसके घर के तमाम सामान शौहर के लिये क़रार देना मुस्तहसन नहीं क्योंकि जब वह आज ही आई है तो ज़रूर हस्बे हैसियत पलंग, पीढ़ी, मेज़, कुर्सी, सन्दूक और ज़ुरूफ़ व फ़र्श वग़ैरहा कुछ न कुछ जहेज़ में लाई होगी जिसका तक़रीबन हर शहर में हर क़ौम और हर ख़ानदान में रिवाज है। (बहर)

मसअला.27:– जारूब कश (झाड़ू लगाने वाला) एक शख़्स के मकान में झाड़ू दे रहा है, एक मख़मली बेश क़ीमत चादर उसके कन्धे पर पड़ी है मालिक मकान कहता है 'यह चादर मेरी है' मगर वह जारूब कश कहता है, मेरी है, साहिबे ख़ाना का क़ौल मोअ्तबर है। दो शख़्स एक कश्ती में जा रहे हैं उस कश्ती में आटा है दोनों में से हर एक यह कहता है कि कश्ती भी मेरी है, और आटा भी मेरा है मगर उनमें एक शख़्स की निस्बत मशहूर है कि यह आटे की तिजारत करता है और दूसरे की निस्बत मशहूर है कि यह मल्लाह है तो आटा उसे दे दिया जाये जो आटे की तिजारत करता है और कश्ती मल्लाह को। (दुर्रेमुख़्तार)

किसको मुद्दा अलैहि बनाया जा सकता है और किसकी हाज़िरी ज़रूरी है।

मसअ्ला.28:– ऐन मरहून (गिरवी रखी हुई चीज़) के मुताल्लिक़ दावा हो, तो राहिन व मुरतहिन दोनों का हाज़िर होना शर्त है आरियत व इजारा का भी यही हुक्म है, यानी मुस्तईर (आरिज़ी तौर पर किसी से इस्तेमाल के लिये कोई चीज़ लेने वाला) व मुईर (आरिज़ी तौर पर अपनी चीज़ इस्तेमाल के लिये देने वाला) व मुस्ताजिर (किरायेदार) व मूजिर (उजरत पर देने वाला) दोनों की हाज़िरी ज़रूरी है। खेत का दावा है जो इजारा में है अगर उसमें बीज मुज़ारेअ् (काश्तकार) के हैं तो उसका हाज़िर होना ज़रूरी है और बीज मालिक के हैं, और उग आये हैं जब भी मुज़ारेअ् की हाज़िरी ज़रूरी है और उगे न हों, तो काश्तकार की हाज़िरी ज़रूरी नहीं यह उस सूरत में है कि मिल्के मुतलक़ का दावा हो, और अगर यह दावा हो कि फ़ुलां ने मेरी ज़मीन ग़सब करली है और वह मुज़ारेअ् को देदी है तो मुज़ारेअ् से कोई ताल्लुक़ नहीं(आलमगीरी)

मसअ्ला.29:– मकान को बैअ् कर दिया है मगर अभी बाइअ् ही के क़ब्ज़े में है मुस्तहिक़ दावा करता है कि यह मकान मेरा है उसका फ़ैसला बाइअ व मुश्तरी दोनों की मौजूदगी में होना ज़रूरी है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.30:– बैअ् फ़ासिद के साथ चीज़ ख़रीदी अगर मुश्तरी ने क़ब्ज़ा कर लिया है तो मुश्तरी मुद्दा'अ़लैह है और क़ब्ज़ा न किया हो तो मुद्दा'अ़लैह बाइअ् है। अगर मुश्तरी के लिये शर्ते ख़्यार है तो बाइअ् व मुश्तरी दोनों मुद्दा अ़लैह होंगे अगर बैअ् बातिल के साथ ख़रीदी है तो मुश्तरी को मुद्दा'अ़लैह नहीं बनाया जा सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.31:– यह दावा किया, कि यह मकान फ़ुलाँ शख़्स का था जो ग़ायब है उसने इसके हाथ बैअ् कर दिया जिसके क़ब्जे में है उसपर शुफ़ा का दावा करता हूँ। मुद्दा अ़लैह यानी जिसके क़ब्ज़े में है वह कहता है कि मकान मेरा ही है इसको मैंने किसी से नहीं ख़रीदा है जब तक बाइअ् हाज़िर न हो कुछ नहीं हो सकता। (आलमगीरी)

मसअला.32:– वकील ने मकान ख़रीदकर उस पर क़ब्ज़ा कर लिया अभी मुवक्किल को नहीं दिया है कि शुफ़ा का दावा हुआ, वकील ही के मुक़ाबिल में फ़ैसला होगा मुवक्किल की ज़रूरत नहीं, और अगर वकील ने क़ब्ज़ा नहीं किया है तो मुवक्किल की हाज़िरी ज़रूरी है। (आलमगीरी)

मसअला.33:– मकान ख़रीदा और अभी क़ब्ज़ा नहीं किया बाइअ् से किसी ने छीन लिया अगर मुश्तरी ने समन अदा कर दिया है, या समन अदा करने के लिये कोई मीआद मुक़र्रर है तो दावा मुश्तरी को करना होगा वरना बाइअ् को। (आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– माले मुज़ारबत पर इस्तेहक़ाक़ हुआ (किसी का हक़ साबित हुआ)। अगर इसमें नफ़ा है तो नफ़ा के बराबर मुद्दा'अ़लैह मुज़ारिब होगा वरना रब्बुल'माल। (आलमगीरी)।

दावा दफ़ा करने का बयान

दफ़ए दावा का मतलब यह है कि जिस पर दावा किया गया वह ऐसी सूरत पेश करता है जिससे वह मुद्दा'अ़लैह न बन सके लिहाजा उसपर से दफ़ा होजायेगा।

मसअ्ला.1:– ज़ुलयद (जिसके क़ब्ज़े में वह चीज़ है जिसका मुद्दई ने दावा किया है) वह यह कहता है कि यह चीज़ जो मेरे पास है उसपर मेरा क़ब्ज़ा मालिकाना नहीं है बल्कि ज़ैद ने मेरे पास अमानत रखी

है, या आरियत के तौर पर दी है, या किराये पर दी है, या मेरे पास रहन रखी है, या मैंने गसब की है और जैद जिसका नाम मुद्दा'अलैह ने लिया गायब है, यानी उसका पता नहीं कि कहाँ गया है, या इतनी दूर चला गया है कि उस तक पहुँचना दुश्वार है या ऐसी जगह चला गया है जो नज़दीक है बहर हाल अगर मुद्दा'अलैह अपनी इस बात को गवाहों से साबित करदे तो मुद्दई का दावा दफा होजायेगा। जब कि मुद्दई ने मिल्के मुतलक का दावा किया हो यूंही अगर मुद्दा'अलैह इस बात का सुबूत देदे कि खुद मुद्दई ने मिल्के जैद का इकरार किया है तो दावा ख़ारिज होजायेगा और इसमें यह शर्त भी है कि जिस चीज का दावा हो वह मौजूद हो, हलाक न हुई हो, और यह भी शर्त है कि गवाह उस शख्से गायब को नाम व नसब के साथ जानते हों और उसकी शनाख्त भी रखते हों। यह कहते हों कि अगर वह हमारे सामने आये तो हम पहचान लेंगे। (हिदाया, दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.2:– अगर मुद्दा'अलैह ने इस शख्से गायब की ताईन (निशान दिही) नहीं की है फ़कत यह कहता है कि एक शख्स ने मेरे पास अमानत रखी है जिसका नाम व नसब कुछ नहीं बताता तो उस कहने से दावे से बरी नहीं होगा। (दुर्रेमुख्तार) इमाम अबू युसूफ रह'मतुल्लाहि तआला यह भी कहते हैं कि मुद्दा'अलैह दावे से उस वक्त बरी होगा कि वह हीला साज़ और चाल बाज़ (धोके बाज) शख्स न हो ऐसा होगा, तो दावा दफा नहीं होगा इस लिये चालबाज आदमी यह कर सकता है कि किसी की चीज गसब करके छुपाकर किसी परदेसी आदमी को देदे और यह कहदे कि फ़ुलाँ वक्त मेरे पास यह चीज लेकर आना और लोगों के सामने यह कह देना कि यह मेरी चीज़ अमानत रखलो उसने वक्ते मुअय्यन पर मोअ्तबर आदमियो को किसी हीले, बहाने से अपने यहाँ बुला लिया उस शख्स ने उनके सामने अमानत रखदी और अपना नाम व नसब भी बता दिया, और चला गया। अब जब कि मालिक ने दावा किया तो उस शख्स ने कह दिया कि फ़ुलाँ गायब ने अमानत रखी है, और उन लोगों को गवाही में पेश कर दिया, मुकदमा खत्म होगया। अब वह न परदेसी आयेगा, न चीज का कोई मुतालबा करेगा। पराया माल हज्म कर लिया जायेगा लिहाजा ऐसे हीला बाज आदमी की बात काबिले एअ्तिबार नही न उससे दावा दफा हो। इस कौले इमाम अबू युसूफ को बाज फुकहा ने इख्तेयार किया है। (हिदाया, दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.3:– मुद्दा'अलैह यह बयान करता है कि जिसकी चीज है उसने इसको मेरी हिफाजत में दिया है जिसका मकान है उसने मुझे इसमें रखा है, या मैंने उससे यह चीज छीनली है, या चुराली है, या वह भूलकर चला गया, या मैंने उठाली है, या यह खेत उसने मुझे मुजारअत पर दिया है। इन सूरतों का भी यह ही हुक्म है कि गवाहों से साबित करदे तो दावा दफा होजायेगा। (दुर्रेमुख्तार)

मसअला.4:– अगर वह चीज हलाक होगई है, या गवाह यह कहते हैं कि हम उस शख्स को पहचानते नहीं, या खुद जुलयद ने ऐसा इकरार किया जिसकी वजह से वह मुद्दा'अलैह बन सकता है मसलन कहता है मैंने फ़ुलां शख्स से खरीदी है, या उस गायब ने मुझे हिबा की है, या मुद्दई ने इस पर मिल्के मुतलक का दावा ही नहीं किया है बल्कि उसके किसी फ़ेल (काम) का दावा है। मसलन उस शख्स ने मेरी यह चीज गसब करली है, या यह चीज मेरी चोरी होगई यह नहीं कहता कि उसने चुराई ताकि पर्दा पोशी रहे अगरचे मकसूद यही है कि उसने चुराई है और इन सब सूरतों मे जुलयद यह जवाब देता है कि फ़ुलाँ गायब ने मेरे पास अमानत रखी है वगैरा वगैरा तो मुद्दई का दावा इस बयान से दफा नहीं होगा और अगर मुद्दई ने गसब में यह कहा कि यह चीज मुझसे गसब की गई है यह नहीं कहता कि उसने गसब की है तो दावा दफा होगा क्योंकि इस सूरत मे हद नही है कि पर्दा पोशी और उस पर से हद दफा करने के लिये इबारत में यह किनाया इख्तेयार किया है। (दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.5:– मुद्दा अलैह कचहरी से बाहर यह कहता था कि मेरी मिल्क है, और कचहरी में यह कहता है कि मेरे पास फ़ुलाँ की अमानत है, या उसने रहन रखा है, और उस पर गवाह पेश करता है दावा दफा होजायेगा मगर जब कि मुद्दई गवाहों से यह साबित करदे कि उसने खुद अपनी

मिल्क का इक़रार किया है तो दावा दफ़ा न होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– मुददई ने दावा किया कि यह चीज़ मेरी है इसको मैंने फुलाँ शख़्से ग़ायब से ख़रीदा है मुद्दा'अ़लैह ने जवाब में कहा उसी ग़ायब ने ख़ुद मेरे पास अमानत रखी है तो दावा दफ़ा हो जायेगा अगरचे मुद्दा अ़लैह अपनी बात पर गवाह भी पेश न करे, और अगर मुद्दा'अ़लैह ने उसके खुद अमानत रखने को नहीं कहा बल्कि यह कहा, उसके वकील ने मेरे पास अमानत रखी है तो बिग़ैर गवाहों से साबित किये, दावा दफ़ा नहीं होगा और अगर मुद्दई यह कहता है कि उस ग़ायब से मैंने ख़रीदी, और उसने मुझे क़ब्ज़े का वकील किया है मुद्दई के ख़रीदने का इक़रार किया। उसने गवाहों से साबित नहीं किया तो दे देने का हुक्म नहीं दिया जायेगा। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– दावा किया कि चीज़ मेरी है फुलाँ ग़ायब ने उसको ग़सब कर लिया, और उसको गवाहों से साबित किया और मुद्दा अ़लैह यह कहता है उसी ग़ायब शख़्स ने मेरे पास अमानत रखी है दावा दफ़ा होजायेगा, और अगर ग़सब की जगह मुद्दई ने चोरी कहा, और मुद्दा अ़लैह ने वह ही जवाब दिया, दावा दफ़ा नहीं होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.8:– एक शख़्स ने अपनी बहन के यहाँ से कोई चीज़ लेजाकर रहन रख दी, और ग़ायब होगया उसकी बहन ने ज़ुलयद पर दावा किया उसने जवाब दिया कि फुलाँ ने मेरे पास रहन रखी है। अगर औ़रत ने अपने भाई के ग़सब करने का दावा किया, और ज़ुलयद ने गवाहों से रहन साबित कर दिया। दावा दफ़ा है और अगर चोरी का दावा किया है, दफ़ा नहीं होगा। (बह्र)

मसअ्ला.9:– मुद्दई कहता है यह चीज़ फुलाँ शख़्स ने मुझे किराये पर दी है मुद्दा अ़लैह भी यही कहता है मुझे किराये पर दी है। पहला शख़्स दूसरे पर दावा नहीं कर सकता और अगर मुद्दई ने रहन या ख़रीदने का दावा किया, और मुद्दा'अ़लैह कहता है 'मेरे किराये में है' जब भी इस पर दावा नहीं हो सकता, और अगर मुद्दई ने रहन या इजारा ख़रीदने का दावा किया, और मुद्दा' अ़लैह कहता है मैंने ख़रीदी है तो इस पर दावा होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– मुद्दा'अ़लैह यह कहता है इस दावा का मैं मुद्दा'अ़लैह नहीं बन सकता मैं इसको दफ़ा करूँगा मुझे मोहलत दी जाये इसको इतनी मोहलत दी जायेगी कि दूसरी नशिस्त में इसको साबित कर सके। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– दावा किया कि यह मकान जो ज़ैद के क़ब्जे में है मैंने अ़म्र से ख़रीदा है ज़ैद ने जवाब दिया कि मैंने ख़ुद इसी मुद्दई से इस मकान को ख़रीदा है मुद्दई कहता है कि हमारे माबैन जो बैअ़ हुई थी उसका इक़ाला होगया। उससे दावा दफ़ा होजायेगा। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.12:– मुद्दा'अ़लैह ने जवाब दिया कि तूने ख़ुद इक़रार किया है कि यह चीज़ मुद्दा'अ़लैह के हाथ बैअ़ करदी है। अगर उसे गवाहों से साबित करदे, या ब'सूरत गवाह न होने के मुद्दई पर हलफ़ दिया उसने इन्कार किया दावा दफ़ा होजायेगा। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.13:– औरत ने वुरसाए शौहर पर मीरास् व महर का दावा किया। उन्होंने जवाब में कहा मूरिस् ने अपने मरने से दो साल पहले इसे ह़राम कर दिया था। औ़रत ने उसके दफ़ा करने के लिए साबित किया कि शौहर ने मरजुल'मौत में मेरे ह़लाल होने का इक़रार किया है वुरसा की बात दफ़ा होजायेगी। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.14:– औरत ने शौहर के बेटे पर मीरास् का दावा किया बेटे ने इन्कार कर दिया इसकी दो सूरतें हैं एक यह कि बिल्कुल बाप की मनकूहा होने से इन्कार करदे। कभी उसके बाप ने निकाह किया ही न था दोम यह कि मरने के वक़्त यह उसकी मनकूहा न थी औ़रत ने गवाहों से अपना मनकूहा होना साबित किया और बेटे ने यह गवाह पेश किये कि उसके बाप ने तीन तलाक़ें देदी थीं और मरने से पहले इ़द्दत भी ख़त्म हो चुकी थी अगर पहली सूरत में लड़के ने यह जवाब दिया है तो उसके गवाह मक़बूल नहीं कि पहले क़ौल से मुतनाक़िज़ (टकराव) है, और दूसरी सूरत में

यह गवाह पेश किये तो लड़के के गवाह मक़बूल हैं। (ख़ानिया)

मसअ्ला.15:– दावा किया कि मेरे बाप का तुम पर इतना चाहिए उनका इन्तिकाल हुआ और तन्हा मुझे वारिस् छोड़ा लिहाज़ा वह माल मुझे देदो मुद्दा'अ़लैह ने कहा, तुम्हारे बाप का जो कुछ चाहिए था वह उस वजह से था कि मैंने उसके लिए फ़ुलाँ की तरफ़ से किफ़ालत की थी, और मकफ़ूल अन्हु (जिस पर मुतालबा है) ने तुम्हारे बाप की जिन्दगी में उसे दैन अदा कर दिया। मुद्दई ने यह तस्लीम किया कि उससे मुतालबा ब'हुक्मे किफ़ालत है मगर यह कि मकफ़ूल अ़न्हु ने अदा कर दिया तस्लीम नहीं। लिहाज़ा इस सूरत में अगर मुद्दा'अ़लैह इसको गवाह से साबित कर देगा। दावा दफ़ा होजायेगा यूंही अगर मुद्दा'अ़लैह ने यह कहा, कि तुम्हारे वालिद ने मुझे किफ़ालत से बरी कर दिया था या उसके मरने के बाद तुमने बरी कर दिया था, और इसको गवाह से साबित कर दिया दावा दफ़ा होगया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– यह दावा किया कि मेरे बाप के तुम पर सौ रूपये हैं वह मरगये तन्हा मैं वारिस् हूँ। मुद्दा'अ़लैह ने कहा, तुम्हारे बाप को मैंने फ़ुलाँ पर हवाला कर दिया और मोहताल'अ़लैह (जिस पर हवाला किया गया है) भी तस्दीक करता है। ख़ुसूमत मुन्दफ़ेअ् न होगी (मुक़द्दमा ख़त्म न होगा) जब तक हवाला को गवाहों से साबित न करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– सौतेली माँ पर दावा किया कि यह मकान जो तुम्हारे क़ब्ज़े में है मेरे बाप का तर्का है। औरत ने जवाब दिया कि हाँ तुम्हारे बाप का तर्का है मगर क़ाज़ी ने इस मकान को मेरे महर के बदले मेरे हाथ बैअ् कर दिया तुम उस वक़्त छोटे थे तुम्हें ख़बर नहीं। अगर औरत यह बात गवाहों से साबित कर देगी दावा दफ़ा होजायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– एक भाई ने दूसरे पर दावा किया कि यह मकान जो तुम्हारे क़ब्ज़े में है उसमें मैं भी शरीक हूँ क्योंकि यह हमारे बाप की मीरास् है दूसरे ने जवाब दिया कि यह मकान मेरा है हमारे बाप का इसमें कुछ न था उसके बाद मुद्दा'अ़लैह ने यह दावा किया कि यह मकान मैंने अपने बाप से ख़रीदा है, या मेरे बाप ने इस मकान का मेरे लिये इक़रार किया था यह दावा सही है, और इस पर गवाह पेश करेगा मक़बूल होंगे, और अगर भाई के जवाब में यह कहा था कि यह हमारे बाप का कभी न था, या यह कि इसमें बाप का कोई हक़ कभी न था। फिर वह दावा किया तो न दावा मसमूअ्, (दावा न सुना जायेगा) न उस पर गवाह मक़बूल। (आलमगीरी जि.4,स.53)

जवाबे दावा

मसअ्ला.1:– एक शख़्स ने दूसरे पर दावा किया कि यह चीज़ जो तुम्हारे पास है, मेरी है। मुद्दा'अ़लैह ने कहा, मैं देखूँगा, ग़ौर करूँगा यह जवाब नहीं है। जवाब देने पर मजबूर किया जायेगा। यूंही अगर यह कहा, मुझे मालूम नहीं, या यह कहा, मालूम नहीं मेरी है, या नहीं, या कहा, मालूम नहीं मुद्दई की मिल्क है, या नहीं इन सब सूरतों में दावा का जवाब नहीं हुआ। जवाब देने पर मजबूर किया जायेगा और ठीक जवाब न दे तो उसे मुन्किर क़रार दिया जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– जायदाद का दावा किया। मुद्दा'अ़लैह ने जवाब दिया इस जायदाद में मिन्जुमला तीन सिहाम (तीन हिस्से) दो सिहाम मेरे हैं जो मेरे क़ब्जे में हैं, और एक सिहाम फ़ुलाँ ग़ायब की मिल्क है जो मेरे हाथ में अमानत है। मुद्दा'अ़लैह का यह जवाब मुकम्मल है मगर ख़ुसूमत उस वक़्त दफ़ा होगी कि एक सिहाम का अमानत होना, गवाह से साबित करदे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– मकान का दावा किया कि यह मेरा है मुद्दा अ़लैह ने ग़सब कर लिया है। मुद्दा अ़लैह ने कहा कि यह पूरा मकान मेरे हाथ में ब'वजहे शरई है। मुद्दई को हरगिज़ नहीं दूँगा यह जवाब ग़सब के मुक़ाबिल में पूरा है कि ग़सब का इन्कार है मगर मिल्क के मुताल्लिक़ ना'काफ़ी है(आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– मकान का दावा था मुद्दा अ़लैह ने कहा, मकान मेरा है फिर कहा, वक़्फ़ है या यूं कहा, कि यह मकान वक़्फ़ है और ब'हैसियत मुतवल्ली मेरे हाथ में है यह मुकम्मल जवाब है और मुद्दा'अ़लैह को गवाहों से वक़्फ़ साबित करना होगा। (आलमगीरी)

दो शख़्सों के दावा करने का बयान

कभी ऐसा होता है कि एक चीज़ के दो हक़दार एक शख़्स (यानी जुलयद) के मुक़ाबिल में खड़े हो जाते हैं हर एक अपना हक़ साबित करता है यह बात पहले बताई गई है कि ख़ारिज के गवाह को जुलयद के गवाह पर तरजीह है मगर जब कि जुलयद के गवाहों ने वह वक़्त बयान किया जो ख़ारिज के वक़्त से मुक़द्दम है तो जुलयद के गवाह को तरजीह होगी मगर बाज़ सूरतें ब'ज़ाहिर ऐसी हैं कि मालूम होता है जुलयद की तारीख़ मुक़द्दम है, और ग़ौर करने से मालूम होता है कि मुक़द्दम नहीं मस्लन किसी ने दावा किया कि यह चीज़ मेरी है मुद्दई के गवाहों को तरजीह होगी, और उसी के मुवाफ़िक़ फ़ैसला होगा क्योंकि मुद्दई ने मिल्क की तारीख़ नहीं बयान की है। ताकि जुलयद के गवाहों को तरजीह दीजाये बल्कि ग़ायब होने की तारीख़ बताई है हो सकता है कि मिल्के मुद्दई की तारीख़ एक साल से ज़्यादा की हो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.1:– हर एक यह कहता है कि यह चीज़ मेरे क़ब्ज़े में है अगर एक ने गवाहों से अपना क़ब्ज़ा साबित कर दिया तो वही क़ाबिज़ माना जायेगा दूसरा ख़ारिज क़रार दिया जायेगा फिर वह शख़्स जिसको क़ाबिज़ क़रार दिया गया अगर गवाहों से अपनी मिल्के मुतलक़ साबित करना चाहेगा मक़बूल न होंगे कि मिल्के मुतलक़ में जुलयद के गवाह मोअ्तबर नहीं, और अगर क़ब्ज़ा के गवाह पेश करे तो हलफ़ किसी पर नहीं। (बहर)

मसअ्ला.2:– एक शख़्स ने दूसरे से चीज़ छीन ली, जब उससे पूछा गया, तो कहने लगा मैंने इस लिये लेली है कि यह चीज़ मेरी थी और गवाहों से अपनी मिल्क साबित की, यह गवाह मक़बूल हैं कि अगरचे उस वक़्त यह जुलयद है मगर हक़ीक़त में जुलयद न था बल्कि ख़ारिज था उससे ले लेने के बाद जुलयद हुआ। (बहर)

मसअ्ला.3:– एक शख़्स ने ज़मीन छीनकर, उस में ज़राअ्त बोई, दूसरे शख़्स ने दावा किया कि यह ज़मीन मेरी है उसने ग़सब करली अगर गवाहों से उसका ग़सब करना साबित करेगा जुलयद यह होगा और खेत बोने वाला ख़ारिज़ क़रार पायेगा अगर उसका क़ब्ज़ाए जदीद नहीं साबित करेगा तो जुलयद वह ही बोने वाला ठहरेगा। इन मसाइल से यह बात मालूम हुई कि ज़ाहिरी क़ब्ज़ा के ऐअ्तिबार से जुलयद नहीं होता। (बहर)

मसअ्ला.4:– दो शख़्सों ने एक मोअय्यन (ख़ास) चीज़ के मुताल्लिक, जो तीसरे के क़ब्ज़े में है दावा किया हर एक उस शय को अपनी मिल्क बताता है, और सबबे मिल्क कुछ नहीं बयान करता, और न तारीख बयान करता है, और अपने दावे को हर एक ने गवाहों से साबित करदिया वह चीज़ दोनों को निस्फ़ निस्फ़ दिलादी जायेगी क्योंकि किसी को तरजीह नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार, वग़ैरा)

मसअ्ला.5:– ज़ैद के क़ब्ज़े में मकान है अम्र ने पूरे मकान का दावा किया, और बकर ने आधे का और दोनों ने अपनी मिल्क गवाहों से साबित की उस मकान की तीन चौथाई अम्र को दी जायेगी, और एक चौथाई बकर को क्योंकि निस्फ़ मकान तो अम्र को बिग़ैर मुनाज़अत मिलता है इसमें बकर निज़ाअ् ही नहीं करता निस्फ़ में दोनों की निज़ाअ् है यह निस्फ़ दोनों में बराबर तक़सीम कर दिया जायेगा, और अगर मकान इन्हीं दोनों मुद्दईयों के क़ब्ज़े में है तो मुद्दई कुल को निस्फ़ बिग़ैर क़ज़ा मिलेगा क्योंकि इस निस्फ़ में दूसरा निज़ाअ् ही नहीं करता, और निस्फ़ दोम उसी को बतौर क़ज़ा मिलेगा (फ़ैसले की वजह से मिलेगा) क्योंकि यह ख़ारिज है। और ख़ारिज़ के गवाह जुलयद के मुक़ाबिल में मोअ्तबर होते हैं। (हिदाया)

मसअ्ला.6:– मकान तीन शख़्सों के क़ब्ज़े में है एक पूरे मकान का मुद्दई है दूसरा निस्फ़ का, तीसरा तिहाई का यहाँ भी मकान इन तीनों में बतौर मुनाज़अत तक़सीम होगा। (दुर्रेमुख़्तार) यानी इस मकान के छत्तीस सिहाम किये जायेंगे जो कुल का मुद्दई है उसको पच्चीस सिहाम मिलेंगे, और मुद्दई निस्फ़ को सात सिहाम, और मुद्दई सुलुस को चार सिहाम।

मसअ्ला.7:– जायदादे मौकूफ़ा (वक्फ़ की जायदाद) एक शख़्स के क़ब्ज़े में है इस पर दो शख़्सों ने दावा किया, और दोनों ने गवाहों से साबित कर दिया वह जायदाद दोनों पर निस्फ़ निस्फ़ करदी जायेगी यानी निस्फ़ की आमदनी वह लेगा, और निस्फ़ की यह मस्लन एक मकान के मुताल्लिक़ एक शख़्स यह दावा करता है कि मुझ पर वक़्फ़ है, और मुतवल्ली मस्जिद यह दावा करता है कि मस्जिद पर वक़्फ़ है। अगर दोनों तारीख़ बयान करदें तो जिसकी तारीख़ मुक़द्दम है वह हक़दार है वरना निस्फ़ उस पर वक़्फ़ क़रार दिया जायेगा और निस्फ़ मस्जिद पर यानी वक़्फ़ का दावा भी मिल्के मुतलक़ के हुक्म में है। यूंही अगर हर एक का दावा है कि वक़्फ़ की आमदनी वाक़िफ़ ने मेरे लिये क़रार दी है, और गवाहों से साबित करदे तो आमदनी निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम होजायेगी। (बहर)

मसअ्ला.8:– दो शख़्सों ने शहादत दी कि फुलां शख़्स ने इक़रार किया है कि उसकी जायदाद औलादे ज़ैद पर वक्फ़ है, और दूसरे दो शख़्सों ने शहादत दी कि उसने यह इक़रार किया है कि उसकी जायदाद औलादे अम्र पर वक्फ़ है अगर दोनों में किसी का वक़्त मुक़द्दम है तो उसके लिये है, और अगर वक़्त का बयान ही न हो, या दोनों बयानों में एक वक़्त हो, तो निस्फ़ औलादे ज़ैद पर वक्फ़ क़रार दीजायेगी और निस्फ़ औलादे अम्र पर, और इनमें से जब कोई मर जायेगा तो उसका हिस्सा उसी फ़रीक़ में उनके लिये है जो बाक़ी हैं मस्लन ज़ैद की औलाद में कोई मरा तो बक़िया औलादे ज़ैद में तक़सीम होगी, और औलादे अम्र को नहीं मिलेगी हाँ अगर एक की औलाद बिल्कुल ख़त्म होगई तो दूसरे की औलाद में चली जायेगी कि अब कोई मुज़ाहिम नहीं रहा (जायदाद का दावेदार नहीं रहा)। (बहर)

मसअ्ला.9:– दावाए ऐन का यह हुक्म है जो बयान किया गया, उस वक़्त है कि दोनों ने गवाहों से साबित किया हो, और अगर गवाह न हों, तो ज़ुलयद को हल्फ़ दिया जायेगा अगर दोनों के मुक़ाबिल में उसने हल्फ़ कर लिया तो वह चीज़ उसके हाथ में छोड़दी जायेगी यूँ नहीं कि उसकी मिल्क क़रार दीजाये यानी अगर उन दोनों में से आइन्दा कोई गवाहों से साबित कर देगा तो उसे दिलादी जायेगी और अगर ज़ुलयद ने दोनों के मुक़ाबिल में नुकूल (क़सम से इन्कार) किया तो निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम करदी जायेगी। अब इसके बाद अगर उनमें से कोई गवाह पेश करना चाहेगा, नहीं सुना जायेगा। (बहर)

मसअ्ला.10:– ख़ारिज और ज़ुलयद में निज़ाअ् है ख़ारिज़ ने मिल्के मुतलक़ का दावा किया, और ज़ुलयद ने यह कहा, मैंने इसी से ख़रीदी है, या दोनों ने सबबे मिल्क बयान किया, और वह सबब ऐसा है जो दो मर्तबा नहीं हो सकता मस्लन हर एक कहता है कि यह जानवर मेरे घर का बच्चा है, या दोनों कहते हैं, कपड़ा मेरा है मैंने उसे बुना है, या दोनों कहते हैं, सूत मेरा है मैंने काता है, दूध मेरा है मैंने अपने जानवर से दुहा है, ऊन मेरी है मैंने काटी है, ग़र्ज़ यह कि मिल्क का ऐसा सबब बयान करते हैं जिसमें तकरार नहीं होसकती इनमें ज़ुलयद के गवाहों को तरजीह है मगर जब कि साथ साथ ख़ारिज़ ने ज़ुलयद पर किसी फ़ेल का दावा किया हो मस्लन यह जानवर मेरे घर का बच्चा है ज़ुलयद ने उसे ग़सब कर लिया है, या मैंने उसके पास अमानत रखी है, या इजारा पर दे दिया है तो ख़ारिज के गवाह को तरजीह है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार) मगर ज़ाहिरी तौर पर उसको ख़ारिज कहेंगे। हक़ीक़तन ख़ारिज नहीं बल्कि यही ज़ुलयद है जैसा कि हमने बहर से नक़्ल किया।

मसअ्ला.11:– अगर ख़ारिज (यानी जिसका क़ब्ज़ा नहीं) व ज़ुलयद दोनों अपनी अपनी मिल्क का ऐसा सबब बताते हैं जो मुकर्रर हो सकता है जैसे यह दरख़्त मेरा है मैंने पौधा नसब किया है, या वह सबब ऐसा है जो पहले बसीरत पर मुश्किल होगया कि मुकर्रर होता है, या नहीं तो इन दोनों सूरतों में ख़ारिज को तरजीह है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– सबब के मुकर्रर होने न होने में अस्ल को देखा जायेगा ताबेअ् को नहीं देखा जायेगा। दो बकरियां एक शख़्स के क़ब्ज़े में हैं एक सफ़ेद, दूसरी स्याह एक शख़्स ने गवाहों से साबित किया कि यह दोनों बकरियाँ मेरी हैं और इसी सफ़ेद बकरी का यह स्याह बच्चा है जो मेरे यहाँ मेरी मिल्क में पैदा हुआ। ज़ुलयद ने गवाहों से साबित किया कि यह दोनों मेरी मिल्क हैं, और

इसी स्याह बकरी का यह बच्चा सफ़ेद है जो मेरी मिल्क में पैदा हुआ इस सूरत में हर एक को वह बकरी देदी जायेगी जिसको हर एक अपने घर का बच्चा बताता है। (बहर)

मसअ्ला.13:– कबूतर, मुर्गी, चिड़िया यानी अण्डे देने वाले जानवर को ख़ारिज और जुलयद हर एक अपने घर का बच्चा बताता है। जुलयद को दिलाया जायेगा। (बहर)

मसअ्ला.14:– मुर्गी ग़सब की उसने चन्द अण्डे दिये इनमें से कुछ उसी मुर्गी के नीचे बिठाये कुछ दूसरी के नीचे, और सबसे बच्चे निकले तो वह मुर्गी मय उन बच्चों के जो उसके नीचे निकले हैं मग़सूब मिन्हु (मालिक) को दीजाये और यह बच्चे, जो ग़ासिब ने अपनी मुर्गी के नीचे निकलवाये हैं ग़ासिब के हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– एक जानवर के मुताल्लिक़ दो शख़्स मुद्दई हैं कि हमारे यहाँ का बच्चा है ख़्वाह वह जानवर दो के क़ब्ज़े में हो या एक के क़ब्ज़े में हो या उनमें से किसी के क़ब्ज़े में न हो बल्कि तीसरे के क़ब्ज़े में हो अगर दोनों ने तारीख़ बयान की है कि इतने दिन हुए जब यह पैदा हुआ था और दोनों ने गवाहों से साबित कर दिया तो जानवर की उम्र जिसकी तारीख़ से ज़ाहिर तौर पर मुवाफ़िक़ मालूम होती है उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला होगा और अगर तारीख़ नहीं बयान की तो इनमें से जिसके क़ब्ज़े में हो उसे दिया जाये और अगर दोनों के क़ब्ज़े में हो या तीसरे के क़ब्ज़े में हो। तो दोनों बराबर के शरीक कर दिये जायेंगे और अगर दोनें ने तारीख़ें बयान करदीं, मगर जानवर की उम्र किसी के मुवाफ़िक़ नहीं मालूम होती, या इश्काल पैदा होगया, पता नहीं चलता कि उम्र किस के क़ौल से मुवाफ़िक है तो अगर दोनों के क़ब्ज़े में है तो दोनों को शरीक कर दिया जाये। और अगर उन्हीं में से एक के क़ब्ज़े में हो, तो उसी के लिये है जिसके क़ब्ज़े में है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– एक शख़्स के क़ब्ज़े में बकरी है उस पर दूसरे ने दावा किया कि यह मेरी बकरी है। मेरी मिल्क में पैदा हुई और उसे गवाहों से साबित किया जिसके क़ब्ज़े में है उसने यह साबित किया कि बकरी मेरी है फ़ुलाँ शख़्स से मुझे उसकी मिल्क हासिल हुई है और यह उसी के घर का बच्चा है उसी क़ाबिज़ के मुवाफ़िक़ फ़ैसला होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– ख़ारिज ने गवाह से साबित किया कि जिसने मेरे हाथ बेचा है उसके घर का बच्चा है और जुलयद ने साबित किया कि ख़ुद मेरे घर का बच्चा है जुलयद के गवाहों को तरजीह है(आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– दो शख़्सों ने एक औरत के मुताल्लिक़ दावा किया, हर एक उसको अपनी मनकूहा बताता है और दोनों ने निकाह को गवाहों से साबित किया तो दोनों जानिब के गवाह मुतआरिज़ होकर साकित होगये न इसका निकाह साबित हुआ, न उसका और औरत को वह लेजायेगा। जिसके निकाह की तस्दीक़ करती हो ब'शर्ते कि उसके क़ब्ज़े में न हो जिसके निकाह की तकज़ीब करती हो या उसने दुख़ूल किया हो दूसरे ने नहीं, तो उसी की औरत क़रार दी जायेगी। यह तमाम बातें उस वक़्त हैं जबकि दोनों ने निकाह की तारीख़ न बयान की हो और अगर निकाह की तारीख़ बयान की हो तो जिसकी तारीख़ मुक़द्दम है वह हक़दार है और अगर एक ने तारीख़ बयान की, दूसरे ने नहीं, जो जिसके क़ब्ज़े में है या जिसकी तस्दीक़ वह औरत करती हो, वह हक़दार है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:– दो शख़्स निकाह के मुद्दई हैं और गवाह, उनमें से किसी के पास न थे औरत उसको मिली, जिसकी उसने तस्दीक़ की दूसरे ने गवाह से अपना निकाह साबित किया, तो उसको मिलेगी क्योंकि गवाह के होते हुए, औरत की तस्दीक़ कोई चीज़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मोहतार)

मसअ्ला.20:– एक ने निकाह का दावा किया, और गवाह से साबित किया, उसके लिये फ़ैसला होगया, इसके बाद दूसरा दावा करता है और गवाह पेश करता है उसको रद कर दिया जायेगा हाँ अगर उसने गवाहों से अपने निकाह की तारीख़ मुक़द्दम साबित करदी, तो उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– औरत मर चुकी है, उसके मुताल्लिक़ दो शख़्सों ने निकाह का दावा किया, और गवाहों से साबित किया, चूँकि उसका दावा महसल (यानी उस दावे का हासिल) तलबे माल है दोनों को

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हु के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत **(हिस्सा 11 से 20)** हिंदी में पीडीएफ **[PDF]** में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही हैं और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है । ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो ।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है । नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है ।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें , इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी

+91-8109613336

उसका वारिस् क़रार दिया जायेगा और शौहर का जो हिस्सा होता है उसमें दोनों बराबर के शरीक होंगे और दोनों पर निस्फ़ निस्फ़ महर लाज़िम। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– एक शख़्स ने निकाह किया, दूसरा शख़्स दावा करता है, कि यह औरत मेरी ज़ौजा है। मुददा'अलैह कहता है तेरी ज़ौजा थी, मगर तूने तलाक़ देदी और इददत पूरी होगई अब उससे मैंने निकाह किया, मुददई तलाक़ से इन्कार करता है और तलाक़ के गवाह नहीं हैं औरत मुददई को दिलाई जायेगी और अगर मुद्दई कहता है कि मैंने तलाक़ दी थी मगर उससे फिर निकाह कर लिया, और मुददा'अलैह दोबारा निकाह करने का इन्कार करता है तो मुद्दा'अलैह को दिलाई जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– मर्द कहता है तेरी ना'बालिग़ी में तेरे बाप ने मुझ से निकाह कर दिया या औरत कहती है मेरे बाप ने जब निकाह किया था मैं बालिग़ा थी और निकाह से मैंने नाराज़ी ज़ाहिर करदी थी इस सूरत में क़ौल औरत का मोअ्तबर है और गवाह मर्द के। (खानिया)

मसअ्ला.24:– मर्द ने गवाहों से साबित किया कि मैंने इस औरत से निकाह किया है और औरत की बहन ने दावा किया कि मैंने इस मर्द से निकाह किया है मर्द के गवाह मोअ्तबर होंगे औरत के गवाह ना'मक़बूल होंगे। (खानिया)

मसअ्ला.25:– मर्द ने निकाह का दावा किया, औरत ने इन्कार कर दिया मगर उसने दूसरे की ज़ौजा होने का इक़रार नहीं किया है फिर क़ाज़ी के पास मुद्दई की ज़ौजा होने का इक़रार किया यह इक़रार सही है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.26:– मर्द ने दावा किया कि इस औरत से एक हज़ार महर पर मैंने निकाह किया है औरत ने इन्कार करदिया, मर्द ने दो हज़ार महर पर निकाह होने का सुबूत दिया, गवाह मक़बूल हैं दो हज़ार महर पर निकाह होना क़रार पायेगा। (ख़निया)

मसअ्ला.27:– मर्द ने निकाह का दावा किया औरत कहती है मैं उसकी ज़ौजा थी, मगर मुझे उसकी वफ़ात की इत्तिला मिली, मैंने इद्दत पूरी करके इस दूसरे शख़्स से निकाह कर लिया, वह औरत मुददई की ज़ौजा है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.28:– एक शख़्स के पास चीज़ है दो शख़्स मुद्दई हैं हर एक यह कहता है कि मैंने इससे ख़रीदी है और इसका सुबूत भी देता है। हर एक को निस्फ़ निस्फ़ स्मन पर निस्फ़ निस्फ़ चीज़ का हुक्म दिया जायेगा और हर एक को यह भी इख़्तेयार दिया जायेगा कि आधा स्मन देकर आधी चीज़ ले, या बिल्कुल छोड़दे फ़ैसले के बाद, एक ने कहा आधी लेकर क्या करूँगा, छोड़ता हूँ तो दूसरे को पूरी अब भी नहीं मिल सकती कि इसकी निस्फ़ बैअ् फ़स्ख़ होचुकी और फ़ैसले से क़ब्ल उसने छोड़दी तो यह कुल ले सकता है। (हिदाया)

मसअ्ला.29:– सूरते मज़कूरा (ज़िक्र किये गये मसअ्ले में) में अगर हर एक ने गवाहों से साबित किया है कि पूरा स्मन अदा कर दिया है तो निस्फ़ समन बाइअ् यानी ज़ुलयद से वापस लेगा और अगर सूरते मज़कूरा में ज़ुलयद इन दोनों में से एक की तस्दीक़ करता है। कहता है कि यह चीज़ मेरी थी मैंने इसके हाथ बैअ् की है और वह चीज़ मुश्तरी के सिवा किसी दूसरे के क़ब्ज़े में है तो बाइअ् की तस्दीक़ बेकार है। (बहर)

मसअ्ला.30:– दो शख़्सों ने ख़रीदने का दावा किया, और दोनों ने ख़रीदारी की तारीख़ भी बयान की तो जिसकी तारीख़ मुक़द्दम है उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला होगा और अगर एक ने तारीख़ बयान की दूसरे ने नहीं, तो तारीख़ वाला औला है और अगर ज़ुलयद और ख़ारिज में निज़ाअ् हो दोनों एक तीसरे शख़्स से ख़रीदना बताते हों और दोनों ने तारीख़ नहीं बयान की, एक की, या दोनों की एक तारीख़ है या एक ही ने तारीख़ बयान की, इन सब सूरतों में ज़ुलयद औला है। (बहर)

मसअ्ला.31:– दोनों ने दो शख़्सों से ख़रीदने का दावा किया, ज़ैद कहता है मैंने बकर से ख़रीदी, और अम्र कहता है मैंने ख़ालिद से ख़रीदी, इन दोनों ने अगरचे तारीख़ बयान की हो और अगरचे

एक की तारीख़ दूसरे से मुक़द्दम हो इनमें कोई दूसरे से ज़्यादा हक़दार नहीं, बल्कि दोनों निस्फ़ निस्फ़ ले सकते हैं। (बहर)

मसअला.32:– कच्ची ईंट इसके क़ब्ज़े में है दूसरे शख़्स ने दावा किया कि यह ईंट मेरी मिल्क में बनाई गई है और ज़ुलयद साबित करता है कि मेरी मिल्क में बनाई गई है। ख़ारिज को तरजीह है। और अगर पक्की ईंट या चूना या गच करने के मसाले (सफ़ेदी और दरिया की रेत से तैयार किया हुआ चूना जो प्लास्तर में इस्तेमाल किया जाता है) के मुताल्लिक़ यही सूरत पेश आजाये तो ज़ुलयद को तरजीह है।(बहरुर्राइक़)

मसअला.33:– हर एक दूसरे का नाम लेकर कहता है मैंने इससे ख़रीदी है मसलन ज़ैद कहता है मैंने अम्र से ख़रीदी है और अम्र कहता है मैंने ज़ैद से ख़रीदी है चाहे यह दोनों ख़ारिज हों या इन में एक ख़ारिज हो और एक ज़ुलयद और तारीख़ कोई बयान नहीं करता तो दोनों जानिब के गवाह साक़ित, और चीज़ जिसके कब्ज़े में है उसी के पास छोड़दी जायेगी फिर अगर दोनों जानिब के गवाहों ने यह भी बयान किया कि चीज़ ख़रीदी, और समन अदा कर दिया तो अदला बदला हो गया यानी कोई दूसरे से समन वापस नहीं पायेगा दोनों फ़रीक़ों ने सिर्फ़ ख़रीदना ही बयान किया हो या ख़रीदना और क़ब्ज़ा करना दोनों बातों को साबित किया हो दोनों सूरतों का एक ही हुक्म है यानी दोनों जानिब के गवाह साक़ित, और अगर दोनों जानिब के गवाहों ने वक़्त बयान किया है और जायदाद मुतानाज़ेअ् फ़ीह ग़ैर मन्क़ूला (ऐसी जायदाद जिसमें झगड़ा हो और जो एक जगह से दूसरी जगह न लेजाई जा सके (अमीनुल क़ादरी)) है। और बैअ् के साथ क़ब्ज़ा को ज़िक्र नहीं किया है और ख़ारिज का वक़्त मुक़द्दम है तो ज़ुलयद मुस्तहिक़ क़रार पायेगा यानी ख़ारिज ने ज़ुलयद से ख़रीदकर क़ब्ज़ा से पहले ज़ुलयद के हाथ बैअ् करदी और क़ब्ज़ा से क़ब्ल बैअ् कर देना ग़ैर मन्क़ूल (ऐसी जायदाद जिसे एक जगह से दूसरी जगह न लेजा सकें। (अमीनुल क़ादरी)) में दुरुस्त है और अगर हर एक के गवाह ने क़ब्ज़ा भी बयान कर दिया जब भी ज़ुलयद के लिये फ़ैसला होगा क्योंकि क़ब्ज़ा के बाद ख़ारिज ने ज़ुलयद के हाथ बैअ् करदी और यह बिल'इजमा (बिग़ैर इख़्तिलाफ़) जाइज़ है और अगर गवाहों ने तारीख़ बयान की और ज़ुलयद की तारीख़ मुक़द्दम है तो ख़ारिज के मुवाफ़िक़ फ़ैसला होगा यानी ज़ुलयद ने उसे ख़रीदकर फिर ख़ारिज के हाथ बैअ् कर दिया। (हिदाया, बहर)

मसअला.34:– बकर ने दावा किया कि मैंने अम्र से यह मकान हज़ार रूपये में ख़रीदा है और अम्र कहता है मैंने बकर से हज़ार रूपये में ख़रीदा है और वह मकान ज़ैद के क़ब्ज़े में है। ज़ैद कहता है मकान मेरा है मैंने अम्र से हज़ार रूपये में ख़रीदा है और सबने अपने अपने दावा को गवाहों से साबित कर दिया मकान ज़ैद को ही दिया जायेगा और उन दोनों को साक़ित कर दिया जायेगा(बहर)

मसअला.35:– दो शख़्सों ने दावा किया, एक कहता है मैंने यह चीज़ फ़ुलाँ से ख़रीदी है दूसरा कहता है उसी ने मुझे हिबा की है या सदक़ा की है या मेरे पास रहन रखी है अगरचे साथ साथ क़ब्ज़ा दिलाने का भी ज़िक्र करता हो और दोनों ने अपने दावे को गवाहों से साबित कर दिया, इन सब सूरतों में ख़रीदने को सब पर तरजीह है। यह उस सूरत में है कि तारीख़ किसी जानिब न हो, या दोनों की एक तारीख़ हो, और अगर इन चीज़ों की तारीख़ मुक़द्दम है तो यही ज़्यादा हक़दार हैं और अगर एक ही जानिब तारीख़ है तो जिधर तारीख़ है वह औला है यह उस वक़्त है कि ऐसी चीज़ में निज़ाअ् हो जो क़ाबिले क़िस्मत (तक़सीम करने के लायक़ (अमीनुल क़ादरी)) न हो जैसे ग़ुलाम, घोड़ा वग़ैरा, और अगर वह चीज़ क़ाबिले क़िस्मत है जैसे मकान तो अगर मुश्तरी के लिए हिस्सा क़रार दिया जायेगा तो हिबा बातिल होजायेगा यानी जिस सूरत में दोनों को चीज़ दिलाई जाती है हिबा बातिल है कि मुशाअ् क़ाबिले क़िस्मत का हिबा सही नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.36:– ख़रीदारी को हिबा वग़ैरा पर उस वक़्त तरजीह है कि एक ही शख़्स से दोनों ने उस चीज़ का मिलना बताया और अगर ज़ैद कहता है मैंने बकर से ख़रीदी है और अम्र कहता है मुझे ख़ालिद ने हिबा की, तो किसी को तरजीह नहीं दोनों बराबर के हक़दार हैं। (बहर)

मसअ्ला.37:– हिबा में एवज है, तो यह बैअ् के हुक्म में है यानी अगर एक खरीदने का मुद्दई है दूसरा हिबा बिल एवज का दोनों बराबर हैं निस्फ निस्फ दोनों को मिलेगी हिबा मकबूज़ा (वह हिबा जिस पर कब्ज़ा होचुका हो) और सदका–ए–मकबूज़ा दोनों मसावी (बराबर) हैं। (बहर)

मसअ्ला.38:– एक शख्स ने ज़ुलयद पर दावा किया कि इस चीज़ को फुलाँ से मैंने ख़रीदा है और एक औरत यह दावा करती है कि उसने इस चीज़ को मेरे निकाह का महर क़रार दिया है इस सूरत में दोनों बराबर हैं। महर को रहन व हिबा व सदक़ा सब पर तरजीह है। (बहर)

मसअ्ला.39:– रहन मअ्ल कब्ज़ (वह रहन जिस पर कब्ज़ा हो) हिबा बिग़ैर एवज़ से क़वी है और अगर हिबा में एवज़ है तो रहन से औला है। (बहर)

मसअ्ला.40:– जैद के पास एक चीज़ है अम्र दावा करता है कि इसने मुझ से ग़सब करली है और बकर दावा करता है, कि मैंने इसके पास अमानत रखी है यह देता नहीं है और दोनों ने साबित कर दिया। दोनों बराबर के शरीक कर दिये जायें क्योंकि अमानत को देने से अमीन इन्कार करदे तो वह भी गसब ही है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.41:– दो ख़ारिज ने मिल्के मोअर्रिख़ का दावा किया, यानी हर एक अपनी मिल्क कहता है और उसके साथ तारीख़ भी ज़िक्र करता है या दोनों ज़ुलयद के सिवा एक शख़्से सालिस् (तीसरे) से ख़रीदने का दावा करते हैं और तारीख़ भी बताते हैं इन दोनों सूरतों में, जिसकी तारीख़ मुक़द्दम है वही हक़दार है और अगर दोनों मुद्दईयों ने दो बाइअ् से ख़रीदना बताया है तो चाहे वक़्त बतायें, या न बतायें, तक़द्दुम, तअख़्ख़ुर हो, या न हो बहर हाल दोनों बराबर हैं तरजीह किसी को नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.42:– एक तरफ़ गवाह ज़्यादा हों, और दूसरी तरफ़ कम, मगर इधर भी दो हों तो जिस तरफ़ ज़्यादा हों, उसके लिये तरजीह नहीं यानी निसाबे शहादत के बाद कमी, ज़्यादती का लिहाज़ नहीं होगा मस्लन एक तरफ़ दो गवाह हों, दूसरी तरफ़ चार, तो चार वाले को तरजीह नहीं, दोनों बराबर क़रार दिये जायेंगे इस लिये कि कस्रते दलील का एअ्तिबार नहीं बल्कि कुव्वत का लिहाज़ है। यूँही एक तरफ़ ज़्यादा आदिल हों मगर दूसरी तरफ़ वाले भी आदिल हैं इनमें एक को, दूसरे पर तरजीह नहीं। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.43:– इन्सान जितने हैं सब आज़ाद हैं जब तक गुलाम होने का सुबूत न हो आज़ाद ही तसव्वुर किये जायेंगे कि यही असली हालत है मगर चार मवाक़ेअ् ऐसे हैं कि उनमें आज़ादी का सुबूत देना पड़ेगा। (1)शहादत, (2)हुदूद, (3)क़िसास, (4)क़त्ल मस्लन एक शख़्स ने गवाही दी, फ़रीके मुक़ाबिल उस पर तान करता है कि यह गुलाम है उस वक़्त इसका फ़क़त कह देना काफ़ी नहीं है कि मैं आज़ाद हूँ जब तक सुबूत न दे या एक शख़्स पर ज़िना की तोहमत लगाई, उसने दावा कर दिया, यह कहता है कि वह गुलाम है तो हदे क़ज़फ़ क़ायम करने लिये यह ज़रूरी है कि वह अपनी आज़ादी साबित करे इसी तरह किसी का हाथ काट दिया है या ख़ताअ्न क़त्ल वाक़ेअ् हुआ, तो उस दस्त बुरीदा, या मक़तूल के आज़ाद होने का सुबूत देने पर क़िसास या दीयत का हुक्म होगा। इन चार जगहों के अलावा उसका कह देना काफ़ी होगा कि मैं आज़ाद हूँ उसी का क़ौल मोअ्तबर होगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

क़ब्ज़ा की बिना पर फ़ैसला

मसअ्ला.1:– किसी की ज़मीन पर बिग़ैर बोये हुए ग़ल्ला जम आया, जैसा कि अकस्र धान के खेतों में देखा जाता है कि फ़सल काटने के वक़्त कुछ धान गिर जाते हैं फिर दूसरी साल यह उग जाते हैं यह पैदावार ज़मीन के मालिक की है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– एक शख़्स की नहर है जिसके किनारे पर बन्दा (जो पानी रोकने के लिये बनाया जाता है) है और बन्दे के बाद की ज़मीन जो उससे मुत्तसिल है दूसरे की है। इस बन्दे के मुताल्लिक दोनों दावा करते हैं हर एक अपनी मिल्क बताता है मगर न तो ज़मीन जिसकी है उसका ही क़ब्ज़ा

साबित है कि उसके इस पर दरख़्त होते, और मालिके नहर का भी क़ब्ज़ा साबित नहीं, कि नहर की मिट्टी उस पर फेंकी गई होती, सूरते मज़कूरा में बन्दा ज़मीन वाले का क़रार पायेगा।(आलमगीरी)

मसअला.3:– सैलाब में मिट्टी ढल कर किसी की ज़मीन में जमा होगई उसका मालिक, मालिक ज़मीन है। (आलमगीरी) यूंही बरसात में पानी के साथ मिट्टी धुल कर बहती है और गढ्ढों में जब पानी ठहर जाता है तह नशीन होजाती है यह मिट्टी उसकी मिल्क है जिसकी मिल्क में जमा हुई।

मसअला.4:– पन चक्की में जब आटा पिस्ता है कुछ उड़ जाता है फिर वह ज़मीन पर जमा हो जाता है सही यह है कि यह आटा जो उठाले, उसी का है। (आलमगीरी) आज कल उमूमन चक्की वालों ने क़ायदा मुक़र्रर कर रखा है कि जो आटा पिसवाने आता है उसे फी मन आध सेर, या सेर भर कम देते हैं कहते हैं यह छीज है। अकसर इससे बहुत कम उड़ता है और यह छीज की मिक़दार रोज़ाना बहुत ज़्यादा जमा होजाती है जिसको वह बेचते हैं यह नाजायज़ है कि मिल्के ग़ैर पर बिला वजहे क़ब्ज़ा व तसर्रुफ़ है। सिर्फ़ उतना ही कम होना चाहिए, जो उड़ गया, और कुछ देर के बाद दीवार व ज़मीन में जमा हो जाता है जिसको झाड़ कर इकट्ठा कर लेते हैं।

मसअला.5:– डलाव जहाँ कूड़ा फेंका जाता है राख व गोबर भी फेंकते हैं जो यहाँ से उठा ले वही मालिक है मालिके ज़मीन की यह मिल्क नहीं। (आलमगीरी)

मसअला.6:– एक शख़्स कपड़ा पहने हुए है दूसरा उसका दामन या आस्तीन पकड़े हुए है क़ब्ज़ा पहनने वाले का है। एक शख़्स घोड़े पर सवार है दूसरा लगाम पकड़े हुए है सवार का क़ब्ज़ा है। एक शख़्स ज़ीन पर सवार है दूसरा उसके पीछे सवार है ज़ीन वाला क़ाबिज़ है। एक शख़्स का ऊँट पर सामान लदा हुआ है दूसरे की सिर्फ़ सुराही उस पर लटकी हुई है सामान वाला ज़्यादा हक़दार है। बिछौने पर एक शख़्स बैठा है दूसरा उसे पकड़े हुए है दोनों बराबर हैं जिस तरह दोनों उसपर बैठे हों या दोनों ज़ीन पर सवार हों तो दोनों बराबर क़ाबिज़ माने जाते हैं इसी तरह एक शख़्स कपड़े को लिये हुए है दूसरे के हाथ में कपड़े का थोड़ा हिस्सा है दोनों यकसां क़ाबिज़ हैं। और एक मकान में दो शख़्स बैठे हुए हैं तो महज़ बैठा होना क़ब्ज़ा नहीं, दोनों यकसां हैं(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.7:– ऊँटों की क़तार को एक शख़्स खींचे लिये जा रहा है और इस क़तार में से एक शख़्स एक ऊँट पर सवार है हर एक यह कहता है कि यह सब मेरे हैं। अगर यह ऊँट सवार के बार बर्दारी के हों, तो सब सवार के हैं और खींचने वाला अजीर (नौकर) है और अगर वह सब नंगी पीठ हों तो जिस पर वह सवार है वह सवार का है बाक़ी सब दूसरे के हैं। (आलमगीरी)

मसअला.8:– लोगों ने देखा कि मकान में से एक शख़्स निकला जिसकी पीठ पर गठरी बंधी है। साहिबे ख़ाना कहता है गठरी मेरी है वह कहता है, मेरी है अगर मालूम है कि यह उस चीज़ का ताजिर है जो गठरी में है मसलन फेरी करके कपड़े बेचता है और गठरी में कपड़े हैं तो गठरी उसकी है वरना साहिबे ख़ाना की। (आलमगीरी)

मसअला.9:– दीवार उसकी है जिसकी कड़ियां उस पर हों, या वह दीवार उसकी दीवार से इस तरह मुत्तसिल हो कि इसकी ईंटें उसमें और उसकी इसमें मुतदाख़िल (घुसी हुई) हों, इसको इत्तिसाले तरबीअ कहते हैं और अगर इसकी दीवार से मुत्तसिल हो, मगर इस तरह नहीं, तो इसकी नहीं, यूंही अगर उसने दीवार पर टट्टा रख लिया हो, तो इससे क़ब्ज़ा साबित न होगा यानी दो पड़ोसियों में दीवार के मुताल्लिक़ निज़ाअ है एक ने उस पर टट्टा रख लिया है दूसरे ने कुछ नहीं, तो दीवार में दोनों बराबर के शरीक क़रार पायेंगे और अगर इन में एक की कड़ियां हों बल्कि एक ही कड़ी दीवार पर हो तो उसी का क़ब्ज़ा तसव्वुर किया जायेगा। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.10:– दीवार पर एक शख़्स की कड़ियां हैं और दूसरे की दीवार से इत्तिसाले तरबीअ है तो इत्तिसाल वाले की क़रार दी जायेगी मगर जिसकी कड़ियां हैं उसको कड़ियां रखने का हक़ हासिल रहेगा वह शख़्स उसे रोक नहीं सकता। दीवार के मुताल्लिक़ निज़ाअ है दोनों की उसपर

कड़ियां हैं मगर एक की हाथ दो हाथ नीचे हैं दूसरे की ऊपर हैं तो दीवार उसकी है जिसकी कड़ियां नीचे हैं मगर ऊपर वाले को कड़ी रखने से मना नहीं कर सकता। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मोहतार)

मसअ्ला.11:– दीवार मुतनाज़अ् फ़ीह (जिस दीवार के मुतअल्लिक झगडा है) एक शख़्स की दीवार से मुत्तसिल है अगरचे इत्तिसाले तरबीअ् नहीं, बल्कि महज़ मिली हुई है और दूसरे की दीवार से इतना भी लगाव नहीं, तो जिसकी दीवार से इत्तिसाल है वह हक़दार है। (नताइज)

मसअ्ला.12:– एक शख़्स ने अपने मकान की कडियां दूसरे की दीवार पर रखने की इजाजत मांगी, उसने इजाज़त देदी, उसके बाद मालिक मकान ने अपना मकान बेच डाला, खरीदार उससे कहता है कि तुम मेरी दीवार से कड़ियां उठालो उसको उठानी होंगी यूंही मकान के नीचे तहखाना बना लिया और मुश्तरी उसे बन्द करने को कहता है तो बन्द करा सकता है। हाँ अगर बाइअ् ने फ़रोख़्त करने के वक़्त यह शर्त करदी थी, कि उसकी कड़ियां या तहख़ाना रहेगा तो अब मुश्तरी को मना करने का हक़ नहीं रहा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.13:– दूसरे की दीवार पर बतौर ज़ुल्म व तअद्दी कड़ियां रखली हैं उसने मकान बैअ् किया, किराये पर दिया, उसने मुसालहत करली, या उसके इस फ़ेअ्ल को मुआफ़ कर दिया, फिर भी हटाने का मुतालबा कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.14:– दीवार पर दो शख़्सों की कड़ियां हैं हर एक अपनी अपनी मिल्क का दावा करता है अगर गवाहों से मिल्क साबित न हो, सिर्फ़ इस अलामत से मिल्क साबित करना चाहते हैं तो अगर दोनों की कम अज़ कम तीन, तीन कड़ियां हैं तो दीवार दोनों में मुश्तरक है और अगर एक की तीन से कम हों, तो दीवार उसकी क़रार दी जायेगी जिसकी ज़्यादा कड़ियां हों और उसको कड़ी रखने का हक़ है उससे नहीं मना कर सकता। (हिदाया)

मसअ्ला.15:– दो मकानों के दरम्यान दीवार है जिसका हर एक मुद्दई है उस दीवार का रूख़ एक तरफ़ है दूसरी तरफ़ पछीत है वह दीवार दोनों की क़रार पायेगी यह नहीं, कि जिसकी तरफ़ उसका रूख़ है उसी की है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– दीवार दो शख़्सों में मुश्तरक है उसका एक किनारा गिर गया जिससे मालूम हुआ दो दीवारें हैं एक दीवार दूसरी के साथ चिपकी हुई है एक तरफ़ वाला चाहता है कि अपनी तरफ़ की दीवार हटा दे, अगर वह दोनों यह कह चुके हों कि दीवार मुश्तरक तो दोनों दीवारें मुश्तरक मानी जायेंगी किसी को दीवार हटाने का इख़्तेयार नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– दीवार मुश्तरक है उस पर एक की कड़ियां वग़ैरा ऐसी चीज़ें हैं जिसका बोझ है वह दीवार उसकी जानिब को झुकी, जिसका दीवार पर कोई सामान नहीं है उसने लोगों को गवाह करके, दूसरे से कहा कि अपना सामान उतारलो, वरना दीवार गिरने से नुक़सान होगा उसने ब'वजूद कुदरत सामान नहीं उतारा, दीवार गिरगई और उसका नुक़सान हुआ, अगर उस वक़्त जब उसने कहा था दीवार ख़तरनाक हालत में थी उस पर उन चीज़ों का तावान लाज़िम होगा जो नुक़सान हुई। (ख़ानिया)

मसअ्ला.18:– दीवारे मुश्तरक गिर गई, एक के बाल बच्चे हैं पर्दा की ज़रूरत है वह चाहता है। दीवार बनाई जाये, ताकि बे'पर्दगी न हो दूसरा इन्कार करता है अगर दीवार इतनी चौड़ी है कि तक़सीम हो सकती है यानी हर एक के हिस्से में इतनी चौड़ी ज़मीन आ सकती है जिसमें पर्दा की दीवार बन जाये यह अपने हिस्से में पर्दा की दीवार बनाले और इतनी चौड़ी न हो तो दूसरा बनाने पर मजबूर किया जायेगा। (ख़ानिया)

मसअ्ला.19:– दीवारे मुश्तरक को दोनों शरीकों ने मुत्तफ़िक़ होकर गिराया, एक शरीक फिर से बनाना चाहता है दूसरा सर्फ़ा देने से इन्कार करता है कहता है, मुझे इस दीवार पर कुछ रखना नहीं है लिहाज़ा मैं सर्फ़ा (खर्चा) नहीं दूँगा, पहला शख़्स दीवार बनाने में जो कुछ ख़र्च करेगा उसका निस्फ़

दूसरे को देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– एक वसीअ् मकान (बड़ा मकान) है बहुत दालान और कमरों पर मुश्तमिल है उनमें से एक कमरा एक का है बाक़ी तमाम दूसरे के हैं। मकान के आंगन के मुताल्लिक़ दोनों में निज़ाअ् है। सहन (आंगन) दोनों को बराबर दिया जायेगा क्योंकि सहन के इस्तेमाल में दोनों बराबर हैं मसलन आना, जाना, धोवन वुज़ू वग़ैरा का पानी गिराना, ईंधन डालना, ख़ानादारी के सामान रखना। (हिदाया) यह उस सूरत में है जब यह मालूम न हो, कि सहन में किस की कितनी मिल्क है और अगर मालूम है कि हर एक की मिल्क इतनी है तो तक़सीम ब'क़दरे मिल्क होगी। मसलन मकान एक शख़्स का है वह मर गया, और वह मकान वुरसा में तक़सीम हुआ, किसी को कम मिला किसी को ज़्यादा तो सहन की तक़सीम भी इसी तरह होगी। मसलन एक को एक कमरा दूसरे को दो, तो सहन भी एक को सुलुस् (तिहाई) दूसरे को दो सुलुस् (दो तिहाई)। (रद्दुल'मोहतार)

मसअ्ला.21:– घाट और पानी में निज़ाअ् हो एक के खेत ज़्यादा हैं और एक के कम तो उसकी तक़सीम खेतों के लिहाज़ से होगी जिसके खेत ज़्यादा हैं वह ज़्यादा का मुस्तहिक़ है और जिसके कम हैं वह कम का मुस्तहिक़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– ग़ैर मन्कूला (वह जायदाद जो एक जगह से दूसरी जगह मुन्तक़िल न हो सके (अमीनुल क़ादरी)) में क़ब्ज़ा का सुबूत गवाहों से होगा या मालिकाना तसर्रुफ़ से होगा मसलन ज़मीन में ईंट थापना, गढ़ा खोदना, या इमारत बनाना, तसर्रुफ़ है। जिसका यह तसर्रुफ़ है वही क़ाबिज़ है इसमें क़ब्ज़े का सुबूत तसादुक़ से नहीं होगा न क़सम से इन्कार पर होगा। (दुरर, ग़ुरर,)

मसअ्ला.23:– एक चीज़ के मुताल्लिक़ फ़िलहाल मिल्क का दावा किया और गवाहों ने ज़माना गुज़श्ता में उसकी मिल्क होना, बयान किया गवाही मोअ्तबर है यानी दावा और शहादत में मुख़ालफ़त नहीं है बल्कि ज़माना गुज़श्ता की मिल्क उस वक़्त भी साबित मानी जायेगी जब तक उसका ज़ाइल होना साबित न हो। (दुर्रेमुख़्तार)

दावा–ए–नसब का बयान

मसअ्ला.1:– एक बच्चे की निस्बत अ़म्र ने बयान किया, कि यह ज़ैद का बेटा है फिर कुछ दिनों के बाद कहता है कि यह मेरा बेटा है यह लड़का अ़म्र का बेटा किसी तरह हो ही नहीं सकता। अगरचे ज़ैद भी उसके बेटे होने से इन्कार करता हो यानी दूसरे की तरफ़ मन्सूब कर देने के बाद अपनी तरफ़ मन्सूब करने का हक़ ही बाक़ी नहीं रहता। (हिदाया)

मसअ्ला.2:– एक लड़के की निस्बत कहा, यह मेरा लड़का है फिर कहा मेरा नहीं है यह दूसरा क़ौल बातिल है यानी नसब का इक़रार कर लेने के बाद नसब साबित होजाता है लिहाज़ा अब इन्कार नहीं कर सकता, यह उस वक़्त है कि लड़के ने फिर उसकी तस्दीक़ करली है और अगर उसने तस्दीक़ नहीं की है तो नसब साबित नहीं, हाँ अगर लड़के ने फिर उसकी तस्दीक़ करली, तो नसब साबित होगया क्योंकि वह तो इक़रार कर चुका है इसके बाद इन्कार करने की गुन्ज़ाइश ही नहीं। (दुरर, ग़ुरर)

मसअ्ला.3:– बाप ने नसब का इक़रार किया, यानी यह कहा, कि यह लड़का मेरा है फिर अपने इस इक़रार ही से मुन्किर है कहता है मैंने इक़रार नहीं किया है बेटा गवाहों से साबित कर सकता है। इस बारे में शहादत मक़बूल है और एक शख़्स ने यह इक़रार किया था कि फ़ुलां शख़्स मेरा भाई है यह इक़रार बेकार है। (दुरर, ग़ुरर)

मसअ्ला.4:– दो तुवाम बच्चे (जुड़वां बच्चे) पैदा हुए, यानी दोनों एक हमल से पैदा हुए, दोनों के माबैन छः माह से कम फ़ासिला है इनमें से एक के नसब का इक़रार, दूसरे का भी इक़रार है एक का नसब जिससे साबित होगा दूसरे का भी उससे साबित होगा। (दुरर, ग़ुरर)

मसअ्ला.5:– एक शख़्स ने कहा मैं फ़ुलां का वारिस् नहीं हूँ फिर कहता है मैं उसका वारिस् हूँ और मीरास् पाने की वजह भी बयान करता है यह दावा सही है और यहाँ तनाक़ुज़ मानेअ् दावा

(यहाँ टकराव दावे के ख़िलाफ़) नहीं कि नसब में तनाक़ुज़ मुआ़फ़ है और अगर यह दावा करता है कि यह लोग मेरे चचा ज़ाद भाई हैं यह दावा सही नहीं, जब तक दादा का नाम न बताये, और भाई का दावा किया, तो इस के लिये दादा का नाम ज़िक्र करना ज़रूरी नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– यह दावा किया फ़ुलाँ मेरा भाई है या इसके अ़लावा या उस क़िस्म के दावे, कि मुद्दा अ़लैह इक़रार भी करे तो लाज़िम नहीं, यह दावे मस्मूअ् न होंगे जब तक माल का ताल्लुक़ न हो। मस्लन उसने दावा किया, कि फ़ुलां शख़्स मेरा भाई है उसने इन्कार कर दिया, कि उसका भाई नहीं हूँ। क़ाज़ी दरयाफ़्त करेगा क्या उसके पास तेरे बाप का तर्का है जिसका तू दावा करना चाहता है या नफ़क़ा या और कोई हक़ है, कि बिग़ैर भाई बनाये हुए उस हक़ को नहीं ले सकता। अगर कहेगा कि मेरा मत़लब यही है तो सुबूते नसब पर गवाह लिये जायेंगे और मुक़दमा चलेगा वरना मुक़दमा की समाअ़त न होगी और अगर यह दावा करता है कि फ़ुलां मेरा बाप है वह इन्कार करता है तो माल या हक़ का ताल्लुक़ हो, या न हो बहर हाल दावे की समाअ़त होगी और गवाहों से नसब साबित किया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– नसब व विरासत का दावा है गवाहों से नसब साबित करना चाहता है इसके लिये ख़स्म (मद्दे मक़ाबिल) होना ज़रूरी है। वारिस् या दाइन या मदयून या मूसा'लहू या वसी के मुक़ाबिल में सुबूत पेश करना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– मुद्दई ने एक शख़्स को ह़ाज़िर करके यह दावा किया कि मेरे बाप का इस पर फ़ुलां हक़ है। वह इक़रार करे, या इन्कार, बहर हाल उसको गवाहों से नसब साबित करना होगा और अगर अपने बाप की मीरास् का उस पर दावा किया और उसने इक़रार कर लिया, हुक्म दिया जायेगा कि मुद्दई को देदे, और यह फ़ैसला उसी तक महदूद है उसके बाप से ताल्लुक नहीं उसका बाप फ़र्ज़ करो ज़िन्दा था, और आगया तो जिसने उसका माल दिया है उससे वसूल करेगा, और वह बेटे से लेगा, और अगर वह शख़्स जिसको लाया है मुन्किर है तो उससे कहा जायेगा तू गवाहों से अपने बाप का मरना साबित कर, और यह कि तू उसका वारिस् है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– एक बच्चे के मुताल्लिक़ एक मुस्लिम और एक काफ़िर दोनों दावा करते हैं मुसलमान यह कहता है यह मेरा ग़ुलाम है और काफ़िर यह कहता है यह मेरा बेटा है वह बच्चा आज़ाद और उस काफ़िर का बेटा क़रार दिया जायेगा। दोनों ने उसके बेटा होने का दावा किया तो मुस्लिम का बेटा क़रार दिया जायेगा। (दुरर, ग़ुरर)

मसअ्ला.10:– शौहर वाली औ़रत एक बच्चे की निस्बत कहती है यह मेरा बच्चा है उसका दावा दुरुस्त नहीं, जब तक विलादत की शहादत कोई औरत न दे, और दाई की तन्हा शहादत इस बारे में काफ़ी है क्योंकि यहाँ फ़क़त इतनी ही बात की ज़रूरत है कि यह बच्चा इस औ़रत से पैदा है। रहा नसब उसके लिए शहादत की ज़रूरत नहीं, शौहर वाली होना काफ़ी है और अगर औ़रत मोअ़्तद्दा (इद्दत वाली) हो, तो कामिल शहादत की ज़रूरत है यानी दो मर्द, या एक मर्द दो औ़रत, मगर जबकि ह़मल ज़ाहिर हो, या शौहर ने ह़मल का इक़रार किया हो, तो वही विलादत की शहादत एक औ़रत की काफ़ी होगी और अगर न शौहर वाली हो, न मोअ़्तद्दा हो, तो फ़क़त उस औ़रत का कहना, कि मेरा बच्चा है काफ़ी है क्योंकि यहाँ किसी से नसब का ताल्लुक़ नहीं। (हिदाया)

मसअ्ला.11:– शौहर वाली औ़रत ने कहा मेरा बच्चा है और शौहर उसकी तस्दीक़ करता है तो किसी शहादत की ज़रूरत नहीं, न मर्द की, न औ़रत की। (हिदाया)

मसअ्ला.12:– बच्चे के मुताल्लिक़ मियाँ, बीवी का झगड़ा है शौहर कहता है यह मेरा बच्चा है और दूसरी औ़रत से है इससे नहीं, और औ़रत कहती है यह मेरा बच्चा है इस ख़ाविन्द से नहीं, बल्कि दूसरे ख़ाविन्द से, फ़ैसला यह है कि वह उन्हीं दोनों का बच्चा है यह उस वक़्त है कि बच्चा छोटा है जो बता न सकता हो, कि उसके बाप, माँ कौन हैं और अगर इतना हो, कि अपने को बता सके,

तो वह जिसकी तस्दीक़ करे, उसी का बेटा है। (दुरर, गुरर)

मसअ्ला.13:– लड़का शौहर के क़ब्ज़े में है और वह यह कहता है यह मेरा लड़का दूसरी बीवी से है। औरत कहती है यह मेरा लड़का तुझी से है यहाँ शौहर का क़ौल मोअ्तबर है और अगर लड़का औरत के क़ब्ज़े में है औरत कहती है यह मेरा लड़का पहले शौहर से है और शौहर कहता है यह मेरा लड़का तुझसे है इसमें भी शौहर का क़ौल मोअ्तबर है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– शौहर के क़ब्ज़े में बच्चा है उसने यह दावा किया कि यह मेरा बच्चा दूसरी ज़ौजा से है दूसरी औरत से नसब साबित होगया, उसके बाद औरत दावा करती है कि मेरा बच्चा दूसरे शौहर से है और बच्चा औरत के क़ब्ज़े में है उसके बाद शौहर ने दावा किया, कि यह मेरा बच्चा दूसरी औरत से है। अगर उनका बाहम निकाह मारूफ़ व मशहूर हो, दोनों का क़ौल ना'मोअ्तबर, बल्कि यह इन्हीं दोनों का क़रार पायेगा अगर निकाह मारूफ़ व मशहूर न हो, तो औरत का क़ौल मोअ्तबर हैं। (आलमगीरी)

मुतफ़र्रिक़ात

मसअला.1:– मुद्दा'अ़लैह को जब मालूम हो कि मुद्दई का दावा हक़ व दुरुस्त है तो उसे इन्कार करना जाइज़ नहीं, मगर बाज़ जगह, वह यह है कि मुश्तरी ने मबीअ् में ऐब का दावा किया अगर मुद्दा'अ़लैह यानी बाइअ् इक़रार कर लेता है तो चीज़ वापस करदी जायेगी मगर बाइअ् अपने बाइअ् पर वापस नहीं कर सकता, यूंही वसी (वसियत करने वाला) को मालूम है कि दैन है और खुद ही इक़रार करले मुद्दई को गवाहों से साबित करने का मौक़ा न दे, तो यह दैन खुद उसकी ज़ात पर वाजिब होजायेगा रुजूअ् न कर सकेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– हक़्क़े मजहूल पर हल्फ़ नहीं दिया जाता, मगर इन चन्द मवाक़ेअ् में (1)वसी यतीम (2)मुतवल्ली वक़्फ़ क़ाज़ी के नज़्दीक मुत्तहिम हों (3)रहन मजहूल मस्लन एक कपड़ा रहन रखा, (4)दावाए सरक़ा (चोरी का दावा) (5)दावाए ग़सब (6)अमीन की ख़ियानत। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– एक शय के मुताल्लिक़ ख़रीदारी की ख़्वाहिश करना, यानी यह कि मेरे हाथ बैअ् करदो, या हिबा की ख़्वास्तगारी (दरख़्वास्त) करना, या यह दरख़्वास्त करना, कि इसे मेरे पास अमानत रखदो, या मेरे किराये में देदो यह सब दावाए मिल्क की मानेअ् (माल के दावे की रोक) हैं यानी अब उस चीज़ के मुताल्लिक़ मिल्क का दावा नहीं कर सकता। (दुरर, गुरर)

मसअ्ला.4:– लौंडी के मुताल्लिक़ यह दरख़्वास्त की कि मुझसे उसका निकाह कर दिया जाये अब उसके मुताल्लिक़ मिल्क का दावा नहीं कर सकता। हुर्रा औरत (आज़ाद औरत) से निकाह की ख़्वास्तगारी करना, दावाए निकाह को मना करता है यानी अब यह दावा नहीं कर सकता कि मेरी ज़ौजा है। (दुरर, गुरर)

इक़रार का बयान

इक़रार करने वाले ने जिस शय का इक़रार किया वह कुरआन व हदीस व इजमाअ् सब से साबित है कि इक़रार उस अम्र की दलील है कि मुक़िर (इक़रार करने वाला) के ज़िम्मे वह हक़ साबित है जिसका उसने इक़रार किया।

अल्लाह अ़ज़्ज़ वजल्ल फ़रमाता है।

﴿وَلیملل الذی علیه الحق ولیتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا﴾

"जिस के ज़िम्मे हक़ है वह इमला करे (तहरीर लिखवाये) और अल्लाह से डरे जो उसका रब है और हक़ में से कुछ कम न करे"।

इस आयत में जिस पर हक़ है उसको इमला करने का हुक्म दिया है, और इमला उस हक़ का इक़रार है लिहाज़ा अगर इक़रार हुज्जत न होता तो उसके इमला करने का कोई फ़ायदा न था नीज़ उसको इससे मना किया गया कि हक़ के बयान करने में कमी करे इससे मालूम होता है कि जितने का इक़रार करेगा वह उसके ज़िम्मे लाज़िम होगा,

और इरशाद फ़रमाता है।

﴿ءَ اَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ قَالُوْا اَقْرَرْنَا﴾

"अम्बिया अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले और हुज़ूर की मदद करने का जो अ़हद लिया गया उसके मुताल्लिक़ इरशाद हुआ कि **"क्या तुमने इक़रार किया, और उस पर मेरा भारी जिम्मा लिया सबने अ़र्ज़ की, हमने इक़रार किया"** इससे मालूम हुआ इक़रार हुज्जत है वरना इक़रार का मुतालबा न होता, और फरमाता है कि साथ क़ायम होने वाले होजाओ अल्लाह के लिये गवाह बन जाओ अगरचे वह गवाही खुद तुम्हारे ही ख़िलाफ़ हो। तमाम मुफ़स्सेरीन फ़रमाते हैं अपने ख़िलाफ़ शहादत देने के माना अपने ज़िम्मे हक़ का इक़रार करना है। हदीसें इस बारे में मुतअ़द्दिद हैं। हज़रत माइज़ असलमी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु को इक़रार की वजह से रज्म करने का हुक्म फ़रमाया। ग़ामिदिया सहाबिया पर भी रज्म का हुक्म उनके इक़रार की बिना पर फ़रमाया। हज़रत अनीस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से फ़रमाया तुम उस शख़्स की औरत के पास सुबह जाओ अगर वह इक़रार करे, रज्म करदो। इन अहादीस से मालूम हुआ कि इक़रार से जब हुदूद तक साबित होजाते हैं तो दूसरे क़िस्म के हुकूक़ ब'दर्जए औला साबित होंगे।

फ़ायदाः– ब'ज़ाहिर इक़रार मुक़िर के लिये मुज़िर (इक़रार करने वाले के लिये नुक़सान देह) है कि इसकी वजह से उस पर एक हक़ साबित व लाज़िम होजाता है जो अब तक साबित न था। मगर हक़ीक़त में मुक़िर के लिये इसमें बहुत फ़वाइद हैं। एक फ़ायदा यह है कि अपने जिम्मे से दूसरे का हक़ साक़ित करना है यानी साहिबे हक़ के हक़ से बरी होजाता है, और लोगों की जुबान बन्दी हो जाती है कि इस मुआमले में अब इसकी मज़म्मत नहीं कर सकते। दूसरा फ़ायदा यह है कि जिसकी चीज़ थी उसको देकर अपने भाई को नफ़ा पहुँचाया और यह अल्लाह तआ़ला की खुशनूदी हासिल करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। तीसरा फ़ायदा यह है कि सबकी नज़रों में यह शख़्स रास्त गो साबित होता है, और ऐसे शख़्स की बन्दगाने खुदा तारीफ़ करते हैं और यह इसकी निजात का ज़रीआ़ है।

मस्अला.1:– किसी दूसरे के हक़ का अपने ज़िम्मे होने की ख़बर देना इक़रार है। इक़रार अगरचे ख़बर है मगर इसमें इन्शा के माना भी पाये जाते हैं यानी जिस चीज़ की ख़बर देता है वह उसके जिम्मे साबित हो जाती है अगर अपने हक़ की ख़बर देगा कि फ़ुलां के जिम्मे मेरा यह हक़ है, यह दावा है, और दूसरे के हक़ की दूसरे के जिम्मे होने की ख़बर देगा तो यह शहादत है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.2:– एक चीज़ जो ज़ैद की मिल्क में है अ़म्र कहता है कि यह बकर की है अ़म्र का यह इक़रार है जब कभी उ़म्र भर में अ़म्र उसका मालिक होजाये बकर को देना वाजिब होगा। यूंही एक गुलाम की निस्बत यह कहता है कि यह आज़ाद है इक़रार सही है जब कभी इस गुलाम को खरीदेगा, आज़ाद होजायेगा और स्मन बाइअ़ से वापस नहीं ले सकता क्योंकि उसके इक़रार से बाइअ़ को क्या ताल्लुक़। किसी मकान की निस्बत कहता है यह वक़्फ़ है जब कभी उसका मालिक होजाये, ख़्वाह ख़रीदे, या उसको विरासत में मिले यह मकान वक़्फ़ क़रार पायेगा। इन मसाइल से मालूम हुआ कि इक़रार ख़बर है। इन्शा होता तो न गुलाम आज़ाद होता, न मकान वक़्फ़ होता, न उस चीज़ का देना लाज़िम होता। क्योंकि मिल्के ग़ैर में इन्शाअ़ सही नहीं है किसी शख़्स पर इकराह (जबरदस्ती) करके तलाक़ या इताक़ का इक़रार कराया गया यह इक़रार सही नहीं है अपने निस्फ़ मकान मुशाअ़ का किसी के लिये इक़रार किया सही है। औरत ने ज़ौजियत का बिग़ैर गवाहों की मौजूदगी के इक़रार किया यह इक़रार सही है। यह सब मसाइल भी किसी की दलील हैं कि ख़बर है इन्शा नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.3:– एक शख़्स ने किसी बात का इक़रार किया तो महज़ इस इक़रार की बिना पर उस पर दावा नहीं होसकता यानी मुक़िर लहू (जिसके लिये इक़रार किया गया) यह नहीं कह सकता कि चूँकि उसने इक़रार किया है लिहाज़ा मुझे वह हक़ दिलाया जाये कि यह एक ख़बर है, और उसमें किज़्ब (झूट) का भी एहतिमाल (शक) है हाँ अगर वह खुद अपनी रज़ा'मंदी से देदे तो यह जदीद हिबा होगा

और अगर यह दावा करे कि यह चीज़ मेरी है, और इसने ख़ुद भी इक़रार किया है, या मेरा उसके ज़िम्मे इतना है कि उसने इसका इक़रार भी किया तो यह दावा मसमूअ् होगा (सुना जायेगा)। फिर अगर मुद्दा'अलैह इक़रार से इन्कार करे तो उसको इस पर हल्फ़ नहीं दिया जायेगा कि इसने इक़रार किया है बल्कि उस पर कि यह चीज़ मुद्दई की नहीं है या मेरे ज़िम्मे उसका यह मुतालबा नहीं है इन बातों से मा'लूम हुआ कि इक़रार जुज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– इसके इन्शा होने के यह अहकाम हैं कि मुक़िर लहू ने इक़रार को रद् कर दिया तो रद् होजायेगा इसके बा'द फिर अगर क़बूल करना चाहे तो नहीं कर सकता, और क़बूल करने के बा'द अगर रद् करेगा तो रद् नहीं होगा। मुक़िर के इक़रार को रद् करदिया उसके बा'द मुक़िर ने दोबारा इक़रार किया अगर क़बूल करेगा, तो कर सकता है क्योंकि यह दूसरा इक़रार है इक़रार की वजह से जो मिल्क सा़बित होगी वह इन चीजों में नहीं सा़बित होगी जो ज़ाइद हैं और हलाक हो चुकी हैं मस्लन बकरी का इक़रार किया तो उसका जो बच्चा मर चुका या ख़ुद मूक़िर ने हलाक करदिया है मुक़िर'लहू इसका मुआवज़ा नहीं ले सकता इन बातों से मा'लूम होता है कि ये इन्शा है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– मुक़िर'लहू की मिल्क नफ़्से इक़रार से सा़बित होजाती है। मुक़िर'लहु की तस्दीक़ उसके लिये दरकार नहीं, अल्बत्ता हक़्क़े रद् में यह तम्लीके जदीद है। रद् करने से रद् हो जायेगा। और मुक़िर'लहू ने तस्दीक़ करली, तो अब रद् नहीं होसकता अगर रद् करे भी तो रद् न होगा। और क़ब्ले तस्दीक़ मुक़िर'लहु उस वक़्त रद् कर सकता है जब ख़ास़ उसी मुक़िर'लहू का हक़ हो और अगर दूसरे का हक़ हो तो उसे रद् नहीं कर सकता। मस्लन एक शख़्स ने इक़रार किया कि यह चीज़ मैंने फ़ुलां के हाथ इतने में बैअ् करदी है मुक़िर'लहु ने रद कर दिया, कि मैंने तुमसे कोई चीज़ नहीं ख़रीदी है इसके बा'द वह कहता है मैंने तुमसे ख़रीदी है अब मुक़िर कहता है मैंने तुम्हारे हाथ नहीं बेची है बाइअ् पर वह बैअ् लाज़िम होगई, कि बाइअ् व मुश्तरी में से एक का इन्कार बैअ् के लिये मुज़िर नहीं, दोनों इन्कार करते, तो बैअ् फ़स्ख़ होजाती। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– जो कुछ इक़रार किया है मुक़िर पर लाज़िम है उसमें शर्ते ख़्यार नहीं हो सकती, मस्लन दैन या ऐन का इक़रार किया, और यह कहदिया, कि मुझे तीन दिन का ख़्यार हासिल है यह शर्त बातिल है अगरचे मुक़िर'लहु इसकी तस्दीक़ करता हो और माल लाज़िम है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– इक़रार के लिये शर्त यह है कि इक़रार करने वाला आ़क़िल, बालिग़ हो और इकराह व जब्र के साथ इक़रार न किया हो, आज़ाद होना, उसके लिये शर्त नहीं, मगर गुलाम ने माल का इक़रार किया, फ़िलहाल नाफ़िज़ नहीं, बल्कि आज़ाद होने के बा'द नाफ़िज़ होगा गुलाम के वह इक़रार जिन में कोई तोहमत न हो, फ़िलहाल नाफ़िज़ हैं। जैसे हुदूद व क़िसास़ के इक़रार, और जिस इक़रार में तोहमत होसके, मस्लन माल का इक़रार यह आज़ाद होने के बा'द नाफ़िज़ होगा। माजून वह इक़रार जो तिजारत से मुताल्लिक़ है। फ़ुलां दुकानदार का मेरे ज़िम्मे इतना बाक़ी है यह फ़िलहाल नाफ़िज़ है और जो तिजारत से ता'ल्लुक़ न रखता हो वह बा'दे इत्क़ नाफ़िज़ होगा जैसे जनायत का इक़रार। ना'बालिग़ जिसको तिजारत की इजाज़त है गुलाम के हुक्म में है या'नी तिजारत के मुताल्लिक़ जो इक़रार करेगा नाफ़िज़ होगा और जो तिजारत के क़बील से नहीं वह नाफ़िज़ नहीं, मस्लन यह इक़रार, कि फ़ुलां की मैंने किफ़ालत की है। नशा वाले ने इक़रार किया. अगर नशा का इस्तेमाल ना'जाइज़ तौर पर किया है इसका इक़रार स़ही है। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.8:– मुक़िर बिही या'नी जिस चीज़ का इक़रार किया है वह मा'लूम हो, या मजहूल दोनों सूरतों में इक़रार स़ही है मस्लन यह इक़रार किया था कि फ़ुलां शख़्स़ का मेरे ज़िम्मे कुछ है और उसका सबब बैअ् या इजारा बताया, मस्लन मैंने कोई चीज़ उससे ख़रीदी थी या उसके हाथ बेची थी, या उसको किराये पर दी थी, या किराये पर ली थी, कि इन सब में जिहालत मुज़िर है। लिहाज़ा यह इक़रार स़ही नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– इक़रार के लिये यह भी शर्त है कि मुक़िर बिही की तस्लीम वाजिब हो(यानी जिस चीज़ का इक़रार किया है उसको सिपुर्द करना लाज़िम हो)अगर ऐन का इक़रार है तो बिऐनेही उसी चीज़ की तस्लीम वाजिब है और दैन का इक़रार है तो मिस्ल की तस्लीम वाजिब है और अगर उसकी तस्लीम वाजिब न हो तो इक़रार सही नहीं, मस्लन कहता है मैंने उसके हाथ एक चीज़ बैअ् की है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– मुक़िर की जिहालत इक़रार को बातिल कर देती है मस्लन यह कहता है कि तुम्हारा हज़ार रूपया हम में किसी पर बाक़ी है। हाँ अगर अपने साथ अपने गुलाम को मिलाकर इस तरह इक़रार करे, तो सही है। मुक़िर'लहु की जिहालत अगर फ़ाहिश है तो इक़रार सही नहीं, वरना सही है। जिहालते फ़ाहिशा की मिसाल यह है कि मेरे ज़िम्मे किसी के हज़ार रूपये हैं थोड़ी सी जिहालत हो, उसकी मिसाल यह है उन दोनों में एक का मेरे ज़िम्मे इतना रूपया है। मुक़िर बताने पर मजबूर नहीं किया जायेगा। हाँ अगर उन दोनों ने उस पर दावा किया तो दोनों के मुक़ाबिल में उस पर हल्फ़ दिया जायेगा। (बहरुर्राइक)

मसअ्ला.11:– मजहूल शय का इक़रार किया, मस्लन फ़ुलां की मेरे ज़िम्मे एक चीज़ है, या उसका एक हक़ है तो बयान करने पर मजबूर किया जायेगा और उसको ऐसी चीज़ बयान करनी होगी, जिसकी कोई क़ीमत हो, दरयाफ़्त करने पर यह नहीं कह सकता कि गेंहूँ का एक दाना, मिट्टी का एक ढेला, यह कह सकता है कि एक पैसा उसका है क्योंकि इसके लिये क़ीमत है। हक़ के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया गया कि उसका क्या हक़ तेरे ज़िम्मे है उसने कहा मेरी मुराद इस्लामी हक़ है यह मक़बूल नहीं, कि उर्फ़ के ख़िलाफ़ है। (बहर) अगर उसने यह कहा, कि फ़ुलां का मेरे ज़िम्मे हक़ है इस्लामी हक़ बिग़ैर फ़ासिला तो यह बयान मक़बूल है। (रद्दुल'मोहतार)

मसअ्ला.12:– मुक़िर ने शय मजहूल का इक़रार किया, और उससे बयान कराया गया, मुक़िर'लहू यह कहता है कि मेरा मुतालबा इससे ज़्यादा है जो उसने बयान किया है तो क़सम के साथ मुक़िर का क़ौल मोअ्तबर है। (हिदाया)

मसअ्ला.13:– यह कहा कि मैंने फ़ुलां की चीज़ ग़सब की है उसका बयान ऐसी चीज़ से करना होगा, जिसमें तमानोअ् जारी हो, यानी दूसरे की जानिब से रुकावट पैदा की जाये, ऐसी चीज़ बयान नहीं कर सकता, जिसमें तमानोअ् न होता हो, अगर बयान में यह कहा कि मैंने इसके बेटे या बीवी को छीन लिया है तो मक़बूल नहीं, कि यह माल नहीं, और अगर मकान या ज़मीन को बताता है तो मान लिया जायेगा अगरचे इसमें इमामे आज़म रहमतुल्लाहि तआला के नज़्दीक ग़सब नहीं होता, मगर उर्फ़ में इसको भी ग़सब कहते हैं। (हिदाया वग़ैरहा)

मसअ्ला.14:– यह इक़रार किया कि मेरे ज़िम्मे फ़ुलां की एक चीज़ है और बयान में ऐसी चीज़ ज़िक्र की, तो माले मुतक़व्विम नहीं है और मुक़िर'लहू ने उसकी बात मानली, तो मुक़िर'लहू को वही चीज़ मिलेगी, यूंही ग़सब में ऐसी चीज़ बयान की कि वह बयान सही नहीं, मगर मुक़िर'लहू ने मान लिया, तो उसको वही चीज़ मिलेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– यह कहा कि मेरे पास फ़ुलां की वदीअत (अमानत) है तो उसका बयान ऐसी चीज़ से करना होगा जो अमानत रखी जाती है, और अगर मुक़िर'लहू दूसरी चीज़ को अमानत रखना बताता है तो मुक़िर की बात क़सम के साथ मोअ्तबर है। अमानत का इक़रार किया, और एक कपड़ा लाया कि यह मेरे पास अमानतन रखा था और इसमें मेरे पास यह ऐब पैदा होगया तो उसपर ज़मान वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– अगर माल का इक़रार है मस्लन कहा फ़ुलां का मेरे ज़िम्मे माल है तो अगरचे कम व बेश सबको माल कहते हैं मगर उर्फ़ में क़लील को माल नहीं कहते कम से कम उसका बयान एक दिरहम से किया जाये, और लफ़्ज़ माले अज़ीम से निसाबे ज़कात को बयान करना होगा इससे कम बयान करेगा तो मोअ्तबर नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– मुक़िर'लहू को मालूम है कि मुक़िर अपने इक़रार में झूटा है तो मुक़िर'लहू को वह माल लेना दयानतन जाइज़ नहीं हाँ अगर मुक़िर ख़ुशी के साथ देता है तो लेना जाइज़ है कि यह जदीद हिबा है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– यह कहा मेरे पास, या मेरे साथ, या मेरे घर में, या मेरे सन्दूक़ में उसकी फ़ुलां चीज़ है यह अमानत का इक़रार है, और अगर यह कहा, मेरा कुल माल उसके लिये है, या जो कुछ मेरी मिल्क है, उसकी है यह इक़रार नहीं बल्कि हिबा है इसमें हिबा के शराइत् का एअ्तिबार होगा कि क़ब्ज़ा होगया तो तमाम है, वरना नहीं। फ़ुलां ज़मीन, जिसके हुदूद ये हैं मेरे फ़ुलां बच्चे की है, यह हिबा है और इसमें क़ब्ज़े की ज़रूरत नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:– यह कहा कि फ़ुलां के मुझ पर सौ रूपये हैं, या मेरी जानिब सौ रूपये हैं यह दैन का इक़रार है। मुक़िर यह कहे कि वह रूपये अमानत हैं उसकी बात नहीं मानी जायेगी मगर जबकि इक़रार के साथ मुत्तसिलन अमानत होना बयान किया तो उसकी बात मोअ्तबर है। (ख़ानिया)

मसअ्ला.20:– यह कहा मुझे फ़ुलां को सौ रूपये देने हैं उसके कहने से उसपर देना लाज़िम नहीं। जब तक उसके साथ यह लफ़्ज़ न कहे, कि वह मेरे जिम्मे हैं, या मुझपर, या मेरी गर्दन पर हैं, या वह दैन हैं, या हक़्क़े लाज़िम हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.21:– यह कहा कि मेरे माल में या मेरे रूपये में उसके हज़ार रूपये हैं यह इक़रार है फिर अगर यह हज़ार रूपये मुमताज़ हों, वदीअत का इक़रार है, वरना शिरकत का। (आलमगीरी)

मसअ्ला.22:– औरत ने शौहर से कहा जो कुछ मेरा चाहिए था मैंने तुमसे पा लिया यह महर वसूल पाने का इक़रार नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– बाप ने यह कहा, कि यह मकान मेरे छोटे बच्चों का है तो इक़रार है उसकी औलाद में तीन छोटे बच्चों का क़रार पायेगा बल्कि उर्दू के मुहावरे के लिहाज से दो बच्चों का होगा यूंही अगर यह कहा कि मेरे इस मकान का सुलुस् फ़ुलां के लिये है तो हिबा है, और यह कहा, कि इस मकान का सुलुस् फ़ुलां का है तो इक़रार है। (ख़ानिया)

मसअ्ला.24:– एक शख़्स ने कहा, मेरे इतने रूपये तुम्हारे जिम्मे हैं दो, उसने कहा थैली सिला रखो। यह इक़रार नहीं कि उससे इस्तेहज़ा (मज़ाक़ में कहना) मक़सूद होता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– एक शख़्स ने कहा, तुम्हारे जिम्मे मेरे एक हज़ार रूपये हैं उसने कहा कि इनको गिनकर लेलो या मुझे इतने दिनों की मोहलत दो, या मैंने तुमको अदा कर दिये, या तुमने मुआफ़ कर दिये, या तुमने मुझ पर स़दक़ा कर दिये, या तुमने मुझे हिबा कर दिये, या मैंने तुम्हें ज़ैद पर उनका हवाला कर दिया था, या कहा, अभी मीआद पूरी नहीं हुई, या कल दूँगा, या अभी मयस्सर नहीं, या कहा, तुम किस क़दर तक़ाज़े करते हो, या वल्लाह मैं तुम्हें अदा नहीं करूंगा, या तुम मुझसे आज नहीं ले सकते, या कहा ठहर जाओ मेरा रूपया आजाये, या मेरा नौकर आजाये, या मुझसे कौन ले सकता है, या किसी को कल भेज देना, वह क़ब्ज़ा कर लेगा इन सब सूरतों में एक हज़ार का इक़रार होगया बशर्ते क़राइन से यह न मालूम होता हो यह बात हँसी मज़ाक़ की है। अगर मज़ाक़ से यह कहा, और गवाह भी इसकी शहादत देते हों तो कुछ नहीं, और अगर फ़क़त यह दावा करता है कि मज़ाक़ में मैंने कहा, तो इसकी तस्दीक़ नहीं की जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.26:– एक ने दूसरे से कहा, मेरे सौ रूपये जो तुम्हारे जिम्मे हैं, देदो। क्योंकि जिन लोगों के मेरे जिम्में हैं वह पीछा नहीं छोड़ते। दूसरे ने कहा, उनको मुझपर हवाला करदो, या उन्हें मेरे पास लाओ मैं ज़ामिन होजाऊँगा, या कहा क़सम खाजाओ कि यह माल तुम्हें नहीं पहुँचा है। यह सब सूरतें इक़रार की हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– एक ने दूसरे पर हज़ार रूपये का दावा किया मुद्दा'अलैहि ने कहा उन में से कुछ लेचुके हो या पूछा उनकी मीआद कब है यह हज़ार का इक़रार है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.28:– बाज़ वुरसा पर दावा किया। मय्यित के ज़िम्मे मेरा इतना कर्ज़ है उसने कहा मेरे हाथ में तर्का में से कोई चीज़ नहीं है यह दैन का इक़रार नहीं। (आलमगीरी)
मसअ्ला.29:– एक शख़्स ने कहा, तुमने मुझसे इतने रूपये ना'हक़ ले लिये उसने कहा ना'हक़ मैंने नहीं लिये हैं यह रूपये लेने का इक़रार नहीं और अगर जवाब में यह कहा कि मैंने वह तुम्हारे भाई को देदिये तो रूपये लेने का इक़रार होगया और उसके भाई को देदिये हैं उसका साबित करना उसके ज़िम्मे है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.30:– दस रूपये का दावा किया मुद्दा'अलैह ने कहा, इनमें से पाँच देने हैं, या उनमें से पाँच बाक़ी हैं तो दस रूपये लेने का इक़रार होगया, और अगर यह कहा, कि पाँच बाक़ी रह गये हैं तो दस का इक़रार नहीं। (आलमगीरी)
मसअ्ला.31:– फुलां को ख़बर करदो, या उसे बतादो, या उससे कहदो, या उसे बिशारत देदो, या तुम गवाह होजाओ कि मेरे ज़िम्मे उसके इतने रूपये हैं इन सब सूरतों में इक़रार होगया। (आलमगीरी)
मसअ्ला.32:– फुलां शख़्स का मेरे जिम्मे कुछ नहीं है उससे यह न कहना, कि उसके मेरे ज़िम्मे इतने रूपये हैं, या उसको इसकी ख़बर न देना कि उसके मेरे ज़िम्मे इतने हैं यह इक़रार नहीं, और अग़र पहला जुमला नहीं कहा, सिर्फ़ इतना ही कहा, कि फुलां शख़्स को खबर न देना, या उससे यह न कहना कि उसके मेरे ज़िम्मे इतने हैं यह इक़रार है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.33:– यह कहा कि मेरी औरत से यह बात मख़्फ़ी रखना कि मैंने उसे तलाक़ दी है। यह तलाक़ का इक़रार है और अगर यह कहा, कि उसे ख़बर न देना कि मैंने उसको तलाक़ देदी है यह इक़रारे तलाक़ नहीं। (आलमगीरी)
मसअ्ला.34:– यह कहा कि जो कुछ मेरे हाथ में है, या जो चीज़ मेरी तरफ़ मन्सूब है वह फुलां की है यह इक़रार है और अगर यह कहा कि मेरा कुल माल, या जिस चीज़ का मैं मालिक हूँ वह फुलां के लिये है यह हिबा है अगर उसे दे देगा, सही होजायेगा वरना नहीं, और देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। (आलमगीरी)
मसअ्ला.35:– एक शख़्स ने हालते सेहत में यह इक़रार किया कि जो कुछ मेरे मकान फुरूश व जुरूफ़ (बिस्तर व बर्तन) वग़ैरहा हैं यह सब मेरी लड़की के हैं और उस शख़्स के गाँव में भी कुछ जानवर वग़ैरहा हैं। और यहाँ भी कुछ जानवर रहते हैं जो दिन में जंगल को चरने के लिये जाते हैं रात में आ जाते हैं। मगर उस शख़्स की सुकूनत शहर में है तो जो चीजें या जानवर उस मकान में सुकूनत हैं वह सब इक़रार में दाख़िल हैं और उनके अलावा बाक़ी चीज़ें दाख़िल नहीं। (आलमगीरी)
मसअ्ला.36:– मर्द ने ब'दुरुस्ती अक़्ल व हवास हालते सेहत में यह इक़रार किया कि मेरे बदन पर जो कपड़े हैं उनके इलावा जो कुछ मेरे मकान में है सब मेरी औरत का है वह शख़्स मरगया, और बेटा छोड़ा, बेटा दावा करता है कि मेरे बाप का तर्का है मेरा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। औरत को जिन चीजों की निस्बत यह इल्म है कि शौहर ने बैअ् या हिबा के ज़रिआ से उसे मालिक कर दिया है, या महर के एवज़ में जो कुछ हो सकता है, उनको ले सकती है, और उस इक़रार को हुज्जत बना सकती है और जिन चीजों की औरत मालिक नहीं है उनको उस इक़रार की वजह से लेना दयानतन जाइज़ नहीं! मगर क़ाज़ी इन तमाम चीजों के मुताल्लिक औरत के लिये ही फ़ैसला करेगा। जो ब'वक़्ते इक़रार उस मकान में मौजूद थी जब कि गवाहों से उन चीज़ों का मकान में ब'वक़्ते इक़रार होना साबित हो। (आलमगीरी)
मसअ्ला.37:– इस क़िस्म की बात जो दूसरे के कलाम के बाद होती है अगर जवाब के लिये मुतअ़य्यन है तो जवाब है और इब्तिदाए कलाम के लिये मुतअ़य्यन है या जवाब व इब्तिदा दोनों का एहतिमाल हो तो इससे इक़रार साबित नहीं होगा और अगर जवाब में हाँ कहा, तो यह इक़रार है। मसलन किसी ने यह कहा, मेरा कपड़ा देदो, मेरे इस गुलाम का कपड़ा देदो, मेरे इस मकान का

दरवाजा खोलदो, मेरे इस घोड़े पर काठी कसदो, या इसकी लगाम देदो, इन बातों के जवाब में दूसरे ने कहा, हाँ तो यह हाँ कहना इक़रार है कि कपड़ा और गुलाम और मकान और घोड़ा इसका है। एक शख़्स ने कहा, क्या तुम्हारे ज़िम्मे मेरा यह नहीं उसने कहा हाँ यह इक़रार हो गया। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.38:– जो बोल सकता है उसका सर से इशारा करना इक़रार नहीं, माल, इत्क़, (गुलाम आज़ाद करना) तलाक़, बैअ्, (खरीद व फराख़्त करना) निकाह, इजारा, हिबा, किसी का इक़रार इशारे से नहीं हो सकता। इफ़्ता यानी आलिम से किसी ने मसअ्ला पूछा उसने सर से इशारा कर दिया। नसब, इस्लाम, कुफ़्र, अमान काफ़िर, मोहरिम का शिकार की तरफ़ इशारा करना रिवायते हदीस में शैख़ (उस्ताद) का सर से इशारा करना मोअ्तबर है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.39:– दैन मुअज्जल का इक़रार किया, यानी यह कहा फ़ुलाँ का मेरे ज़िम्मे इतना दैन है। जिसकी मीआ़द यह है मुक़िर'लहू ने कहा मीआ़द पूरी होचुकी है फ़ौरन देना वाजिब होगा और मीआ़द बाक़ी होना दावा है जिसके लिये सुबूत दरकार है। इसी तरह उसके पास कोई चीज है कहता है, यह चीज़ फ़ुलां की है मैंने किराये पर ली है उसके लिये इक़रार होगया, और किराये पर उसके पास होना एक दावा है जिसके लिये सुबूत की ज़रूरत है अगर मुक़िर मीआ़द और इजारा को गवाहों से साबित करदे, फ़बेहा वरना मुक़िर'लहू पर हल्फ़ दिया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.40:– इक़रार किया कि मेरे ज़िम्मे फ़ुलां शख़्स के इस क़िस्म के रूपये हैं। मुक़िर'लहू यह कहता है कि इस क़िस्म के नहीं हैं बल्कि इस क़िस्म के हैं इस सूरत में मुक़िर का क़ौल मोअ्तबर है जैसे रूपये का इक़रार किया है वैसे ही वाजिब हैं। अगर यह कहा, कि मैंने फ़ुलां के लिये सौ रूपये की ज़मानत की है जिसकी मीआ़द एक माह है मुक़िर'लहू ने मीआ़द से इन्कार किया, कहता है वह फ़ौरन देना है। इस सूरत में मुक़िर का क़ौल मोअ्तबर है। (हिदाया)

एक चीज़ के इक़रार में दूसरी चीज़ कहाँ दाख़िल है

मसअ्ला.41:– एक सौ एक रूपये कहा तो कुल रूपये ही हैं और एक सौ एक थान, या एक सौ दो थान कहा, तो एक सौ के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया जायेगा कि इससे क्या मुराद है टोकरी में आम कहा तो टोकरी और आम दोनों का इक़रार है। अस्तबल में घोड़ा कहा, तो सिर्फ़ घोड़ा ही देना होगा, अस्तबल का इक़रार नहीं। अँगूठी का इक़रार है तो हल्क़ा (गोल छल्ला) और नग दोनों चीज़ें देनी होंगी तलवार का इक़रार है तो फल (तलवार का धार वाला हिस्सा (अमीनुल क़ादरी)) और क़ब्ज़ा (तलवार का दस्ता) और नियाम और तस्मा सबका इक़रार है। मसेहरी का इक़रार है तो चारों डन्डे और चौखटा और पर्दा भी इस इक़रार में शामिल हैं। बैठन (वह कपड़ा जिसमें सौदागर क़ीमती कपडे बांधते हैं) में थान या रूमाल में थान कहा, तो बैठन और रूमाल का इक़रार है उनको देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार, हिदाया)

मसअ्ला.42:– इस दीवार से उस दीवार तक फ़ुलां का है। दोनों दीवारों के दरम्यान जो कुछ है वह मुक़िर'लहू के लिये है और दीवार इक़रार में शामिल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.43:– दीवार का इक़रार किया, कि फ़ुलां की चीज़ है फिर यह कहता है मेरी मुराद यह थी कि दीवार उसकी है ज़मीन उसकी नहीं, इसकी बात नहीं मानी जायेगी। दीवार और ज़मीन दोनों चीज़ें मुक़िर लहू को दिलाई जायेंगी। यूंही ईंट के सुतून बने हुए हैं उनका इक़रार किया, तो उनके नीचे की ज़मीन भी मुक़िर लहू की होगी। और लकड़ी का सुतून है इसका इक़रार किया, तो सिर्फ़ सुतून मुक़िर'लहू का है जमीन नहीं, फिर अगर सुतून के निकाल लेने में मुक़िर का ज़रर न हो, तो मुक़िर'लहू सुतून निकाल लेजाये। अगर ज़रर है, तो मुक़िर सुतून की उसको क़ीमत देदे (आलमगीरी)

मसअ्ला.44:– यह कहा कि इस घर की इमारत, या इसका अ़मला फ़ुलां शख़्स का है तो सिर्फ़ इमारत का इक़रार है ज़मीन इक़रार में दाख़िल नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.45:– यह इक़रार किया कि मेरे बाग़ में यह दरख़्त फ़ुलां का है तो वह दरख़्त और उसकी मोटाई जितनी है उतनी ज़मीन भी मुक़िर'लहू को दिलाई जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.46:– इस दरख़्त में जो फल हैं फुलां के हैं यह सिर्फ़ फलों का इक़रार है दरख़्त का इक़रार नहीं, यूंही यह इक़रार किया कि इस खेत में फुलां की ज़राअ़त (खेती) है यह सिर्फ़ ज़राअ़त का इक़रार है ज़मीन इक़रार में दाख़िल नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.47:– यह इक़रार किया कि यह ज़मीन फुलां की है और इसमें ज़राअ़त मौजूद है तो ज़मीन व ज़राअ़त दोनों मुक़िर'लहू को दिलाई जायेंगी और अगर मुक़िर ने गवाहों से क़ाज़ी के फ़ैसले से क़ब्ल या बाद यह साबित कर दिया, कि ज़राअ़त मेरी है तो गवाह क़बूल होंगे और ज़राअ़त इसी को मिलेगी। अगर ज़मीन का इक़रार किया, और उसमें दरख़्त हैं तो दरख़्त भी मुक़िर लहू को दिलाये जायेंगे और मुक़िर गवाहों से यह साबित करे, कि दरख़्त मेरे हैं तो गवाह क़बूल नहीं मगर जब कि इक़रार ही यूँ किया था कि ज़मीन उसकी है और दरख़्त मेरे हैं तो गवाह मक़बूल हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.48:– इसके पास सन्दूक़ है जिस में सामान है कहता है सन्दूक़ फुलां शख़्स का है और इसमें जो कुछ सामान है वह मेरा है या यह कहा, यह मकान फुलां शख़्स का है और जो कुछ माल असबाब है मेरा है तो सिर्फ़ सन्दूक़ या मकान का इक़रार हुआ सामान वग़ैरा इक़रार में दाख़िल नहीं। (खानिया)

मसअ्ला.49:– थैली में रूपये हैं यह कहा, कि यह थैली फुलां की है तो रूपये भी इक़रार में दाख़िल हैं। मुक़िर कहता है कि मेरी मुराद सिर्फ़ थैली थी, रूपये का मैंने इक़रार नहीं किया, इसकी बात मोअ्तबर नहीं यूंही अगर यह कहा कि यह टोकरी फुलां की है और इसमें फल हैं तो फल भी इक़रार में दाख़िल हैं यह मटका फुलां का है और इसमें सिर्का है तो सिर्का भी इक़रार में दाख़िल है और अगर बोरी में ग़ल्ला है और यह कहा, कि यह बोरी फुलां की है फिर कहता है सिर्फ़ बोरी उसकी है ग़ल्ला मेरा है तो इसकी बात मानली जायेगी। (आलमगीरी)

हमल का इक़रार या हमल के लिये इक़रार

मसअ्ला.50:– हमल का इक़रार, या हमल के लिये इक़रार दोनों सही हैं हमल का इक़रार यानी लौंडी के पेट में जो बच्चा है या जानवर के पेट में जो बच्चा है इसका इक़रार दूसरे के लिये कर देना, कि वह फुलां का है सही है। हमल से मुराद यह है जिसका वुजूद वक़्ते इक़रार मज़नून हो। वरना इक़रार सही नहीं। मज़नून होने का मतलब यह है कि अगर वह औरत मन्कूहा हो, तो छः माह से कम में और मोअ्तददा हो, तो दो साल से कम में बच्चा पैदा हो, और अगर जानवर का हमल हो, तो इसकी मुद्दत कम से कम जो कुछ हो सकती है उसके अन्दर बच्चा पैदा हो और यह बात माहिरीन से मालूम हो सकती है कि जानवर में बच्चा पैदा होने की क्या मुद्दत है। बाज़ उलमा ने फ़रमाया, कि बकरी में अस्ल मुद्दत हमल चार माह है और दूसरे जानवरों में छः माह (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.51:– हमल के लिये इक़रार किया कि यह चीज़ उस बच्चे की है जो फुलां औरत के पेट में है इसमें शर्त यह है कि वुजूब का सबब ऐसा बयान करे, जो हमल के लिये होसकता हो और अगर ऐसा सबब बयान किया, जो मुम्किन न हो तो इक़रार सही नहीं। पहले की मिसाल इर्स व वसियत है यानी यह कहा, कि इस औरत के हमल के ज़िम्मे सौ रूपये हैं पूछा गया, कि क्यों कर जवाब दिया, कि इसका बाप मरगया मीरास् की रू से, इसका यह हक़ है या फुलां शख़्स ने इसकी वसियत की है फिर अगर यह बच्चा वक़्ते इक़रार से छः माह से कम में पैदा हुआ तो इसकी चन्द सूरतें हैं। लड़का है या लड़की है, या दो लड़के हैं या दो लड़कियां हैं। या एक लड़का है और एक लड़की, अगर लड़का या लड़की है तो जो कुछ इक़रार किया है, लेले और दो हैं ख़्वाह दोनों लड़के हों या लड़कियां, दोनों बराबर बांट लें, और एक लड़का एक लड़की है और वसियत की रू से यह चीज़ मिलती है तो दोनों बराबर के हक़दार हैं और मीरास् की रू से है तो लड़की से लड़के को दूना, और अगर बच्चा मुर्दा पैदा हुआ तो मूरिस् या मूसी के वुरसा की तरफ़ मुन्तक़िल होजायेगा(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.52:– हमल के लिये इक़रार किया और सबब नहीं बयान किया, या ऐसा सबब बयान किया, जो हो न सके, मस्लन कहता है मैंने उससे क़र्ज़ लिया, या उसने बैअ् की है, या ख़रीदा है

या उसे किसी ने हिबा किया है इन सब सूरतों में इक़रार लग्व (बेकार) है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.53:– दूध पीते बच्चे के लिये इक़रार किया, और सबब ऐसा बयान किया, हक़ीक़तन हो नहीं सकता है यह इक़रार सही है। मस्लन यह कहा इसका मेरे ज़िम्मे क़र्ज़ है या मबीअ् का स्मन है कि अगरचे वह ख़ुद क़र्ज़ नहीं दे सकता, बैअ् नहीं कर सकता मगर क़ाज़ी या वली कर सकता है। यूं उस बच्चे का मुतालबा मुक़िर के ज़िम्मे साबित होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.54:– यह इक़रार किया कि इस बच्चे के लिये मैंने फ़ुलां की तरफ़ से हज़ार रूपये की किफ़ालत की है और बच्चा इतनी उम्र का है कि बोल न सकता है न समझ सकता है तो किफ़ालत बातिल है मगर जब कि उसके वली ने क़बूल कर लिया, तो किफ़ालत सही होगई।(आलमगीरी)

मसअ्ला.55:– एक शख़्स आज़ाद को क़ाज़ी ने महजूर कर दिया, उसके तसर्रुफ़ाते बैअ् वग़ैरा की मुमानअत करदी है उसने दैन या ग़सब या बैअ् या इत्क़ या तलाक़ या नसब या क़ज़फ़ या ज़िना का इक़रार किया, उसके यह सब इक़रार जाइज़ हैं। आज़ाद शख़्स को क़ाज़ी का हज्र करना (बैअ् वग़ैरा के इख़्तियारात ख़त्म करना) जाइज़ नहीं। (आलमगीरी)

इक़रार में ख़्यारे शर्त

मसअ्ला.56:– इक़रार में शर्ते ख़्यार ज़िक्र की, यह इक़रार सही है और शर्त बातिल, यानी वह मुतालबा बिला ख़्यार उसपर लाज़िम होजायेगा अगर मुक़िर'लहू ने ख़्यार के मुताल्लिक़ इसकी तस्दीक़ की, यह तस्दीक़ बातिल है। हाँ अगर अक़्दे बैअ् का इक़रार किया है और बैअ् बिलख़्यार है तो ब'शर्ते तस्दीक़ मुक़िर'लहू या गवाहों से साबित करने पर इस शर्ते ख़्यार का एअ्तिबार होगा। और अगर मुक़िर'लहू ने तकज़ीब करदी तो क़ौल इसी का मोअ्तबर है कि यह मुन्किर है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.57:– दैन का इक़रार किया, और सबब यह बताया, कि मैंने इसकी किफ़ालत की है और मुद्दत में मुझे इख़्तियार है मुद्दत चाहे तवील हो या कोताह, (ज़्यादा हो या कम) ख़्यारे शर्त सही है ब'शर्ते कि मुक़िर'लहू उसकी तस्दीक़ करे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.58:– क़र्ज़ या ग़सब या वदीअत या आरियत का इक़रार किया, और यह कहा, कि मुझे तीन दिन का ख़्यार है इक़रार सही है और ख़्यार बातिल, अगरचे मुक़िर'लहू तस्दीक़ करता हो।(आलमगीरी)

मसअ्ला.59:– किफ़ालत की वजह से दैन का इक़रार किया, और यह कि एक मुद्दते मालूमा तक के लिये, इसमें शर्ते ख़्यार है वह मुद्दत तवील हो या क़सीर (लम्बी हो या छोटी) अगर मुक़िर'लहू उसकी तस्दीक़ करता हो तो ख़्यार साबित होगा और आख़िर मुद्दत तक ख़्यार रहेगा और मुक़िर'लहू तकज़ीब करता हो तो माल लाज़िम होगा और ख़्यार साबित न होगा। (आलमगीरी)

तहरीरी इक़रारनामा

मसअ्ला.60:– इक़रार जिस तरह ज़बान से होता है तहरीर से भी होता है जबकि वह तहरीर मुअ्नवन (यानी खास हो) व मरसूम (जिस तरह लिखा जाता है) हो, मस्लन एक शख़्स ने लोगों के सामने इक़रार नामा लिखाया, या किसी से लिखवाया, और हाज़िरीन से कह दिया 'जो कुछ मैंने इसमें लिखा है तुम उसके गवाह हो जाओ' यह इक़रार सही है अगरचे न इसने पढ़कर उनको सुनाया न उन्होंने ख़ुद तहरीर पढ़ी और अगर किताबत या इमला के वक़्त लोग हाज़िर न थे तो गवाही जाइज़ नहीं। मदयून ने यह दावा किया कि दाइन ने अपने हाथ से लिखा है कि फ़ुलां बिन फ़ुलां पर मेरा जो दैन था मैंने मुआफ़ कर दिया, अगर यह तहरीर मरसूम है और गवाहों से साबित हो तो इक़रार सही है और दैन साक़ित, ख़्वाह मदयून के कहने से उसने लिखी हो या अपने आप बिग़ैर उसके कहे हुए लिखी और अगर तहरीर मरसूम नहीं है, तो न इक़रार सही न मुआफ़ी का दावा सही(आलमगीरी)

मसअ्ला.61:– इक़रार नामे पर गवाह बनाने का यह मतलब है कि लोगों से कहदे, तुम इसके गवाह होजाओ और उनको इक़रार नामा पढ़कर सुनाया न गया हो और अगर पढ़कर सुना दिया हो तो गवाह बनाये, या न बनाये उनको गवाही देना जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअला.62:— कातिब से यह कहना कि फुलां बात लिखदो, यह भी हुक्मन इक़रार है मसलन सिकाक (दस्तावेज लिखने वाला) से कहा, तुम मेरा यह इक़रार लिखदो, कि फुलां का मेरे ज़िम्मे एक हज़ार है, या मेरे मकान का बैअ़नामा लिखदो यह इक़रार भी सही है सिकाक लिखे या न लिखे, सिकाक को उसके इक़रार पर शहादत देना जाइज़ है। (दुरर, गुरर)

मसअला.63:— ब'तौर मुरासला एक तहरीर लिखी कि अज़ जानिबे फुलां, ब'तरफ़ फुलां तुमने लिखा है कि मैंने तुम्हारे लिए फुलां की तरफ़ से एक हज़ार की ज़मानत की है मैंने एक हज़ार की ज़मानत नहीं की है सिर्फ़ पाँच सौ की ज़मानत की है लिखने के बाद उसने तहरीर चाक कर डाली और इस तहरीर के वक़्त दो शख़्स मौजूद थे, जिन्होंने उसकी तहरीर देखी है यह गवाही दे सकते हैं। कि उसने ऐसी तहरीर लिखी थी, उसने चाहे उन दोनों को गवाह बनाया हो, या न बनाया, और लिखने वाले पर गवाही गुज़र जाने के बाद वह अम्र लाज़िम किया जायेगा जिसको उसने लिखा था। तलाक़ व इताक़ और वह तमाम हुक़ूक़ जो शुबह के साथ भी साबित होजाते हैं। सबका यही हुक्म है। (आलमगीरी)

मसअला.64:— मुरासला के तौर पर एक तहरीर ज़मीन पर लिखी, या कपड़े पर लिखी, इस तहरीर से इक़रार साबित नहीं होगा और जिसने तहरीर देखी है उसको गवाही देनी भी जाइज़ नहीं, हाँ अगर उन लोगों से यह कह दिया कि तुम इस माल के शाहिद रहो, तो माल लाज़िम होजायेगा और गवाही देनी जाइज़। (खानिया)

मसअला.65:— काग़ज़ पर यह तहरीर लिखी कि फुलां का मेरे ज़िम्मे इतना रूपया है मगर यह तहरीर बतौर मुरासला नहीं है ऐसी तहरीर से इक़रार साबित न होगा हाँ अगर लोगों से कह दिया कि जो कुछ मैंने लिखा है तुम उसके गवाह बन जाओ तो उनका गवाही देना जाइज़ है और माल लाज़िम होजायेगा। (आलमगीरी)

मसअला.66:— एक तहरीर लिखी मगर खुद पढ़कर नहीं सुनाई, किसी दूसरे शख़्स ने पढ़कर गवाहों को सुनाई और कातिब ने कह दिया कि तुम इसके गवाह होजाओ, तो इक़रार सही है और यह न कहा, तो इक़रार सही नहीं। (आलमगीरी)

मसअला.67:— लोगों के सामने एक तहरीर लिखी और हाज़िरीन से कहा कि तुम इस पर मुहर या दस्तख़त कर दो, यह नहीं कहा, कि गवाह हो जाओ, यह इक़रार सही नहीं, और उन लोगों को गवाही देना भी जाइज़ नहीं। (खानिया)

मसअला.68:— एक शख़्स ने एक दस्तावेज़ पढ़कर सुनाई, जिसमें इसने किसी के लिये माल का इक़रार किया था, सुनने वालों ने कहा क्या हम उस माल के गवाह होजायें, जो इस दस्तावेज़ में लिखा है उसने कहा हाँ, यह हाँ कहना, इक़रार है और सुनने वालों को शहादत देनी जाइज़। (खानिया)

मसअला.69:— रोज़नामचा और बही खाता में अगर यह तहरीर हो कि फुलां के मेरे ज़िम्मे इतने रूपये हैं यह तहरीर मरसूम क़रार पायेगी इसके लिये गवाह करना शर्त नहीं, यानी बिग़ैर गवाह बनाये हुए भी यह तहरीरे इक़रार क़रार दी जायेगी। (आलमगीरी)

मसअला.70:— एक शख़्स ने यह कहा कि मैंने अपनी याददाश्त (नोट बुक) में या हिसाब के काग़ज़ में यह लिखा हुआ पाया मैंने अपने हाथ से यह लिखा, कि फुलां का मेरे ज़िम्मे इतना रूपया है, यह इक़रार नहीं। (आलमगीरी)

मसअला.71:— ताजिर की याद'दाश्त में कुछ तहरीर उसके हाथ की लिखी हुई है वह मोअ़तबर है। लिहाज़ा अगर वह दुकानदार यह कहे कि मैंने अपनी नोट बुक में अपने हाथ का लिखा हुआ, यह देखा, या मैंने अपने हाथ से अपनी नोट बुक में यह लिखा है कि फुलां शख़्स के मेरे ज़िम्मे हज़ार रूपये हैं यह इक़रार माना जायेगा और उसको हज़ार रूपये देने होंगे। (आलमगीरी)

मसअला.72:— मुद्दा'अ़लैह ने क़ाज़ी के सामने कहा कि मुद्दई की याददाश्त में जो कुछ उसने मेरे ज़िम्मे अपने हाथ से लिखा हो उसको मैं अपने ज़िम्मे लाज़िम किये लेता हूँ यह इक़रार नहीं है। (ग़रबुलाती)

मुतअ़द्दिद मरतबा इक़रार करना

मसअला.73:– चन्द मरतबा यह कहा कि मेरे ज़िम्मे फ़ुलां शख़्स के हज़ार रूपये हैं अगर यह इक़रार किसी दस्तावेज़ का हवाला देते हुए किया, यानी यह कहा कि इस दस्तावेज़ की रू से उसके हज़ार रूपये मुझ पर हैं तो ख़्वाह यह इक़रार एक मज्लिस में हो या मुतअ़द्दिदद मजालिस में हो दूसरी जगह जिन लोगों के सामने इक़रार किया, वही हों जिनके सामने पहली मरतबा किया था, या यह दूसरे लोग हों बहर हाल यह एक ही हज़ार का इक़रार है यानी मुतअ़द्दिदद बार करने से मुतअ़द्दिदद इक़रार नहीं पायेंगे बल्कि एक ही इक़रार की तकरार है और अगर दस्तावेज़ का हवाला देते हुए, यह इक़रार नहीं है तो अगर एक मज्लिस में मुतअ़द्दिदद मर्तबा इक़रार किया है जब भी एक ही इक़रार है और दूसरा इक़रार दूसरी मज्लिस में है और उन्हीं लोगों के सामने इक़रार किया है जिनके सामने पहले इक़रार किया था जब भी एक ही इक़रार है और अगर दूसरी मज्लिस में दूसरे दो आदमियों के सामने इक़रार किया है और हज़ार रूपये होने का कोई सबब नही बयान किया, तो दो इक़रार हैं यानी मुक़िर पर दो हज़ार रूपये वाजिब हैं और अगर दोनों इक़रारों का सबब एक ही है मस्लन फ़ुलां शख़्स के मेरे ज़िम्मे हज़ार रूपये हैं फ़ुलां चीज़ के दाम तो कितने ही मर्तबा इक़रार करे, एक ही हज़ार वाजिब होंगे और अगर हर इक़रार का सबब जुदा जुदा है, एक मर्तबा स्मन बताया, एक मर्तबा उससे क़र्ज़ लेना कहा, तो हर एक इक़रार जुदा जुदा है और जितने इक़रार उतना माल लाज़िम। (दुरर, गुरर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.74:– एक मर्तबा गवाहों के सामने इक़रार किया, दूसरी मर्तबा क़ाज़ी के सामने इक़रार किया, या पहले क़ाज़ी के सामने, फिर गवाहों के सामने या क़ाज़ी के सामने कई मर्तबा इक़रार किया, यह सब एक ही इक़रार हैं यानी एक ही हज़ार वाजिब होंगे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.75:– इक़रार किया, फिर यह दावा करता है कि मैंने झूटा इक़रार किया, ख़्वाह मजबूरी व इज़्तिरार की वजह से झूट बोलना कहता हो या बिग़ैर मजबूरी मुक़िर'लहू पर यह हल्फ़ दिया जायेगा कि मैं काज़िब न था यूंही अगर मुक़िर मरगया है उसके वुरसा यह कहते हैं कि मुक़िर ने झूटा इक़रार किया, तो मुक़िर'लहू पर हल्फ़ दिया जायेगा और अगर मुक़िर'लहू मरगया, उसके वुरसा पर मुक़िर ने दावा किया कि मैंने झूटा इक़रार किया तो वुरसा मुक़िर पर हल्फ़ दिया जायेगा मगर यह लोग यूँ क़सम खायेंगे कि हमारे इल्म में यह नहीं है कि इसने झूटा इक़रार किया है। (दुर्रेमुख़्तार)

इक़रारे वारिस् बादे मौत मूरिस्

मसअला.1:– वुरसा में से एक ने इक़रार किया, कि मय्यित पर इतना फ़ुलां शख़्स का दैन है और बाक़ी वुरसा ने इन्कार किया, ज़ाहिरुर्रिवायत यह है कि कुल दैन इस मुक़िर के हिस्से से अगर वसूल किया जा सके, वसूल किया जाये और बाज़ उलमा यह कहते हैं कि दैन का जितना जुज़ उसके हिस्से में आता है उसके मुतअ़ल्लिक़ उसका इक़रार सही है और अगर इस मुक़िर और एक दूसरे शख़्स ने शहादत दी कि मय्यित पर इतना फ़ुलां का दैन है इसकी गवाही मक़बूल है और कुल तर्का से यह दैन वसूल किया जायेगा। (दुरर, गुरर, रद्दुल'मोहतार)

मसअला.2:– एक शख़्स मरगया, और एक हज़ार रूपये, और एक बेटा छोड़ा, बेटे ने यह इक़रार किया, कि ज़ैद के मेरे बाप के ज़िम्मे एक हज़ार रूपये हैं और एक हज़ार अम्र के हैं अगर यह दोनों बातें मुत्तसिलन कहीं, तो ज़ैद व अम्र दोनों इन हज़ार रूपये में से पाँच पाँच सौ लेलें और अगर दोनों बातों में फ़स्ल हो, ज़ैद के इक़रार करने के बाद ख़ामोश रहा, फिर अम्र के लिये इक़रार किया, तो ज़ैद मुक़द्दम है मगर ज़ैद को अगर क़ाज़ी के हुक्म से हज़ार रूपये दिये, तो अम्र को कुछ नहीं मिलेगा और बतौर खुद देदिये तो अम्र को अपने पास से पाँचसौ दे, और अगर बेटे ने यह कहा कि यह हज़ार रूपये मेरे बाप के पास ज़ैद की अमानत थे, और अम्र के उसके ज़िम्मे एक हज़ार दैन हैं और दोनों बातों में फ़ासिला न हो, अमानत को दैन पर मुक़द्दम किया जाये और

अगर पहले दैन का इक़रार किया और बाद में मुत्तसिलन अमानत का तो दोनों बराबर बांटलें। (मबसूत)

मसअ्ला.3:– एक शख़्स ने कहा, यह हज़ार रूपये जो तुम्हारे वालिद ने छोड़े हैं मैंने उनके पास बतौर अमानत रखे थे दूसरे शख़्स ने कहा तुम्हारे बाप पर मेरे हज़ार रूपये दैन हैं बेटे ने दोनों से मुख़ातब होकर कहा, कि तुम दोनों सच कहते हो तो दोनों बराबर बराबर बांट लें। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– एक शख़्स मरगया, दो बेटे वारिस् छोड़े, और दो हज़ार का तर्का है एक एक हज़ार दोनों ने ले लिये। फिर दो शख़्सों ने दावा किया, हर एक का यह दावा है कि तुम्हारे बाप के ज़िम्मे एक हज़ार दैन हैं एक मुद्दई की दोनों बेटों ने तस्दीक़ की, और दूसरे की फ़क़त एक ने तस्दीक़ की, मगर उसने दोनों के लिये एक साथ इक़रार किया, यानी यह कहा कि तुम दोनों सच कहते हो जिसकी दोनों ने तस्दीक़ की है वह दोनों से पाँच सौ लेगा और दूसरा फ़क़त उसी से पाँचसौ लेगा जिसने उसकी तस्दीक़ की है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– एक शख़्स मर गया, और उसके हज़ार रूपये किसी के ज़िम्मे बाक़ी हैं उसने दो बेटे वारिस् छोड़े, उनके सिवा कोई वारिस् नहीं, मदयून कहता है कि तुम्हारे बाप को मैंने पाँचसौ रूपये देदिये थे मेरे ज़िम्मे सिर्फ़ पाँच सौ बाक़ी हैं एक बेटे ने इसकी तस्दीक़ की, दूसरे ने तकज़ीब, जिसने तकज़ीब की है वह मदयून से पाँचसौ रूपये जो बाक़ी हैं वसूल करेगा और जिसने तस्दीक़ की है उसको कुछ नहीं मिलेगा और अगर मदयून ने यह कहा कि मरने वाले को मैंने पूरे हज़ार रूपये देदिये थे अब मेरे ज़िम्मे कुछ बाक़ी नहीं है एक ने इसकी तस्दीक़ की, दूसरे ने तकज़ीब, तो तकज़ीब करने वाला मदयून से पाँचसौ वसूल कर सकता है और तस्दीक़ करने वाला कुछ नहीं ले सकता हाँ। मदयून उसकी तकज़ीब करने वाले को यह हल्फ़ दे सकता है कि क़सम खाये कि मेरे इल्म में यह बात नहीं कि मेरे बाप ने पूरे हज़ार रूपये तुमसे वसूल करलिये इसने क़सम खाकर मदयून से पाँचसौ रूपये वसूल करलिये, और फ़र्ज़ करो इनके बाप ने एक हज़ार रूपये और छोड़े हैं जो दोनों भाईयों पर बराबर तक़सीम होगये, मदयून इसकी तस्दीक़ करने वाले से उसके हिस्से के पाँचसौ, मिले हैं वसूल कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– एक शख़्स मरा, और एक बेटा वारिस् छोड़ा और हज़ार रूपये छोड़े इस मय्यित पर किसी ने एक हज़ार का दावा किया, बेटे ने उसका इक़रार कर लिया और वह हज़ार रूपये उसे दे दिये उसके बाद दूसरे शख़्स ने मय्यित पर हज़ार रूपये का दावा किया, बेटे ने इससे इन्कार किया, मगर पहले मुद्दई ने उसकी तस्दीक़ की, और दूसरे मुद्दई ने पहले मुद्दई के दैन का इन्कार किया यह इन्कार बेकार है दोनों मुद्दई उस हज़ार को बराबर–बराबर तक़सीम करलें। (आलमगीरी)

इस्तिस्ना और उसके मुतअ़ल्लिक़ात का बयान

इस्तिस्ना का मतलब यह होता है कि मुस्तस्ना के निकालने के बाद जो कुछ बाक़ी बचता है वह कहा गया, मस्लन यह कहा कि फ़ुलां के मेरे ज़िम्मे दस रूपये हैं। मगर तीन इसका हासिल, यह हुआ कि सात रूपये हैं।

मसअ्ला.1:– इस्तिस्ना में शर्त यह है कि साबिक़ के साथ मुत्तसिल हो यानी बिला ज़रूरत बीच में फ़ासिला न हो और ज़रूरत की वजह से फ़ासिला होजाये, उसका एअ्तिबार नहीं मस्लन सांस टूट गई, खांसी आगई, किसी ने मुँह बन्द करदिया, बीच में निदा का आजाना भी फ़ासिल नहीं क़रार दिया जायेगा मस्लन मेरे ज़िम्मे एक हज़ार हैं ऐ फ़ुलां मगर दस यह इस्तिस्ना सही है जबकि मुक़िर'लहू मुनादा (यानी जिस के लिये इक़रार किया उसी को पुकारा हो (अमीनुल क़ादरी)) हो, और अगर यह कहा, मेरे ज़िम्मे फ़ुलां के दस रूपये हैं तुम गवाह रहना मगर तीन यह इस्तिस्ना सही नहीं, कुल देने होंगे। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– जो कुछ इक़रार किया है उस में से बाज़ का इस्तिस्ना सही है अगरचे निस्फ़ से ज़्यादा का इस्तिस्ना हो और उसके निकालने के बाद जो कुछ बाक़ी बचे, वह देना लाज़िम होगा अगरचे यह इस्तिस्ना ऐसी चीज़ में हो जो क़ाबिले तक़सीम न हो जैसे गुलाम जानवर कि इसमें भी

निस्फ़ या कम व बेश का इस्तिस्ना सही है मसलन एक तिहाई का इस्तिस्ना किया, दो तिहाईयां लाज़िम हैं और दो तिहाई का इस्तिस्ना किया एक तिहाई लाज़िम है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– इस्तिस्ना मुस्तग़रक़, कि उसको निकालने के बाद कुछ न बचे, बातिल है अगरचे यह इस्तिस्ना ऐसी चीज़ में हो, जिसमें रुजूअ् का इख़्तियार होता है जैसे वसियत, कि इसमें अगरचे रुजूअ् कर सकता है मगर इस तरह इस्तिस्ना जिससे कुछ बाक़ी न बचे बातिल है और पहले कलाम का जो हुक्म वही साबित रहेगा। इस्तिस्ना मुस्तग़रक़ उस वक़्त बातिल है कि उसी लफ़्ज़ से इस्तिस्ना हो, या उसके किसी मसावी से, और अगर यह दोनों बातें न हों, यानी लफ़्ज़ के एअ्तिबार से इस्तिग़राक़ नहीं है अगरचे वाक़ेअ् में इस्तिग़राक़ है तो इस्तिस्ना बातिल नहीं, मसलन यह कहा कि मेरे माल की तिहाई ज़ैद के लिये है मगर एक हज़ार, हालांकि कुल तिहाई एक ही हज़ार है यह इस्तिस्ना सही है और ज़ैद किसी चीज़ का मुस्तहिक़ नहीं होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– यह कहा जितने रूपये इस थैली में हैं फुलां के हैं मगर एक हज़ार कि यह मेरे हैं। अगर उसमें एक हज़ार से ज़्यादा हों, तो एक हज़ार उसके, बाक़ी मुक़िर'लहू के, और अगर उसमें एक हज़ार ही हैं या हज़ार से भी कम हैं तो जो कुछ हैं मुक़िर'लहू को दिये जायेंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– कैली और वज़नी और अ़ददी ग़ैर मुतफ़ावत (अदद, गिन्ती से बिकने वाली वह चीजें जिन में ज़्यादा फ़र्क़ न हो (अमीनुल क़ादरी)) का रूपये, अशर्फ़ी से इस्तिस्ना करना सही है और क़ीमत के लिहाज़ से इस्तिस्ना होगा मसलन कहा, ज़ैद का मेरे ज़िम्मे एक रूपया है मगर चार पैसे या एक अशर्फ़ी है मगर एक रूपया और इस सूरत में अगर क़ीमत के एअ्तिबार से बराबरी होजाये। जब भी इस्तिस्ना सही है और कुछ लाज़िम न होगा। अगर इनके अलावा दूसरी चीज़ों से इस्तिस्ना किया, तो वह सही ही नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– इस्तिस्ना में दो अ़दद हों, और उनके दरम्यान हर्फ़े शक हो तो जिसकी मिक़दार कम हो, उसी को निकाला जाये मसलन फुलां शख़्स के मेरे ज़िम्मे एक हज़ार हैं मगर सौ या पचास तो साढ़े नौ सौ का इक़रार क़रार पायेगा अगर मुस्तस्ना मजहूल हो, यानी उसकी मिक़दार मालूम न हो, तो निस्फ़ से ज़्यादा साबित किया जायेगा मसलन मेरे ज़िम्मे उस के सौ रूपये हैं मगर कुछ कम यह इक्क्यावन रूपये का इक़रार होगा। (बहर)

मसअ्ला.7:– दो क़िस्म के माल का इक़रार किया, और इन दोनों इक़रारों के बाद इस्तिस्ना किया, और यह बयान नहीं किया कि माले अव्वल से इस्तिस्ना है या सानी से, अगर दोनों मालों का मुक़िर'लहू एक शख़्स है और मुस्तस्ना माले अव्वल की जिन्स से है तो माले अव्वल से इस्तिस्ना क़रार पायेगा मसलन मेरे ज़िम्मे ज़ैद के सौ रूपये हैं और एक अशर्फ़ी, मगर एक रूपया तो निन्नियानवे रूपये और एक अशर्फ़ी लाज़िम होगी। और अगर मुक़िर लहू दो शख़्स हैं तो इस्तिस्ना का ताल्लुक़ माले सानी से होगा अगरचे मुस्तस्ना माले अव्वल की जिन्स हो, मसलन यह कहा, कि मेरे ज़िम्मे ज़ैद के सौ रूपये हैं और अम्र की एक अशर्फ़ी है मगर एक रूपया, तो अम्र की अशर्फ़ी में से एक रूपया का इस्तिस्ना क़रार पायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– यह कहा, कि फुलां शख़्स के मेरे ज़िम्मे हज़ार रूपये हैं और सौ अशर्फ़ियाँ, मगर एक सौ रूपये और दस अशर्फ़ियाँ; तो नौ सौ रूपये और नव्वे रूपये लाज़िम हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– इस्तिस्ना के बाद इस्तिस्ना हो, इस्तिस्ना अव्वल नफ़ी है इस्तिस्ना दोम इस्बात, मसलन यह कहा कि फुलां के मेरे ज़िम्मे दस रूपये हैं मगर नौ, मगर आठ, तो नौ रूपये लाज़िम होंगे और अगर कहा, कि दस रूपये हैं मगर तीन, मगर एक, तो आठ लाज़िम होंगे और अगर कहा, कि दस हैं मगर सात मगर पाँच, मगर तीन, मगर एक तो आख़िर वाले को उसके पहले अ़दद से निकालो, फिर माबक़ी को उसके पहले वाले से व अ़ला हाज़ल क़ियास, यानी तीन में से एक निकाला, दो रहे, फिर दो को पाँच से निकालो, तीन रहे, फिर तीन को सात से निकालो चार रहे, और चार को दस से निकालो छः बाक़ी रहे, लिहाज़ा छः का इक़रार हुआ। इसकी दूसरी सूरत यह

है, कि पहला अदद दाहिनी तरफ़ रखो दूसरा बाईं तरफ़, फिर तीसरा दाहिनी तरफ़ और चौथा बाईं तरफ़ व अला हाजल कियास और दोनों तरफ़ के अदद को जमा करलो, बाईं तरफ़ के मजमूआ को दाहिनी तरफ़ के मजमूआ से ख़ारिज करो, जो कुछ बाक़ी रहा, उसका इक़रार है मस्लन सूरते मजकूरा में यूं करें। 7 – 10

3 – 5

– 1 (आलमगीरी)

10 – 16

मसअ्ला.10:– दो इस्तिसना जमा हों और इस्तिसना दोम मुस्तग़रक़ हो, तो पहला सही है और दूसरा बातिल, मस्लन यह कहा कि उसके मुझ पर दस रूपये हैं मगर पाँच, मगर दस, तो पाँच देना लाज़िम हैं और अगर पहला मुस्तग़रक़ है दूसरा नहीं, मस्लन मेरे ज़िम्मे दस हैं मगर दस, मगर पाँच तो दोनों सही हैं यानी पाँच को दस से निकाला, पाँच बचे, फिर पांच को दस से निकाला पाँच रहे, बस पाँच का इक़रार हुआ। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– इक़रार के साथ इन्शाअल्लाह कह देने से इक़रार बातिल होजायेगा यूंही किसी के चाहने पर इक़रार को मुअ़ल्लक़ किया, मेरे ज़िम्मे यह है अगर फ़ुलां चाहे, अगरचे यह शख़्स कहता हो कि मैं चाहता हूँ मुझे मन्जूर है। यूंही किसी ऐसी शर्त पर मुअ़ल्लक़ किया, जिसके होने या न होने दोनों बातों का एहतिमाल हो इक़रार को बातिल कर देता है यानी अगर वह शर्त पाई जाये, जब भी इक़रार लाज़िम न होगा। अगर ऐसी शर्त पर मुअल्लक़ किया, जो ला'मुहाला (यकीनन) होगी ही, अगर मैं मर जाऊं, तो फ़ुलां का मेरे ज़िम्मे हज़ार रूपया है ऐसी शर्त से इक़रार बातिल नहीं होता, बल्कि तालीक़ (शर्त) ही बातिल है और इक़रार मुन्जिज़ है वह शर्त पाई जाये, या न पाई जाये, यानी अभी वह चीज़ लाज़िम है और अगर शर्त में मीआद का ज़िक्र हो, मस्लन जब फ़ुलां शख़्स के इतने रूपये लाज़िम होंगे, इस सूरत में भी फ़ौरन लाज़िम है और मीआद के मुताल्लिक़ मुक़िर'लहू को हल्फ़ दिया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार, बहर)

मसअ्ला.12:– फ़ुलां शख़्स के मेरे ज़िम्मे हज़ार रूपये हैं अगर वह क़सम खाये, या ब'शर्ते कि वह क़सम खाले, उसने क़सम खाली, मगर मुक़िर (इक़रार करने वाला) इन्कार करता है तो उस माल का मुतालबा नहीं होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– मुक़िर ने दावा किया कि मैंने इक़रार को मोअ़ल्लक़ बिशर्त किया था, यानी उसके साथ इन्शाअल्लाह कह दिया था लिहाज़ा मुझपर कुछ लाज़िम नहीं मेरा इक़रार बातिल है। अगर यह दावा इन्कार के बाद है। यानी मुक़िर लहू ने उस पर दावा किया, और उसका इक़रार करना बयान किया, उसने अपने इक़रार से इन्कार किया, मुद्दई ने गवाहों से इक़रार साबित किया, अब मुक़िर ने यह कहा, तो बिग़ैर गवाहों के मुक़िर की बात नहीं मानी जायेगी और अगर मुक़िर ने शुरू ही में यह कह दिया कि मैंने इक़रार किया था और उसके साथ इन्शाअल्लाह भी कह दिया था तो इसके क़ौल की तस्दीक़ की जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मोहतार)

मसअ्ला.14:– फ़ुलां शख़्स के मेरे ज़िम्मे हज़ार रूपये हैं मगर यह कि मुझे इसके सिवा कुछ दूसरी बात ज़ाहिर हों, या समझ में आये यह इक़रार बातिल है। (शरंबुलाली)

मसअ्ला.15:– पूरे मकान का इक़रार किया, उसमें एक कमरे का इस्तिसना किया, यह इस्तिसना सही है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– यह अँगूठी फ़ुलां की है मगर इसमें का नगीना मेरा है, यह बाग़ फ़ुलां का है मगर यह दरख़्त इसमें मेरा है, यह लौंडी फ़ुलां की है मगर इसके गले का यह तौक़ मेरा है, इन सब सूरतों में इस्तिसना सही नहीं। मक़सद यह है कि तवाबेअ् शय (ऐसी चीज़ जो उसी का जुज़ हो जैसे बाग़ कहा गया तो बाग़ में सभी दरख़्त शामिल हैं (मुहम्मद अमीनुल क़ादरी)) का इस्तिसना सही नहीं होता। (दुरर, ग़ुरर)

मसअला.17:– मैंने फुलां से एक गुलाम खरीदा जिसपर अभी कब्जा नहीं किया है उसका समन (कीमत) एक हजार मेरे जिम्मे है अगर मोअय्यन गुलाम को जिक्र किया है तो मुकिर'लहू से कहा जायेगा वह गुलाम देदो, और हजर रूपये लेलो वरना कुछ नहीं मिलेगा दूसरी सूरत यहाँ यह है, कि मुकिर'लहू यह कहता है वह गुलाम तुम्हारा ही गुलाम है। इसे मैंने कब बेचा है मैंने तो दूसरा गुलाम बेचा था जिस पर कब्जा भी दे दिया, इस सूरत में हजार रूपये, जिनका इकरार किया है। देने लाजिम हैं कि जिस चीज के मुआवजे में इसने देना बताया था जब उसे मिलगई, तो रूपये देने ही हैं। सबब के इख्तिलाफ की तरफ तवज्जोह नहीं होगी तीसरी सूरत यह है कि मुकिर'लहू कहता है यह गुलाम मेरा गुलाम है इसे मैंने तेरे हाथ बेचा ही नहीं, इसका हुक्म यह है कि मुकिर का कुछ लाजिम नहीं क्योंकि जिसके मुकाबिल में इकरार किया था वह चीज ही नहीं मिली, और अगर मुकिर'लहू अपने इस जवाबे मज़कूर के साथ इतना और इजाफा करदे कि मैंने तुम्हारे हाथ दूसरा गुलाम बेचा था इसका हुक्म यह है कि मुकिर व मुकिर'लहू दोनों पर हल्फ है क्योंकि दोनों मुददई हैं और दोनों मुन्किर हैं अगर दोनों कसम खाजायें, माल बातिल होजायेगा यानी न इसको देना होगा, और न उसको। यह तमाम सूरतें मोअय्यन गुलाम की हैं। अगर मुकिर ने मोअय्यन नहीं किया, बल्कि यह कहता है कि मैंने तुमसे एक गुलाम खरीदा था मुकिर पर हजार रूपये देना लाज़िम है और उसका यह कहना कि मैंने उसपर कब्जा नहीं किया है काबिले तस्दीक नहीं चाहे इस जुमले को कलामे साबिक से मुत्तसिल (पहली बात से मिलाकर) बोला हो या बीच में फासिला होगया हो दोनों का एक हुक्म है। (हिदाया)

मसअ्ला.18:– यह चीज़ मुझे ज़ैद ने दी है और यह अम्र की है अगर ज़ैद ने भी यह इकरार किया, कि वह अम्र की है और अम्र की इजाज़त से मैंने दी है और अम्र भी जैद की तस्दीक करता है तो उसे इख़्तियार है कि वह चीज़ ज़ैद को वापस दे, या अम्र को जिसको चाहे दे सकता है और अगर अम्र कहता है मैंने ज़ैद को चीज़ देने की इजाज़त नहीं दी थी तो जैद को वापस न दे, और यह मुकिर ज़ैद को तावान भी नहीं देगा और अगर ज़ैद, अम्र दोनों उस चीज़ को अपनी मिल्क बताते हों तो मुकिर यह चीज़ ज़ैद को दे कि ज़ैद ही ने उसे दी है और ज़ैद को दे देने से यह शख्स बरी हो गया, ज़ैद मालिक हो, या न हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– फुलां शख़्स के मेरे ज़िम्मे हज़ार रूपये हैं वह शराब या ख़िन्ज़ीर की कीमत के हैं, या मुर्दार, या ख़ून की बैअ् के दाम हैं, या जुए में मुझ पर यह लाजिम हुए, इन सब सूरतों में, जबकि मुकिर ने ऐसी चीज़ ज़िक्र करदी, जिसकी वजह से मुतालबा हो ही नहीं सकता मसलन शराब व ख़िन्ज़ीर के समन का मुतालबा कि यह बातिल है। लिहाज़ा इस चीज के ज़िक्र करने के, माना यह हैं कि मुकिर अपने इकरार से रूजुअ् करता है कहने को तो हज़ार रूपये कह दिया, और फ़ौरन उसको दफ़ा करने की तर्कीब यह निकाली, कि ऐसी चीज़ ज़िक्र करदी, जिसकी वजह से देना ही न पड़े और इकरार के बाद रुजूअ् नहीं कर सकता लिहाज़ा इन सूरतों में हज़ार रूपये मुकिर पर लाज़िम हैं हाँ अगर मुकिर ने गवाहों से साबित किया कि जिन रूपयों का इकरार किया है वह उसी किस्म के हैं जिसको मुकिर ने बयान किया है या खुद मुकिर'लहू ने मुकिर की तस्दीक की, तो मुकिर पर कुछ लाज़िम नहीं। (हिदाया, दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.20:– मेरे ज़िम्मे फुलां शख़्स के हज़ार रूपये हराम के हैं या सूद के हैं इस सूरत में भी रूपये लाज़िम हैं और अगर यह कहा कि हज़ार रूपये ज़ोर (ज़बरदस्ती) या बातिल के हैं और मुकिर'लहू तकज़ीब करता है तो लाज़िम, और तस्दीक करता है तो लाज़िम नहीं। (बहरुर्राइक)

मसअ्ला.21:– यह इकरार किया कि मैंने सामान ख़रीदा था उसके समन के रूपये मुझ पर हैं, या मैंने फुलां से कर्ज़ लिया था उसके रूपये मेरे जिम्मे हैं उसके बाद यह कहता है वह खोटे रूपये हैं, या जस्ते के सिक्के हैं, या उन पैसों का चलन अब बन्द है इन सब सूरतों में अच्छे रूपये देने होंगे। उसने यह कलाम पहले जुमले के साथ वस्ल किया हो (मिलाया हो) या फ़स्ल (जुदा किया हो) किया हो

क्योंकि यह रुजूअ् है और अगर यूँ कहा, कि फुलां शख़्स के मेरे ज़िम्मे इतने रूपये खोटे हैं, और वुजूब का सबब न बताया हो तो जिस तरह के कहता है वैसे ही वाजिब हैं, और अगर यह इक़रार किया कि उसके मेरे ज़िम्मे हज़ार रूपये ग़सब या अमानत के हैं फिर कहता है वह खोटे हैं। मुक़िर की तस्दीक़ की जायेगी। इस जुमले को वस्ल (मिलाकर) के साथ कहे, या फ़स्ल (अलग करके) के साथ। क्योंकि ग़सब करने वाला खरे खोटे का इम्तियाज़ नहीं करता और अमानत रखने वाले के पास जैसी चीज़ होती है, रखता है। ग़सब या वदीअ़त के इक़रार में अगर यह कहता है कि जस्त के वह रूपये हैं और वस्ल के साथ कहा, तो मक़बूल है और फ़स्ल करके कहा, तो मक़बूल नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– बैअ् तलजिया का इक़रार किया यानी मैंने ज़ाहिर तौर पर बैअ् की थी हक़ीक़त में बैअ् मक़सूद न थी। अगर मुक़िर'लहू ने इसकी तकज़ीब की तो बैअ् लाज़िम होगी वरना नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.23:– यह इक़रार किया कि फुलां के मेरे ज़िम्मे हज़ार रूपये हैं। फिर कहता है, यह इक़रार मैंने तलजिया के तौर पर किया। मुक़िर'लहू कहता है वाक़ई में तुम्हारे ज़िम्मे हजार हैं अगर मुक़िर'लहू ने इससे पहले तलजिया का इक़रार न किया तो मुक़िर को माल देना ही होगा, और अगर मुक़िर'लहू तलजिया की तस्दीक़ कर लेगा तो कुछ लाज़िम न होगा। (आलमगीरी)

निकाह़ व त़लाक़ का इक़रार

मसअ्ला.1:– मर्द ने इक़रार किया कि मैंने फुलानी औ़रत से हज़ार रूपये में निकाह़ किया फिर मर्द ने निकाह़ से इन्कार कर दिया, और औ़रत ने भी उसकी तस्दीक़ की थी तो निकाह़ जाइज़ है। औ़रत को महर भी मिलेगा, और मीरास् भी हाँ अगर महरे मुक़र्रर महरे मिस्ल से ज़ाइद हो और निकाह़ का इक़रार मर्ज़ में हुआ हो तो यह ज़्यादती बात़िल है और अगर औ़रत ने इक़रार किया। कि मैंने फुलां से इतने महर पर निकाह़ किया फिर औ़रत ने इन्कार कर दिया अगर शौहर ने औ़रत की ज़िन्दगी में तस्दीक़ की निकाह़ साबित होजायेगा और मरने के बाद तस्दीक़ की तो न निकाह़ स़ाबित होगा न शौहर को मीरास्• मिलेगी। (आलमगीरी)

नोटः– इस मसअ्ले में हज़ार रूपये का जो ज़िक्र है उसको दस दिरहम पढ़लें क्योंकि आज के दौर में कम से कम महर भी एक हज़ार रूपये नहीं है कम से कम महर आज के दौर में जितनी क़ीमत दस दिरहम की होगी उतने ही रूपये होंगे यहाँ इस मसअ्ले में महर के साथ निकाह़ होना बताया गया है और यह भी बयान किया है कि महर का इक़रार मर्द ने किया है तो वह औ़रत को मिलेगा और मीरास् भी मिलेगी एक हज़ार का ज़िक्र बहरे शरीअ़त उर्दू में है उस वक़्त दस दिरहम की क़ीमत एक हज़ार से कम ही थी।(मुहम्मद अमीनुल क़ादरी)

मसअ्ला.2:– औ़रत ने मर्द से कहा, मुझे त़लाक़ देदे या इतने पर खुला़ करले (खुला़ का मतलब यह है कि पैसा देकर शौहर से त़लाक़ ले लेना (अमीनुल क़ादरी))। या कहा, मुझे इतने रूपये के एवज कुल त़लाक़ देदी या मुझसे कुल खुला़ कर लिया, या तूने मुझ से ज़िहार किया, या ईला किया इन सब सूरतों में निकाह़ का इक़रार है। यूँही मर्द ने औ़रत से कहा, मैंने तुझसे ज़िहार किया है या ईला किया है या मर्द की जानिब से इक़रारे निकाह़ है और अगर औ़रत से ज़िहार के अलफ़ाज़ कहे कि तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की मिस्ल है यह इक़रार नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– औ़रत ने मर्द से कहा, मुझे त़लाक़ देदे मर्द ने कहा, तू अपने नफ़्स को इख़्तियार कर, या तेरा अम्र (मुआ़मला) तेरे हाथ में है यह इक़रारे निकाह़ है और अगर मर्द ने इब्तिदाअ्न यह कलाम कहा, औ़रत के जवाब में नहीं कहा, तो इसकी दो सूरते हैं अगर यह कहा, तेरा अम्र त़लाक़ के बारे में तेरे हाथ में है यह इक़रार है और अगर त़लाक़ का ज़िक्र नहीं किया तो इक़रारे निकाह़ नहीं(आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– मर्द ने कहा, तुझे त़लाक़ है यह इक़रारे निकाह़ है और अगर कहा तू मुझ पर ह़राम है या बाइन है तो इक़रारे निकाह़ नहीं। मगर जब कि औ़रत ने त़लाक़ का सुवाल किया हो और उसने उसके जवाब में कहा हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– शौहर ने इक़रार किया कि मैंने तीन महीने हुए उसे तलाक़ देदी है और निकाह को अभी एक ही महीना हुआ है तो तलाक़ वाक़ेअ् नहीं हुई और निकाह को चार महीने होगये हैं तो तलाक़ होगई। फिर इस सूरत में अगर औरत शौहर की तस्दीक करती हो तो इद्दत उस वक़्त से होगी जब से शौहर तलाक़ देना बताता है और तकज़ीब करती हो तो वक़्ते इक़रार से इद्दत होगी(आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– शौहर ने बादे दुख़ूल यह इक़रार किया कि मैंने दुख़ूल से पहले तलाक़ देदी थी यह तलाक़ वाक़ेअ् होगी और चूंकि क़ब्ले दुख़ूल तलाक़ का इक़रार किया है निस्फ़ महर लाज़िम होगा। और चूंकि बाद तलाक़ वती की है इससे महरे मिस्ल लाज़िम होगा। मर्द ने इक़रार किया कि मैंने इस औरत को तीन तलाक़ें देदी थीं और उससे क़ब्ल कि औरत दूसरे से निकाह करे फिर इसने उससे निकाह करलिया और औरत कहती है कि मुझे तलाक़ नहीं दी थी, या मैंने दूसरे से निकाह कर लिया था और उसने वती भी की थी इन दोनों में तफ़रीक़ करदी जायेगी फिर अगर दूख़ुल नहीं किया है तो निस्फ़ महर लाज़िम होगा और दुख़ूल करलिया तो पूरा महर और नफ़क़ए इद्दत भी लाज़िम है।

ख़रीद व फ़रोख़्त के मुताल्लिक़ इक़रार

मसअ्ला.1:– एक ने दूसरे से कहा, यह चीज़ मैंने कल तुम्हारे हाथ बैअ् की थी तुमने क़बूल नहीं की उसने कहा, मैंने क़बूल करली थी तो क़ौल उसी मुश्तरी का मोअ्तबर है और अगर मुश्तरी ने कहा, मैंने यह चीज़ तुमसे ख़रीदी थी तुमने क़बूल न की बाइअ् ने कहा, मैंने क़बूल की थी तो क़ौल बाइअ् का मोअ्तबर है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– यह इक़रार किया कि मैंने यह चीज़ फ़ुलां के हाथ बेची और स्मन वसूल पा लिया। यह इक़रार सही है अगरचे स्मन की मिक़दार न बयान की हो और अगर स्मन की मिक़दार बताता है और कहता है स्मन नहीं वसूल किया और मुश्तरी कहता है स्मन ले चुके हो तो क़सम के साथ बाइअ् का क़ौल मोअ्तबर होगा और गवाह मुश्तरी के मोअ्तबर होंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– यह इक़रार किया कि मैंने फ़ुलां शख़्स के हाथ मकान बेचा है मगर उस मकान को मुतअय्यन नहीं किया फिर इन्कार कर दिया वह इक़रार बातिल है और अगर मकान को मुतअय्यन कर दिया मगर स्मन का ज़िक्र नहीं किया यह इक़रार भी इन्कार करने से बातिल होजायेगा और अगर मकान के हुदूद बयान करदिये और स्मन भी ज़िक्र कर दिया तो बाइअ् पर यह बैअ् लाज़िम है अगरचे इन्कार करता हो, अगरचे गवाहाने इक़रार को मकान के हुदूद मालूम न हों हाँ यह ज़रूर है कि गवाहों से साबित हो कि वह मकान जिसके हुदूद बाइअ् ने बताये फ़ुलां मकान है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– यह कहा कि मेरे ज़िम्मे फ़ुलां के हज़ार रूपये फ़ुलां चीज़ के स्मन के हैं उसने कहा, स्मन तो किसी चीज़ का उसके जिम्मे नहीं है। अलबत्ता क़र्ज़ है। मुक़िर'लहू हज़ार ले सकता है और अगर इतना कहकर कि स्मन तो बिल्कुल नहीं चाहिए ख़ामोश होगया फिर कहने लगा उसके जिम्मे मेरे हज़ार रूपये क़र्ज़ हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– यह इक़रार किया कि मैंने यह चीज़ फ़ुलां के हाथ बैअ् की और स्मन का ज़िक्र नहीं किया। मुश्तरी कहता है कि मैंने वह चीज़ पाँचसौ में ख़रीदी है बाइअ् किसी शय के बदले में बेचने से इन्कार करता है तो बाइअ् मुश्तरी के दावे पर हल्फ़ दिया जायेगा महज़ इक़रारे अव्वल की वजह से बैअ् लाज़िम नहीं होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– यह इक़रार किया कि यह चीज़ मैंने फ़ुलां के हाथ एक हज़ार में बेची है उसने कहा, मैंने तो किसी दाम में भी नहीं ख़रीदी है फिर कहा हाँ हज़ार रूपये में ख़रीदी है अब बाइअ् कहता है मैंने तुम्हारे हाथ बेची ही नहीं इस सूरत में मुद्दई का क़ौल मोअ्तबर है उन दामों में चीज़ ले सकता है और अगर जिस वक़्त मुश्तरी ने ख़रीदने से इन्कार किया था बाइअ् कह देता कि सच कहते हो तुमने नहीं ख़रीदी उसके बाद मुश्तरी कहे कि मैंने ख़रीदी है तो न बैअ् लाज़िम होगी, न मुश्तरी के गवाह मक़बूल होंगे। हाँ अगर बाइअ् मुश्तरी के ख़रीदने की तस्दीक़ करे तो यह तस्दीक़ ब'मन्ज़िला बैअ् मानी जायेगी।

मसअ्ला.7:– यह कहा कि मैंने यह चीज़ फ़ुलां के हाथ बैअ् की ही नहीं बल्कि फ़ुलां के हाथ। यह इक़रार बातिल है अल'बत्ता अगर वह दोनों दावा करते हों तो उसको हर एक के मुक़ाबिल में हल्फ़ उठाना पड़ेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– वकील बिल'बैअ् ने बैअ् का इक़रार कर लिया यह इक़रार हक़्क़ मुवक्किल में भी सही है यानी मुवक्किल चीज़ देने से इन्कार नहीं कर सकता स्मन मौजूद हो या हलाक हो चुका हो दोनों का एक हुक्म है। मुवक्किल ने इक़रार किया कि वकील ने यह चीज़ फ़ुलां के हाथ इतने में बैअ् करदी और वह मुश्तरी भी तस्दीक़ करता है मगर वकील बैअ् से इन्कार करता है तो चीज़ इतने ही दाम में मुश्तरी की होगई। मगर इसकी ज़िम्मेदारी मुवक्किल पर है वकील से इस बैअ् को कोई ताल्लुक़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– एक शख़्स ने अपनी चीज़ दूसरे शख़्स को बेचने के लिये दी मुवक्किल मरगया। वकील कहता है मैंने वह चीज़ हज़ार रूपये में बेच डाली और स्मन पर क़ब्ज़ा भी कर लिया अगर वह चीज़ मौजूद है वकील की बात मोअ्तबर नहीं और हलाक होचुकी है तो मोअ्तबर है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– एक मोअय्यन चीज़ के ख़रीदने का वकील है वकील इक़रार करता है कि मैंने वह चीज़ सौ रूपये में ख़रीदली बाइअ् भी यही कहता है मगर मुवक्किल इन्कार करता है इस सूरत में वकील की बात मोअ्तबर है और अगर ग़ैर मोअय्यन चीज़ के ख़रीदने का वकील था और इसकी जिन्स व सिफ़त व स्मन की तअ्ईन करदी थी वकील कहता है मैंने यह चीज़ मुवक्किल के हुक्म के मुवाफ़िक़ ख़रीदी है और मुवक्किल इन्कार करता है अगर मुवक्किल ने स्मन देदिया था तो वकील की बात मोअ्तबर है और नहीं दिया था तो मुवक्किल की। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– दो शख़्स बाइअ् हैं इनमें एक ने ऐब का इक़रार कर लिया दूसरा मुन्किर है तो जिसने इक़रार किया है उस पर वापसी हो सकती है दूसरे पर नहीं हो सकती और अगर बाइअ् एक है। मगर इसमें और दूसरे शख़्स के माबैन शिरकते मुफ़ावज़ा है बाइअ् ने ऐब से इन्कार किया और शरीक इक़रार करता है तो चीज़ वापस होजायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– मुस्लम इलैह ने कहा, तुमने दस रूपये से दो मन गेहूँ में सलम किया था मगर मैंने वह रूपये नहीं लिये थे। रब्बुस्सलम कहता है रूपये लेलिये थे अगर फ़ौरन कहा, इसकी बात मानली जायेगी और कुछ देर के बाद कहा, मुसल्लम नहीं। यूंही अगर एक शख़्स ने कहा, तुमने मुझे हज़ार रूपये क़र्ज़ देने कहे थे मगर दिये नहीं वह कहता है, दे दिये थे अगर यह बात फ़ौरन कही, मुसल्लम है और फ़ासिला के बाद कही, मोअ्तबर नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– मुज़ारिब ने माले मुज़ारबत में दैन का इक़रार किया अगर माले मुज़ारबत मुज़ारिब के हाथ में है मुज़ारिब का इक़रार रब्बुल'माल पर लाज़िम होगा और मुजारिब के हाथ में नहीं है तो रब्बुल'माल पर इक़रार लाज़िम नहीं होगा। मज़दूर की उजरत, जानवर का किराया, दुकान का किराया, इन सब चीजों का मुज़ारिब ने इक़रार किया वह इक़रार रब्बुल'माल पर लाज़िम होगा जब कि माले मुज़ारबत अभी तक मुजारिब के पास हो और अगर माल दे दिया और कह दिया कि यह अपना रासुल'माल लो इसके बाद इस किस्म के इक़रार बेकार हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– मुजारिब ने एक हज़ार रूपये नफ़ा का इक़रार किया फिर कहता है मुझसे ग़लती हो गई पाँचसौ रूपये नफ़ा के हैं इसकी बात ना'मोअ्तबर है। जो कुछ पहले कहचुका है उसका ज़ामिन है(आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– मुज़ारिब ने बैअ् की है मबीअ् के ऐब का रब्बुल'माल ने इक़रार किया मुश्तरी मबीअ् को मुजा'रिब पर वापस नहीं कर सकता और बाइअ् ने इक़रार किया तो दोनों पर लाज़िम होगा(आलमगीरी)

वसी का इक़रार

मसअ्ला.16:– वसी ने यह इक़रार किया कि मय्यित का जो कुछ फ़ुलां के ज़िम्मे था मैंने सब वसूल कर लिया और यह नहीं बताया कि कितना था फिर यह कहा, कि मैंने सौ रूपये उससे

वसूल किये हैं मदयून कहता है कि मेरे ज़िम्मे मय्यित के हज़ार रूपये थे और वसी ने सब वसूल कर लिये अगर मय्यित ने मदयून से दैन का मुआमला किया था फिर वसी और मदयून ने इस तरह इक़रार किया तो मदयून बरी होगया यानी वसी अब उससे कुछ नहीं वसूल कर सकता और वसी का कौल क़सम के साथ मोअ्तबर है यानी वसी से भी वुरसा नौ सौ का मुतालबा नहीं कर सकते और अगर वुरसा ने मदयून के मुक़ाबिल में गवाहों से उसका मदयून होना साबित किया, जब भी वसी के इक़रार की वजह से मदयून बरी होगया मगर वसी पर नौ सौ रूपये तावान के वाजिब हैं जो वुरसा उससे वसूल करेंगे। और अगर मदयून ने पहले ही दैन का इक़रार किया है और यह कि वह हज़ार रूपये है इसके बाद वसी ने इक़रार किया कि जो कुछ उसके ज़िम्मे था मैंने सब वसूल कर लिया, फिर बाद में यह कहा, कि मैंने उससे सौ रूपये वसूल किये हैं तो मदयून बरी होगया मगर वसी नौ सौ अपने पास से वुरसा को दे, यह तमाम बातें उस सूरत में हैं कि एक सौ वसूल करने का इक़रार वसी ने फ़स्ल के साथ किया, और अगर यह इक़रार मौसूल हो यानी यूँ कहा, कि जो कुछ मय्यित का उसके ज़िम्मे था मैंने सब वसूल करलिया और वह सौ रूपये थे और मदयून कहता है कि सौ नहीं, बल्कि हज़ार थे और तुमने सब लेलिये तो वसी के इस बयान की तस्दीक़ की जायेगी और मदयून से नौ सौ का मुतालबा होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.17:— वसी ने वुरसा का माल बैअ् किया, और गवाहों से साबित किया कि पूरा समन मैंने वसूल किया और समन सौ रूपये था मुश्तरी कहता है डेढ़ सौ समन था। वसी का क़ौल मोअ्तबर होगा। मगर मुश्तरी से भी पचास का मुतालबा न होगा और अगर वसी ने इक़रार किया कि मैंने सौ रूपये वसूल किये और यही पूरा समन था। मुश्तरी कहता है डेढ़ सौ समन था तो मुश्तरी पचास रूपये और दे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:— वसी ने इक़रार किया कि जो कुछ मय्यित का फ़ुलां के ज़िम्मे था मैंने सब वसूल कर लिया और कुल सौ रूपये था मगर गवाहों से साबित हुआ कि उसके ज़िम्मे दो सौ थे तो मदयून से सौ रूपये वसूल किये जायेंगे। वसी अपने इक़रार से उनको बातिल नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.19:— वसी ने इक़रार किया कि लोगों के ज़िम्मे मय्यित के जो कुछ दुयून थे मैंने सब वसूल कर लिये इसके बाद एक शख़्स आता है, और कहता है मैं भी मय्यित का मदयून हूँ, और मुझसे भी वसी ने दैन वसूल किया। वसी कहता है न मैंने तुमसे कुछ लिया है, और न मुझे यह मालूम है कि मय्यित का दैन तुम्हारे ज़िम्मे भी है तो वसी का क़ौल मोअ्तबर है और उस मदयून ने चूंकि दैन का इक़रार किया है उससे दैन वसूल किया जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.20:— वसी ने इक़रार किया कि फ़ुलां शख़्स पर मय्यित का जो कुछ दैन था मैंने सब वसूल कर लिया मदयून कहता है कि मुझ पर हज़ार रूपये थे। वसी कहता है हाँ हजार थे मगर पाँचसौ रूपये तुमने मय्यित को उसकी ज़िन्दगी में ख़ुद उसे देदिये थे और पाँचसौ मुझे दिये थे। मदयून कहता है मैंने हज़ार तुम्हें देदिये हैं वसी पर हज़ार रूपये लाज़िम हैं मगर वुरसा उसको हलफ़ देंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.21:— वसी ने इक़रार किया कि मय्यित के मकान में जो कुछ नक़द व असासा था मैंने सब पर क़ब्ज़ा करलिया इसके बाद फिर कहता है कि मकान में सौ रूपये थे और पाँच कपड़े थे। वुरसा ने गवाहों से साबित किया कि जिस दिन मरा था मकान में हज़ार रूपये और सौ कपड़े थे। वसी इतने ही का ज़िम्मेदार है जितने पर उसने क़ब्ज़ा किया जब तक गवाहों से यह साबित न हो कि उससे ज़ाइद पर क़ब्ज़ा किया था। (आलमगीरी)

वदीअ़त व ग़सब वग़ैरा का इक़रार

मसअ्ला.1:— यह इक़रार किया कि मैंने उसका एक कपड़ा ग़सब किया, या उसने मेरे पास कपड़ा अमानत रखा और एक ऐबदार कपड़ा लाकर कहता है यह वही है। मालिक कहता है, यह वह नहीं है मगर उसके पास गवाह नहीं तो क़सम के साथ ग़ासिब या अमीन का ही क़ौल मोअ्तबर है (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– यह कहा कि मैंने तुमसे हज़ार रूपये अमानत के तौर पर लिये और वह हलाक हो गये मुक़िर'लहू ने कहा, नहीं बल्कि तुमने वह रूपये ग़सब किये हैं मुक़िर को तावान देना पड़ेगा और अगर यूँ इक़रार किया तुमने मुझे हज़ार रूपये अमानत के तौर पर दिये वह ज़ाइअ् होगये और मुक़िर'लहू कहता है नहीं बल्कि तुमने ग़सब किये तो मुक़िर पर तावान नहीं और अगर यूं इक़रार किया कि मैंने तुमसे हज़ार रूपये अमानत के तौर पर लिये उसने कहा नहीं बल्कि क़र्ज़ लिये हैं। यहाँ मुक़िर का क़ौल मोअ्तबर होगा। यह कहा, कि यह हज़ार रूपये मेरे फ़ुलां के पास अमानत रखे थे मैं लेआया वह कहता है, नहीं बल्कि वह मेरे रूपये थे जिसको वह लेगया तो इसी की बात मोअ्तबर होगी जिसके यहाँ से इस वक़्त रूपये लाया है क्योंकि पहला शख़्स इस्तेहक़ाक़ का मुद्दई है (अपना हक़ साबित करने का दावेदार है) और यह मुन्किर है लिहाज़ा रूपये मौजूद हों तो वह वापस करे वरना उनकी क़ीमत अदा करे। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– मैंने अपना यह घोड़ा फ़ुलां को किराये पर दिया था उसने सवारी लेकर वापस कर दिया, या यह कपड़ा मैंने उसे आ़रियत, या किराये पर दिया था उसने पहनकर वापस देदिया, या मैंने अपना मकान उसे सुकूनत के लिये दिया था उसने कुछ दिनों रहकर वापस कर दिया वह शख़्स कहता है, नहीं बल्कि यह चीज़ें ख़ुद मेरी हैं इन सब सूरतों में मुक़िर का क़ौल मोअ्तबर है यूंही यह कहता है कि फ़ुलां से मैंने अपना यह कपड़ा इतनी उजरत पर सिलवाया और उसपर मैंने क़ब्ज़ा कर लिया वह कहता है यह कपड़ा मेरा ही है यहाँ भी मुक़िर ही का क़ौल मोअ्तबर है(हिदाया)

मसअ्ला.4:– दर्ज़ी के पास कपड़ा है कहता है यह कपड़ा फ़ुलां का है और मुझे फ़ुलां शख़्स (दूसरे का नाम लेकर कहता है) कि उसने दिया है और वह दोनों इस कपड़े के मुद्दई हैं तो जिसका नाम दर्ज़ी ने पहले लिया उसी को दिया जायेगा यही हुक्म धोबी और सुनार का है और यह सब दूसरे को तावान भी नहीं देंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– यह हज़ार रूपयें मेरे पास ज़ैद की अमानत हैं नहीं बल्कि अ़म्र की तो यह हज़ार जो मौजूद हैं यह तो ज़ैद को दे, और इतने ही अपने पास से अ़म्र को दे कि जब ज़ैद के लिये इक़रार कर चुका है तो उससे रुजूअ् नहीं कर सकता। (दुरर, गुरर) यह उस वक़्त है कि ज़ैद भी अपने रूपये उसके पास बताता हो।

मसअ्ला.6:– यह कहा, कि हज़ार रूपये ज़ैद के हैं नहीं बल्कि अ़म्र के हैं इसमें अमानत का लफ़्ज़ नहीं कहा तो वह रूपये ज़ैद को दे अ़म्र का उसपर कुछ वाजिब नहीं यह उस सूरत में है कि मुअ़य्यन का इक़रार हो और अगर ग़ैर मुअ़य्यन शय का इक़रार हो मसलन यह कहा कि मैंने फ़ुलां के सौ रूपये ग़सब किये नहीं बल्कि फ़ुलां के, इस सूरत में दोनों को देना होगा कि दोनों के हक़ में इक़रार सही है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– एक ने दूसरे से कहा, मैंने तुमसे एक हज़ार बतौर अमानत लिये थे और एक हजार ग़सब किये थे अमानत के रूपये ज़ाइअ् होगये और ग़सब वाले यह मौजूद हैं लेलो तो मुक़िर यह कहता है कि यह अमानत वाले रूपये हैं और ग़सब वाले हलाक होगये इसमें मुक़िर'लहू का क़ौल मोअ्तबर होगा यानी यह हज़ार भी लेगा और एक हज़ार तावान लेगा। यूंही अगर मुक़िर'हू यह कहता है कि नहीं, बल्कि तुमने दो हज़ार ग़सब किये थे तो मुक़िर से दोनों हज़ार वसूल करेगा। और अगर मुक़िर के यह अल्फ़ाज़ थे कि तुमने एक हज़ार मुझे बतौर अमानत दिये थे और एक हज़ार मैंने तुमसे ग़सब किये थे अमानत वाले ज़ाइअ् होगये, और ग़सब वाले यह मौजूद हैं और मुक़िर'लहू, यह कहता है कि ग़सब वाले ज़ाइअ् हुए तो इस सूरत में मुक़िर का क़ौल मोअ्तबर होगा यानी यह हज़ार मौजूद हैं ले ले, और तावान कुछ नहीं। (ख़ानिया)

मसअ्ला.8:– एक शख़्स ने कहा, मैंने तुमसे हज़ार रूपये बतौर अमानत लिये थे वह हलाक हो गये। दूसरे ने कहा, बल्कि तुमने ग़सब किये थे। मुक़िर पर तावान वाजिब है कि लेने का इक़रार

सबबे ज़िमान का इकरार है मगर उसके साथ अमानत का दावा है और मुकिर'लहू उससे मुन्किर है। लिहाज़ा इसी का कौल मोअतबर. और अगर यह कहा, कि तुमने मुझे हज़ार रूपये अमानत के तौर पर दिये वह हलाक होगये। दूसरा यह कहता है कि तुमने गसब किये थे तो तावान नहीं कि इस सूरत में उसने सबबे ज़िमान का इकरार ही नहीं किया बल्कि देने का इकरार है और देना मुकिर' लहू का फेअ्ल है। (हिदाया)

मसअ्ला.9:– यह कहा कि यह फुलां शख़्स पर मेरे हज़ार रूपये थे मैंने वसूल पाये उसने कहा, तुमने यह हज़ार रूपये मुझसे लिये हैं और तुम्हारा मेरे ज़िम्मे कुछ नहीं था तुम वह रूपये वापस करो। अगर यह करार खाजाये कि उसके ज़िम्मे कुछ न था तो उसे वापस करने होंगे। यूंही अगर उसने यह इकरार किया था कि मेरी अमानत उसके पास थी मैंने लेली, या मैंने हिबा किया था, वापस लेलिया। दूसरा कहता है कि न अमानत थी, न हिबा था, वह मेरा माल था जो तुमने लेलिया वापस करना होगा। (मब्सूत)

मसअ्ला.10:– इकरार किया कि यह हज़ार रूपये मेरे पास तुम्हारी वदीअत (अमानत) हैं। मुकिर'लहू ने जवाब में कहा, कि वदीअत नहीं हैं बल्कि कर्ज़ हैं, या मबीअ् के समन हैं। मुकिर ने कहा कि न वदीअत है, न दैन। अब मुकिर'लहू यह चाहता है कि दैन में उन रूपयों को वसूल करले नहीं कर सकता क्योंकि वदीअत का इकरार उसके रद्द करने से रद्द होगा और दैन का इकरार था ही नहीं लिहाज़ा मुआमला ख़त्म और अगर सूरत यह है कि मुकिर ने वदीअत का इकरार किया और मुकिर'लहू ने कहा कि वदीअत नहीं बल्कि बि'ऐनेही यही रूपये मैंने तुम्हें कर्ज़ दिये हैं और मुकिर ने कर्ज़ से इन्कार कर दिया तो मुकिर'लहू बि'ऐनेही यही रूपये ले सकता है और अगर मुकिर ने भी कर्ज़ की तस्दीक करदी तो मुकिर'लहू बि'ऐनेही रूपये नहीं ले सकता। (खानिया)

मसअ्ला.11:– अगर यह कहा कि ज़ैद के घर में मैंने सौ रूपये लिये थे फिर कहा, वह मेरे ही थे, या यह कहा, कि वह रूपये अम्र के थे। वह रूपये साहिबे खाना यानी जैद को वापस दे और अम्र को अपने पास से सौ रूपये दे। यूंही अगर यह कहा कि ज़ैद के सन्दूक या उसकी थैली में से मैंने सौ रूपये लिये फिर यह कहा, कि वह अम्र के थे। वह रूपये ज़ैद को दे और अम्र के लिये चूंकि इकरार किया उसे तावान दे। (खानिया)

मसअ्ला.12:– यह कहा, कि फुलां के घर में से मैंने सौ रूपये लिये फिर कहा, उस मकान में मैं रहता था वह मेरे किराये में था इसकी बात मोअ्तबर नहीं यानी तावान देना होगा हाँ अगर गवाहों से इसमें अपनी सुकूनत या किराये पर होना साबित करदे तो ज़िमान से बरी है। (खानिया)

मसअ्ला.13:– यह कहा, कि फुलां के घर में मैंने अपना कपड़ा रखा था फिर लेआया तो उसके ज़िम्मे तावान नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– यह कहा, कि फुलां शख़्स की ज़मीन खोदकर उसमें से हज़ार रूपये निकाल लाया। मालिक ज़मीन कहता है वह रूपये मेरे थे और यह कहता है मेरे हैं। मालिक ज़मीन का कौल मोअ्तबर है। मालिक ज़मीन ने गवाहों से साबित किया कि फुलां शख़्स ने उसकी ज़मीन खोदकर हज़ार रूपये निकाल लिये हैं वह कहता है मैंने ज़मीन खोदी ही नहीं या यह कहता है कि वह रूपये मेरे थे, वह रूपये मालिक ज़मीन के करार दिये जायेंगे। (आलमगीरी)

मुतफ़र्रिकात

मसअ्ला.1:– ज़ैद के अम्र के ज़िम्मे दस रूपये और दस अशर्फ़ियां हैं ज़ैद ने कहा, मैंने अम्र से रूपये वसूल पाये नहीं बल्कि अशर्फ़ियाँ वसूल हुई हैं। अम्र कहता है दोनों चीज़ें तुमने वसूल पाई तो दोनों की वसूली करार दी जायेंगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– एक शख़्स के दूसरे पर एक दस्तावेज़ की रू से दस रूपये हैं और दस रूपये दूसरी दस्तावेज़ की रू से हैं। दाइन ने कहा, मैंने मदयून से दस रूपये इस दस्तावेज़ वाले वसूल पाये नहीं

बल्कि उस दस्तावेज़ वाले वसूल पाये दस ही रूपये की वसूली क़रार पायेगी। इख़्तियार है कि जिस दस्तावेज़ वाले चाहे क़रार दे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– ज़ैद के अम्र के ज़िम्मे सौ रूपये हैं और बकर के ज़िम्मे सौ रूपये हैं और अम्र व बकर एक दूसरे का कफ़ील है। ज़ैद ने इक़रार किया मैंने अम्र से दस रूपये वसूल पाये, नहीं बल्कि बकर से तो अम्र व बकर दोनों से दस–दस रूपये वसूल करने का इक़रार क़रार पायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– एक शख़्स के दूसरे शख़्स पर हज़ार रूपये हैं दाइन ने कहा, तुमने उसमें से सौ रूपये अपने हाथ से दिये नहीं बल्कि ख़ादिम के हाथ भेजे तो यह सौ ही का इक़रार है और अगर उन रूपयों का कोई शख़्स कफ़ील है और दाइन ने यह कहा, कि तुमसे मैंने सौ रूपये वसूल पाये नहीं बल्कि तुम्हारे कफ़ील से तो हर एक से सौ–सौ रूपये लेने का इक़रार है और अगर दाइन इन दोनों पर हल्फ़ देना चाहे नहीं दे सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– दाइन ने मदयून से कहा, सौ रूपये तुमसे वसूल हो चुके, मदयून ने कहा और दस रूपये मैंने तुम्हारे पास भेजे थे और दस रूपये का कपड़ा तुम्हारे हाथ फ़रोख़्त किया है दाइन ने कहा, तुम सच कहते हो यह सब उन्हीं सौ में हैं। दाइन का क़ौल क़सम के साथ मोअ्तबर है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– एक शख़्स ने दूसरे से कोई चीज़ ख़रीदी बाइअ् ने कहा, मैंने मुश्तरी से समन ले लिया फिर बाइअ् ने कहा, मुश्तरी के मेरे ज़िम्मे रूपये थे उससे मैंने मुक़ास्सा (अदला बदला) कर लिया। बाइअ् की बात नहीं मानी जायेगी और अगर बाइअ् ने पहले यह कहा कि मुश्तरी के रूपये मेरे ज़िम्मे थे उससे मैंने मुक़ास्सा कर लिया और बाद में यह कहा, कि समन के रूपये मुश्तरी से ले लिये तो बाइअ् का क़ौल मोअ्तबर है यूंही अगर बाइअ् ने यह कहा कि समन के रूपये वसूल होगये या वह समन के रूपये से बरी होगया। फिर कहता है मैंने मुक़ास्सा कर लिया तो इसकी बात मान ली जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– मुक़िर'लहू एक शख़्स है और मुक़िर ने नफ़ी व इस्बात के तौर पर दो चीज़ों का इक़रार किया तो जो मिक़दार में ज़्यादा होगी और वस्फ़ में बेहतर होगी वह वाजिब होगी मसलन ज़ैद के मुझपर एक हज़ार रूपये हैं, नहीं बल्कि दो हज़ार या यूं कहा, उसके मुझपर एक हज़ार रूपये खरे हैं, नहीं बल्कि खोटे, या उसका अक्स यानी यूं कहा, उसके मुझपर दो हज़ार हैं, नहीं बल्कि एक हज़ार, या एक हज़ार खोटे हैं, नहीं बल्कि खरे इन सबका हुक्म यह है कि पहली सूरत में दो हज़ार वाजिब और दूसरी सूरत में खरे रूपये वाजिब और अगर जिन्स मुख़्तलिफ़ हों मसलन उसके मुझपर एक हज़ार रूपये हैं, नहीं बल्कि एक हज़ार अशर्फ़ी दोनों चीज़ें वाजिब एक हज़ार वह एक हज़ार यह। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.8:– यह कहा कि ज़ैद पर जो मेरा दैन है वह अम्र का है या यह कहा, कि ज़ैद के पास जो मेरी अमानत है वह अम्र की है, यह अम्र के लिये उस दैन व अमानत का इक़रार है मगर उस दैन या अमानत पर क़ब्ज़ा मुक़िर का हक़ है मगर इस लफ़्ज़ को हिबा क़रार देना गुज़श्ता बयान के मुवाफ़िक़ होगा लिहाज़ा तस्लीमे वाहिब (हिबा करने वाले का सिपुर्द कर देना) और क़ब्ज़ा–ए–मौहूब लहू (जिसे हिबा किया उस का क़ब्ज़ा कर लेना) ज़रूरी होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

इक़रारे मरीज़ का बयान

मरीज़ से मुराद वह है जो मरजुल'मौत में मुब्तला हो और इसकी तारीफ़ किताबुत'तलाक़ में ज़िक्र होचुकी है वहाँ से मालूम करें।

मसअ्ला.1:– मरीज़ के ज़िम्मे जो दैन है जिसका वह इक़रार करता है वह हालते सेहत का दैन है या हालते मर्ज़ का और उसका सबब मारूफ़ है या ग़ैर मारूफ़ और इक़रार अजनबी के लिये है, या वारिस् के लिये। इन तमाम सूरतों के अहकाम बयान किये जायेंगे।

मसअ्ला.2:– सेहत का दैन चाहे उसका सबब मालूम हो, या न हो और मरजुल'मौत का दैन जिसका सबब मारूफ़ व मशहूर हो मसलन कोई चीज़ ख़रीदी है उसका समन, किसी की चीज़ हलाक कर दी है उसका तावान, किसी औरत से निकाह किया है उसका महर मिस्ल, यह दुयून

(क़र्ज़ों) उन दुयून पर मुक़द्दम हैं जिनका ज़माना–ए–मर्ज़ में उसने इक़रार किया है। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.3:– सबबे मारूफ़ का यह मतलब है कि गवाहों से उसका सुबूत हो या क़ाज़ी ने खुद उसका मुआयना किया हो और सबब से वह सबब मुराद है जो तबर्रोअ् न हो जैसे निकाह मुशाहिद और बैअ् और अतलाफ़े माल कि इनको लोग जानते हों। महरे मिस्ल से ज़्यादा पर मरीज़ ने निकाह किया तो जो कुछ महरे मिस्ल से ज़्यादती है यह बातिल है अगरचे निकाह सही है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.4:– मरीज़ ने अजनबी के हक़ में इक़रार किया, यह इक़रार जाइज़ है अगरचे उसके तमाम अम्वाल को इहाता करले (यानी जितने माल का इक़रार किया वह तर्का के माल से ज़्यादा होजाये (अमीनुल क़ादरी)) और वारिस् के लिये मरीज़ ने इक़रार किया, तो जब तक दीगर वुरसा उसकी तस्दीक़ न करें, जाइज़ नहीं, और अजनबी के लिये भी तमाम माल का इक़रार उस वक़्त सही है जब सेहत का दैन उसके ज़िम्मे न हो यानी अलावा मुक़िर'लहू के दूसरे लोगों का दैन हालते सेहत में जो मालूम था, न हो वरना पहले दैन अदा किया जायेगा। इससे जब बचेगा, तो उस दैन को अदा किया जायेगा जिसका मर्ज़ में इक़रार किया है बल्कि ज़माना–ए–सेहत के दैन को उस वदीअत पर मुक़द्दम करेंगे जिसका सुबूत महज़ मरीज़ के इक़रार से हो। (रद्दुल'मोहतार)

मसअला.5:– मरीज़ को यह इख़्तियार नहीं, कि बाज़ दाइन का दैन अदा करदे, बाज़ का अदा न करे, यानी अगर उसने ऐसा किया है और कुल माल ख़त्म होगया, या दूसरे लोगों का दैन हिस्सा रसद के मुवाफ़िक़ (यानी जितना दैन बनता है उसके मुताबिक़) नहीं वसूल होगा तो जो कुछ मरीज़ ने अदा किया है उसमें बक़िया दैन वाले भी शरीक होंगे यह नहीं तन्हा उन्हीं का होजाये, जिनको दिया है अगरचे यह दैन जो अदा किया, ज़ौजा का महर हो या किसी मज़दूर, या मुलाज़िम की उजरत, या तन्ख़्वाह हो। (बहर)

मसअला.6:– ज़माना–ए–मर्ज़ में मरीज़ ने किसी से क़र्ज़ लिया है या कोई चीज़ ज़माना–ए–मर्ज़ में ख़रीदी है बशर्ते कि मिस्ल क़ीमत पर ख़रीदी हो इस क़र्ज़ को अदा करने, या मबीअ् के स्मन देने में रूकावट नहीं है यानी इसमें दूसरे दाइन शरीक नहीं हैं तन्हा यही मालिक है, जिनको दिया। बशर्ते कि यह क़र्ज़ व बैअ् बय्यिना (गवाहों) से साबित हों, यह न हो, कि महज़ मरीज़ के इक़रार से इसका सुबूत हो। (बहर)

मसअला.7:– मरीज़ ने कोई चीज़ ख़रीदी, और उसका स्मन अदा नहीं किया, यहाँ तक कि मर गया, तो अगर मबीअ् अभी तक बाइअ् के क़ब्ज़े में है तो इसका तन्हा बाइअ् हक़दार होगा दूसरे दैन वाले इस मबीअ् का मुतालबा नहीं कर सकते यह नहीं कह सकते कि यह चीज़ उस मरने वाले मदयून (मक़रूज़) की है। लिहाज़ा हम भी इसमें से अपना दैन वसूल करेंगे और अगर मबीअ् इस मुश्तरी के हाथ पहुँच चुकी है इसके बाद मरा तो जैसे दूसरे दैन वाले हैं बाइअ् भी एक दाइन है सबके साथ शरीक है हिस्सा–ए–रसद के मुवाफ़िक़ यह भी लेगा।(बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.8:– मरीज़ ने एक दैन का इक़रार किया, फिर दूसरे दैन का इक़रार किया मस्लन पहले कहा, ज़ैद के मेरे ज़िम्मे इतने रूपये हैं फिर कहा अम्र के मेरे ज़िम्मे इतने रूपये हैं दोनों इक़रार बराबर हैं देने में एक को दूसरे पर तरजीह नहीं चाहिए यह दोनों इक़रार मुत्तसिल हों या फ़स्ल के साथ हों और अगर पहले दैन का इक़रार किया, फिर अमानत का, कि यह चीज़ मेरे पास फ़ुलां की अमानत है यह दोनों भी बराबर हैं। और अगर पहले अमानत का इक़रार है उसके बाद दैन का, तो अमानत को दैन पर मुक़द्दम रखा जायेगा। (बहर)

मसअला.9:– वदीअत का इक़रार किया कि फ़ुलां के हज़ार रूपये मेरे पास वदीअत हैं और मर गया, वह हज़ार वदीअत के मुमताज़ नहीं हैं तो मिस्ल दीगर दुयून के यह भी एक दैन क़रार पायेगा जो तर्का से अदा किया जायेगा और अगर मरीज़ के पास हज़ार रूपये हैं और सेहत के ज़माना का उस पर कोई दैन नहीं है उसने इक़रार किया कि मुझ पर फ़ुलां के हज़ार रूपये दैन हैं फिर इक़रार किया कि यह हज़ार रूपये जो मेरे पास हैं फ़ुलां शख़्स की वदीअत है, फिर एक तीसरे शख़्स के

लिये हज़ार रूपये दैन का इक़रार किया तो यह हज़ार रूपये जो मौजूद हैं तीनों पर बराबर–बराबर तक़सीम होंगे और अगर पहले शख़्स ने कह दिया कि मेरा इस पर कोई हक़ नहीं है, या मैंने मुआफ़ कर दिया, तो इसकी वजह से तीसरे दाइन का हक़ बातिल नहीं होगा बल्कि मुवद्दे‍अ़ (अमानत रखवाने वाले) और दाइन में, यह रूपये निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम होंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– मरीज़ ने इक़रार किया कि मेरे बाप के ज़िम्मे फ़ुलां शख़्स का इतना दैन है और उसके क़ब्ज़े में एक मकान है जो उसके बाप का था और खुद उस मरीज़ पर ज़माना सेहत का भी दैन है इस सूरत में अव्वलन दैने सेहत को अदा करेंगे। इससे जब बचेगा तो उसके बाप का दैन जिसका उसने इक़रार किया है अदा किया जायेगा और अगर अपने बाप के दैन का बाप के मरने के बाद ही ज़माना–ए–सेहत में इक़रार किया है तो उस मकान को बेचकर पहले उसके बाप का दैन अदा किया जायेगा जिन लोगों का उस पर दैन है वह अपना दैन नहीं ले सकते जब तक उसके बाप का दैन अदा न होजाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– मरीज़ ने इक़रार किया कि वारिस् के पास जो मेरी वदीअत या आ़रियत थी मिलगई या माले मुज़ारबत था वसूल पाया, उसकी बात मान ली जायेगी। यूंही अगर वह कहता है कि मौहूब लहु (जिसे हिबा किया गया) से मैंने हिबा को वापस लेलिया या जो चीज़ बैअ़ फ़ासिद के साथ बेची थी वापस ली, या मग़सूब, (ग़सब की हुई चीज़) या रहन को वसूल पाया, यह इक़रार सही है। अगरचे इस पर ज़माना–ए–सेहत का दैन हो जबकि यह सब यानी मौहूब लहू वग़ैरा अजनबी हों और अगर वारिस् से वापस लेने का इन सूरतों में इक़रार करे, तो उसकी बात मानी जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– मरीज़ ने अपने मद्यून से दैन को मुआफ़ कर दिया, अगर यह मरीज़ खुद मद्यून है। और जिससे दैन को मुआफ़ किया है वह अजनबी है। यह मुआफ़ करना जाइज़ नहीं और अगर खुद मद्यून नहीं है तो अजनबी पर से दैन को बक़द्र अपने सुलुस् माल के मुआफ़ कर सकता है और वारिस् से दैन को मुआफ़ करे, तो चाहे खुद मद्यून हो, या न हो। वारिस् पर इसालतन दैन हो, या उसने किफ़ालत की हो, हर सूरत में जाइज़ नहीं और अगर मरीज़ ने यह कहदिया कि उस पर मेरा कोई हक़ ही नहीं है यह इक़रार क़ज़ाअ्न सही है। अब मुतालबा क़ाज़ी के यहाँ नहीं होगा। मगर दयानतन सही नहीं यानी अगर वाक़ेअ़ में मुतालबा था, और उसने ऐसा कहदिया, तो मुआख़िज़ा–ए–उख़रवी है। (बहर)

मसअ्ला13:– मरीज़ ने इक़रार किया कि मैंने अपनी यह चीज़ फ़ुलां के हाथ सेहत के ज़माने में बेचदी है और उसका स्मन भी वसूल कर लिया है और मुश्तरी भी इस का दावा करता हो तो बैअ़ के हक़ में उसका इक़रार सही है और स्मन वसूल करने के हक़ में बक़द्र सुलुस् माल के सही इससे ज़्यादा में सही नहीं। (बहर)

मसअ्ला.14:– यह इक़रार किया कि मेरा दैन जो फ़ुलां के ज़िम्मे था मैंने वसूल पाया अगर वह दैन सेहत के ज़माने का था तो मरीज़ का यह इक़रार सही है चाहे उस पर खुद दैन हो या न हो अगर यह दैन ज़माना–ए–मर्ज़ का था और खुद उस पर ज़माना–ए–सेहत का दैन है तो यह इक़रार सही नहीं और अगर उसपर सेहत का दैन न हो तो ब'क़द्र सुलुस् माल यह इक़रार सही है। यह चीज़ मैंने फ़ुलां वारिस् के हाथ सेहत के ज़माने में बैअ़ करदी और स्मन भी वसूल पाया यह इक़रार सही नहीं। (बहर)

मसअ्ला.15:– मरीज़ ने अपनी औ़रत से खुलअ़ किया, और औ़रत की इद्दत भी पूरी होगई। अब वह कहता है मैंने बदले खुलअ़ वसूल पाया। अगर उस पर ज़मान–ए–सेहत का दैन है न मर्ज़ का, तो उसकी बात मानली जायेगी। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.16:– सेहत में ग़बने फ़ाहिश के साथ कोई चीज़ बशर्ते ख़्यार ख़रीदी थी और मर्ज़ में उस बैअ़ को जाइज़ किया, या साकित (चुप रहा) रहा, यहाँ तक कि मुददते ख़्यार गुज़र गई इसके बाद

मरगया, तो यह बैअ् सुलुस से नाफ़िज़ होगी। (बहर)

मसअ्ला.17:– औरत ने मर्ज़ में इक़रार किया, मैंने शौहर से अपना महर वसूल पाया अगर ज़ौजियत, या इद्दत में मरगई, उसका यह इक़रार जाइज़ नहीं और अगर यह दोनों बातें नहीं हैं मस्लन शौहर ने क़ब्ले दुख़ूल तलाक़ देदी है यह इक़रार जाइज़ है। मरीज़ा ने शौहर से महर मुआफ़ करदिया, यह दूसरे वुरसा की इजाज़त पर मौक़ूफ़ है। (रद्दुल'मोहतार)

मसअ्ला.18:– मरीज़ ने यह कहा, कि दुनिया में मेरी कोई चीज़ ही नहीं है और मरगया, बक़िया वुरसा को इख़्तियार है कि उसकी ज़ौजा और बेटी से इस बात पर क़सम खिलायें कि 'हम नहीं जानते हैं कि मुतवफ़्फ़ा (जो मरा) के तर्का में कोई चीज़ थी। (रद्दुल'मोहतार)

मसअ्ला.19:– मरीज़ ने दूसरे पर बहुत कुछ अम्वाल का दावा किया था मुद्दई ने मुद्दा'अलैह से ख़ुफ़िया थोड़े से माल पर मुसालहत करली और एलानिया यह इक़रार करलिया कि इसके ज़िम्मे मेरा कुछ नहीं है और मरगया। इसके बाद वुरसा ने दावा किया, और गवाहों से साबित किया कि हमारे मूरिस् के बहुत कुछ अम्वाल इस शख़्स के ज़िम्मे हैं, हमारे मूरिस् ने हमको महरूम करने के लिये यह तर्कीब की है यह दावा मसमूअ् न होगा। और अगर मुद्दा'अलैह भी वारिस् था और यही तमाम मुआमलात पेश आये, तो बक़िया वुरसा का दावा मसमूअ् होगा। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.20:– जिस वारिस् के लिये मरीज़ ने इक़रार किया है कि उस शख़्स ने मेरे लिए सेहत के ज़माने में इक़रार किया था और बक़िया वुरसा यह कहते हैं कि मर्ज़ में इक़रार किया था तो क़ौल उन बक़िया वुरसा का मोअ्तबर है और अगर दोनों ने गवाह पेश किये तो मुक़िर'लहू के गवाह मोअ्तबर हैं और अगर मुक़िर'लहू के पास गवाह न हों, तो उन वुरसा पर हलफ़ दे सकता है। (बहर)

मसअ्ला.21:– यह जो कहा गया है कि वारिस् के लिये मरीज़ का इक़रार बातिल है इससे मुराद वह वारिस् है जो ब'वक़्ते मौत वारिस् हुआ यह नहीं, कि ब'वक़्ते इक़रार वारिस् हो यानी जिस वक़्त उसके लिये इक़रार किया था वारिस् न था और उसके मरने के वक़्त वारिस् होगया यह इक़रार बातिल है मगर जबकि विरासत का जदीद सबब पैदा होजाये मस्लन निकाह लिहाज़ा अगर किसी औरत के लिये इक़रार किया था उसके बाद निकाह किया, वह इक़रार सही है और अगर अपने भाई के लिये इक़रार किया था जो महजूब था मगर उसके मरने के वक़्त महजूब न रहा, जब उसने इक़रार किया था उस वक़्त उसका बेटा मौजूद था और बाद में बेटा मर गया, अब भाई वारिस् हो गया, इक़रार बातिल है और अगर इक़रार के वक़्त भाई वारिस् था मस्लन मरीज़ का कोई बेटा न था उसके बाद बेटा पैदा हुआ अब भाई वारिस् न रहा। अगर मरीज़ के मरने तक बेटा ज़िन्दा रहा, यह इक़रार सही है। मरीज़ ने जिसके लिये इक़रार किया, वह वारिस् था फिर वारिस् न रहा, फिर वारिस् होगया और अब वह मरीज़ मरा, तो इक़रार बातिल है। मस्लन ज़ौजा के लिये इक़रार किया, फिर उसे बाइन तलाक़ देदी। बादे इद्दत फिर उससे निकाह कर लिया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.22:– अगर मरीज़ ने अजनबिया के लिए कोई चीज़ हिबा करदी, या वसियत करदी। उसके बाद उससे निकाह किया, वह हिबा, या वसियत बातिल है मरीज़ ने वारिस के लिये इक़रार किया, मगर पहले यह मुक़िर'लहू मरगया उसके बाद वह मरीज़ मरा, मगर मुक़िर'लहू के वुरसा मरीज़ के भी वुरसा से हैं यह इक़रार जाइज़ है जिस तरह अजनबी के लिये इक़रार।(बहर, आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– मरीज़ ने अजनबी के लिये इक़रार किया कि यह चीज़ उसकी है और उस अजनबी ने कहा, कि यह चीज़ मुक़िर के वारिस् की है यह ख़ुद मरीज़ का वारिस् के हक़ में इक़रार है। लिहाज़ा सही नहीं। मरीज़ ने अपनी औरत के दैन महर का इक़रार किया, यह इक़रार सही है फिर अगर मरने के बाद वुरसा ने गवाहों से साबत करना चाहा कि इस औरत ने मरीज़ की ज़िन्दगी में महर बख़्श दिया था यह गवाह नहीं सुने जायेंगे। (बहर)

मसअ्ला.24:– मरीज़ ने दैन या ऐन का वारिस् के लिये इक़रार किया, मस्लन यह कहा कि इसके

मेरे ज़िम्मे हज़ार रूपये हैं या यह कहा, कि फुलां चीज उसकी है यह इक़रार बातिल है ख़्वाह तन्हा वारिस् के लिये इक़रार हो या वारिस व अजनबी दोनों के हक़ में इक़रार हो यानी दोनों की शिरकत में वह दैन है या उस ऐन में दोनों शरीक हैं और यह दोनों शरीक होने को मान रहे हों या कहते हों कि हम दोनों में शिरकत नहीं है। बहर हाल वह इक़रार बातिल है हाँ अगर बक़िया वुरसा इस इक़रार की तस्दीक़ करें, तो इक़रार नाफ़िज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.25:– शौहर ने औरत के लिये वसियत की, या औरत ने शौहर के लिये वसियत की और दोनों सूरतों में कोई दूसरा वारिस् नहीं है तो वसियत सही है और ज़ौजैन के सिवा दूसरा कोई वारिस् जब तन्हा हो तो वसियत की क्या ज़रूरत क्योंकि वह तो कुल का ख़ुद ही वारिस् है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.26:– मरीज़ के क़ब्ज़े में जायदाद है इसके मुताल्लिक़ उसने वक़्फ़ का इक़रार किया, इसकी दो सूरतें हैं। एक यह, कि ख़ुद अपने वक़्फ़ का इक़रार करता है कि मैंने इसे वक़्फ़ किया है एक सुलुस् माल में, यह वक़्फ़ नाफ़िज़ होगा। दूसरी यह, कि इसको दूसरे ने वक़्फ़ किया है यानी यह जायदाद दूसरे शख़्स की थी उसने वक़्फ़ करदी थी अगर दूसरे शख़्स या उसके वुरसा तस्दीक़ करें, जाइज़ है और अगर मरीज़ ने बयान न किया, कि मैंने वक़्फ़ किया है या दूसरे ने तो सुलुस् में नाफ़िज़ है। (रद्दुल'मोहतार)

मसअ्ला.27:– मरीज़ ने वारिस् या अजनबी किसी के दैन का इक़रार किया, और मरा नहीं, बल्कि अच्छा होगया फिर उसके बाद मरा, तो वह इक़रार मरीज़ का इक़रार नहीं, बल्कि सेहत के इक़रार का जो हुक्म है उसका भी है क्योंकि जब अच्छा होगया, तो मालूम होगया, कि वह मरजुल'मौत था ही नहीं, ग़लती से लोगों ने ऐसा समझ रखा था यही हुक्म तमाम इक़रारों का है जो मर्ज़ की वजह से जारी नहीं होते थे और अगर वारिस् के लिये वसियत की थी फिर अच्छा होगया तो यह वसियत अब भी सही नहीं होगी। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.28:– मरीज़ ने वारिस् की अमानत हलाक करने का इक़रार किया, यह इक़रार सही व मोअ्तबर है इसकी सूरत यह है कि मस्लन बेटे ने बाप के पास गवाहों के रू ब'रू कोई चीज़ अमानत रखी, उसके मुताल्लिक़ बाप यह इक़रार करता है कि मैंने क़स्दन ज़ाइअ् करदी यह इक़रार मोअ्तबर है। तर्का में तावान अदा किया जायेगा। मरीज़ ने इक़रार किया, कि वारिस् के पास जो कुछ अमानतें थीं वह सब मैंने वसूल पाई यह इक़रार भी मोअ्तबर है। यह इक़रार भी मोअ्तबर है कि मेरा कोई हक़ मेरे बाप या माँ के ज़िम्मे नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.29:– मरीज़ ने यह कहा मेरी फुलां लड़की जो मर चुकी है उसके ज़िम्मे मेरे दस रूपये थे जो मैंने वसूल पा लिये थे और उस मरीज़ का बेटा इन्कार करता है यह इक़रार सही है क्योंकि वारिस् के लिये यह इक़रार ही नहीं, वह लड़की मर चुकी है वारिस् कहाँ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.30:– मरीज़ ने अपनी ज़ौजा के लिये माल का इक़रार किया, वह औरत शौहर से पहले ही मरगई और उसने दो बेटे छोड़े, एक इसी शौहर से है दूसरा पहले ख़ाविन्द से, एहतियात यह है कि यह इक़रार सही नहीं है। यूंही मरीज़ ने अपने बेटे के लिये इक़रार किया, और यह बेटा बाप से पहले मरगया और उसने अपना बेटा छोड़ा उसके मरने के बाद, उसका बाप मरा, और उसका अब कोई बेटा नहीं है यानी वह पोता वारिस् है तो ब'मुक़्तज़ाए एहतियात वह इक़रार सही नहीं। यूंही मरीज़ ने वारिस्, या अजनबी के लिये इक़रार किया और मुक़िर'लहू मरीज़ से पहले ही मर गया। उसके वारिस् इस मरीज़ मुक़िर के भी वारिस् हैं इसका भी वही हुक्म है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.31:– एक शख़्स दो चार रोज़ के लिये बीमार होजाता है फिर दो चार रोज़ को अच्छा हो जाता है उसने अपने बेटे के लिये दैन का इक़रार किया। अगर ऐसे मर्ज़ में इक़रार किया, जिसके बाद अच्छा होगया है तो इक़रार सही है। और अगर ऐसे मर्ज़ में इक़रार किया, जिसने उसे साहिबे फ़राश कर दिया और अच्छा न हुआ उसी मर्ज़ में मरगया तो इक़रार सही नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– मरीज़ ने इक़रार किया कि फुलां शख़्स का मेरे ज़िम्मे एक हक़ है और वुरसा ने भी

उसकी तस्दीक़ की, उसके बाद मरीज़ मरगया वह शख़्स अगर मरीज़ के माल की तिहाई तक अपना हक़ बयान करे, उसकी बात मानली जायेगी और तिहाई से ज़्यादा तालिब हो और वुरसा मुन्किर हों तो वुरसा पर हल्फ़ दिया जायेगा वह क़सम खायें कि हमारे इल्म में मय्यित के ज़िम्मे इसका इतना माल न था अगर क़सम खालेंगे सिर्फ़ तिहाई माल उसको दिया जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.33:– मरीज़ ने वारिस् के लिये एक मुअय्यन चीज़ का इक़रार किया कि यह चीज़ उसकी है। उस वारिस् ने कहा, वह चीज़ मेरी नहीं है बल्कि फ़ुलां शख़्स की है और यह शख़्स वारिस् की तस्दीक़ करता है यानी चीज़ अपनी बताता है और मरीज़ मरगया वह चीज़ अजनबी को देदी जायेगी और वारिस् से चीज़ की क़ीमत या तावान लिया जायेगा। यूंही अगर मरीज़ ने एक वारिस् के लिये उस चीज़ का इक़रार किया उस वारिस् ने दूसरे वारिस् की वह चीज़ बताई वह चीज़ दूसरे वारिस् को मिलेगी और पहला वारिस् उसकी क़ीमत तावान में दे यह क़ीमत सब वुरसा पर तक़सीम होगी उन दोनों को भी उसमें से उनके हिस्से मिलेंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– मरीज़ पर ज़माना–ए–सेहत का दैन है उसकी कोई चीज़ किसी ने ग़सब करली, और ग़ासिब के पास वह चीज़ हलाक होगई। क़ाज़ी ने हुक्म दिया कि ग़ासिब उस चीज़ की क़ीमत मरीज़ को अदा करे अब मरीज़ यह इक़रार करता है कि ग़ासिब से मैंने क़ीमत वसूल पाई। यह बात मानी जायेगी जब तक गवाहों से साबित न हो और अगर ज़माना–ए–सेहत में उसने ग़सब की थी उसके बाद बीमार हुआ और क़ाज़ी ने ग़ासिब पर क़ीमत देने का हुक्म किया और मरीज़ कहता है। मैंने क़ीमत वसूल पा ली तो मरीज़ की बात मानली जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– मरीज़ ने अपनी एक चीज़ जिसकी वाजिबी क़ीमत एक हज़ार थी दो हज़ार में बेच डाली और उसके पास इस चीज़ के सिवा कोई और माल नहीं है और उस पर कस्रत से दैन हैं। अब यह कहता है कि वह स्मन मैंने वसूल पाया और मरगया। उसका यह इक़रार सही नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– एक शख़्स ने ज़माना–ए–सेहत में अपनी एक चीज़ बैअ् करदी। और मुश्तरी ने मबीअ् पर क़ब्ज़ा भी कर लिया इसके बाद बाइअ् बीमार हुआ और उसने स्मन पाने का इक़रार कर लिया और बाइअ् के ज़िम्मे लोगों के दैन भी हैं फिर यह बाइअ् मरगया। इसके बाद मुश्तरी ने मबीअ् में ऐब पाया। क़ाज़ी ने उसके वापस करने का हुक्म देदिया मुश्तरी को यह हक़ नहीं है कि दीगर क़र्ज़ ख़्वाहों की तरह मय्यित के माल से, अपना स्मन वापस ले बल्कि वह चीज़ बैअ् की जायेगी। अगर उसके स्मन से मुश्तरी का मुतालबा वसूल होजाये फ़बिहा(तो ठीक)और अगर उसका मुतालबा वसूल कर लेने के बाद कुछ बच रहा तो बचाहुआ दूसरे क़र्ज़ ख़्वाहों के दैन में देदिया जायेगा अगर मुश्तरी के मुतालबा से कम में चीज़ फ़रोख़्त हुई तो मय्यित के माल से दूसरों के दैन अदा करने के बाद अगर कुछ बचता है तो मुश्तरी का बक़िया मुतालबा अदा किया जायेगा वरना गया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.37:– मरीज़ ने वारिस् को रूपये दिये, कि फ़ुलां शख़्स का मुझ पर दैन है। उस रूपये से उसका दैन अदा करदो। वारिस् कहता है वह रूपये मैंन दाइन को देदिये और दाइन कहता है मुझे नहीं दिये। वारिस् की बात फ़क़त उसके हक़ में मोअ्तबर है। यानी वारिस् बरीउज़्ज़िम्मा होगया मरीज़ उसको सच्चा बताये, या झूटा बहर हाल उससे रूपये का मुतालबा नहीं हो सकता मगर दाइन का हक़ बातिल नहीं हो सकता यानी उसका दैन अदा करना होगा। और अगर मरीज़ ने वारिस् को वकील किया है कि फ़ुलां के ज़िम्मे मेरा दैन है वसूल कर लाओ वारिस् कहता है मैंने दैन वसूल करके मरीज़ को देदिया उसकी बात मोअ्तबर है। मदयून बरी होगया। उससे मुतालबा नहीं हो सकता। (मब्सूत)

मसअ्ला.38:– मरीज़ ने अपनी कोई चीज़ बैअ् करने के लिये वारिस् को वकील किया इसकी दो सूरतें हैं मरीज़ के ज़िम्मे दैन है या नहीं, अगर उसके ज़िम्मे दैन नहीं है और वारिस् ने गवाहों के सामने इस चीज़ को वाजिबी क़ीमत पर बेचा, अब मरीज़ की जिन्दगी में या उसके मरने के बाद यह कहता है कि स्मन वसूल करके मैंने मरीज़ को देदिया या मेरे पास से ज़ाइअ् होगया उसकी बात

मान ली जायेगी और अगर वारिस् यह कहता है कि मैंने चीज़ बैअ् करदी और स्मन वसूल कर लिया फिर मेरे पास से जाइअ् होगया अगर वह चीज भी हलाक हो चुकी है और मुश्तरी भी मालूम नहीं है कि कौन शख़्स था जब भी उसकी बात मोअ्तबर है अगर चीज मौजूद है और मालूम है कि फ़ुलां शख़्स मुश्तरी है और मरीज़ भी ज़िन्दा है जब भी वारिस् की बात मोअ्तबर है और मरीज मर चुका है तो वारिस् का इक़रार कि मैंने स्मन वसूल पाया और मेरे पास से जाइअ् होगया सही नहीं(मब्सूत)

मसअ्ला.39:– एक शख़्स ने अपने बाप के पास हजार रूपये गवाहों के सामने अमानत रखे उसके बाप ने मरते वक़्त यह इक़रार किया कि वह अमानत के रूपये मैंने ख़र्च कर डाले और उसी इक़रार पर क़ायम रहा, तो बाप के ज़िम्मे यह रूपये दैन हैं कि उसके माल से बेटा वसूल करेगा और अगर बाप ने सिरे से अमानत रखने ही से इन्कार कर दिया या कहता है कि मैंने ख़र्च कर डाले फिर कहने लगा ज़ाइअ् होगये या बेटे को देदिये। इसकी बात क़ाबिले एअ्तिबार नहीं अगरचे क़सम खाता हो और उस पर तवान लाज़िम है और अगर उसने पहले यह कहा कि ज़ाइअ् होगये या मैंने वापस देदिये मगर जब उस पर हल्फ़ दिया गया तो कहने लगा मैंने ख़र्च कर डाले या क़सम से इन्कार करदिया तो इस सूरत में ज़मान लाज़िम नहीं और तर्का से यह रूपये नहीं दिये जायेंगे(आलमगीरी)

मसअ्ला.40:– एक शख़्स बीमार है उसका एक भाई है और एक बीवी, ज़ौजा ने कहा मुझे तीन तलाक़ें देदो उसने देदीं। फिर इस मरीज़ ने यह इक़रार किया कि मेरे ज़िम्मे बीवी के सौ रूपये बाक़ी हैं और औरत अपना पूरा महर ले चुकी है वह शख़्स साठ रूपये तर्का छोड़कर मरगया। अगर औरत की इद्दत पूरी होचुकी है तो कुल रूपये औरत लेलेगी और इद्दत गुज़रने से पहले मरगया, तो अव्वलन तर्का से वसियत को नाफ़िज़ करेंगे फिर मीरास् जारी करेंगे मस्लन उसने तिहाई माल की वसियत की है तो बीस रूपये मूसा'लहू को देंगे और दस रूपये औरत को, और तीस रूपये उसके भाई को। (आलमगीरी)

मसअ्ला.41:– मरीज़ ने यह इक़रार किया कि यह हज़ार रूपये जो मेरे पास हैं लुक़ता (गिरी हुई चीज मिल जाना) हैं। इस इक़रार के बाद मरगया और उन रूपयों के एलावा उसने कोई माल नहीं छोड़ा, अगर वुरस्ा उसके इक़रार की तस्दीक़ करते हों तो उनको कुछ नहीं मिलेगा वह रूपये सदक़ा कर दिये जायें। और तकज़ीब करते हों तो एक तिहाई सदक़ा करदें और दो तिहाई बतौर मीरास् तक़सीम करलें। (आलमगीरी)

मसअ्ला.42:– मरीज़ के तीन बेटे हैं एक बेटे पर उसके हज़ार रूपये दैन हैं उस मरीज़ ने यह इक़रार किया कि मैंने इस लड़के से हज़ार रूपये दैन वसूल पा लिये हैं यह मद्यून भी उसकी तस्दीक़ करता है और बाक़ी दोनों लड़कों में से एक तस्दीक़ करता है और एक तकज़ीब, तो मद्यून बेटा एक हज़ार की तिहाई उसको दे जो तकज़ीब करता है और ख़ुद उसको और तस्दीक़ करने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.43:– एक शख़्स मजहूलुन'नसब (जिस का बाप मालूम नहीं) के लिये, मरीज़ ने किसी चीज़ का इक़रार किया उसके बाद उस शख़्स की निस्बत यह इक़रार करता है कि यह मेरा बेटा है। और वह उसकी तस्दीक़ करता है। नसब स्ाबित हो जायेगा और वह इक़रार जो पहले कर चुका है बातिल होजायेगा और जब वह बेटा होगया तो ख़ुद वारिस् है जैसे दूसरे वारिस् हैं और अगर वह शख़्स मारूफ़ुन'नसब है या वह उसकी तस्दीक़ नहीं करता तो नसब स्ाबित नहीं होगा और पहला इक़रार ब'दस्तूर साबिक़। (दुरर गुरर, शरंबुलाली)

मसअ्ला.44:– औरत को तलाक़े बाइन दे चुका है उसके लिये दैन का इक़रार किया, तो दैन व मीरास् में जो कम हो वह औरत को दिया जाये यह हुक्म उस वक़्त है कि औरत इद्दत में हो और ख़ुद उसकी ख़्वाहिश पर औरत ने तलाक़ दी हो और अगर इद्दत पूरी होचुकी, तो वह इक़रार जाइज़ है कि यह वारिस् ही नहीं है और अगर तलाक़ देना औरत के सुवाल पर न हो तो औरत मीरास् की मुस्तहिक़ है और इक़रार सही नहीं कि इस सूरत में वारिस् है। (दुर्रेमुख़्तार)

इक़रारे नसब

मसअ्ला.1:– अगर किसी ने एक शख़्स के भाई होने का इक़रार किया, यानी यह कहा कि यह मेरा भाई है अगरचे यह गैर साबितुन'नसब हो, अगरचे यह भी तस्दीक़ करता हो मगर नसब साबित नहीं यानी उसके बाप का बेटा क़रार नहीं पायेगा इसका सिर्फ़ इतना असर होगा कि मुक़िर का अगर दूसरा वारिस् न हो तो यह वारिस् है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– मर्द इतने लोगों का इक़रार कर सकता है (1)औलाद, (2)वालिदैन, (3)ज़ौजा यानी कह सकता है कि यह औरत मेरी बीवी है ब'शर्ते कि वह औरत शौहर वाली न हो, न वह अपने शौहर की इद्दत में हो, और न उसकी बहन मुक़िर की ज़ौजा हो, या उसकी इद्दत में हो और उसके सिवा उसके निकाह में चार औरतें न हों। (4)मौला यानी मौला–ए–इताक़ा यानी उसने इसे आज़ाद किया है या इसने उसे आज़ाद किया है। ब'शर्ते कि उसकी वला का इक़रार गैर मुक़िर से न होचुका हो। औरत भी वालिदैन और ज़ौज और मौला का इक़रार कर सकती है और औलाद का इक़रार करने में शर्त यह है कि अगर शौहर वाली हो या मोअ्तद्दा (इद्दत गुज़ार रही हो) तो एक औरत विलादत व ताईने वलद की शहादत दे, या ज़ौज (शौहर) खुद उसकी तस्दीक़ करे और अगर न शौहर वाली है, न मोअ्तद्दा, तो औलाद का इक़रार कर सकती है। या शौहर वाली हो, मगर कहती है उससे बच्चा नहीं है दूसरे से है। बेटे का इक़रार सही होने में यह शर्त है कि लड़का इतनी उम्र का हो कि इतनी उम्र वाला मुक़िर का लड़का होसकता हो और वह लड़का साबितुन' नसब न हो। और बाप के इक़रार में भी यह शर्त है कि ब'लिहाज़े उम्र मुक़िर उसका लड़का हो सकता हो और यह मुक़िर साबितुन'नसब न हो। इन तमाम इक़रारों में दूसरे की तस्दीक़ शर्त है। मस्लन यह कहता है फुलां मेरा बाप है और उसने इन्कार कर दिया तो इक़रार से नसब साबित न हुआ। औलाद का इक़रार किया और वह छोटा बच्चा है कि अपने को बता नहीं सकता कि मैं कौन हूँ इसमें तस्दीक की कुछ जरूरत नहीं। और अगर गुलाम दूसरे का गुलाम है तो उसके मौला की तस्दीक़ जरूरी है। (बहर, दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– इन मज़कूरीन (जो ज़िक्र हुए) के मुताल्लिक इक़रार सही होने का मतलब यह है कि इस इक़रार की वजह से मुक़िर या मुक़िर'लहू या किसी और पर जो कुछ हुकूक़ लाज़िम होंगे उनका एअ्तिबार होगा मस्लन यह इक़रार किया कि फुलां मेरा बेटा है तो यह मुक़िर'लहू उस शख़्स का वारिस् होगा जैसे दूसरे वुरस़ा वारिस् हैं अगरचे दूसरे वुरस़ा उसके नसब से इन्कार करते हों और यह मुक़िर'लहू उस मुक़िर के बाप का (जो मुक़िर'लहू का दादा हुआ) वारिस् होगा अगरचे मुक़िर का बाप उसके नसब से इन्कार करता हो। और इक़रार सही न होने का मतलब यह है कि इक़रार की वजह से गैर मुक़िर व मुक़िर'लहू पर जो हुकूक़ लाज़िम होंगे उनका एअ्तिबार न होगा और खुद उन पर जो हुकूक़ लाज़िम होंगे उनका एअ्तिबार होगा। मस्लन यह इक़रार किया कि फुलां शख़्स मेरा भाई है और मुक़िर के दूसरे वुरस़ा उसके भाई होने से इन्कार करते हैं और मुक़िर मरगया। मुक़िर'लहू उन वुरस़ा के साथ वारिस् न होगा। यूंही मुक़िर के बाप का भी वह वारिस् न होगा जब कि उसका बाप उसके नसब से मुन्किर हो मगर जब तक मुक़िर ज़िन्दा है उसका नफ़्क़ा इस पर वाजिब होसकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– एक गुलाम का ज़माना–ए–सेहत में मालिक हुआ और ज़माना–ए–मर्ज़ में यह इक़रार किया कि यह मेरा बेटा है और उसकी उम्र भी इतनी है कि उसका बेटा होसकता है और उसका नसब भी मारूफ़ नहीं है वह गुलाम उस मुक़िर का बेटा होजायेगा, और आज़ाद होजायेगा, और मुक़िर का वारिस् होगा, और उसे सआयत (मालिक को अपनी क़ीमत अदा करने के लिये गुलाम का मेहनत मज़दूरी करना (अमीनुल क़ादरी)) भी नहीं करनी होगी। अगरचे मुक़िर के पास उसके सिवा कोई माल न हो, अगरचे उस पर इतना दैन हो कि उसके रक़बा को मुहीत हो (दैन गुलाम की क़ीमत से ज़्यादा हो)। और अगर उस गुलाम की माँ भी ज़माना–ए–सेहत में उसकी मिल्क है तो उसपर भी सआयत नहीं है। और अगर मर्ज़ में गुलाम का मालिक हुआ और नसब का इक़रार किया

जब भी आज़ाद होजायेगा और नसब साबित होजायेगा। (आलमगीरी)

मसअला.5:– मुकिर के मरने के बाद भी मुकिर'लहू की तस्दीक़ सही व मोअतबर है। मसलन इक़रार किया था कि यह मेरा लड़का है और मुकिर के मरने के बाद मुकिर'लहू ने तस्दीक़ की यह तस्दीक़ सही है मगर औरत ने ज़ौजियत का इक़रार किया था उसके मरने के बाद शौहर तस्दीक़ करे यह तस्दीक़ बेकार है कि औरत के मरने के बाद निकाह का सारा सिल्सिला ही मुनक़तेअ (ख़त्म) होगया। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.6:– नसब का इस तरह इक़रार जिसका बोझ दूसरे पर पड़े। उस दूसरे के हक़ में सही नहीं मसलन कहा, फुलां मेरा भाई है, चचा है, दादा है, पोता है कि भाई कहने के माना यह हुए वह उसके बाप का बेटा हुआ इस इक़रार का असर बाप पर पड़ा इसी तरह सब में यह इक़रार दूसरे के हक़ में ना'मोअतबर मगर खुद मुकिर के हक़ में यह इक़रार सही है और जो कुछ अहकाम हैं वह इसके जिम्मे लाज़िम हैं जबकि दोनों इस बात पर मुत्तफ़िक़ हों यानी जिस तरह यह उसको भाई कहता है, वह भी कहता है, अगर यह चचा बताता है तो वह भतीजा बताता है। नफ़्क़ा (जिन्दगी गुजारने के जरूरी ख़र्चे (अमीनुलकादरी)) व हिदानत (परवरिश) व मीरास सब अहकाम जारी होंगे यानी अगर मुकिर का कोई दूसरा वारिस नहीं, न क़रीब का, न दूर का यानी ज़विल अरहाम (यानी क़रीबी रिश्तेदार) और मौलल मवालात भी नहीं तो मुकिर'लहू वारिस होगा वरना वारिस नहीं होगा कि खुद इसका नसब साबित नहीं है फिर वारिस साबित के साथ मुज़ाहमत नहीं कर सकता। वारिस साबित से मुराद ग़ैर ज़ौजैन हैं क्योंकि उनका वुजूद खुद मुकिर'लहू को मीरास मिलने से नहीं रोकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.7:– इस सूरत में कि तहमीले नसब ग़ैर पर हो (इक़रारे नसब का बोझ दूसरे पर पड़ता हो) मुकिर अपने इक़रार से रुजूअ कर सकता है अगरचे मुकिर'लहू ने भी इसकी तस्दीक़ करली हो मसलन भाई होने का इक़रार किया और उसने तस्दीक़ करली। इसके बाद इक़रार से रुजूअ करके सारे माल की वसियत किसी और शख़्स के लिये करदी अब मुकिर'लहू नहीं पायेगा बल्कि कुल माल मूसा'लहू को मिलेगा। (बहरुर्राइक़)

मसअला.8:– जिस शख़्स का बाप मरगया उसने किसी की निस्बत यह इक़रार किया कि यह मेरा भाई है तो अगरचे मुकिर'लहू का नसब साबित नहीं होगा मगर मुकिर के हिस्से में वह बरारबर का शरीक होगा। और अगर किसी औरत को उसने बहन कहा तो वह उसके हिस्से में एक तिहाई की हक़दार होजायेगी। (बहर)

मसअला.9:– एक शख़्स मरगया उसने एक फूपी छोडी उस फूपी ने यह इक़रार किया कि मेरा जो भतीजा मरगया है फुलां शख़्स उसका भाई या चचा है तो इस फूपी को कुछ तर्का नहीं मिलेगा बल्कि कुल माल इसी मुकिर'लहू को मिलेगा क्योंकि जो औरत सूरते मज़कूरा में वारिस थी उसने अपने से मुक़द्दम दूसरे को वारिस क़रार दिया। (रद्दुल'मुहतार)

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

मसअला.1:– इक़रार अगरचे हुज्जते क़ासिरा है कि इसका असर सिर्फ मुकिर पर पड़ता है। दूसरे पर नहीं होता। मगर बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि इक़रार से दूसरे को भी नुक़सान पहुँच जाता है। (1)हुर्रा–ए–मुकल्लिफ़ा (वह आज़ाद मुसलमान औरत जिस पर शरई अहकाम नाफ़िज़ हों) ने दूसरे के दैन का इक़रार किया मगर उसका शौहर तकज़ीब करता है कहता है कि झूट कहती है औरत का इक़रार शौहर के हक़ में भी सही है यानी इस इक़रार का असर अगर शौहर पर पड़े, और उसको ज़रर हो जब भी सही माना जायेगा मसलन अगर अदा न करने की वजह से औरत को क़ैद करने की ज़रूरत होगी, क़ैद की जायेगी अगरचे इसमें शौहर का ज़रर है। यूंही अगर (2)मुअज्जिर ने दैन का इक़रार किया जिसकी अदायगी की कोई सूरत मालूम नहीं होती सिवा इसके जो चीज़ किराये पर दी है बैअ करदी जाये इसका बेचना जाइज है अगरचे मुस्ताज़िर को ज़रर है। (3)मजहूलतुन'नसब औरत ने इक़रार किया कि मैं अपने शौहर के बाप की बेटी हूँ और शौहर के बाप ने भी इसकी

तस्दीक़ करदी निकाह फ़स्ख़ होगया। (4)औरत ने बांदी होने का इक़रार किया इस इक़रार के बाद शौहर ने उसे दो तलाकें दीं बाइन होगई। शौहर को रजअ़त करने का हक़ नहीं है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– औरत मजहूलतुन्नसब ने अपने कनीज़ होने का इक़रार किया कि मैं फुलां शख़्स की लौन्डी हूँ और उस शख़्स मुक़िर्रलहू ने भी इसकी तस्दीक़ की वह औरत शौहर वाली है और उस शौहर से औलादें भी हैं शौहर ने औरत की तकज़ीब की इस सूरत में ख़ास औरत के हक़ में इक़रार सहीह है लिहाज़ा इस इक़रार के बाद औरत के जो बच्चे होंगे वह रक़ीक़ (गुलाम) होंगे और शौहर के हक़ मे इक़रार सहीह नहीं लिहाजा निकाह बातिल नहीं होगा और औलाद के हक़ में भी इक़रार सहीह नहीं लिहाज़ा वह पहले की सब औलादें आज़ाद हैं बल्कि वक़्ते इक़रार में जो पेट में बच्चा मौजूद था वह भी आज़ाद। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– मजहूलुन्नसब ने अपने गुलाम को आज़ाद किया उसके बाद यह इक़रार किया कि मैं फुलां का गुलाम हूँ और उस मुक़िर्रलहू ने भी तस्दीक़ की यह इक़रार फ़क़त इसकी ज़ात के हक़ में सही है। गुलाम को जो आज़ाद कर चुका है यह इत्क़ बातिल नहीं होगा और वह आज़ाद कर्दा गुलाम मरजाये और कोई वारिस् हो जो पूरे तर्का को लेसकता है तो वह लेलेगा। और ऐसा वारिस् न हो तो अगर बिल्कुल वारिस् न हो तो कुल तर्का मुक़िर्रलहू लेगा और अगर वारिस् है मगर पूरे तर्का को नहीं ले सकता तो इसके लेने के बाद जो कुछ बचा वह मुक़िर्रलहू लेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– एक शख़्स ने दूसरे से कहा, तुम्हारे ज़िम्मे मेरे हज़ार रूपये हैं दूसरे ने कहा ठीक है, या सच है, या यक़ीनन हैं यह इस बात का जवाब है। यानी उसने उसके हज़ार रूपये का इक़रार कर लिया। (दुरर, गुरर) इसी तरह अगर कहा बजा है, दुरुस्त है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– अपनी कनीज़ से कहा, ऐ चोट्टी, ऐ ज़ानिया, ऐ पागल, या कहा, इस चोट्टी ने ऐसा किया फिर इस कनीज़ को बेचा ख़रीदार ने इन उ़यूब में से कोई ऐब पाया और उसे पता चलगया कि बाइअ् ने किसी मौक़े पर ऐसा कहा था तो वह क़ौल ऐब का इक़रार देकर लौंडी को वापस नहीं कर सकता कि वह अल्फ़ाज़े निदा हैं, या गाली। उनसे मक़सूद यह नहीं कि वह ऐसी ही है और अगर मालिक ने यह कहा है कि यह चोट्टी है, या ज़ानिया है, या पागल है तो मुश्तरी वापस कर सकता है कि यह इक़रार है। (दुरर, गुरर) अकस्र गाँव वाले या तांगे वाले जानवरों को ऐसे उ़यूब के साथ पुकारते हैं जिनकी वजह से उनको वापस किया जासकता है वहाँ भी वही सूरत है कि अगर उन अलफ़ाज़ से गाली देना मक़सूद होता है, या पुकारना मक़सूद होता है तो ऐब का इक़रार नहीं। और अगर ख़बर देना मक़सूद होता है तो इक़रार है और मुश्तरी वापस कर सकता है।

मसअ्ला.6:– मुक़िर ने इक़रार किया और मुक़िर्रलहू ने कहदिया कि यह झूटा है तो वह इक़रार बातिल होगया क्योंकि मुक़िर्रलहु के रद कर देने से इक़रार रद होजाता है मगर चन्द ऐसे इक़रार हैं कि रद करने से रद नहीं होते। (1)गुलाम की हुर्रियत का इक़रार यानी इसके पास गुलाम है जिसकी निस्बत यह इक़रार किया कि यह आज़ाद है गुलाम कहता है मैं आज़ाद नहीं हूँ। अब भी वह आज़ाद है। (2)नसब यानी किसी शख़्स की निस्बत कहा, कि यह मेरा बेटा है उसने कहा, उसका बेटा नहीं हूँ। वह इक़रार रद नहीं हुआ यानी इसके बाद भी अगर कह देगा कि मैं उसका बेटा हूँ नसब साबित होजायेगा। (3)वक़्फ़ मसलन एक शख़्स के पास ज़मीन है उसने कहा, यह ज़मीन उन दोनों आदमियों पर वक़्फ़ है उनके बाद उनकी औलाद व नस्ल पर हमेशा के लिये। और उनमें कोई न रहे तो मसाकीन पर उन दोनों में से एक ने तस्दीक़ की और एक ने तकज़ीब की इस सूरत में निस्फ़ आमदनी तस्दीक़ करने वाले को मिलेगी और निस्फ़ मसाकीन को इसके बाद इस मुन्किर ने इन्कार से रुजूअ़ करके तस्दीक़ की तो इसके हिस्से की आधी आमदनी उसे मिलने लगेगी। (4)तलाक़ (5)इताक़ (6)मीरास् यानी एक शख़्स के लिये विरासत का इक़रार किया था उसने तकज़ीब करदी इसके बाद अगर तस्दीक़ करेगा विरासत का मुस्तहिक़ होजायेगा।

(7)रुक़्क़ियत एक शख़्स ने इक़रार किया कि मैं तेरा गुलाम हूँ। उसने कहा गलत है फिर तस्दीक करके उसे गुलाम बना सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– जो कुछ तर्का वसी के हाथ में था वह सब मय्यित की औलाद को वसी ने देदिया। और उसने यह कह दिया कि मैंने कुल तर्का वसूल पाया मेरे वालिद के तर्के में कोई चीज़ ऐसी नहीं रहगयी है जिसको मैंने पा न लिया हो इसके बाद फिर वसी पर किसी चीज़ के मुताल्लिक दावा किया कि यह मेरे बाप का तर्का है और उसको गवाहों से साबित किया यह दावा सुना जायेगा। यूंही अगर वारिस् ने यह कह दिया कि मेरे वालिद का जिन जिन लोगों पर मुतालबा था। सब मैंने वसूल पाया इसके बाद एक शख़्स पर दावा किया कि मेरे वालिद का इस पर इतना दैन है यह दावा सुना जायेगा। यूंही वसी से किसी वारिस् ने सुलह करली यानी तर्का में इतनी चीज़ें हैं। इनमें से इतनी चीज़ें मुझे दी जायें और इसके बाद मेरा कोई हक़ तर्का में बाक़ी नहीं रहेगा इस सुलह के बाद वसी के हाथ में एक ऐसी चीज़ देखी जो सुलह के वक़्त ज़ाहिर नहीं की गई थी। इसमें बक़द्र अपने हिस्से के दावा कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.8:– दुख़ूल के बाद यह इक़रार किया कि मैंने इस औरत को दुख़ूल से क़ब्ल तलाक़ देदी थी पूरा महर दुख़ूल की वजह से इसके ज़िम्मे है और निस्फ़ महर उसके इक़रार की वजह से(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– वक़्फ़ की आमदनी जिसके लिये थी वह कहता है 'इस आमदनी का मुस्तहिक़ फ़ुलां शख़्स है, मैं नहीं हूँ यह इक़रार सही है। यानी इसको आमदनी अब नहीं मिलेगी अगरचे वक़्फ़ में इसी के लिये है मगर यह बात इसी हद तक महदूद है इसके मरने के बाद हस्बे शराइते वक़्फ़ नामा उसकी औलाद पर तक़सीम होगी। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.10:– यह इक़रार किया कि हमने फ़ुलां के हजार रूपये वक़्फ़ किये फिर यह कहता है हम दस शख़्स थे और मालिक यह कहता है कि तन्हा यही था इसी को पूरे हज़ार रूपये देने होंगे क्योंकि यह लफ़्ज़ (हम) एक के लिये भी बोला जाता है। हाँ अगर यह कहता है हम सबने इसके हज़ार रूपये ग़सब किये और फिर कहता है हम दस शख़्स थे तो बेशक इससे एक ही सौ लिया जाता कि उसने पहले ही से बता दिया कि मैं तन्हा न था। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– एक चीज़ का इक़रार करके कहता है मुझसे ग़लती होगई यानी कुछ का कुछ कह गया यह बात क़बूल नहीं की जायेगी मगर मुफ़्ती ने अगर तलाक़ का हुक्म दिया था इस बिना पर उसने तलाक़ का इक़रार किया बाद में मालूम हुआ कि उस मुफ़्ती ने गलत फ़तवा दिया था यह कहता है कि इस ग़लत फ़तवे की बिना पर मैंने ग़लत इक़रार किया यह दयानतन मसमूअ् है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– एक शख़्स ने कहा, मेरे वालिद ने सुलुस् माल की ज़ैद के लिये वसियत की अम्र के लिये बल्कि बकर के लिये तो वसियत ज़ैद के लिये है अम्र व बकर के लिये कुछ नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– एक शख़्स ने इक़रार किया कि मैंने फ़ुलां शख़्स के लिये हज़ार रूपये का अपनी नाबालिग़ी में इक़रार किया था वह कहता है कि हालते बुलूग़ में इक़रार किया था इस सूरत में क़सम के साथ मुक़िर का क़ौल मोअ्तबर है और अगर यह कहता है कि सरसाम (एक बीमारी जिस से दिमाग़ पर वरम आजाता है जिस से मरीज़ बे'अक़ली की बातें करता है (अमीनुल क़ादरी)) की हालत में मैंने इक़रार किया था जब मेरी अक़्ल जाती रही थी अगर मालूम हो कि इसे सरसाम हुआ था जब तो कुछ नहीं वरना हज़ार देने होंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– मर्द कहता है मैंने नाबालिग़ी में तुझसे निकाह किया था औरत कहती है मुझसे जब तुमने निकाह किया था बालिग़ थे इसमें मर्द का क़ौल मोअ्तबर है। और अगर मर्द यह कहता है कि मैंने जब निकाह किया था मजूसी था औरत कहती है मुसलमान थे इसमें औरत का क़ौल मोअ्तबर है (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– दो शख़्सों में शिरकते मुफ़ावज़ा है इनमें से एक ने यह इक़रार किया कि मेरे साथी के ज़िम्मे शिरकत से पहले के फ़ुलां शख़्स के इतने रूपये हैं और साथी इससे इन्कार करता है और

तालिब यह कहता है कि वह दैन ज़माना–ए–शिरकत का है तो दैन दोनों शरीकों पर लाज़िम होगा और अगर यह इक़रार किया कि यह दैन शिरकत से पहले का है और मुझ पर है शरीक पर नहीं और तालिब कहता है ज़माना–ए–शिरकत का दैन है इस सूरत में भी दोनों पर लाज़िम होगा। और अगर तीनों इस अम्र पर मुत्तफ़िक़ हैं कि शिरकत से क़ब्ल का दैन है तो उसी के ज़िम्मे दैन क़रार पायेगा जिसने लिया है दूसरे से कोई ताल्लुक़ न होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– यह कहा कि इस चीज़ में फ़ुलां की शिरकत है या यह चीज़ मेरे और फ़ुलां के माबैन मुश्तरक है या यह चीज़ मेरी और फ़ुलां की है इन सब सूरतों में दोनों निस्फ़ निस्फ़ के शरीक माने जायेंगे। और अगर इक़रार में शरीक का हिस्सा भी बतादें। मस्लन वह तिहाई या चौथाई का शरीक है तो जितना उसका हिस्सा बताया उतने ही की शिरकत का इक़रार है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– यह कहा कि मेरा कोई हक़ फ़ुलां की जानिब नहीं इस कहने से वह शख़्स तमाम ही हुक़ूक़ से बरी होगया। यानी हुक़ूक़े मालिया और ग़ैर मालिया दोनों से बराअत होगई। ग़ैर मालिया मस्लन किफ़ालत बिन्नफ़्स, (यानी जिस शख़्स के ज़िम्मे मुतालबा है उसे हाज़िर करने की ज़मानत देना (अमीनुल क़ादरी)) किसास, हद्दे क़ज़फ़। हुक़ूक़े मालिया ख़्वाह दैन हो जो माल के बदले में वाजिब हुए हों मस्लन समन, उजरत या ग़ैर माल के बदले में हों मस्लन महर, जनायत की दियत और हुक़ूक़े मालिया ख़्वाह ऐन मज़मूना हों जैसे ग़सब या अमानत हों मस्लन वदीअ्त, आ़रियत, इजारा बिल्जुमला इस कहने के बाद अब वह किसी हक़ का मुतालबा नहीं कर सकता और अगर यह लफ़्ज़ कहा कि फ़ुलां के पास मेरा कोई हक़ नहीं तो मज़मून का इक़रार है अमानत से बराअ्त नहीं और अगर यह कहा कि फ़ुलां के पास मेरा कोई हक़ नहीं यह अमानत से बराअ्त है। सिर्फ़ शय मज़मून से बराअ्त नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– एक शख़्स ने दो गवाहों से मुद्दआ़अलैह के ज़िम्मे हज़ार रूपये साबित किये और मुद्दआ़अलैह ने यह गवाह पेश किये कि मुद्दई ने हज़ार रूपये उससे मुआफ़ कर दिये हैं इसकी चन्द सूरतें हैं। अगर वुजूबे माल की तारीख़ हो (अगर माल के लाज़िम होने की तारीख़ हो) और बराअ्त (मुआफ़ी) की भी तारीख़ हो और तारीख़े मुआफ़ी बाद में हो मुआफ़ी का हुक्म दिया जायेगा। और अगर दस्तावेज़ की तारीख़ बाद में है और मुआफ़ी की पहले हो तो वुजूबे माल का हुक्म दिया जायेगा और अगर दोनों की तारीख़ न हो या दानों की तारीख़ एक हो या दस्तावेज़ की तारीख़ हो मुआफ़ी की न हो, या मुआफ़ी की हो, माल की न हो इन सब सूरतों में मुआफ़ी का हुक्म दिया जायेगा(आलमगीरी)

सुलह का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

﴿لا خیر فی کثیر من نجواھم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس ط﴾

"उनकी बहुतेरी सरग़ोशियों में भलाई नहीं है मगर उसकी सरगोशी जो सदक़ा या अच्छी बात या लोगों के माबैन सुलह का हुक्म करे"

और फ़रमाता है

﴿وان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا ط﴾

"अगर किसी औरत को अपने ख़ाविन्द से बद ख़ुल्क़ी और बे तवज्जुही का अन्देशा हो तो उन दोनों पर यह गुनाह नहीं कि आपस में सुलह करलें और सुलह अच्छी चीज़ है"

और फ़रमाता है।

وان طائفتن من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما ج فان بغت احداهما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر الله فان فاء ت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ط ان الله یحب المقسطین ۰ انما المومنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون ۰

"और अगर मुसलमानों के दो गिरोह लड़ जायें तो उन में सुलह करादो फिर अगर एक गिरोह दूसरे पर बग़ावत करे तो उस बग़ावत करने वाले से लड़ो यहाँ तक कि वह अल्लाह के हुक्म की तरफ़ लौट आये फिर जब वह लौट आया तो दोनों में अ़दल के साथ सुलह करादो और इन्साफ़ करो बेशक इन्साफ़ करने वालों को अल्लाह दोस्त रखता है। मुसलमान भाई–भाई हैं तो अपने दो भाईयों में सुलह कराओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाये"।

हदीस् (1) सही बुखारी शरीफ में सुहैल बिन साद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं कि बनी अम्र बिन औफ के माबैन कुछ मुनाकशा (झगड़ा) था नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम चन्द असहाब के साथ उनमें सुलह कराने के लिये तशरीफ लेगये थे। नमाज का वक्त आ गया और हुज़ूर तशरीफ नहीं लाये हज़रत बिलाल ने अजान कही और अब भी तशरीफ नहीं लाये। हजरत बिलाल ने हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास आकर यह कहा कि हुजूर वहाँ रूक गये और नमाज़ तैयार है। क्या आप इमामत करेंगे फरमाया अगर तुम कहो तो पढा दूँगा हज़रत बिलाल ने इकामत कही और हज़रत अबू बक्र आगे गये कुछ देर बाद हुज़ूर तशरीफ लाये और सफों से गुजरकर सफे अव्वल में तशरीफ लेजाकर कयाम फरमाया लोगों ने हाथ पर हाथ मारना शुरू किया कि हजरत अबू बक्र इधर मुतवज्जेह हों मगर वह जब नमाज़ में खड़े होते तो किसी तरफ मुतावज्जेह न होते मगर जब लोगों ने ब'कस्रत हाथ पर हाथ मारना शुरूअ् किया हज़रत अबू बक्र रदियल्लाहु तआला अन्हु ने उधर तवज्जोह की देखा कि हुजूर उनके पीछे तशरीफ फरमा हैं। हुजूर के लिये आगे तशरीफ लेजाने का इशारा किया हुजूर ने फरमाया कि तुम नमाज़ जैसे पढ़ा रहे हो पढ़ाओ हज़रत अबू बक्र ने हाथ उठाकर अल्लाह की हम्द की और उल्टे पाँव चलकर सफ में शामिल होगये हुजूर आगे बढ़े और नमाज़ पढाई नमाज से फारिग होकर लोगों से फरमाया ऐ लोगो नमाज़ में कोई बात पेश आजाये तो तुमने हाथ पर हाथ मारना शुरूअ् कर दिया यह काम औरतों के लिये है। अगर कोई चीज़ नमाज में किसी को पेश आ जाये तो सुब्हानल्लाह, सुब्हानल्लाह कहे। इमाम जब इसको सुनेगा, मुतवज्जेह होजायेगा और अबू बक्र रदियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया ऐ अबू बक्र जब मैंने इशारा कर दिया था फिर तुम्हें नमाज़ पढाने से कौनसा अम्र मानेअ् आया अर्ज़ की अबू कहाफा के बेटे (अबू बक्र) को यह सज़ावार नहीं कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के आगे नमाज़ पढ़े (इमाम बने)।

हदीस् (2) सही बुखारी में उम्मे कुलसूम बिन्ते उकबा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम फरमाते हैं। "वह शख़्स झूठा नहीं जो लोगों के दरम्यान सुलह कराये कि अच्छी बात पहुँचाता है, या अच्छी बात कहता है"।

हदीस् (3) बुख़ारी शरीफ़ वगैरह में मरवी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम हज़रत इमाम हसन रदियल्लाहु तआला अन्हु के मुताल्लिक इरशाद फ़रमाते हैं "मेरा यह बेटा सरदार है अल्लाह तआला इसकी वजह से मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों के दरम्यान सुलह करा देगा"।

हदीस् (4) सही बुख़ारी में उम्मुल मोमेनीन आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने दरवाज़ा पर झगड़ा करने वालों की आवाज़ सुनी उनमें एक दूसरे से कुछ मुआफ़ कराना चाहता था और उससे आसानी करने की ख़्वाहिश करता था और दूसरा कहता था खुदा की क़सम ऐसा नहीं करूँगा। हुज़ूर बाहर तशरीफ़ लाये और फ़रमाया "कहाँ है वह जो अल्लाह की क़सम खाता है कि नेक काम नहीं करेगा" उसने अर्ज़ की, मैं हाज़िर हूँ या रसूलल्लाह वह जो चाहे मुझे मन्ज़ूर है।

हदीस् (5) सही बुख़ारी में कअ़ब बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि इब्ने अबी हदरद रदियल्लाहु तआला अन्हु पर मेरा दैन था मैंने तक़ाज़ा किया इसमें दोनों की आवाज़ें बुलन्द होगईं कि हुज़ूर ने काशाना–ए–अक़दस में उनकी आवाज़ें सुनीं तशरीफ़ लाये, और हुजरे का पर्दा हटाकर कअ़ब बिन मालिक को पुकारा अर्ज़ की लब्बैक या रसूलल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् ने हाथ से इशारा किया कि आधा दैन मुआफ़ करदो कअ़ब ने कहा, मैंने मुआफ़ कर दिया दूसरे साहब से फ़रमाया अब तुम उठो और अदा करदो।

हदीस् (6) सही मुस्लिम वग़ैरा में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम् ने फ़रमाया "एक शख़्स ने दूसरे से ज़मीन, खरीदी मुश्तरी को उस ज़मीन में एक घड़ा मिला जिसमें सोना था उसने बाइअ् से कहा, यह सोना तुम लेलो क्योंकि

मैंने ज़मीन ख़रीदी है सोना नहीं ख़रीदा बाइअ़ ने कहा मैंने ज़मीन और जो कुछ ज़मीन में था सब को बैअ़ करदिया उन दोनों ने यह मुक़द्दमा एक शख़्स के पास पेश किया उस हाकिम ने दरयाफ़्त किया तुम दोनों की औलादें हैं एक ने कहा मेरे लड़का है दूसरे ने कहा मेरे एक लड़की है हाकिम ने कहा, उन दोनों का निकाह आपस में करदो और यह सोना उन पर ख़र्च करदो और महर में देदो"।

हदीस (7) अबू दाऊद ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम इरशाद फ़रमाते हैं। "मुसलमानों के माबैन हर सुलह जाइज़ है मगर वह सुलह कि हराम को हलाल करदे, या हलाल को हराम करदे"।

मसाइले फ़िक़्हिया :– निज़ाअ़ (झगड़ा) दूर करने के लिये जो अक़्द किया जाये उसको सुलह कहते हैं। वह हक़ जो बाइसे निज़ाअ़ था उसको मुसालेह अन्हु और जिसपर सुलह हुई उसको बदले सुलह और मुसालेह अलैह कहते हैं। सुलह में ईजाब ज़रूरी है और मोअय्यन चीज़ में कबूल भी ज़रूरी है मसलन मुद्दई ने मुअय्यन चीज़ का दावा किया मुद्दअ़ अलैह ने कहा इतने रूपये पर इस मुआमले में मुझसे सुलह करलो मुद्दई ने कहा मैंने की जब तक मुद्दआ अलैह क़बूल न करे सुलह नहीं होगी। और अगर रूपये अशर्फ़ी का दावा है और सुलह किसी दूसरी जिन्स पर हुई तो उस में भी क़बूल ज़रूर है कि यह सुलह बैअ़ के हुक्म में है। और बैअ़ में क़बूल ज़रूरी है और उसी जिन्स पर हुई मसलन सौ रूपये का दावा था पचास पर सुलह हुई यह जायज़ है अगरचे मुद्दा'अलैह ने यह नहीं कहा कि मैंने क़बूल किया यानी पहले मुद्दआ'अलैह ने सुलह को ख़ुद कहा कि इतने में सुलह करलो उसके बाद मुद्दई ने कहा कि मैंने की सुलह होगई अगरचे मुद्दा'अलैह ने क़बूल न किया हो कि यह इस्क़ात है यानी अपने हक़ को छोड़ देना। (आलमगीरी)

सुलह के लिये शराइत हस्बे ज़ैल हैं

(1)आक़िल होना। बालिग़ और आज़ाद होना शर्त नहीं लिहाज़ा ना'बालिग़ की सुलह भी जायज़ है जब कि उसकी सुलह में खुला हुआ ज़रर (नुक़सान) न हो गुलाम माज़ून (ऐसा गुलाम जिसे इजाज़त देदी गई हो) और मुकातब की सुलह भी जायज़ है जब कि उसमें नफ़ा हो नशे वाले की सुलह भी जायज़ है।

(2)मुसालेह'अलैह के क़ब्ज़ा करने की ज़रूरत हो तो उसका मालूम होना मसलन इतने रूपये पर सुलह हुई या मुद्दा'अलैह फ़ुलां चीज़ मुद्दई को देदेगा और अगर उसके क़ब्ज़े की ज़रूरत न हो तो मालूम होना शर्त नहीं मसलन एक शख़्स ने दूसरे के मकान में एक हक़ का दावा किया था मेरा उसमें कुछ हिस्सा है दूसरे ने उसकी ज़मीन के मुतअल्लिक़ दावा किया कि मेरा उसमें कुछ हक़ है और सुलह यूँ हुई कि दोनों अपने अपने दावे से दस्त'बर्दार होजायें।

(3)मुसालेह अन्हु का एवज़ लेना जायज़ हो यानी मुसालेह अन्हु मुसालेह का हक़ हो अपने महल (जगह) में साबित हो आम इससे कि मुसालेह अन्हु माल हो या ग़ैर माल मसलन क़िसास व तअ़ज़ीर जब कि तअ़ज़ीर हक़्क़ुल'अब्द की वजह से हो और अगर हक़्क़ुल्लाह की वजह से हो तो उसका एवज़ लेना जायज़ नहीं मसलन किसी अजनबिया (ग़ैर महरम औरत) का बोसा लिया और कुछ देकर सुलह करली यह जायज़ नहीं। और अगर मुसालेह अन्हु के एवज़ में कुछ लेना जायज़ न हो तो सुलह जायज़ नहीं मसलन हक़्क़े शुफ़ा के बदले में शफ़ीअ़ का कुछ लेकर सुलह कर लेना या किसी से ज़िना की तोहमत लगाई थी और कुछ माल लेकर सुलह होगई या ज़ानी और चोर या शराब ख़्वार को पकड़ा था उसने कहा मुझे हाकिम के पास पेश न करो और कुछ लेकर छोड़ दिया यह ना'जायज़ है। किफ़ालत'बिन्नफ़्स (जिस शख़्स पर मुतालबा हो उसको हाज़िर करने की ज़िम्मेदारी ले लेना) में मकफ़ूल'अन्हु ने कफ़ील (ज़िम्मेदार) से माल लेकर सुलह करली। यह सुलहें तो ना'जायज़ ही हैं इस सुलह से शुफ़ा भी बातिल होजायेगा और किफ़ालत भी जाती रही इसी तरह हद्दे क़ज़फ़ भी अगर क़ाज़ी के यहाँ पेश करने से पहले सुलह होगई। ज़िना की हद और शराब पीने की हद में भी सुलह अगरचे ना'जायज़ है मगर सुलह की वजह से हद बातिल नहीं होती। चोर ने मकान से माल

निकाल लिया उसने पकड़ा चोर ने किसी अपने माल के एवज़ में मुसालहत की यह सुलह नाजायज़ है माल देना चोर पर वाजिब नहीं और चोरी का माल चोर ने वापस देदिया है तो मुक़द्दमा भी नहीं चल सकता और अगर चोर को क़ाज़ी के पास पेश करने के बाद मुसालहत की और उसे मुआफ़ कर दिया तो मुआफ़ी सही नहीं और अगर उसको माल हिबा कर दिया तो हद्दे सरक़ा यानी हाथ काटना अब नहीं हो सकता। गवाह से मुसालहत करली कि गवाही न दे यह सुलह बातिल है।

(4)ना'बालिग़ की तरफ़ से किसी ने सुलह की तो इस सुलह में ना'बालिग़ का खुला हुआ नुक़सान न हो मस्लन ना'बालिग़ पर दावा था उसके बाप ने सुलह की अगर मुद्दई के पास गवाह थे और उतने ही पर मुसालहत हुई जितना हक़ था या कुछ ज़्यादा पर तो सुलह जायज़ है और ग़बने फ़ाहिश पर सुलह हुई या मुद्दई के पास गवाह न थे तो सुलह ना'जायज़ है और अगर बाप ने अपना माल देकर सुलह की है तो बहर हाल जायज़ है कि उसमें ना'बालिग़ का कुछ नुक़सान नहीं।

(5)बालिग़ की तरफ़ से सुलह करने वाला वह शख़्स हो जो उसके माल में तसर्रुफ़ कर सकता हो (अल दख़्ल यानी अख़राजात वग़ैरा में इस्तेमाल कर सकता हो (अमीनुल क़ादरी)) मस्लन बाप, दादा वसी **(6)**बदले सुलह माले मुतक़व्विम हो अगर मुसलमान ने शराब के बदले में सुलह की यह सुलह सही नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.1:– बदले सुलह कभी माल होता है और कभी मनफ़अत मस्लन मुद्दआ'अ़लैह ने इसपर सुलह की कि मेरा गुलाम मुद्दई की साल भर ख़िदमत करेगा या वह मेरी ज़मीन में एक साल काश्त करेगा या मेरे मकान में इतने दिनों रहेगा। (दुरर, गुरर)

मसअ्ला.2:– सुलह का हुक्म यह है कि मुद्दआ अ़लैह दावा से बरी होजायेगा मुसालेह'अ़लैह मुद्दई की मिल्क हो जायेगा चाहे मुद्दआ'अ़लैह हक़्क़े मुद्दई से मुन्किर हो या इक़रारी हो और मुसालेह अ़न्हु मिल्के मुद्दआ अ़लैह होजायेगा अगर मुद्दआ अ़लैह इक़रारी था ब'शर्ते कि वह क़ाबिले तम्लीक भी हो यानी माल हो और अगर वह क़ाबिले मिल्क ही न हो मस्लन क़िसास या मुद्दआ अ़लैह इस अम्र से इन्कारी था कि यह हक़्क़े मुद्दई है तो इन दोनों सूरतों में फ़क़त दावे से बराअ्त होगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– सुलह की तीन सूरतें हैं कभी यूँ होती है कि मुद्दआ अ़लैह हक़्क़े मुद्दई का मुक़िर होता है और कभी यूँ कि मुन्किर था और कभी यूँ कि उसने सुकूत किया था इक़रार, इन्कार मुछ नहीं किया था। पहली क़िस्म यानी इक़रार के बाद सुलह उसकी चन्द सूरतें हैं अगर माल का दावा था और माल पर सुलह हुई तो यह सुलह बैअ् के हुक्म में है। इस सुलह पर बैअ् के तमाम अहकाम जारी होंगे। मस्लन मकान वग़ैरा जायदादे ग़ैर मनक़ूला (ऐसी जायदाद जिसे एक जगह से दूसरी जगह न लेजा सकें) पर सुलह हुई। यानी मुद्दआ'अ़लैह ने यह चीज़ें देदीं तो इसमें शफ़ीअ् को शुफ़अ् करने का हक़ हासिल होगा और अगर बदले सुलह में कोई ऐब हो, तो वापस करने का हक़ है। ख़्यारे रूयत भी है। ख़्यार शर्त भी होसकता है और मुसालेह'अ़लैह यानी बदले सुलह मजहूल है तो सुलह फ़ासिद है। मुसालेह अ़न्हु का मजहूल होना सुलह को फ़ासिद नहीं करता क्योंकि उसको साक़ित करता है उसकी जिहालत सबबे निज़ाअ् नहीं हो सकती। बदले सुलह की तस्लीम पर क़ुदरत भी शर्त है। मुसालेह अ़न्हु यानी जिसका दावा था अगर उसमें किसी ने अपना हक़ साबित कर दिया तो मुद्दई को बदले सुलह उसके एवज़ में फेरना होगा। कुल का इस्तेहक़ाक़ हुआ, कुल फेरना होगा और बाज़ का हुआ, बाज़ फेरना होगा। और बदले सुलह में इस्तेहक़ाक़ होजाये, तो उसके मुक़ाबिल में मुद्दई मुसालेह अ़न्हु से लेगा यानी कुल में इस्तेहक़ाक़ हुआ तो कुल लेगा और बाज़ में हुआ तो बाज़ यानी ब'क़द्रे हिस्सा।(मतून)

मसअ्ला.4:– जो सुलह बैअ् के हुक्म में है उसमें दो बातों में बैअ् का हुक्म नहीं है। **(1)**दैन का दावा किया, और मुद्दआ अ़लैह इक़रारी था एक गुलाम देकर मुसालहत हुई और मुद्दई ने उसपर क़ब्ज़ा कर लिया इस गुलाम का मुराबहा व तौलिया अगर करना चाहेगा तो बयान करना होगा कि मुसालहत में यह गुलाम हाथ आया है। बिग़ैर बयान जाइज़ नहीं। **(2)**सुलह के बाद दोनों बिल' इत्तिफ़ाक़ यह कहते हैं कि दैन था ही नहीं सुलह बातिल होजायेगी। जिस तरह हक़ वसूल पाने के

बाद बिल'इत्तिफ़ाक यह कहते हैं कि दैन था ही नहीं जो कुछ लिया है देना होगा और अगर दैन के बदले में कोई चीज खरीदी फिर दोनों यह कहते हैं कि दैन नहीं था तो ख़रीदारी बातिल नहीं और अगर हजार का दावा था और दूसरी चीज मसलन गुलाम लेकर सुलह की फिर दोनों कहते हैं कि दैन नहीं था तो मुद्दई को इख़्तियार है कि गुलाम वापस करे या हजार रूपये दे(आलमगीरी)

मसअला.5:– बैअ् के हुक्म में उस वक्त है जब ख़िलाफ़े जिन्स पर मुसालहत हुई। मसलन दावा था। रूपये का, और सुलह हुई अशर्फ़ी या किसी और चीज़ पर, और अगर उसी जिन्स पर मुसालहत हो जिसका दावा था यानी रूपये का दावा था और रूपये पर ही मुसालहत हुई और कम पर हुई, यानी सौ का दावा था पचास पर सुलह हुई तो यह अवश है यानी मुआफ़ कर देना और अगर उतने ही पर सुलह हुई, जितने का दावा था तो इस्तीफ़ा है यानी अपना हक़ वसूल पा लिया और अगर ज़्यादा पर सुलह हुई, तो रिबा यानी सूद है। (बहरुर्राइक़)

मसअला.6:– माल का दावा था। और रूपये पर सुलह हुई। और उसकी मीआद यह क़रार पाई, कि खेत कटेगा, तो रूपया दिया जायेगा यानी मुद्दत मजहूल है यह सुलह जाइज़ नहीं कि बैअ् में मुद्दत मजहूल होना ना'जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.7:– माल का दावा था और मनफ़अ़त (मुनाफ़े) पर मुसालहत हुई यह सुलह इजारे के हुक्म में है और इसमें इजारा के अहकाम जारी होंगे। अगर मनफ़अ़त की ताईन वक़्त से होती हो तो वक़्त बयान करना ज़रूरी होगा मसलन इस पर सुलह हुई, कि मुद्दा'अलैह का गुलाम मुद्दई की ख़िदमत करेगा या मुद्दई मुद्दा'अ़लैह के मकान में सुकूनत करेगा ऐसी चीज़ों में वक़्त बयान करना ज़रूर होगा क्योंकि इसके बिग़ैर इजारा सही नहीं और अगर कोई अ़मल माकूद'अ़लैह है तो वक़्त बयान करने की ज़रूरत नहीं मसलन इस पर सुलह हुई, कि मुद्दा'अ़लैह मुद्दई का यह कपड़ा रंग देगा और चूंकि यह इजारा के हुक्म में है लिहाज़ा मुद्दत के अन्दर अगर दोनों में कोई मरगया सुलह बातिल होजायेगी। यूंही अन्दुरूने मुद्दत महल (महल यानी वह चीज़ जो बदले सुलह है) हलाक होजाये जब भी सुलह बातिल है मसलन वह गुलाम मरगया जिसकी ख़िदमत बदले सुलह थी।(दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअला.8:– दावा मन्फ़अ़त (अस्ल चीज़ न हो) का था और सुलह माल पर हुई मसलन यह दावा था कि मेरे मकान का पानी इसके मकान से होकर जाता है, या मेरी छत का पानी इसकी छत पर से बहता है या इस नहर से मेरे खेत की आबपाशी होती है और माल लेकर सुलह करली, या एक क़िस्म की मन्फ़अ़त का दावा था। दूसरी क़िस्म की मन्फ़अ़त पर मुसालहत हुई मसलन दावा था कि यह मकान मेरे किराये में है इतने दिनों के लिये और सुलह इस पर हुई कि इतने दिन मुद्दा'अ़लैह का गुलाम मुद्दई की ख़िदमत करेगा यह दोनों सूरतें भी इजारा के हुक्म में है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.9:– इन्कार व सुकूत के बाद जो सुलह होती है वह मुद्दई के हक़ में मुआवज़ा है यानी जिस चीज़ का दावा था उस चीज़ का एवज़ पा लिया, और मुद्दा'अ़लैह के हक़ में यह बदले सुलह यमीन और एक क़िस्म का फ़िदया है यानी इसके ज़िम्मे जो यमीन थी उसके फ़िदया में यह माल देदिया और क़तअ़े निज़ाअ् है यानी झगड़े और मुक़द्दमा'बाज़ी की मुसीबतों में कौन पड़े, यह माल देकर झगड़ा काटना है लिहाज़ा इन दोनों सूरतों में अगर मकान का दावा था और मुद्दा'अ़लैह मुन्किर या साकित (ख़ामोश) था और कोई चीज़ देकर मुसालहत की इस मुद्दा अ़लैह पर शुफ़ा नहीं होसकता कि यह सुलह बैअ् के हुक्म में नहीं है मुद्दा अ़लैह का ख़्याल यह है कि यह मेरा ही मकान था मैंने इसको सुलह के ज़रिआ से अपने पास से जाने न दिया और मुद्दई की ख़ुसूमत को माल के ज़रिआ से दफ़ा कर दिया फिर जब इसने मकान ख़रीदा नहीं है तो शुफ़ा कैसा, और मुद्दई का यह ख़्याल कि मकान मेरा था माल लेकर देदिया, इस ख़्याल की पाबन्दी मुद्दा'अ़लैह के ज़िम्मे नहीं है ताकि शुफ़ा किया जासके। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअला.10:– मकान पर सुलह हुई यानी मुद्दई ने किसी चीज़ का दावा किया, और मुद्दा'अ़लैह

ने इन्कार या सुकूत के बाद अपना मकान देकर पीछा छुड़ाया या उससे सुलह करली, इस मकान पर शुफ़ा हो सकता है क्योंकि इस सूरत में मकान मुद्दई को मिलता है और इसका गुमान यह है कि मैं इसको अपने हक के एवज में लेता हूँ लिहाजा इसके लिहाज से यह सुलह बैअ् के मआना में है तो इस पर शुफ़ा भी होगा। (बहर)

मसअ्ला.11:– इन्कार या सुकूत के बाद जो सुलह होती है अगर वाकेअ् में मुद्दा अलैह का गलत दावा था जिसका मुद्दई को भी इल्म था तो सुलह में जो मिली है उसका लेना जाइज नहीं और अगर मुद्दा अलैह झूठा है तो उस सुलह से वह हक्के मुद्दई से बरी नहीं होगा यानी सुलह के बाद कजाअन तो कुछ नहीं हो सकता, दुनिया का मुआखजा खत्म होगया, मगर आखिरत का मुआखजा बाकी है मुद्दई के हक अदा करने में जो कमी रहगई है उसका मुआखजा है मगर जबकि मुद्दई खुद मावकी (जो बाकी रहगया) से मुआफी देदे। (बहर) लिहाजा सुलह होने के बाद अगर हुकूक से अबराअ् व मुआफी होजाये तो मुआखजा–ए–उखरवी से भी निजात होजाये ऐन के इलावा क्योंकि ऐन का अबराअ् दुरुस्त नहीं।

मसअ्ला.12:– जिस चीज का दावा था बाद सुलह उसका हकदार पैदा होगया तो मुद्दई को इस मुस्तहिक से खुसूमत और मुकद्दमे बाजी करनी होगी और मुस्तहिक ने हक साबित ही कर दिया, तो उसके एवज में मुद्दई को बदले सुलह वापस करना होगा और अगर बदले सुलह में कोई दूसरा शख्स हकदार निकला और उसने कुल या जुज़ लेलिया, तो मुद्दई फिर दावे की तरफ रुजूअ् करेगा कुल में कुल का दावा बाज में बाज का दावा कर सकता है हाँ अगर गैर मुतअय्यन चीज यानी रूपये, अशर्फी का दावा था और उसी पर मुसालहत हुई यानी जिस चीज का दावा था। उसी जिन्स पर मुसालहत हुई और हकदार ने अपना हक साबित करके लेलिया तो सुलह बातिल नहीं होगी बल्कि मुस्तहिक ने जितना लिया, उतना ही यह मुद्दा अलैह से ले। मसलन हजार का दावा था और सौ रूपये में सुलह हुई। मुस्तहिक ने कहा यह मेरे रूपये हैं तो मुद्दई दूसरे सौ रूपये मुद्दा अलैह से ले सकता है। (दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.13:– इन्कार या सुकूत के बाद सुलह हुई और उस सुलह में लफ्जे बैअ् इस्तेमाल किया, मुद्दा अलैह ने कहा कि इतने में या इसके एवज बैअ् की या खरीदी और बदले सुलह का कोई हकदार पैदा होगया और लेगया तो मुद्दई, मुद्दा अलैह से वह चीज लेगा जिसका दावा किया था यह नहीं, कि फिर दावा की तरफ रुजूअ् करे क्योंकि मुद्दा अलैह का बैअ् करना मुद्दई की मिल्क तस्लीम कर लेना है लिहाजा इस सूरत में इनकार या सुकूत नहीं है। (दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.14:– बदले सुलह अभी तक मुद्दई को तस्लीम नहीं किया गया है और हलाक होगया। इसका हुक्म वही है जो इस्तेहकाक का है ख्वाह यह सुलह इकरार के बाद हो या इन्कार व सुकूत के बाद दोनों सूरतों में फर्क नहीं यह उस सूरत में है कि बदले सुलह मुअय्यन होने वाली चीज हो और अगर गैर मुअय्यन चीज हो तो हलाक होने से सुलह पर कुछ असर नहीं पड़ेगा मुद्दा अलैह उतना ले सकता है जितना मुकर्रर हुआ। (दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.15:– यह दावा था कि इस मकान में मेरा इतना हक है। किसी चीज को देकर सुलह होगई फिर इस मकान के किसी जुज में इस्तेहकाक हुआ। अगरचे मुस्तहिक का यह दावा है कि एक हाथ के सिवा बाकी यह सारा मकान मेरा है और मुस्तहिक ने लेलिया। मुद्दा अलैह मुद्दई से कुछ वापस नहीं लेसकता क्योंकि होसकता है कि वह एक हाथ जो बचा है वही मुद्दई का हो और अगर मुस्तहिक ने पूरे मकान को अपना साबित किया तो जो कुछ मुद्दई को दिया गया है वापस लिया जायेगा। (हिदाया)

मसअ्ला.16:– जिस ऐन का दावा था उसी के एक जुज पर मुसालहत हुई मसलन मकान का दावा था उसी मकान का एक कमरा या कोठरी देकर सुलह की गई, यह सुलह जाइज नहीं क्योंकि मुद्दई ने जो कुछ लिया, यह तो खुद मुद्दई का था ही, और मकान के बाकी अजजा व हिस्सा का इबरा कर दिया

यानी बाक़ी हिस्सों से बरी कर दिया और ऐन में इब्राअ् दुरुस्त नहीं। हाँ इसके जवाज़ की सूरत यह बन सकती है कि मुद्दई को इलावा इस जुज़ व मकान के एक रूपया या कपड़ा या कोई चीज़ बदले सुल्ह में इज़ाफ़ा की जाये कि यह चीज़ बक़िया हिस्सा मकान के एवज़ में होजायेगी दूसरा तरीक़ा यह है कि एक जुज़ पर सुलह हुई और बाक़ी अजज़ा के दावे से दस्त बर्दारी देदे। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– मकान का दावा था और इस बात पर सुलह हुई कि मुद्दई इस कमरे में हमेशा या उम्र भर सुकूनत करेगा यह सुलह भी सही नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– दैन का दावा था और उसके एक जुज़ पर मुसालहत हुई मसलन हज़ार का दावा था पाँचसौ पर मुसालहत होगई या ऐन का दावा हो, और दूसरी ऐन के जुज़ पर सुलह हुई मसलन मकान का दावा था दूसरे मकान के एक कमरे के एवज़ में मुसालहत हुई, यह सुलह जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:– माल के दावे में मुतलक़न सुलह जाइज़ है चाहे माल पर सुलह हो या मनफ़अत पर हो, इक़रार के बाद या इन्कार व सुकूत के बाद, क्योंकि यह सुलह बैअ् या इजारा के माना में है। और जहाँ वह जाइज़ यह भी जाइज़। दावा–ए–मनफ़अत में भी सुलह मुतलक़न जाइज़ है। माल के बदले में भी हो सकती है और मनफ़अत के बदले में भी, मगर मनफ़अत को अगर बदले सुलह क़रार दें तो ज़रूर है कि दोनों मनफ़अतें दो तरह की हों एक ही जिन्स की न हों मसलन मकान किराये पर लिया है और सुलह ख़िदमते गुलाम पर हुई, यह जाइज़ है और अगर एक ही जिन्स की हों मसलन मकान की सुकूनत का दावा था और सुकूनते मकान ही को बदले सुलह क़रार दिया, यह जाइज़ नहीं मसलन वारिस् पर दावा किया कि तेरे मूरिस् ने इस मकान की सुकूनत की मेरे लिये वसियत की है वारिस् ने इक़रार किया या इन्कार, फिर माल पर सुलह हो, या दूसरी जिन्स की मनफ़अत पर सुलह हो, जाइज़ है। (दुरर, गुरर)

मसअ्ला.20:– एक मजहूलुल हाल शख़्स (ऐसा शख़्स जिसके आजाद या गुलाम होने का लोगों को इल्म न हो (अमीनुल कादरी)) पर दावा किया, कि यह मेरा गुलाम है उसने माल देकर मुसालहत की यह सुलह जाइज़ है और इसको माल के एवज़ में इत्क़ (आज़ाद) क़रार देंगे। फिर अगर इक़रार के बाद सुलह हुई,तो मुद्दई को वला मिलेगा, वरना नहीं। हाँ अगर बय्यिना (गवाहों) से उसका गुलाम होना साबित करदे तो अगरचे मुद्दा'अलैह मुन्किर है। मुद्दई को वला मिलेगा। बय्यिना से साबित करने की वजह से वह गुलाम नहीं बनाया जासकता है यही हुक्म सब जगह है यानी सुलह के बाद अगर मुद्दई गवाहों से अपना हक़ साबित करे, और यह चाहे, कि मैं इस चीज़ को लेलूँ यह नहीं हो सकता क्योंकि चीज़ अगर उसकी है तो मुआवज़ा उस चीज़ का लेचुका फिर मुतालबा के क्या माना(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– मर्द ने एक औरत पर जो शौहर वाली नहीं है निकाह का दावा किया। औरत ने माल देकर सुलह की यह सुलह खुला के हुक्म में है। मगर मर्द ने अगर झूटा दावा किया था तो इस माल को लेना हलाल नहीं और औरत को इसी वक़्त दूसरा निकाह करना जाइज़ है यानी उस पर इद्दत नहीं है क्योंकि दुख़ूल पाया नहीं गया। और अगर औरत ने मर्द पर निकाह का दावा किया, और मर्द ने माल देकर सुलह की यह सुलह ना'जाइज़ है क्योंकि इस सुलह को किसी अ़क्द के तहत में दाख़िल नहीं कर सकते। (दुरर)

मसअ्ला.22:– गुलाम माज़ून ने किसी को अ़मदन (जान बूझकर) क़त्ल किया था और वली मक़तूल से ख़ुद गुलाम ने सुलह की यानी क़िसास न लो इसके एवज़ में यह माल लो, तो यह सुलह जाइज़ नहीं। मगर इस सुलह का यह अस्र होगा कि क़िसास साक़ित होजायेगा और गुलाम जब आज़ाद होगा उस वक़्त बदले सुलह वसूल किया जायेगा और माज़ून के गुलाम ने अगर किसी को क़त्ल किया था उस माज़ून ने माल पर सुलह कर ली यह सुलह जाइज़ है क्योंकि यह उसकी तिजारत की चीज़ है और ख़ुद तिजारत की चीज़ नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.23:– माले मग़सूब हलाक होगया मालिक ने ग़ासिब से मुसालहत की इसकी चन्द सूरतें है। अगर मग़सूब मिस्ली है और जिस चीज़ पर मुसालहत हुई वह उसी जिन्स की है तो ज़्यादा पर

सुलह जाइज़ नहीं और अगर दूसरी जिन्स की चीज़ पर सुलह हुई तो जाइज़ है। और अगर वह चीज कीमती है और जितनी कीमत उसकी है उससे ज्यादा पर सुलह हुई, यह भी जाइज है यानी कम व बराबर पर तो जाइज़ है ही, ज्यादा पर भी जाइज़ है। और अगर किसी मताअ (सामान) पर सुलह हो, यह भी जाइज़ है मस्लन एक गुलाम ग़सब किया, जिसकी कीमत एक हजार थी और हलाक होगया दो हजार रूपये पर मुसालहत की, या कपड़े के थान पर सुलह हुई जाइज़ है और अगर ग़ासिब ने खुद हलाक किया है जब भी यही हुक्म है। और अगर उसके मुताल्लिक काज़ी का हुक्म, मस्लन एक हज़ार ज़िमान का होचुका, या उतना ही, कि कीमत तावान में दे तो ज़्यादा पर सुलह नहीं होसकती। (दुरर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.24:– सूरते मज़कूरा में कि क़ीमत से ज़्यादा पर या मताअ् (सामान) पर सुलह हुई। ग़ासिब गवाह पेश करना चाहता है कि उस मग़सूब की क़ीमत इससे कम है जिस पर सुलह हुई है यह गवाह मक़बूल न होंगे और अगर दोनों मुत्तफ़िक़ होकर भी यह कहें, कि क़ीमत कम थी जब भी ग़ासिब मालिक से कुछ वापस नहीं लेसकता। (बहर)

मसअ्ला.25:– गुलामे मुश्तरक को एक शरीक ने आज़ाद करदिया, और यह आज़ाद करने वाला मालदार है तो हुक्म यह है कि निस्फ़ क़ीमत दूसरे को ज़मान दे। अब इस सूरत में अगर निस्फ़ क़ीमत से ज़्यादा पर सुलह हुई तो यह जाइज़ नहीं कि शरअ् ने जब निस्फ़ क़ीमत मुक़र्रर करदी है तो उसपर ज़्यादती नहीं होसकती जिस तरह मग़सूब की क़ीमत का तावान क़ाज़ी ने मुक़र्रर कर दिया तो अब ज़्यादा पर सुलह नहीं होसकती कि क़ाज़ी का मुक़र्रर करना भी शरअ् का मुक़र्रर करना है। (बहर)

मसअ्ला.26:– मग़सूब चीज़ को ग़ासिब के सिवा किसी दूसरे ने हलाक कर दिया और मालिक ने ग़ासिब से क़ीमत से कम पर सुलह करली, यह सुलह जाइज़ है और ग़ासिब हलाक कुनन्दा से पूरी क़ीमत वसूल कर सकता है मगर जितना ज़्यादा लिया है उसको सदक़ा करदे और मालिक को भी यह इख़्तियार है कि हलाक कुनन्दा ही से क़ीमत से कम पर सुलह करे। (बहर)

मसअ्ला.27:– जनायते अ़मद जिसमें क़िसास वाजिब होता है ख़्वाह वह क़त्ल हो, या उससे कम मस्लन क़तअ़े अ़ज़्व (कोई जिस्म का हिस्सा काटना) इसमें अगर दियत (वह माल जो क़त्ल वग़ैरा के एवज में देना करार पाया जाये (अमीनुल कादरी)) से ज़्यादा पर सुलह हुई, यह जाइज़ है और जनायते ख़ता में दियत से ज़्यादा पर सुलह ना'जाइज़ है कि इसमें शरअ् की तरफ़ से दियत मुक़र्रर है उसपर ज़्यादती नहीं हो सकतीं हाँ दियत में जो चीज़ें मुक़र्रर हैं उनके एलावा दूसरी चीज़ पर सुलह हो और यह चीज क़ीमत में ज़्यादा हो तो यह सुलह जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.28:– मुद्दा'अ़लैह ने किसी को सुलह के लिये वकील किया, उस वकील ने सुलह की, अगर दावा दैन का था और दैन के बाज़ हिस्से पर सुलह हुई या ख़ूने अ़मद का दावा था और सुलह हुई, इस सूरत में यह वकील सफ़ीरे महज़ है। मुद्दई इससे बदले सुलह का मुतालबा नहीं कर सकता। बल्कि वह बदले सुलह मुवक्किल पर लाज़िम है उसी से मुतालबा होगा हाँ अगर वकील ने बदले सुलह की ज़मानत करली है तो वकील से इस ज़मानत की वजह से मुतालबा होगा यूंही माल का दावा था और माल पर सुलह हुई और मुद्दा'अ़लैह इक़रारी था तो वकील से मुतालबा होगा कि यह सुलह बैअ् के हुक्म में है और बैअ् का वकील सफ़ीरे महज़ नहीं होता बल्कि हुक़ूक़ उसी की तरफ़ आयद होते हैं और अगर मुद्दा'अ़लैह मुन्किर है तो वकील से मुतलक़न मुतालबा नहीं। माल पर सुलह हो या किसी और चीज़ पर। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.29:– मुद्दा'अ़लैह ने इससे सुलह के लिये नहीं कहा, इसने ख़ुद सुलह करली यानी फ़ुज़ूली होकर अगर माल का ज़ामिन होगया या सुलह को अपने माल की तरफ़ निस्बत की या कह दिया इस चीज़ पर, या कहा इतने पर, मस्लन हज़ार रूपये पर सुलह करता हूँ और देदिये, तो सुलह जाइज़ है और यह फ़ुज़ूली इन सूरतों में मुतबर्रेअ् (एहसान करने वाला) है। मुद्दा'अ़लैह से वापस

नहीं लेसकता और अगर इसके हुक्म से मुसालहत करता, तो वापस लेता और अगर फुज़ूली ने कह दिया कि इतने पर सुलह करता हूँ और दिया नहीं तो यह सुलह इजाज़ते मुद्दा'अलैह पर मौकूफ है वह जाइज़ कर देगा जाइज़ हो जायेगी और माल लाज़िम आजायेगा वरना जाइज़ नहीं होगी। फुज़ूली ने खुलअ् किया, इसमें भी यही पाँच सूरतें हैं और यही अहकाम। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.30:– एक ज़मीन के वक्फ़ का दावा किया, मुद्दा'अलैह मुन्किर है और मुद्दई के पास सुबूत के गवाह नहीं हैं। मुद्दा अलैह ने कुछ देकर कतए मुनाज़अ्त (झगड़ा ख़त्म करने) के मुसालहत करली यह सुलह जाइज़ है और अगर मुद्दई अपने दावे में सादिक़ है तो बदले सुलह भी इसके लिये हलाल है और बाज उलमा फ़रमाते हैं कि हलाल नहीं।(दुर्रेमुख़्तार) और यही क़ौल मिन हैसुद्दलील (दलील के लिहाज से) कवी मालूम होता है क्योंकि यह सुलह बैअ् के हुक्म में है और वक्फ़ की बैअ् दुरुस्त नहीं बल्कि यह सुलह सही भी न होना चाहिए क्योंकि वक्फ़ उसका हक़ नहीं, जिसका मुआवज़ा लेना दुरुस्त हो।

मसअ्ला.31:– सुलह के बाद फिर दूसरी सुलह हुई। वह पहली ही सही है और दूसरी बातिल, यह जब कि वह सुलह इस्क़ात (यानी पहली सुलह ख़त्म करने वाली हो) हो। और अगर मुआवज़ा हो जो बैअ् के माना में हो तो पहली सुलह फ़स्ख़ होगई और दूसरी सही। जिस तरह बैअ् का हुक्म है जब कि बाइअ् ने मबीअ् को उसी मुश्तरी के हाथ बैअ् किया। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मोहतार)

मसअ्ला.32:– मुद्दा'अलैह ने दावे से इन्कार कर दिया था इसके बाद सुलह हुई अब वह गवाह पेश करता है कि मुद्दई ने सुलह से पहले यह कहा था कि मेरा उस मुद्दा'अलैह पर कोई हक़ नहीं है वह सुलह ब'दस्तूर क़ायम रहेगी और अगर मुद्दई ने सुलह के बाद यह कहा कि मेरा इसके ज़िम्मे कोई हक़ न था तो सुलह बातिल है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.33:– अमीन के पास अमानत थी जब तक उसके हलाक का दावा न करे सुलह नहीं हो सकती और हलाक का दावा करने के बाद मुसालहत होसकती है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.34:– अमीन ने अमानत से ही इन्कार किया, कहता है मेरे पास अमानत रखी नहीं और मालिक अमानत रखने का मुद्दई है सुलह हो सकती है। अमीन अमानत का इक़रार करता है और मालिक मुतालबा करता है मगर अमीन ख़ामोश है मालिक कहता है इसने मेरी चीज़ हलाक करदी, सुलह हो सकती है और अगर मालिक हलाक करने का दावा करता है और अमीन कहता है मैंने चीज़ वापस करदी, या वह चीज़ हलाक होगई, और मालिक कुछ नहीं कहता, इसमें सुलह जाइज़ नहीं। (रद्दुल'मोहतार)

मसअ्ला.35:– मुद्दा'अलैह का सुलह की ख़्वाहिश करना, या यह कहना कि दावे से मुझे बरी कर दो यह दावे का इक़रार नहीं है। और यह कहना कि जिस माल का दावा है उससे सुलह करलो। या उससे मुझे बरी करदो यह माल का इक़रार है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.36:– मबीअ् में ऐब का दावा किया और सुलह होगई बाद में ज़ाहिर हुआ कि ऐब था ही नहीं या ऐब ज़ाइल होगया था सुलह बातिल होगई जो कुछ लिया है वापस करे। यूंही दैन का दावा था और सुलह होगई फिर मालूम हुआ दैन नहीं था सुलह बातिल होगई जो कुछ लिया है वापस करदे। (दुर्रेमुख़्तार)

दावा–ए–दैन में सुलह का बयान

मसअ्ला.1:– मुद्दा'अलैह पर जो दैन (क़र्ज़) हैं या उसने कोई चीज़ ग़सब की है अगर सुलह उसी जिन्स की चीज़ पर हुई तो बाज़ हक़ को लेलेना, और बाक़ी को छोड़ देना है इसका मुआवजा क़रार देना दुरुस्त नहीं वरना सूद होजायेगा लिहाज़ा सुलह के जाइज़ होने में बदले सुलह पर क़ब्ज़ा करना ज़रूरी नहीं मसलन हज़ार रूपये हाल यानी ग़ैर मीआदी थे सौ रूपये पर जो फ़ौरन लिये जायेंगे सुलह हुई यह दुरुस्त है। अगरचे मज्लिसे सुलह में उन पर क़ब्ज़ा न किया हो या हज़ार ग़ैर मीआदी थे सुलह हुई, हज़ार रूपये पर जिनकी कोई मीआद मुक़र्रर हुई या हज़ार रूपये खरे थे और सौ रूपये खोटे पर सुलह हुई। पहली सूरत में मिक़दार कम करदी। दूसरी में मीआद बढ़ादी यानी फ़ौरन लेने का हक़ साक़ित करदिया। तीसरी सूरत में मिक़दार और वस्फ़ दो चीज़ें

साकित करदीं। मुद्दा'अलैह के जिम्मे रूपये थे और अशर्फी पर सुलह हुई और उसके अदा करने की मीआद मुक़र्रर हुई यह सुलह ना'जाइज़ है कि गैर जिन्स पर सुलह अक्दे मुआवज़ा है और चाँदी की सोने से बैअ़ हो, तो मज्लिस में क़ब्ज़ा करना ज़रूरी होता है। हज़ार रूपये मीआदी थे और सुलह हुई कि पाँच सौ फ़ौरन अदा करदे यह सुलह भी ना'जाइज़ है कि पाँच सौ के बदले में मीआद को बैअ़ करना है और यह ना'जाइज़ है या हज़ार रूपये खोटे थे पाँच सौ खरे पर सुलह हुई। यह सुलह भी ना'जाइज़ है कि वस्फ़ को पाँचसौ के बदले में बैअ़ करना हैं और यह ना'जाइज़ है कि वस्फ़ को पाँचसौ के बदले में बैअ़ करना है और यह जाइज़ नही।

क़ायदा कुल्लिया यह है : कि दाइन की तरफ़ अगर एहसान हो, तो इस्क़ात है और सुलह जाइज़ है और दोनों की तरफ़ से हो, तो मुआवज़ा है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– एक हज़ार का दावा था और मुद्दा'अ़लैह इन्कारी है फिर सौ रूपये पर सुलह हुई। अगर मुद्दई ने यह कहा कि सौ रूपये पर मैंने सुलह की और बाक़ी मुआफ़ करदिये तो क़ज़ाअ़न व दयानतन हर तरह से मुद्दा'अलैहि बक़िया से बरी होगया और अगर यह कहा, कि सौ रूपये पर सुलह की और यह नहीं कहा, बक़िया मैंने मुआफ़ किये तो मुद्दा'अ़लैह क़ज़ाअ़न बरी होगया। दयानतन नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– मदयून से कहा, कि तुम्हारे ज़िम्मे हज़ार रूपये हैं कुल पाँच सौ अदा करदो इस शर्त पर, कि बाक़ी पाँच सौ से तुम बरी। अगर अदा करदिये बरी होगया वरना पूरे हज़ार रूपये उसके ज़िम्मे हैं। दूसरी सूरत यह है कि आधे दैन पर मुसालहत हुई कि कल अदा कर देगा और बाक़ी से बरी होजायेगा और यह शर्त है कि अगर कल अदा न किये, तो पूरा दैन बदस्तूर उसके ज़िम्मे होगा इस सूरत में जैसा कहा है वही है। चौथी सूरत यह है पाँचसौ से मैंने तुझे बरी कर दिया इस बात पर कि पाँचसौ कल अदा करदे पाँचसौ मुआफ़ होगये कल के रोज़ अदा करे, या न करे। पाँचवीं सूरत यह है कि यूं कहा कि अगर तू पाँचसौ कल के दिन अदा करदेगा तो बाक़ी से बरी हो जायेगा इस सूरत में हुक्म यह है कि अदा करे, या न करे बरी न होगा। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.4:– मदयून पर एक सौ रूपये और दस अशर्फ़ियाँ बाक़ी हैं एक सौ दस रूपये पर सुलह हुई अगर अदा के लिये मीआद है सुलह ना'जाइज़ है और अगर उसी वक़्त देदिये, सुलह जाइज़ है अगर दस रूपये फ़ौरन दिये, और सौ बाक़ी रहे, जब भी जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– एक शख़्स पर हज़ार रूपये बाक़ी हैं और यूँ सुलह हुई कि महीने के अन्दर दोगे तो सौ रूपये और एक माह के अन्दर न दिये तो दो सौ रूपये देने होंगे। यह सुलह सही नहीं है(आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– एक ने दूसरे पर कुछ रूपये का दावा किया। मुद्दा'अ़लैह ने इन्कार कर दिया, फिर दोनों में मुसालहत होगई कि इतने रूपये उस वक़्त दिये जायेंगे और इतने आइन्दा फुलां तारीख़ पर, यह सुलह जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– सौ रूपये बाक़ी हैं और दस मन गेहूँ पर सुलह हुई उनके देने की मीआद मुक़र्रर हो, या न हो अगर इस मज्लिस में क़ब्ज़ा न किया, सुलह बातिल है और अगर गेहूँ मोअ़य्यन होगये। यानी यूँ सुलह हुई कि यह गेहूँ दूँगा तो क़ब्ज़ा करे, या न करे सुलह जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– पाँच मन गेहूँ मदयून के ज़िम्मे बाक़ी हैं और दस रूपये पर सुलह हुई अगर रूपये पर उसी वक़्त क़ब्ज़ा होगया सुलह जाइज़ और बिग़ैर क़ब्ज़ा दोनों जुदा होगये, सुलह ना'जाइज़। और अगर पाँच रूपये पर क़ब्ज़ा कर लिया, और पाँच पर नहीं तो आधे गेहूँ के मुक़ाबिल सुलह सही है और निस्फ़ के मुक़ाबिल बातिल। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– दस मन गेहूँ इसके ज़िम्मे हैं पाँच मन गेहूँ और पाँच मन जौ पर सुलह हुई और जौ के लिये मीआद मुक़र्रर की, यह सुलह ना'जाइज़ है और जौ को मोअ़य्यन कर दिया हो सुलह जाइज़ है अगरचे गेहूँ मोअ़य्यन न हों। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– रूपये का दावा था और सुलह यूँ हुई कि मदयून इस मकान में एक साल रह कर

दाइन को देदे या यह गुलाम एक साल तक मदयून की ख़िदमत करे, फिर मदयून उसे दाइन को देदे यह सुलह ना'जाइज़ है कि यह सुलह बैअ् के हुक्म में है और बैअ् में ऐसी शर्त बैअ् को फ़ासिद कर देती है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– मदयून ने रूपये अदा कर दिये हैं मगर दाइन इन्कार करता है फिर सौ रूपये पर सुलह हुई। अगर दाइन के इल्म में वसूल होना है तो लेना जाइज़ नहीं। (ख़ानिया)

मसअ्ला.12:– दैन का कोई गवाह नहीं है। दाइन यह चाहता है कि मदयून से दैन का इक़रार कराले, ताकि वक़्त पर काम आये। मदयून ने कहा, मैं इक़रार नहीं करूँगा जब तक तू दैन की मीआद न करदे या उसमें से इतने कम न करदे, दाइन ने ऐसा ही कर दिया यह मीआद का मुक़र्रर करना, या मुआफ़ कर देना सही है। यह नहीं कहा जा सकता कि इकराह के साथ ऐसा हुआ है। यह इकराह नहीं है, और अगर मदयून ने वह बात एलानिया कह दी कि जब तक ऐसा न करोगे। मैं इक़रार न करूँगा तो इससे कुल मुतालबा फ़ौरन वसूल किया जायेगा क्योंकि दैन का इक़रार हो चुका है। (दुरर)

मसअ्ला.13:– दैन मुश्तरक का हुक्म यह है कि एक शरीक ने मदयून से जो कुछ वसूल किया, दूसरा भी उसमें शरीक है मस्लन सौ में से पचास एक शरीक ने वसूल किये तो दूसरे शरीक से यह नहीं कह सकता, कि अपने हिस्से के मैंने पचास वसूल कर लिये अपने हिस्से के तुम वसूल करलो। दूसरा इन पचास में से पच्चीस ले सकता है उसको इन्कार का हक़ नहीं है हाँ अगर दूसरा खुद मदयून ही से वसूल करना चाहता है इस वजह से मुतालबा नहीं करता, तो उसकी खुशी मगर चाहे शरीक से मुतालबा कर सकता है यानी अगर फ़र्ज़ करो, मदयून दिवालिया होगया या कोई और सूरत होगई तो यह अपने शरीक से वसूल शुदा में से आधा ले सकता है। (हिदाया वगैरहा)

मसअ्ला.14:– दैन मुश्तरक की यह सूरत है कि एक ही सबब से दोनों का दैन साबित हो मस्लन दोनों ने एक अक़्द में बैअ् की, उसका स्मन दैन मुश्तरक है। इसकी दो सूरतें हैं एक यह है कि एक चीज़ दोनों की शिरकत में थी और एक ही अक़्द में उसको बैअ् किया, यह स्मन दैने मुश्तरक है। दूसरी यह कि दोनों की दो चीज़ें थीं मगर एक ही अक़्द में दोनों को बिगैर तफ़सीले स्मन बैअ् किया यह कह दिया कि इन दोनों को इतने में बेचा, यह नहीं, कि इतने में इसको, इतने में, इसको। और, अगर दो अक़्द में चीज़ बैअ् की गई तो स्मन को दैन मुश्तरक नहीं कह सकते। मस्लन दोनों अपनी अपनी चीज़ें उस मुश्तरी के हाथ में बैअ् कीं, या चीज़ दोनों में मुश्तरक है। मगर उसने कहा मैंने अपना हिस्सा तुम्हारे हाथ पाँचसौ में बेचा, दूसरे ने कहा मैंने अपना हिस्सा पाँचसौ में बेचा तो यह दैन मुश्तरक नहीं अगरचे शय मुश्तरक का स्मन है। यूंही तफ़सीले स्मन कर देने में भी स्मन दैने मुश्तरक नहीं मस्लन दो चीज़ें हैं एक अक़्द में दस रूपये में बेचीं और यह कहा कि इसका स्मन चार रूपये है और इसका छः रूपये, यह दैन मुश्तरक नहीं। दूसरी सूरत दैन मुश्तरक की यह है कि मूरिस् का किसी पर दैन था उसके मरने के बाद यह दोनों वारिस् हुए वह दैन इनमें मुश्तरक है। तीसरी सूरत यह है कि एक मुश्तरक चीज़ को किसी ने हलाक कर दिया जिसकी क़ीमत का ज़मान (तावान) उस पर वाजिब हुआ। यह ज़मान दैने मुश्तरक है। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– दैने मुश्तरक में एक शरीक ने मदयून से अपने हिस्से में ख़िलाफ़े जिन्स पर मुसालहत करली। मस्लन अपने हिस्से के बदले में उसने एक कपड़ा मदयून से लिया तो दूसरे शरीक को इख़्तियार है कि अपना हिस्सा मदयून से वसूल करे या उसी कपड़े में से आधा लेले अगर कपड़े में से निस्फ़ लेना चाहता है तो वसूल कुनन्दा देने से इन्कार नहीं कर सकता हाँ अगर वह अस्ल दैन की चहारुम का ज़ामिन होजाये तो कपड़े में निस्फ़ का मुतालबा नहीं कर सकता(हिदाया)

मसअ्ला.16:– मदयून से मुसालहत नहीं की है बल्कि अपने निस्फ़ दैन के बदले में उससे कोई चीज़ ख़रीदी तो यह शरीक दूसरे के लिये चहारुम दैन का ज़ामिन होगया क्योंकि बैअ् के ज़रिआ से स्मन व दैन में मुक़ास्सा (अदला बदला) होगया शरीक इसमें से निस्फ़ यानी चहारुम दैन वसूल कर

सकता है और यह भी हो सकता है कि मद्यून से अपने हिस्से को वसूल करे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– एक शरीक ने मद्यून को अपना हिस्सा मुआफ़ कर दिया। दूसरा शरीक उस मुआफ़ करने वाले से मुतालबा नहीं कर सकता क्योंकि वसूल नहीं किया है बल्कि छोड़ दिया है। इसी तरह एक के ज़िम्मे मद्यून का पहले से दैन था फिर मद्यून पर दैन मुश्तरक हुआ, इन दोनों ने मुक़ास्सा (अदला बदला) कर लिया, दूसरा शरीक उससे कुछ मुतालबा नहीं कर सकता। और अगर एक शरीक ने अपने हिस्से में से कुछ मुआफ़ कर दिया, या दैन साबिक़ से मुक़ास्सा किया तो बाक़ी दैन सिहाम (हिस्सों)पर तक़सीम किया जायेगा मस्लन बीस रूपये थे एक ने पाँच रूपये मुआफ़ करदिये तो जो कुछ वसूल होगा उसमें एक तिहाई एक की और दो तिहाईयां उसकी जिसने मुआफ़ नहीं किया है (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– इन दोनों शरीकों में से एक पर मद्यून का अब जदीद दैन हुआ इस दैन से मुक़ास्सा दैन वसूल करने के हुक्म में है दूसरा इसका निस्फ़ उससे वसूल करेगा मस्लन मद्यून ने कोई चीज़ दाइन के हाथ बैअ् की इस दैन और समन में मुक़ास्सा हुआ। अगर औरत मद्यून थी एक शरीक ने उससे निकाह किया, और मुतलक़ रूपये को दैने महर किया, यह नहीं, कि दैन के हिस्से को महर क़रार दिया हो। फिर दैने महर और उस दैन में मुक़ास्सा हुआ उसका निस्फ़ दूसरा शरीक इस निकाह करने वाले से ले सकता है और अगर निकाह उस हिस्सा–ए–दैन पर हुआ तो शरीक को उससे लेने का इख़्तियार नहीं। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:– शरीक ने मद्यून की कोई चीज़ ग़सब करली या उसकी कोई चीज़ किराये पर ली और उजरत में दैन का हिस्सा क़रार पाया यह दैन पर क़ब्ज़ा है। मद्यून की कोई चीज़ तल्फ़ (बर्बाद) करदी या क़स्दन जनायत करके, अपने हिस्सा–ए–दैन पर मुसालहत की यह क़ब्ज़ा नहीं है यानी इस सूरत में दूसरा शरीक इससे मुतालबा नहीं कर सकता। (बहर)

मसअ्ला.20:– एक ने मीआद मुक़र्रर की, अगर यह दैन इनके अक़्द के ज़रिआ से न हो मस्लन दैने मुअज्जिल (वह कर्ज़ जिस की अदायगी का वक़्त मुक़र्रर किया गया हो (अमीनुल क़ादरी)) के यह दोनों वारिस् हुए तो इसका मीआद मुक़र्रर करना बातिल है मस्लन मूरिस् के हज़ार रूपये बाक़ी थे एक वारिस् ने यूँ सुलह की, कि एक सौ इस वक़्त देदो बाक़ी चार सौ के लिये साल भर की मीआद है यह मीआद मुक़र्रर करना बातिल है यानी इन सौ रूपये में से दूसरा वारिस् पचास ले सकता है। और अगर दूसरे वारिस् ने साल के अन्दर मद्यून से कुछ वसूल किया, तो इसमें से निस्फ़ पहला वारिस् ले सकता है यह दूसरा उससे यह नहीं कह सकता कि तुमने एक साल की मीआद दी है। तुम्हारा हक़ नहीं और अगर इनमें से एक ने मद्यून से अक़्दे मदायना (कर्ज़ का लेन देन) किया, इस वजह से मुद्दत वाजिब हुई तो अगर यह शिरकत शिरकते इनान है और जिसने अक़्द किया है उसी ने अजल (अदायगी की मुद्दत) मुक़र्रर की, तो जमीअ् दैन (तमाम कर्ज़) में अजल सही है और अगर उसने अजल मुक़र्रर की, जिसने अक़्द नहीं किया है तो ख़ास उसके हिस्से में भी अजल सही नहीं और अगर उन दोनों में शिरकते मुफ़ावज़ा है तो जो कोई अजल मुक़र्रर करदे, सही है। (बहर ख़ानिया)

मसअ्ला.21:– दो शख़्सों ने बतौर शिरकत अक़्दे सलम किया है। इनमें से एक ने अपने हिस्से में मुसल्लम इलैह से सुलह करली कि रासुल'माल जो दिया गया है उसमें से जो मेरा हिस्सा है उस पर सुलह करता हूँ यह सुलह दूसरे शरीक की इजाज़त पर मौक़ूफ़ है उसने जाइज़ करदी, जाइज़ होगई। जो माल मिल चुका है यानी हिस्सा–ए–मुसालेह(वह हिस्सा जिस में सुलह होचुकी है)वह दोनों में मुनक़सिम होजायेगा और जो सलम बाक़ी है वह दोनों में मुश्तरक है मस्लन वह ग़ल्ला जो निस्फ़ सलम का बाक़ी है यह दोनों में मुश्तरक है और अगर उसके शरीक ने रद्द करदिया तो सुलह बातिल होजायेगी हाँ अगर इन दोनों में शिरकते मुफ़ावज़ा है तो यह सुलह मुतलक़न जाइज़ है(दुर्र, बहर)

मसअ्ला.22:– दो शख़्सों के दो क़िस्म के माल एक शख़्स पर बाक़ी हैं मस्लन एक के रूपये दूसरे की अशर्फ़ियाँ हैं दोनों ने एक साथ सौ रूपये पर सुलह की, यह जाइज़ है। इन सौ रूपये को

अशर्फ़ियों की क़ीमत और रूपयों पर तक़सीम किया जाये यानी सौ में से जितना रूपयों के मुक़ाबिल हो वह अशर्फ़ियों वाला ले मगर अशर्फ़ियों वाले के हिस्से में जितने रूपये आयें उनमें सिर्फ़ बैअ् सर्फ़ क़रार पायेगी यानी उन पर उसी मज्लिस में क़ब्ज़ा शर्त है और रूपये वाले के हिस्से में जितने रूपये आयें उतने की वसूली है बाक़ी जो रह गये, उनको साक़ित कर दिया। (आलमगीरी)

तख़ारुज का बयान

बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि एक वारिस् बिल्मुक़्तअ् (कुल हिस्से के बदले) अपना कुछ हिस्सा लेकर तर्का से निकल जाता है कि अब वह कुछ नहीं लेगा उसको तख़ारुज कहते हैं यह भी एक क़िस्म की सुलह है।

मसअ्ला.1:– तर्का अक़्क़ार यानी जायदादे ग़ैर मन्क़ूला है या अर्ज़ है यानी नुक़ूद (दिरहम, दीनार, रूपये वग़ैरा) के अलावा दूसरी चीज़ें और जिस वारिस् को निकाला उसको कुछ माल देदिया अगरचे जितना दिया है वह उसके हिस्से की क़ीमत से कम या ज़्यादा है, या तर्का सोना है और उसको चांदी दी, या तर्का चांदी है उसको सोना दिया, या तर्का में दोनों चीज़ें हैं और उसको भी दोनों चीज़ें दीं। यह सब सूरतें जाइज़ हैं और उसको मुबादला पर महमूल किया जायेगा (यानी बदला समझा जायेगा (अमीनुल क़ादरी)) और जिसको ग़ैर जिन्स से बदलना क़रार दिया जायेगा उसको जो कुछ दिया है वह उसके हक़ से कम है या ज़्यादा दोनों सूरतें जाइज़ हैं मगर जो सूरत बैअ् सर्फ़ की है उसमें तक़ाबुज़े बदलैन ज़रूरी है मस्लन चान्दी तर्का है और उसको सोना दिया, या बिल'अक्स या तर्का में दोनों हैं और उसको दोनों दीं या एक दिया, कि सब सूरतें बैअ् सर्फ़ की हैं क़ब्ज़ा इसमें शर्त है। (बहर, दुर्रेमुख़्तार, दुरर)

मसअ्ला.2:– तर्का में सोना चांदी दोनों हैं और निकल जाने वाले को सिर्फ़ एक चीज़ दी या तर्का में सोना चाँदी और दीगर चीजें हैं और उसको सिर्फ़ सोना, या चांदी दी, इसके जवाज़ के लिये शर्त यह है कि इस जिन्स में जितना उसका हिस्सा है उससे वह ज़ायद हो, जो दीगई है मस्लन फ़र्ज़ करो, कि तर्का में रूपये, अशर्फ़ी और हर क़िस्म के सामान हैं और उसका हिस्सा सौ रूपये है और कुछ अशर्फ़ियाँ भी उसके हिस्से की हैं और कुछ दूसरी चीज़ें भी, अगर उसको सिर्फ़ रूपये दिये और वह सौ ही हों या कम यह ना'जाइज़ है कि बाक़ी तर्का उसको कुछ मुआवज़ा नहीं दिया गया और अगर एक सौ पाँच रूपया मस्लन देदिये यह सूरत जाइज़ होगई। क्योंकि सौ रूपये तो सौ रूपये में का हिस्सा है और बाक़ी पाँच रूपये अशर्फ़ियों ओर दूसरी चीज़ों का बदला है यह भी ज़रूरी है कि सोना, चांदी की क़िस्म से जो चीज़ें हों वह सब ब'वक़्ते तख़ारुज हाज़िर हों और उसको यह भी मालूम हो कि मेरा हिस्सा इतना है। (हिदाया वग़ैरहा)

मसअ्ला.3:– उरूज़ (अर्ज़ की जमा नक़्द के एलावा दूसरी चीज़ें) देकर उसे तर्का से जुदा कर दिया यह सूरत मुतलक़न जाइज़ है यूंही अगर वुरसा उसकी विरासत से ही मुन्किर हैं और कुछ देकर उसे टालना चाहते हैं कि झगड़ा दफ़ा हो तो जो कुछ देंगे, जाइज़ है। और इसमें उन शराइत की पाबन्दी नहीं होगी जो ज़िक्र हुईं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– एक वारिस् को ख़ारिज किया, और तर्का में दुयून (क़र्ज़) हैं। यानी लोगों के ज़िम्मे दैन हैं और शर्त यह ठहरी बक़िया वुरसा इस दैन के मालिक हैं वसूल करके ख़ुद लेंगे यह सूरत ना'जाइज़ है। इसके जवाज़ की यह सूरत हो सकती है कि तख़ारुज में यह शर्त हो कि दैन इसका जितना हिस्सा है उसको मदयूनीन (मक़रूज़ लोग) से मुआफ़ करदे उसका हिस्सा मुआफ़ होजायेगा और बक़िया वुरसा अपना अपना हिस्सा उन लोगों से वसूल कर लेंगे। दूसरी सूरत जवाज़ की यह है कि उस दैन में जितना हिस्सा उसका होता है वह बक़िया वुरसा अपनी तरफ़ से तबर्रोअन (ब'तौर एहसान) उसे देदें और बाक़ी में मुसालहत करके उसे ख़ारिज करदें। मगर इन दोनों सूरतों में वुरसा का नुक़सान है कि पहली सूरत में मदयूनीन से उतना दैन मुआफ़ होगया। और दूसरी सूरत में भी अपनी तरफ़ से देना पड़ा। लिहाज़ा तीसरी सूरत जवाज़ की यह है कि बक़िया वुरसा उसके हिस्से

की क़द्र उसे बतौर क़र्ज़ देदें और दैन के एलावा बाक़ी तर्का में मुसालहत करलें। और यह वारिस् जिसको हिस्सा दैन की क़द्र क़र्ज़ दिया गया है यह बक़िया वुरसा को मद्यूनीन पर हवाला करदे। (हिदाया) एक हीला यह भी हो सकता है कि कोई मुख़्तसर सी चीज मस्लन एक मुट्ठी गल्ला उसके हाथ इतने दामों में बैअ् किया जाये जितना दैन में उसका हिस्सा होता है और स्मन को वह मद्यूनीन पर हवाला करदे। (दुर्रेमुख़्तार, दुरर)

मसअ्ला.5:– तर्का में दैन नहीं है मगर जो चीज़ें तर्का में हैं वह मालूम नहीं, और सुलह मकील (वह चीजें जो माप कर बेची जाती हैं) व मौज़ून (वह चीजें जो तोलकर बेची जाती हैं) पर हो यह जाइज़ है। अगर तर्का में मकील व मौज़ून चीज़ें नहीं हैं मगर क्या क्या चीज़ें हैं वह मालूम नहीं इसमें भी तख़ारुज के तौर पर सुलह हो सकती है। (हिदाया) यह इस सूरत में है कि तर्का की सब चीज़ें बक़िया वुरसा के हाथ में हों कि उस सुलह करने वाले से कुछ लेना नहीं है लिहाज़ा इसमें झगड़े की कोई सूरत नहीं है और अगर तर्का की कुल चीज़ें या बाज़ चीज़ें इसके हाथ में हों तो जब तक उनकी तफ़सील मालूम न हो, मुसालहत दुरुस्त नहीं कि उनकी वसूली में निज़ाअ् की सूरत है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– मय्यित पर इतना दैन है कि पूरे तर्का को मुस्तग़रक़ (यानी वह कर्ज पूरी मीरास् को घेरे हुए है) है तो मुसालहत और तक़सीम दुरुस्त ही नहीं कि दैन हक़्के मय्यित है और यह मीरास् पर मुक़द्दम है हाँ अगर वह वारिस् सुलह करने वाला ज़ामिन होजाये कि जो कुछ दैन होगा उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ मैं अदा करूँगा और तुम से वापस नहीं लूँगा या कोई अजनबी शख़्स तमाम दुयून(कर्जों)का ज़ामिन होजाये कि मय्यित का ज़िम्मा बरी होजाये या यह लोग दूसरे माल से मय्यित का दैन अदा करदें(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– मय्यित पर कुछ दैन है मगर इतना नहीं कि पूरे तर्का को मुस्तग़रक़ हो तो जब तक दैन अदा न कर लिया जाये तक़सीमे तर्का व मुसालहत को मौक़ूफ़ रखना चाहिए क्योंकि अदा–ए–दैन मीरास् पर मुक़द्दम है फिर भी अगर अदा करने से पहले तक़सीम व मुसालहत करलें और दैन अदा करने के लिये कुछ तर्का जुदा करदें तो यह तक़सीम व मुसालहत सही है। मगर फ़र्ज़ करो कि वह माल जो दैन अदा करने के लिये रखा था अगर ज़ाइअ् होजायेगा तो तक़सीम तोड़दी जायेगी ओर वुरसा से तर्का लेकर दैन अदा किया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.8:– एक वारिस् को कुछ देकर तर्का से उसको अलाहिदा कर दिया, उसमें दो सूरतें हैं। तर्का ही से वह माल दिया है या अपने पास से दिया है अगर अपने पास से दिया है तो उस वारिस् का हिस्सा यह सब वुरसा बराबर–बराबर तक़सीम करलें। और अगर तर्का से दिया है तो बक़द्र मीरास् उसके हिस्से को तक़सीम करें यानी उस वारिस् को كان لم يكن (यानी गोया कि वह वारिस् ही नहीं) फ़र्ज़ करके, तर्का की तक़सीम की जाये। मय्यित ने जिसके लिये वसियत की है उसको भी कुछ देकर ख़ारिज कर सकते हैं और उसके लिये तमाम वही अहकाम हैं जो वारिस् के लिये बयान किये गये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– एक वारिस् से दीगर वुरसा ने मुसालहत की, और उसको ख़ारिज कर दिया, उसके बाद तर्का में कोई ऐसी चीज़ ज़ाहिर हुई जो उन वुरसा को मालूम न थी ख़्वाह अज़ क़बीले दैन हो या ऐन, आया वह चीज़ सुलह में दाख़िल मानी जायेगी या नहीं, इसमें दो क़ौल हैं। ज़्यादा मशहूर यह है कि वह दाख़िल नहीं, बल्कि उसके हक़दार तमाम वुरसा हैं। (बहर)

मसअ्ला.10:– एक शख़्स अजनबी ने तर्का में दावा किया, और एक वारिस् ने दूसरे वुरसा की अदम मौजूदगी में सुलह करली यह सुलह जाइज़ है। मगर दूसरे वुरसा के लिये मुतबर्रा (भलाई का काम) है उनसे मुआवज़ा नहीं लेसकता। (बहर)

मसअ्ला.11:– औरत ने मीरास् का दावा किया, वुरसा ने उससे उसके हिस्से से कम पर या महर पर सुलह करली यह जाइज़ है। मगर वुरसा को यह बात मालूम हो तो ऐसा करना हलाल नहीं और अगर औरत गवाहों से इसको साबित कर देगी तो सुलह बातिल होजायेगी। (बहर)

महर व निकाह व तलाक़ व नफ़क़ा में सुलह

मसअ्ला.1:– महर गुलाम था और बकरी पर मुसालहत हुई। अगर मोअय्यन है जाइज़ है वरना ना'जाइज़ और मकील या मौज़ून पर सुलह हुई अगर मोअय्यन है जाइज़ है और ग़ैर'मोअय्यन है तो दो सूरतें हैं उसके लिये मीआद है या नहीं। अगर मीआद है तो ना'जाइज़ और मीआद नहीं है और उसी मज्लिस में देदिया जाइज़ है वरना ना'जाइज़, अगरचे फ़ौरन देना करार नहीं पाया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– सौ रूपये महर पर निकाह हुआ, बजाए इसके पाँच मन ग़ल्ला पर मुसालहत हुई अगर ग़ल्ला मोअय्यन है जाइज़ है और ग़ैर मोअय्यन है ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

नोटः– इस मसअ्ले में भी सौ रूपये हा न समझे जायें बल्कि महर की जो कम से कम मिक़दार आज के ज़माने में रूपयों में होगी वह या उस से ज़्यादा समझें। (अमीनुल क़ादरी)

मसअ्ला.3:– मर्द ने औरत पर निकाह का दावा किया औरत ने सौ रूपये देकर सुलह की, कि मुझे इससे बरी करदे। मर्द ने क़बूल कर लिया, यह सुलह जाइज है। इसके बाद मर्द अगर निकाह के गवाह पेश करना चाहे, नहीं पेश कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– औरत ने दावा किया, कि मेरे शौहर ने तीन तलाकें देदी हैं और शौहर मुन्किर है। फिर सौ रूपये पर सुलह होगई कि औरत दावे से दस्त'बर्दार होजाये यह सुलह सही नहीं। शौहर अपने रूपये औरत से वापस ले सकता है और औरत का दावा ब'दस्तूर है। एक तलाक़ और दो तलाकें, और खुलअ् का भी यही हुक्म है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– औरत ने तलाक़े बाइन का दावा किया और मर्द मुन्किर है सौ रूपये पर मुसालहत हुई कि मर्द औरत को तलाक़े बाइन देदे यह जाइज़ है। यूंही अगर सौ रूपये देना इस बात पर ठहरा कि मर्द उस तलाक़ का इकरार करले जिसका औरत ने दावा किया है यह भी जाइज़ है(आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– औरत ने मर्द पर दावा किया, कि मैं इसकी ज़ौजा हूँ और हज़ार रूपये महर के शौहर के ज़िम्मे हैं और बच्चा उसी शौहर का है और मर्द इन सब बातों से मुन्किर है। दोनों में यह सुलह हुई कि मर्द औरत को सौ रूपये दे और औरत अपने दावे से दस्त'बर्दार होजाये, शौहर बरी नहीं होगा। बल्कि उसके बाद अगर औरत ने सब बातें गवाहों से साबित करदीं तो निकाह भी साबित, और बच्चे का नसब भी साबित। और सौ रूपये जो मर्द ने दिये थे यह सिर्फ़ महर के मुक़ाबिल में हैं यानी हज़ार रूपये महर का दावा था, सौ रूपये में सुलह होगई। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– नफ़क़ा का दावा था और ऐसी चीज पर सुलह हुई जिसको क़ाज़ी नफ़क़ा मुक़र्रर कर सकता हो मस्लन रूपया या ग़ल्ला यह मुआवज़ा नहीं है बल्कि इस सुलह का हासिल यह है कि यह चीज़ नफ़क़ा में मुक़र्रर हुई। और अगर ऐसी चीज़ पर सुलह हुई जिसको नफ़क़ा में मुक़र्रर नहीं किया जा सकता हो मस्लन गुलाम या जानवर इसको मुआवज़ा क़रार दिया जायेगा इसका हासिल यह होगा कि औरत ने इस चीज़ को लेकर शौहर को नफ़क़ा से बरी कर दिया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– नफ़क़ा का दावा था तीन रूपये माहवार पर सुलह हुई अब शौहर यह कहता है कि मुझ में इतना देने की ताक़त नहीं उसको देना पड़ेगा। हाँ अगर औरत या क़ाज़ी उसे बरी करदें, तो बरी हो सकता है और अगर चीज़ों का नर्ख़ अरज़ां (सस्ता) होजाये शौहर कहता है कि इससे कम में गुज़ारा हो सकता है तो कम किया जा सकता है। यूँही औरत कहती है कि तीन रूपये किफ़ायत नहीं करते, ज़्यादा दिलाया जाये। मर्द मालदार है तो ज़्यादा दिलाया जा सकता है। क़ाज़ी ने नफ़क़ा की मिक़दार मुक़र्रर की है इस सूरत में भी औरत दावा करके ज़्यादा करा सकती है।(आलमगीरी)

नोट :– तीन रूपये उस दौर में जब कि बहारे शरीअत उर्दू लिखी गई थी नफ़क़ा के लिये काफ़ी होंगे मगर आज के दौर में तीन रूपये का नफ़क़े के लिये बहुत कम हैं इस मसअ्ला समझने के लिये तीन रूपये की जगह उतने रूपये पढ़लें जो माहवार ज़रूरी ख़र्चों के लिये काफ़ी हों। (अमीनुल क़ादरी)

मसअ्ला.9:– मुतल्लक़ा के ज़मान–ए–इद्दत में चन्द रूपये पर मुसालहत हुई कि बस शौहर इतने

ही देगा इससे ज़्यादा नहीं देगा। अगर इद्दत महीना से है यह मुसालहत जाइज़ है। और इद्दत हैज़ से है तो जाइज नहीं क्योंकि तीन हैज कभी दो महीने, बल्कि कम में पूरे होते हैं। और कभी दस माह में भी पूरे नहीं होते। (खानिया)

मसअ्ला.10:– जिस औरत को तलाके बाइन दी है। ज़माना-ए-इद्दत तक उसके रहने के लिये मकान देना ज़रूरी है। मकान की जगह रूपये पर मुसालहत हुई कि इतने रूपये लेले, यह सुलह ना'जाइज़ है। (खानिया)

वदीअ़त व हिबा व इजारा व मुज़ारबत में सुलह

मसअ्ला.1:– यह दावा किया कि मैंने उसके पास वदीअत रखी है। मुवद्दअ् (जिसके पास अमानत रखी जाये) कहता है तूने मेरे पास वदीअत नहीं रखी है। इस सूरत में किसी मालूम चीज पर सुलह हुई जाइज़ है। और अगर मालिक ने मुवद्दअ् से वदीअत तलब की मुवद्दअ् वदीअत का इकरार करता है या ख़ामोश है, कुछ नहीं कहता, और मालिक कहता है इसने वदीअत हलाक करदी, और मुवद्दअ् कहता है मैंने वापस देदी, या हलाक होगई इस सूरत में सुलह ना'जाइज़ है। (खानिया)

मसअ्ला.2:– मुस्तईर (आरियत पर लेने वाला) आ़रियत से मुन्किर है कहता है मैंने आरियत ली ही नहीं। इसके बा़द सुलह़ हुई, जाइज़ है। और अगर आरियत लेने का इकरार करता है और वापस करने, या हलाक होने का दा़वा नहीं करता और मालिक कहता हे कि इसने खुद हलाक करदी। सुलह़ जाइज़ है। और मुस्तईर कहता है हलाक होगई और मालिक कहता है कि इसने खुद हलाक करदी है तो सुलह़ जाइज़ नहीं। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.3:– जो चीज़ वदीअ़त रखी है वह बिऐनेही मुवद्दअ् के पास मौजूद है मसलन दो सौ रूपये हैं। अगर मुवद्दअ् इक़रार करता है या इन्कार करता है मगर गवाहों से वदीअत साबित है। इन दोनों सूरतों में सौ रूपये पर सुलह़ ना'जाइज है और अगर मुवद्दअ् मुन्किर हो और गवाह से वदीअ़त साबित न हो तो कम पर सुलह़ जाइज़ है मगर मुवद्दअ् के लिये, यह रकम जो बची है। दयानतन जाइज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– एक शख़्स के पास दूसरे की कुछ चीज़ें हैं उसने उनको किसी के पास वदीअत रख दिया, फिर उससे लेकर किसी और के पास वदीअत रख दिया, उससे भी वह चीज़ें लेलीं। अब तलाश करता है तो उनमें से एक चीज़ नहीं मिलती उन दोनों से कहा, कि फुलां चीज़ तुम्हारे यहाँ से ज़ाइअ् होगई। मैं यह नहीं कह सकता, कि किस के यहाँ से गई वह दोनों कहते हैं हमने ग़ौर से देखा भी नहीं कि क्या क्या चीज़ें हैं तुमने जो कुछ दिया, बर्तन समीत हमने ब'हिफ़ाज़त रख दिया और तुमने जब मांगा देदिया। यह शख़्स जिसने दूसरे के पास वदीअ़त रखी है ज़ामिन है। मालिक को तावान दे इसमें और दोनों मुवद्दअ् में सुलह़ जाइज़ है। फिर अगर मालिक के तावान लेने के बा़द सुलह़ हुई, या कम पर बहर ह़ाल जाइज़ है। और अगर तावान लेने से पहले सुलह़ हुई और मिस्ल क़ीमत या कुछ कम पर, जिसको ग़बने यसीर कहते हैं सुलह़ हुई, यह सुलह़ जाइज़ है और यह दोनों ज़मान से बरी हैं या़नी अगर मालिक ने गवाहों से इस गुमशुदा शय को साबित कर दिया तो इन दोनों से कुछ नहीं ले सकता और अगर ग़बने फ़ाह़िश पर मुसालहत हुई तो सुलह़ ना'जाइज़ है और मालिक को इख़्तियार है कि उस पहले शख़्स से तावान ले या उन दोनों से, उनसे अगर लेगा तो यह पहले से उस चीज़ को वापस ले सकते हैं जो उन्होंने मुसा़लहत में दी है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– दावा किया, कि यह चीज़ मेरी है। मुद्दा'अलैह ने कहा, यह चीज़ मेरे पास फुलां की अमानत है। इसके बा़द दोनों में मुसा़लह़त होगई। मुद्दई के सुबूत गुज़रने के बा़द सुलह़ हुई। उसके पहले बहर ह़ाल यह सुलह़ जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– जानवर आ़रियत पर लिया था वह हलाक होगया, मालिक कहता है मैंने आ़रियत पर नहीं दिया था। मुस्तईर ने कुछ माल देकर सुलह़ करली, यह जाइज़ है। इसके बाद मुस्तईर अगर

गवाहों से आरियत साबित करे, और यह कहे, कि जानवर हलाक होगया, सुलह बातिल होजायेगी। और मुस्तईर चाहे, तो मालिक पर हलफ़ भी दे सकता है। (आलमगीरी)

मसअला.7:– मुज़ारिब ने मुज़ारबत से इन्कार करने के बाद, इक़रार कर लिया या इक़रार के बाद इन्कार किया, इसके बाद इसमें रब्बुल'माल (मुज़ारबत पर माल देने वाला) में सुलह होगई यह जाइज़ है और अगर मुज़ारिब ने माले मुज़ारबत से किसी के साथ अक़्द मदायना (उधार के साथ खरीद व फरोख्त) किया था और मुज़ारिब व मदयून में सुलह होगई यह सुलह जाइज है मगर इस सुलह में जो कुछ कमी हुई है इतने का रब्बुल'माल के लिये मुज़ारिब तावान दे और अगर कम पर सुलह इस लिये की है कि मबीअ़ में कुछ ऐब था तो मुज़ारिब ज़ामिन नहीं बल्कि यह कमी रब्बुल'माल के ज़िम्मे होगी(आलमगीरी)

मसअला.8:– यह दावा किया कि यह चीज़ मुझे हिबा करदी है और मैंने क़ब्ज़ा भी कर लिया और वह चीज़ वाहिब (हिबा करने वाला) के क़ब्ज़े में है और वाहिब हिबा से मुन्किर है यूँ मुसालहत हुई कि उस चीज़ में से निस्फ़ वाहिब ले, और निस्फ़ मौहूब'लहू, (जिसे हिबा किया गया) यह सुलह जाइज़ है। इसके बाद मौहूब'लहू हिबा और क़ब्ज़ा को गवाहों से साबित करना चाहे, गवाह मक़बूल नहीं यानी निस्फ़ जो मुद्दा'अलैह के क़ब्ज़े में है मुद्दई उसे नहीं ले सकता और अगर सुलह में एक ने कुछ रूपये देने की भी शर्त करली है यानी वह चीज़ भी आधी देगा और इतने रूपये भी यह सुलह भी जाइज़ है और अगर यूँ सुलह हुई कि चीज़ पूरी फुलां शख़्स लेगा और वह दूसरे को इतने रूपये देगा यह भी जाइज़ है और अगर मौहूब'लहू ने हिबा का दावा किया, और यह इक़रार भी कर लिया, कि क़ब्ज़ा नहीं किया था और वाहिब हिबा से इन्कार करता है उसके बाद सुलह हुई कि चीज़ दोनों में निस्फ़–निस्फ़ होजाये यह सुलह बातिल है और इस सूरत में मौहुब'लहू के ज़िम्मे कुछ रूपये भी हैं तो जाइज़ है और वाहिब के ज़िम्मे रूपये ठहरे हों तो सुलह ना'जाइज़ है और अगर यूँ सुलह हुई कि पूरी चीज़ एक को दीजाये और यह दूसरे को इतने रूपये दे। अगर वाहिब के ज़िम्मे रूपये क़रार पाये सुलह बातिल है और मौहूब' लहू के ज़िम्मे हो तो बातिल नहीं। (आलमगीरी)

मसअला.9:– एक शख़्स के पास मकान है वह कहता है कि ज़ैद ने मुझे यह मकान सदक़ा कर दिया है और मैंने क़ब्ज़ा किया, और ज़ैद कहता है मैंने हिबा किया है और मैं वापस लेना चाहता हूँ दोनों में सुलह होगई कि वह शख़्स ज़ैद को सौ रूपये दे, और मकान उसी के पास रहे, यह सुलह जाइज़ है और अब मकान वापस नहीं ले सकता सुलह के बाद वह शख़्स जिसके क़ब्ज़े में मकान है अगर हिबा का इक़रार करे, या सुलह से पहले ज़ैद ने हिबा व सदक़ा दोनों से इन्कार किया हो जब भी सुलह ब'दस्तूर क़ायम रहेगी और अगर यूँ सुलह हुई कि जिसके पास मकान है वह ज़ैद को सौ रूपये दे, और मकान दोनों के माबैन निस्फ़ निस्फ़ रहे, यह सुलह भी जाइज़ है और शुयूअ़ (हिस्सों) की वजह से सुलह बातिल नहीं होगी। (आलमगीरी)

मसअला.10:– एक शख़्स को मोअय्यन गेहूँ पर अजीर (नौकर) रखा, यानी वह गेहूँ उजरत में दिये जायेंगे इसके बाद यूँ सुलह हुई कि गेहूँ की जगह इतने रूपये दिये जायेंगे यह सुलह ना'जाइज़ है कि जब गेहूँ मोअय्यन थे तो मबीअ़ हुए, मबीअ़ की बैअ़ क़ब्ले क़ब्ज़ा ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअला.11:– किराये पर मकान लिया, और मुद्दत के मुताल्लिक़ इख़्तिलाफ़ है। मालिक मकान कहता है कि दस रूपये किराये पर दो महीने को दिया है और किरायेदार कहता है कि दस रूपये में तीन माह के लिये दिया है सुलह यूँ हुई कि दस रूपये में ढाई माह किरायेदार मकान में रहे यह जाइज़ है और अगर यूँ सुलह हुई कि तीन माह मकान में रहे मगर एक रूपया उजरत में ज़्यादा करदे यह भी जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअला.12:– किसी जगह जाने के लिये घोड़ा किराये पर लिया, और उजरत भी मुक़र्रर हो चुकी, घोड़े का मालिक कहता है कि फुलां जगह जाने की दस रूपये उजरत ठहरी है और मुस्ताजिर कहता है दूसरी जगह जाना ठहरा है जो इस जगह से दूर है और उजरत आठ रूपये तय होना

कहता है इसमें सुलह यूँ हुई, कि उजरत वह दीजाये जो घोडे वाला कहता है और वहाँ तक सवार होकर जायेगा जहाँ तक मुस्ताजिर बताता है यह जाइज है। यूंही अगर जगह वह रही, जो मालिक कहता है और किराया वह रहा, जो मुस्ताजिर कहता है यह सुलह भी जाइज है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– यह कहता है कि जैद के पास जो फुलां चीज है मसलन मकान, वह मेरा है जैद के मेरे जिम्मे सौ रूपये थे वह मैंने उसके पास रहन रख दिया है। जैद कहता है कि वह मकान मेरा है मेरे पास किसी ने रहन नहीं रखा है और मेरे सौ रूपये तुम पर बाकी हैं। इस मुआमला में यूँ सुलह हुई कि जैद वह सौ रूपये छोडदे, और पचास और दे और मकान के मुताल्लिक अब दूसरा शख्स दावा न करेगा यह सुलह जाइज है। अगर सुलह के बाद जैद ने रहन का इकरार कर लिया, जब भी सुलह बातिल नहीं होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– राहिन (गिरवी रखने वाला) मरगया, एक शख्स कहता है कि शय मरहून (गिरवी रखी हुई चीज) मेरी मिल्क है। राहिन को रहन रखने के लिये बतौर आरियत दी थी इसमें और मुरतहिन (जिस के पास चीज गिरवी रखी गई) में सुलह होगई कि मुरतहिन इसकी मिल्क का इकरार करे। राहिन के वुरसा के मुकाबिल में मुरतहिन का इक़रार कोई चीज़ नहीं। (आलमगीरी)

ग़सब व सर्क़ा व इकराह में सुलह

मसअ्ला.1:– एक चीज़ ग़सब की जिसकी क़ीमत सौ रूपये है और सौ रूपये से ज़्यादा में सुलह हुई यह सुलह जाइज़ है यानी अगर सुलह के बाद ग़ासिब ने गवाहों से साबित किया कि वह चीज़ इतने की नहीं थी जिस पर सुलह हुई यह गवाह मकबूल नहीं होंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– ग़सब का दावा हुआ क़ाज़ी ने हुक्म देदिया कि मग़सूब की क़ीमत(ग़सब की हुई चीज़ की क़ीमत) ग़ासिब अदा करे। इस फ़ैसले के बाद क़ीमत से ज़्यादा पर सुलह हुई यह ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– कपड़ा ग़सब किया था ग़ासिब के पास किसी दूसरे ने उसको हलाक कर दिया, मालिक ने ग़ासिब से कम क़ीमत पर सुलह करली यह जाइज़ है और ग़ासिब इस हलाक करने वाले से पूरी क़ीमत वसूल कर सकता है मगर सुलह की रक़म से जितना ज़्यादा लिया है वह सदका करदे और अगर मालिक ने इस हलाक करने वाले से कम क़ीमत पर सुलह करली यह भी जाइज़ है। इस सूरत में ग़ासिब बरी होजायेगा यानी मालिक उससे तावान नहीं लेसकता। बल्कि किसी वजह से अगर हलाक कुनन्दा से सुलह की रक़म वसूल न होसके जब भी ग़ासिब से कुछ नहीं ले सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– गेहूँ ग़सब किये थे और सुलह रूपये या अशर्फ़ी पर हुई यह सुलह जाइज़ है। अगर ग़ासिब के पास वह गेहूँ मौजूद हों और रूपये या अशर्फ़ियाँ फ़ौरन देना क़रार पाया हो या उनके देने की कोई मीआद हो दोनों सूरतों में सुलह जाइज़ है और अगर गेहूँ हलाक होचुके, और रूपये के लिये कोई मीआद मुक़र्रर हुई तो सुलह ना'जाइज़ है और फ़ौरन देना ठहरा है तो जाइज़ है जबकि क़ब्ज़ा भी होजाये और क़ब्ज़ा से पहले दोनों जुदा होगये सुलह बातिल होगई। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– एक मन गेहूँ और एक मन जौ ग़सब किये और दोनों को ख़र्च कर डाला, इसके बाद एक मन जौ पर सुलह हुई। इस तौर पर कि गेहूँ मुआफ़ करदे, यह जाइज़ है और इन दोनों में एक मौजूद है और उसी पर सुलह हुई यूं कि जो ख़र्च कर डाला है उसे मुआफ़ कर दिया यह भी जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– एक मन गेहूँ ग़सब करके ग़ायब कर दिये और उन्हीं गेहुँओं के निस्फ़ मन पर सुलह की, यह ना'जाइज़ है। और दूसरे गेहुँओं के निस्फ़ मन पर सुलह हुई यह सुलह जाइज़ है मगर ग़ासिब के पास, अगर ग़सब किये हुए, गेहूँ अब तक मौजूद हैं तो निस्फ़ मन से जितने ज़्यादा हैं। उनको सर्फ़ (इस्तेमाल) करना हलाल नहीं बल्कि वाजिब है कि मालिक को वापस देदे और अगर दूसरी जिन्स पर सुलह हुई मसलन कपड़े का थान मालिक को देदिया, यह सुलह भी जाइज़ है। और गेहूँ को काम में लाना भी जाइज़। और अगर ऐसी चीज़ ग़सब की है जो तक़सीम के क़ाबिल नहीं मसलन जानवर और सुलह उसी के निस्फ़ पर हुई यानी उस जानवर में निस्फ़ ग़ासिब का हो और

निस्फ़ मग़सूब मिन्हु (जिस की चीज गसब की गई) का क़रार पाया, यह सुलह़ ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– एक हज़ार रूपये ग़सब किये, और उनको छुपा दिया, और पाँच सौ में सुलह़ हुई ग़ासिब ने उन्हीं में से पाँच सौ मालिक को देदिये या दूसरे रूपये दिये, क़ज़ाअ्न यह सुलह़ जाइज़ है मगर दयानतन ग़ासिब पर वाजिब है कि बाक़ी रूपये भी मालिक को वापस दे। (ख़ानिया)

मसअ्ला.8:– एक शख़्स ने दूसरे का चांदी का बर्तन ज़ाइअ् कर दिया, क़ाज़ी ने हुक्म दिया उसकी क़ीमत तावान दे मगर क़ीमत पर क़ब्ज़ा करने से पहले दोनों जुदा होगये वह फ़ैसला बातिल न होगा। और बा'हम उन दोनों ने क़ीमत पर मुसालह़त की और क़ब्ज़े सें क़ब्ल जुदा होगये यह सुलह़ भी बातिल नहीं और अगर रूपये ज़ाइअ् कर दिये, और उससे कम पर मुसालह़त हुई और अदा करने की मीआ़द मुक़र्रर हुई यह सुलह़ भी जाइज़ है। (ख़ानिया)

मसअ्ला.9:– मोची की दुकान पर लोगों के जूते रखे थे, चोरी होगये, चोर का पता चलगया। मोची ने चोर से सुलह़ करली। अगर जूते मौजूद हों बिग़ैर इजाज़त मालिक सुलह़ जाइज़ नहीं। और चोर के पास जूते बाक़ी न रहे, तो बिग़ैर इजाज़ते मालिक भी सुलह़ जाइज़ है ब'शर्ते कि रूपये पर सुलह़ हुई हो और ज़्यादा कमी पर सुलह़ न हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– सुलह़ करने पर मजबूर किया गया, यह सुलह़ ना'जाइज़ है। दो मुद्दई हैं हाकिम ने मुद्दा'अलैह को एक से सुलह़ करने पर मजबूर किया, उसने दोनों से सुलह़ करली जिसके लिये मजबूर किया गया उससे सुलह़ ना'जाइज़ है, दूसरे से सुलह़ जाइज़ है। (आलमगीरी)

काम करने वालों से सुलह़

मसअ्ला.1:– धोबी को कपड़ा धोने के लिये दिया, उसने ज़ोर ज़ोर से पाटे पर पीट कर फाड़ डाला। और सुलह़ यूँ हुई कि धोबी कपड़ा लेले और इतने रूपये दे, या यूँ कि धोबी से इतने रूपये लेगा और अपना कपड़ा भी लेगा दोनों सूरतें जाइज़ हैं। अगर मकील (नापकर) या मौज़ून (तोल) पर सुलह़ हुई और यह मोअ़य्यन है जब भी सुलह़ जाइज़ है, कपड़ा धोबी लेगा या मालिक लेगा दोनों सूरतें जाइज़ हैं। और अगर मकील व मौज़ून ग़ैर मोअ़य्यन हों और यह त़य हुआ कि कपड़ा धोबी लेगा तो मकील व मौज़ून का जितना ह़िस्सा कपड़े के मुक़ाबिल होगा उसमें सुलह़ जाइज़ है और जो ह़िस्सा कपड़ा फटने की क़ीमत के मुक़ाबिल हो उसमें ना'जाइज़, और अगर यह तय हुआ कि मकील या मौज़ून भी लेगा और अपना कपड़ा भी, तो सुलह़ ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– धोबी कहता है मैंने कपड़ा दे दिया, मालिक कहता है नहीं दिया, इसमें सुलह़ ना'जाइज़ है। और इस सूरत में धुलाइ भी मालिक के ज़िम्मे वाजिब नहीं। और अगर धोबी कहता है मैंने कपड़ा देदिया, और धुलाइ का मुत़ालबा करता है और मालिक इन्कार करता है आधी धुलाई पर मुसालह़त हुई यह जाइज़ है। यूंही अगर मालिक कपड़ा वसूल होने का इक़रार करता है मगर कहता है धुलाई दे चुका हूँ और धोबी धुलाई पाने से इन्कार करता है आधी धुलाई पर मुसालह़त होगई यह सुलह़ भी जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– अजीरे मुश्तरक (उजरत पर मुख़्तलिफ़ लोगों का काम करने वाला) यह कहता है चीज़ मेरे पास से हलाक होगई। मालिक ने कुछ रूपये लेकर सुलह़ करली। इमामे आ़ज़म रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के नज़्दीक यह सुलह़ ना'जाइज़ है क्योंकि अजीरे मुश्तरक अमीन है चीज़ उसके पास अमानत होती है और अमीन के पास से चीज़ ज़ाइअ् होजाये तो मुआ़वज़ा नहीं लिया जा सकता ओर अजीरे ख़ास (नौकर) में यह पेश आये तो बिल'इत्तिफ़ाक़ सुलह़ ना'जाइज़ है। चरवाहा अगर दूसरे लोगों के भी जानवर चराता हो तो अजीरे मुश्तरक है और तन्हा उसी के जानवर चराता हो तो अजीरे ख़ास (नौकर) है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– कपड़ा बुनने वाले को सूत दिया कि इसका सात हाथ लम्बा और चार हाथ चौड़ा कपड़ा बुनदे उसने कम कर दिया, पाँच हाथ लम्बा, चार हाथ चौड़ा, बुन दिया, या ज़्यादा कर दिया। इसका हुक्म यह है कि सूत वाला कपड़ा लेले और उसको उजरते मिस्ल देदे, या कपड़ा उसी को देदे, और जितना

सूत दिया था वैसा ही उतना सूत उससे लेले। सूत वाले ने दूसरी सूरत इख़्तियार की, यानी कपड़ा देदिया और सूत लेना ठहरा लिया, उसके बदले यूँ मुसालहत करली कि सूत की जगह इतने रूपये लेगा और रूपये की मीआ़द मुक़र्रर करली, यह सुलह़ ना'जाइज़ है। और अगर पहली सूरत इख़्तियार की कि कपड़ा लेगा और उजरते गिस्ल देगा उसके बा़द यूँ सुलह हुई कि कपड़ा देदिया और रूपये लेना ठहरा लिया और उसकी मुद्दत मुक़र्रर करली, यह सुलह़ जाइज़ है।(ख़ानिया) और अगर सुलह़ इस तरह हुई कि कपड़ा लेगा और उजरत में इतना कम कर देगा यह सुलह़ भी जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– रंगने के लिये कपड़ा दिया और यह ठहरा, कि इतना रंग डालना और एक रूपया रंगाई दी जायेगी, उसने दो चन्द रंग ज़्यादा डाल दिया, उसमें कपड़े वाले को इख़्तियार है कि अपना कपड़ा लेले और एक रूपया दे और जो रंग ज़्यादा डाला है वह दे या अपने सफ़ेद कपड़े की क़ीमत लेले और कपड़ा रंगरेज़ के पास छोड़दे इसमें सुलह़ यूँ हुई कि इतने रूपये लेगा, यह सुलह़ जाइज़ है अगरचे रूपये के लिये मीआ़द हो। अगर यूँ सुलह हुई कि अपना कपड़ा लेगा और यह मोअ़य्यन गेहूँ रंगाई में देगा यह सुलह़ भी जाइज़ है। (आलमगीरी)

बैअ् में सुलह़

मसअ्ला.1:– एक चीज़ ख़रीदी, उसपर या उसके जुज़ पर किसी ने दा़वा कर दिया कि मेरी है मुश्तरी ने उससे सुलह़ करली यह सुलह़ जाइज़ है मगर मुश्तरी यह चाहे कि जो कुछ देना पड़ा है बाइअ् से वापस लूं यह नहीं हो सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– एक चीज़ ख़रीदी, और मबीअ् पर क़ब्ज़ा भी कर लिया, अब दा़वा करता है कि वह बैअ् फ़ासिद हुई थी मगर गवाह मयस्सर नहीं हुए कि फ़साद सा़बित करता। दावा–ए–फ़साद के मुता़ल्लिक़ दोनों में सुलह़ होगई यह सुलह़ ना'जाइज़ है। सुलह़ के बा़द अगर गवाह मयस्सर आयें पेश कर सकता है गवाह लिये जायेंगे। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.3:– रब्बुस्सलम (बैअ् सलम में ख़रीदार को रब्बुस्सलम कहते हैं (अमीनुल कादरी))ने मुसल्लम इलैह (बैअ् सलम में बाइअ् को कहते हैं) से रासुल माल (बैअ् सलम में समन को कहते हैं) पर सुलह़ करली, जाइज़ है और दूसरी जिन्स पर सुलह़ करे मस्लन इतने मन गेहूँ की जगह इतने मन जौ देदे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– मुसल्लम इलैह के ज़िम्मे सलम के दस मन गेहूँ हैं, और हज़ार रूपये भी, रब्बुस्सलम के इसके ज़िम्मे हैं दोनों के मुक़ाबिल में सौ रूपये पर सुलह़ होगई, जाइज़ है। (बदाइअ)

मसअ्ला.5:– सलम में यूँ सुलह़ हुई कि निस्फ़ रासुल'माल लेगा, और निस्फ़ मुसलम फ़ीह यह जाइज़ है। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.6:– पाँच मन गेहूँ में सलम किया था जिसकी मीआ़द एक माह थी फिर उसी शख़्स से पाँच मन जौ में सलम की. और उसकी दो माह मुक़र्रर हुई। एक माह का ज़माना गुज़रा और गेहूँ की वसूली का वक़्त आगया, दोनों में मुसा़लहत हुई कि रब्बुस्सलम गेहूँ इस वक़्त ले ले और जौ की मीआ़द में इज़ाफ़ा होजाये, यह जाइज़ है और अगर यूँ सुलह़ हुई कि जौ इस वक़्त लेले और गेहूँ की मीआ़द मुअख़्ख़र होजाये यह ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– कपड़े के एवज़ में गेहूँ में सलम किया, और मुसल्लम इलैह को वह कपड़ा देदिया फिर मुसल्लम इलैह ने उसी कपड़े से किसी दूसरे शख़्स से सलम किया, रब्बुस्सलम अव्वल ने मुसल्लम इलैह अव्वल से रासुल'माल पर मुसा़लहत की उसकी दो सूरतें हैं अगर मुसल्लम इलैह अव्वल के के पास वह कपड़ा आगया उसके बा़द सुलह़ हुई और इस तौ़र पर आया, जो मिन कुल्लिल वुजूह फ़स्ख़ (यानी हर सूरत में फ़स्ख़ है) है। मस्लन मुसल्लम इलैह सा़नी ने ख़्यारे रूयत की वजह से वापस कर दिया, या ख़्यारे ऐब की वजह से, हुक्मे क़ाज़ी से वापस किया, या दूसरी सलम में रासुल'माल पर क़ब्ज़ा से पहले दोनों जुदा होगये इसका हुक्म यह है कि मुसल्लम'इलैह रब्बुस्सलम को वही कपड़ा वापस करदे कपड़े की क़ीमत वापस देने का हुक्म नहीं होसकता। यूँही अगर मुसल्लम'इलैहि

ने वह कपड़ा किसी को हिबा कर दिया था फिर वापस लेलिया, क़ाज़ी के हुक्म से वापस लिया है या बिग़ैर क़ज़ा–ए–क़ाज़ी (क़ाज़ी के फ़ैसले के बिग़ैर) इस सूरत में भी रब्बुस्सलम को कपड़ा वापस करदे। और अगर वह कपड़ा मुसल्लम'इलैह अव्वल को ऐसी वजह से हासिल हुआ कि मिन कुल्लिल वजह मिल्के जदीद (नई मिल्कियत) हो मस्लन उसने मुसल्लम इलैह सानी से ख़रीद लिया या उसने उसे हिबा कर दिया या बतौर मीरास् उसको मिला, इन सूरतों में रब्बुस्सलम अव्वल को कपड़े की क़ीमत मिलेगी वह कपड़ा नहीं मिलेगा और अगर इस तरह वापस हुआ कि एक वजह से फ़स्ख़, और एक वजह से तम्लीक (मालिक बनाना) है। मस्लन दोनों ने सलम सानी का इक़ाला कर लिया, या ऐब की वजह से बिग़ैर क़ाज़ी के फ़ैसले के वापस लेलिया तो रब्बुस्सलम का हक़ कपड़े की क़ीमत है ख़ुद वह कपड़ा नहीं है और अगर मुसल्लम इलैह अव्वल के पास कपड़ा आने से क़ब्ल दोनों ने रासुल'माल पर सुलह की और क़ाज़ी ने मुसल्लम इलैह अव्वल को क़ीमत अदा करने का हुक्म दे दिया इसके बाद उसके पास वही कपड़ा आगया तो यह दोनों क़ीमत की जगह पर कपड़ा वापस करने पर मुसालहत नहीं कर सकते। मुसल्लम इलैह के पास उसकी वापसी जिस सूरत से भी हो मगर सिर्फ़ इस सूरत में कि ऐब की वजह से ब'हुक्मे क़ाज़ी वापस हुआ हो और अगर क़ाज़ी ने क़ीमत वापस देने का हुक्म अभी नहीं दिया है कि वही कपड़ा मुसल्ल्म'इलैह के पास इस तरह आया कि वह हर वजह से सलम सानी का फ़स्ख़ है तो रब्बुस्सलम को कपड़ा देगा वरना क़ीमत।(आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– दो शख़्सों ने मिलकर, तीसरे से सलम किया था उनमें से एक ने अपने हिस्से में रासुल'माल पर सुलह करली यह सुलह शरीक की इजाज़त पर मौक़ूफ़ है उसने अगर रद् करदी। सुलह बातिल होगई और अगर ब'दस्तूर बाक़ी रही, और शरीक ने जाइज़ करदी, तो सुलह दोनों पर नाफ़िज़ होगी यानी निस्फ़ रासुल'माल में दोनों शरीक होंगे और निस्फ़ मुसल्लम फ़ीह (बैअ् सलम में बेची जाने वाली चीज़ को मुसल्लम फ़ीह कहतें हैं (अमीनुल कादरी)) में भी दोनों की शिरकत होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– एक शख़्स से सलम किया, मुसल्लम इलैह की तरफ़ से किसी ने किफ़ालत की, कफ़ील ने रब्बुस्सलम से रासुल'माल पर सुलह करली यह सुलह इजाज़ते मुसल्लम इलैह पर मौक़ूफ़ है जाइज़ करदी, जाइज़ है, रद् करदी बातिल है। अगर कफ़ील ने बिग़ैर हुक्मे मुसल्लम'इलैह किफ़ालत की है जब भी यही हुक्म है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– कफ़ील ने रब्बुस्सलम से जिन्से मुसल्लम फ़ीह पर मुसालहत की, मगर सलम में उम्दा गेहूँ क़रार पाये और उसने कम दर्जे का देना ठहरा लिया, यह सुलह जाइज़ है और कफ़ील मुसल्लम इलैह से खरे गेहूँ लेगा। (ख़ानिया)

मसअ्ला.11:– एक शख़्स ने दूसरे को सलम करने का हुक्म दिया था (वकील बनाया था) उसने सलम किया, फिर रासुल'माल पर सुलह करली, यह सुलह उस वकील पर नाफ़िज़ होगी। मुवक्किल पर नाफ़िज़ नहीं होगी यानी वकील इस मुसल्लम इलैह से रासुल'माल ले सकता है और अगर ख़ुद मुवक्किल ने मुसल्लम इलैह से सुलह करली, और रासुल'माल पर क़ब्ज़ा कर लिया तो सुलह जाइज़ है यानी वकील भी मुसल्लम फ़ीह का मुतालबा नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

सुलह में ख़्यार

मसअ्ला.1:– एक चीज़ का दावा है और दूसरी जिन्स पर सुलह हुई यह सुलह बैअ् के हुक्म में है। इसमें ख़्यारे शर्त सही है मस्लन सौ रूपये का दावा था और गुलाम या जानवर पर सुलह हुई और मुद्दा'अलैह ने अपने लिये या मुद्दई के लिये तीन दिन का ख़्यारे शर्त रखा सुलह भी जाइज है और ख़्यारे श.र्त भी मुद्दा'अलैह दावा का इक़रार करता हो या इन्कार दोनों का एक ही हुक्म है(आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– एक हज़ार का दावा था। गुलाम पर सुलह हुई। यूँ कि मुद्दई एक माह के अन्दर दस अशर्फ़ियाँ मुद्दा अलैह को देगा और इसमें ख़्यारे शर्त भी है। अगर अक़्द वाजिब होगया, यानी ख़्यारे शर्त की वजह से फ़स्ख़ नहीं किया, तो मुद्दा'अलैह हज़ार से बरी होगया और मुद्दई के

जिम्मे उसकी दस अशर्फ़ियाँ वाजिब होगईं और उनकी मीआद यौमे वुजूबे अक़्द से (यानी अक्द वाजिब होने के दिन से) एक माह तक है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– एक शख़्स के दूसरे के ज़िम्मे दस रूपये हैं और कपड़े के थान पर ख़्यारे शर्त के साथ सुलह हुई और थान मुद्दई को देदिया मगर तीन दिन पूरे होने से पहले ही थान ज़ाइअ् होगया, मुद्दई थान की क़ीमत कर ज़ामिन है और मुद्दा'अ़लैह के ज़िम्मे वही दस रूपये ब'दस्तूर वाजिब हैं और अगर ख़्यार मुद्दई के लिये था और अन्दुरूने मुद्दत मुद्दई के पास से ज़ाइअ् हो गया तो दस रूपये के बदले में ज़ाइअ् हुआ यानी अब कोई दूसरे से किसी चीज़ का मुतालबा नहीं कर सकता। और अगर अन्दुरूने मुद्दत जिसके लिये ख़्यार था वही मरगया तो सुलह तमाम हो गई। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– दैन के बदले में गुलाम पर ब'शर्ते ख़्यार मुसालहत हुई और ख़्यार की मुद्दत तीन दिन क़रार पाई। मुद्दत पूरी होने के बाद, साहिबे ख़्यार कहता हे मैंने अन्दुरूने मुद्दत फ़स्ख़ कर दिया था और दूसरा मुन्किर है तो फ़स्ख़ को गवाहों से साबित करना होगा और अगर उसने फ़स्ख़ के गवाह पेश किये दूसरे ने इसके गवाह पेश किये, कि इसने अक़्द को नाफ़िज़ कर दिया है तो फ़स्ख़ के गवाह मोअ्तबर हैं। और अगर अन्दुरूने मुद्दत यह इख़्तिलाफ़ हुआ तो साहिबे ख़्यार का क़ौल मोअ्तबर है और दूसरे के गवाह। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– दो शख़्सों का एक पर दैन है। मद्यून (मक़रूज़) ने दो गुलाम पर दोनों से मुसालहत की और दोनों के लिये ख़्यारे शर्त रखा इनमें से एक सुलह पर राज़ी है और दूसरा फ़स्ख़ करना चाहता है यह नहीं हो सकता फ़स्ख़ करना चाहें तो दोनों मिलकर फ़स्ख़ करें। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– मुद्दा अ़लैह ने दावे से इन्कार किया, उसके बाद ख़्यारे शर्त के साथ सुलह की फिर ब'मुक़तज़ा–ए–ख़्यार अक़्द को फ़स्ख़ कर दिया(इख़्तियार की वजह से अक्दे बैअ् को ख़त्म कर दिया)तो मुद्दई का दावा ब'दस्तूर लौट आयेगा और मुद्दा'अ़लैह का सुलह करना इक़रार नहीं मुतसव्वर होगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– जिस चीज़ पर सुलह हुई उसको मुद्दई ने नहीं देखा है, देखने के बाद उसको ख़्यार हासिल है। पसन्द नहीं है वापस करदे और सुलह जाती रही, जिस पर सुलह हुई उसको मुद्दई ने देखा मगर मुद्दई पर किसी दूसरे ने दावा किया उसी चीज़ पर उसने इस दूसरे से सुलह करली उसने देखकर वापस करदी अब मुद्दई इस चीज़ को मुद्दा'अ़लैह पर वापस नहीं कर सकता और अगर ख़्यारे ऐ़ब की वजह से दूसरा शख़्स हुक्मे क़ाज़ी से वापस करता, तो मुद्दई मुद्दा'अ़लैह को वापस कर सकता था। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– मुद्दई के लिये सुलह में ख़्यारे ऐ़ब उस वक़्त होता है जब माल का दावा हो और उसका वही हुक्म है जो मबीअ् का है कि अगर हुक्मे क़ाज़ी से फ़स्ख़ हो तो सुलह फ़स्ख़ होगी और मुद्दा'अ़लैह उस चीज़ को अपने बाइअ् पर वापस कर सकता है। और बिग़ैर हुक्मे क़ाज़ी हो, तो बाइअ् रद् नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– जिस पर मुसालहत हुई उसमें ऐ़ब पाया मगर चूंकि चीज़ हलाक होचुकी है इस वजह से वापस नहीं कर सकता तो बक़द्रे ऐ़ब मुद्दा'अ़लैह पर रुजूअ् करेगा। अगर यह सुलह इक़रार के बाद है तो ऐ़ब का जितना हिस्सा उसके हक़ के मुक़ाबिल हो, उतना मुद्दा'अ़लैह से वसूल कर सकता है और इन्कार के बाद सुलह हुई तो हिस्सा–ए–ऐ़ब के मुक़ाबिल में जो कमी हुई उसका दावा कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– मकान का दावा था गुलाम देकर मुद्दा'अ़लैह ने सुलह करली इस गुलाम में किसी ने अपना हक़ साबित किया। अगर मुस्तहिक़ सुलह को जाइज़ न रखे, तो मुद्दई इस मुद्दा'अ़लैह पर फिर दावा कर सकता है और अगर मुस्तहिक़ ने सुलह को जाइज़ कर दिया तो गुलाम मुद्दई का है और मुस्तहिक़ बक़द्रे क़ीमत गुलाम मुद्दई से वसूल कर सकता है और अगर निस्फ़ गुलाम में मुस्तहिक़ ने अपनी मिल्क साबित की है तो मुद्दई को इख़्तियार है। निस्फ़ गुलाम जो बाक़ी है यह ले और निस्फ़ हक़

का मुद्दा'अलैह पर दावा करे या निस्फ़ भी वापस व रदे और पूरे मुतालबे का दावा करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– रूपये से एक चीज ख़रीदी, और तकाबुजे बदलैन (खरीदार का माल पर और बेचने वाले का कीमत पर कब्जा होना) होगया इसके बाद मुश्तरी ने मबीअ् में ऐब पाया। बाइअ् ऐब का इक़रार करता हो या इन्कार इस मुआमले में अगर रूपये पर सुलह होगई यह जाइज़ है। रूपये के लिये मीआद मुक़र्रर हुई या फ़ौरन देना क़रार पाया बहर हाल जाइज़ है और अशर्फ़ी पर सुलह हुई और इन पर क़ब्ज़ा भी होगया जाइज़ है। और मोअय्यन कपड़े पर सुलह हुई यह भी जाइज़ है। मोअय्यन गेहूँ पर सुलह हुई यह भी जाइज़ है और ग़ैर मोअय्यन गेहूँ पर सुलह हुई, और क़ब्ज़ा से पहले दोनों जुदा होगये, यह ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– कपड़ा ख़रीदा उसे क़तअ् कराके सिलवाया, अब ऐब पर मुत्तलअ् हुआ, और रूपये पर सुलह हुई, यह जाइज़ है। यूंही अगर कपड़े को सुर्ख़ रंग दिया, और ऐब पर मुत्तलअ् हुआ सुलह जाइज़ है। और अगर कपड़ा क़तअ् कराया है अभी सिला नहीं, और बैअ् कर डाला, फिर ऐब पर मुत्तलअ् हुआ। उस ऐब के बारे में सुलह ना'जाइज़ है। कपड़े को स्याह रंगा उसका भी यही हुक्म है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– कपड़ा क़तअ् कर डाला, और अभी सिला नहीं है कि मुश्तरी को ऐब पर इत्तिला हुई और बाइअ् इक़रार करता है कि यह ऐब उसके यहाँ मौजूद था सुलह यूँ हुई कि बाइअ् कपड़ा वापस लेले। और समन में से मुश्तरी दो रूपये कम वापस ले, यह जाइज़ है। यह रूपये उस ऐब के मुक़ाबिल में होंगे जो मुश्तरी के फ़ेअ्ल से पैदा हुआ यानी क़तअ् करने से। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– एक चीज़ सौ रूपये में ख़रीदी, मुश्तरी ने उसमें ऐब पाया यूँ सुलह हुई कि मुश्तरी चीज़ फेरदे और बाइअ् नव्वे रूपये वापस कर देगा। अगर बाइअ् इक़रार करता है कि वह ऐब उसके यहाँ था या वह ऐब इस क़िस्म का है कि मालूम है कि मुश्तरी के यहाँ पैदा नहीं हुआ है तो बाक़ी दस रूपये भी वापस देने होंगे। और अगर बाइअ् कहता है कि यह ऐब मेरे यहाँ नहीं था, या बाइअ् न इक़रार करता है न इन्कार, और मुश्तरी के यहाँ पैदा होसकता है तो बाक़ी रूपये वापस करना लाज़िम नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– एक चीज़ सौ रूपये में ख़रीदी, और तक़ाबुज़े बदलैन होगया इसमें ऐब ज़ाहिर हुआ। यूँ मुसालहत हुई कि मुश्तरी भी पाँच रूपये कम करदे और बाइअ् भी, और यह चीज़ तीसरा शख़्स लेले जो नव्वे रूपये में लेने पर राज़ी है इस तीसरे का ख़रीदना भी जाइज़ है और मुश्तरी का पाँच रूपये कम करना भी जाइज़ है मगर बाइअ् का पाँच रूपये कम जाइज़ नहीं लिहाज़ा इस तीसरे शख़्स को इख़्तियार है कि पिच्चानवे में ले या छोड़दे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– हज़ार रूपये में चीज़ ख़रीदी, और तक़ाबुज़े बदलैन होगया फिर उस चीज़ को दो हज़ार में बैअ् किया और इस बैअ् में भी तक़ाबुज़े बदलैन होगया। मुश्तरी दोम ने उस चीज़ में ऐब पाया यूँ सुलह हुई कि बाइअ् अव्वल डेढ़ हज़ार में इस चीज़ को वापस लेले यह जाइज़ है और जदीद बैअ् है। बाइअ् दोम से इसको कोई ताल्लुक़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– दस रूपये में कपड़ा ख़रीदा, और तरफ़ैन ने क़ब्ज़ा कर लिया, मुश्तरी इसमें ऐब बताता है और बाइअ् इन्कार करता है। एक तीसरा शख़्स कहता है कि मैं यह कपड़ा आठ रूपये में ख़रीद लेता हूँ और बाइअ् मुश्तरी से एक रूपया कम करदे यह जाइज़ है इस शख़्स को आठ रूपये देने होंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– दस रूपये में कपड़ा ख़रीदा, और धोबी को देदिया, धोबी धोकर लाया तो फटा हुआ निकला, मुश्तरी कहता है कि मालूम नहीं, बाइअ् के यहाँ फटा हुआ था या धोबी ने फाड़ा है उनमें इस तरह सुलह हुई कि बाइअ् समन से एक रूपया कम करदे और एक रूपया धोबी मुश्तरी को दे और अपनी धुलाई मुश्तरी से ले यह जाइज़ है। यूंही अगर सुलह हुई कि कपड़ा बाइअ् वापस ले, यह भी जाइज़ है और मुसालहत न हुई बल्कि दावा करने की नौबत हुई तो मुश्तरी को इख़्तियार है बाइअ् पर दावा करे या धोबी पर, मगर बाइअ् पर दावा करेगा तो धोबी बरी हो जायेगा क्यों कि जब

बाइअ् के यहाँ फटा होना बताया, तो धोबी से ताल्लुक़ न रहा और धोबी पर दावा किया, कि बाइअ् बरी होगया कि जब धोबी का फाड़ना कहा, तो मालूम हुआ, बाइअ् के यहाँ फटा न था (आलमगीरी)

जायदादे ग़ैर मन्कूला में सुलह

मसअ्ला.1:– एक मकान का दावा किया, और इस तरह सुलह हुई कि मुददई यह कमरा लेले अगर वह कमरा दूसरे मकान का है जो मुददा'अलैह की मिल्क है तो सुलह जाइज़ है और अगर उसी मकान का कमरा है जिसका दावा था जब भी सुलह जाइज़ है। और मुददई का यह हक़ हासिल न रहा, कि इस मकान का फिर दावा करे। हाँ अगर मुददा'अलैह इक़रार करता है कि वह मकान मुददई ही का है तो उसे हुक्म दिया जायेगा कि मुददई को देदे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– यह दावा किया कि इस मकान में इतने गज़ ज़मीन मेरी है और सुलह हुई कि मुददई इतने रूपये लेले। यह जाइज़ है और अगर इस तरह सुलह हुई कि फुलां के पास जो मकान है उसमें मुददा'अलैह का हक़ है मुददई उसे लेले। अगर मुददई को मालूम है कि उस मकान में मुददा'अलैह का इतना हिस्सा है तो सुलह जाइज़ है। और मालूम नहीं है तो ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– मकान के मुताल्लिक़ दावा किया, मुददा'अलैह ने इन्कार कर दिया फिर कुछ देकर मुसालहत करली इसके बाद मुददा'अलैह ने हक़्क़े मुददई का इक़रार किया मुददई चाहता है सुलह तोड़दे, और यह कहता है कि मैंने सुलह इस लिये की थी कि तुमने इन्कार किया था मुददई के इस कहने से सुलह नहीं तोड़ी जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– मकान का दावा किया और सुलह इस तरह हुई कि एक शख़्स मकान लेले और दूसरा उसकी छत अगर छत पर कोई इमारत नहीं है तो सुलह जाइज़ नहीं और अगर छत पर इमारत है और यह ठहरा कि एक नीचे का मकान ले और दूसरा बाला ख़ाना ले यह सुलह जाइज़ है (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– मकान में हक़ का दावा किया, और सुलह यूं हुई कि मुददई इसके एक कमरे में हमेशा ताज़ीस्त सुकूनत रखे (ज़िन्दगी भर रहे)। यह सुलह जाइज़ नहीं। (ख़ानिया)

मसअ्ला.6:– ज़मीन का दावा किया, और सुलह इस तरह हुई कि मुददा अलैह (जिसके क़ब्ज़े में ज़मीन है) उसमें पाँच वर्ष तक काश्त करेगा मगर ज़मीन मुददई की मिल्क रहेगी यह जाइज़ है। (ख़ानिया)

मसअ्ला.7:– एक मकान ख़रीद कर उसको मस्जिद बनाया फिर एक शख़्स ने उसके मुताल्लिक दावा किया, जिसने मस्जिद बनाई, उसने या अहले मोहल्ला ने मुददई से सुलह की, यह सुलह जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– दो शख़्सों ने एक मकान का दावा किया कि यह हमको अपने बाप से तर्का में मिला है उनमें से एक ने मुददा'अलैह से अपने हिस्से के मुक़ाबिल में सौ रूपये पर सुलह करली, दूसरा उन सौ में से कुछ नहीं ले सकता जब तक गवाहों से साबित न करदे और अगर एक ने पूरे मकान के मुक़ाबिल सौ रूपये पर सुलह की है और अपने भाई के तस्लीम करने का ज़ामिन होगया है। अगर उसके भाई ने तस्लीम करली, सुलह जाइज़ है और सौ में से पचास ले लेगा और उसने इन्कार कर दिया, तो उसके हक़ में सुलह ना'जाइज़ है उसका दावा ब'दस्तूर बाक़ी है और जिसने सुलह की है वह उस सौ में से पचास मुददा'अलैह को वापस दे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– दो शख़्सों के पास दो मकान हैं हर एक ने दूसरे पर उसके मकान में अपने हक़ का दावा किया, और सुलह यूँ हुई कि हर एक के क़ब्ज़े में जो मकान है वह दूसरे को देदे यह भी जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– दरवाज़ा या रौशनदान के बारे में झगड़ा है पड़ोसी को कुछ रूपये देकर सुलह करली, कि दरवाज़ा या रौशनदान बन्द नहीं किया जायेगा यह सुलह ना'जाइज़ है। यूंही अगर पड़ोसी ने मालिक मकान को कुछ रूपये देकर सुलह करली, कि तुम दरवाज़ा या रौशन दान बन्द कर लो। यह सुलह भी दुरुस्त नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– एक शख़्स की ज़मीन है जिसमें ज़राअत (खेती) है दूसरे ने ज़राअत का दावा किया, कि यह मेरी है। मालिक ज़मीन ने कुछ रूपये देकर उससे सुलह करली, यह जाइज़ है। और ज़मीन दो शख़्सों की है तीसरे ने दावा किया है कि इसमें जो ज़राअत है वह मेरी है और वह दोनों इससे इन्कार करते हैं एक मुद्दा'अ़लैह ने सुलह करली, कि मुद्दई सौ रूपये देदे और निस्फ़ ज़राअत(आधी खेती)मैं मुद्दई को देदूँगा। अगर ज़राअत तैयार है सुलह जाइज़ है और अगर तैयार नहीं है तो बिग़ैर दूसरे मुद्दा'अ़लैह की रज़ा'मन्दी के सुलह जाइज़ नहीं और अगर एक मुद्दा'अ़लैह ने सौ रूपये पर यूँ मुसालहत की कि निस्फ़ ज़मीन मय ज़राअत देता हूँ तो बहर हाल जाइज़ है (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– शारेअ़् आम (आम रास्ता) पर एक शख़्स ने सायबान (छप्पर,तिरपाल वग़ैरा) डाल लिया है। एक शख़्स ने उसको हटा देने का दावा किया उसने उसे कुछ रूपये देकर सुलह करली कि सायबान न हटाया जाये यह सुलह ना'जाइज़। ख़ुद यही शख़्स जिसने दावा किया था, या दूसरा शख़्स उसे हटवा सकता है और अगर हुकूमत हटाना चाहती है और उसने कुछ रूपये देकर चाहा, कि हटाया न जाये और रूपया लेकर बैतुल'माल में दाख़िल करना ही आ़म्मा–ए–मुस्लेमीन (आ़म मुसलमानों) के हक़ में मुफ़ीद हो और सायबान से आ़म्मा–ए–मुस्लेमीन को ज़रर न हो तो सुलह जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– दरख़्त की शाख़ पड़ोसी के मकान में पहुँचगई, वह काटना चाहता है मालिक दरख़्त ने उसे कुछ रूपये देकर सुलह करली, शाख़ न काटी जाये यह सुलह ना'जाइज़ है। और अगर मालिक मकान ने मालिक दरख़्त को रूपये देकर सुलह करली कि काट डाली जाये यह सुलह भी बातिल है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– एक शख़्स ने दरख़्त का दावा किया कि यह मेरा है मुद्दा'अ़लैह इन्कार करता है सुलह यूँ हुई कि इस साल जितने फल आयेंगे सब मुद्दई को देदिये जायेंगे यह सुलह ना'जाइज़ है(आलम)

मसअ्ला.15:– मकान ख़रीदा, शफ़ीअ़् ने शुफ़ा का दावा किया, मुश्तरी ने उसे कुछ रूपये देकर मुसालहत करली कि वह शुफ़ा से दस्त'बर्दार होजाये शुफ़ा बातिल होगया और मुश्तरी पर वह रूपये लाज़िम नहीं बल्कि अगर मुश्तरी दे चुका है। तो वापस ले सकता है। (ख़ानिया)

यमीन के मुताल्लिक़ सुलह

मसअ्ला.1:– एक शख़्स ने दूसरे पर दावा किया मुद्दा अ़लैह मुन्किर है। सुलह यूँ हुई कि मुद्दा अ़लैह हलफ़ करले बरी हो जायेगा। उसने क़सम खाली, यह सुलह बातिल है यानी मुद्दई का दावा ब'दस्तूर बाक़ी रहेगा। अगर गवाहों से मुद्दई अपना हक़ साबित कर देगा वसूल कर लेगा। और अगर मुद्दई के पास गवाह नहीं हैं और मुद्दा'अ़लैह से क़सम खिलाना चाहता है। अगर पहली मर्तबा क़ाज़ी के पास क़सम नहीं खाई थी तो क़ाज़ी मुद्दा'अ़लैह पर दोबारा हल्फ़ देगा। और अगर पहली क़सम क़ाज़ी के हुजूर थी तो दोबारा हलफ़ नहीं देगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– इस तरह सुलह हुई कि मुद्दई अपने दावे के सही होने पर आज क़सम खायेगा अगर क़सम न खाये तो उसका दावा बातिल है यह सुलह बातिल है अगर वह दिन गुज़र गया, और क़सम नहीं खाई उसका दावा ब'दस्तूर बाक़ी है। यूंहीं अगर सुलह हुई कि मुद्दा'अ़लैह क़सम खायेगा अगर क़सम न खाये, तो माल का ज़ामिन है या माल उसके ज़िम्मे साबित है या माल का इक़रार समझा जायेगा यह सुलह भी बातिल है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– मुद्दई के पास गवाह नहीं, उसने मुद्दा'अ़लैह से हलफ़ का मुतालबा किया। क़ाज़ी ने भी हलफ़ का हुक्म देदिया मुद्दा'अ़लैह ने मुद्दई को कुछ रूपये देकर राज़ी कर लिया कि मुझ से क़सम न खिलवाओ यह सुलह जाइज़ है मुद्दा'अ़लैह हलफ़ से बरी होगया। (आलमगीरी)

दूसरे की तरफ़ से सुलह

मसअ्ला.1:– फ़ुज़ूली अगर सुलह करे उसका आज़ाद व बालिग़ होना ज़रूरी है यानी गुलाम माज़ून व ना'बालिग़ बच्चा दुसरे की तरफ़ से सुलह नहीं कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– एक शख़्स ने दैन (क़र्ज) का दावा किया और मुद्दा'अलैहि दैन से मुन्किर है। एक अजनबी शख्स ने मुददई से कहा, तुमने जो कुछ दावा किया है उसके मुताल्लिक फुलां (मुददा'अलैहि) से हजार रूपये में सुलह करलो। मुददई ने कहा, मैंने सुलह की, यह सुलह मुद्दा'अलैह की इजाज़त पर मौकूफ़ होगी अगर जाइज़ कर देगा जाइज होगी और हज़ार रूपये मुद्दा'अ़लैह पर होंगे। और रद् कर देगा, बातिल होजायेगी और इस सुलह को अजनबी से कोई ताल्लुक न होगा। और अगर अजनबी ने यह कहा था कि तुमने जो फुलां पर दावा किया है उसके मुताल्लिक मैंने तुम से हज़ार रूपये पर सुलह की, और मुददई ने वही कहा, इसका भी वही हुक्म है। (खानिया)

मसअ्ला.3:– मुद्दा'अ़लैह मुन्किर है उसने किसी को सुलह के लिये मामूर कर दिया (किसी को हुक्म देदिया) है उस मामूर ने यह कहा, कि तुम फुलां (मुददा'अलैह) से हज़ार पर सुलह करलो उसने कहा, मैंने सुलह की मुद्दा'अ़लैह पर सुलह नाफिज होगी और उस पर हज़ार रूपये लाज़िम होंगे। और अगर मामूर ने कहा, मैंने तुमसे हज़ार रूपये पर सुलह की, इसका भी यही हुक्म है। (खानिया)

मसअ्ला.4:– अजनबी ने कहा मुझ से हज़ार रूपये पर सुलह करो, या फुलां (मुददा'अलैह) से मेरे माल से हज़ार रूपये पर सुलह करलो यह सुलह मुद्दा'अ़लैह पर नाफ़िज होगी मगर रूपये अजनबी पर लाज़िम होंगे। अगर अजनबी ने यह कहा, फुलां से हज़ार रूपये पर सुलह करलो। इस शर्त पर, कि मैं हज़ार का ज़ामिन हूँ यह सुलह भी मुद्दा'अ़लैह पर नाफ़िज़ होगी मुददई को इख़्तियार है कि बदले सुलह(वह माल जिसके बदले सुलह हुई)का मुतालबा मुद्दा'अ़लैह से करे या उस अजनबी से।(आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– अजनबी ने मुददई से सौ रूपये पर मुसालहत की, फिर कहता है 'मैं नहीं दुँगा'। अगर सुलह की इज़ाफ़त (निस्बत) अपनी तरफ़ या अपने माल की तरफ़ की है या बदले सुलह का ज़ामिन हुआ है तो अदा करने पर मजबूर किया जायेगा। अगर यह बातें नहीं हैं तो मजबूर नहीं किया जा सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– अजनबी ने बिग़ैर हुक्म मुद्दा'अ़लैह से सौ रूपये पर, या किसी चीज़ के बदले में सुलह की। मुददई के वह रूपये खरे न थे इस वजह से वापस करदिये या उस चीज़ में ऐब था वापस करदी इस सुलह करने वाले पर कुछ वाजिब न होगा मुददई का दावा बदस्तूर बाकी है(आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– फ़ुजूली ने मुददई से मस्लन सौ रूपये पर सुलह की, इस शर्त पर कि वह चीज़ जिसका मुददई ने दावा किया है फ़ुजूली की होगी मुद्दा'अ़लैह की नहीं होगी, और मुद्दा'अ़लैह दावा–ए–मुददई से मुन्किर है यह सुलह जाइज़ है। फ़ुजूली ने सुलह की, अपने माल की तरफ़ इज़ाफ़त की हो या न की हो माल का ज़ामिन हुआ हो या न हुआ हो बहर हाल जाइज़ है और अब यह फ़ुजूली मुददई से उस शय की तस्लीम का मुतालबा कर सकता है जिसका मुददई ने दावा किया था फिर अगर मुददई के लिये उस चीज़ की तस्लीम मुम्किन है मस्लन मुददई ने गवाहों से वह चीज़ अपनी साबित करदी, या मुद्दा'अ़लैह ने मुददई के हक़ में इक़रार करलिया मुददई वह चीज़ इस फ़ुजूली को दे और अगर तस्लीम ना'मुम्किन है तो फ़ुजूली सुलह को फ़स्ख़ करके बदले सुलह मुददई से वापस ले सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– फ़ुजूली ने मुद्दा'अ़लैह से सुलह की कि वह मकान जिसका मुददई ने दावा किया है इतने में उसे देदो यह सुलह जाइज़ है और अगर वह शख़्स मामूर है उसने सुलह की और ज़ामिन होगया फिर अदा किया तो मुददई से वह रक़म वापस ले सकता है। (आलमगीरी)

تمّ هٰذا الجزء والحمد لله رب العلمين

अनुवादक

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी
निकट दो मीनार मस्जिद, एजाज़ नगर
पुराना शहर बरेली यु0पी0
मो0:–09219132423